राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 38 वां दिवस [संख्या 29

बुद्धवार

दिनांक 4 अप्रेल, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

कानसिंह आयोग की रिपोर्ट

834 श्री अजीतसिंह (टोंक)

श्री गंगासहाय (कठूमर)

श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कानसिंह आयोग ने किन-किन लोगों को युवराज प्रतापसिंह की आत्महत्या को मजबूर करने के प्रयासों में भागीदार माना है?

(2) मल्हन कमेटी ने कानसिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किन किन लोगों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी?

(3) कानसिंह आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं की गई है?

(4) क्या राज्य सरकार कानसिंह व मल्हन कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेगी?

(5) राज्य सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी तथा कब तक?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न मैं छोड़ता हूं।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई टाइम फिक्स कर दिया जाए। इसका जवाब कब आएगा?

श्री अध्यक्ष : 11 तारीख को कर दिया है।

श्री जीतमल जैन।

प्रश्न संख्या 835.

मैनेजर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक अलवर को प्रदत्त शक्तियां

835 श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अलवर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर श्री हरिदत्त व्यास को राज-

(श्री जीतमल जैन)

स्थान राज्य सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 117 व 118 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की शक्तियां रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा प्रदत्त की गई थी ?

(2) यदि नहीं, तो क्या मैनेजर द्वारा उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्णित शक्तियों का प्रयोग किया गया ?

(3) यदि हां तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई, उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या अलवर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर ने सहायक अधिशासी अधिकारी कठूमर को ऋण के समायोजन हेतु पत्र लिखा ?

(5) क्या उक्त समायोजन हेतु लिखे गये पत्र के संबंध में जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) (1) राज्य सरकार के आदेश संख्या 4(7) कोप/प्रथम/65, दिनांक 8 फरवरी, 74 द्वारा जनरल मैनेजर, मैनेजर अधिशासी अधिकारी को धारा 117, 118 आदि के अधिकार प्रदत्त किए गए थे।

(2) मैनेजर द्वारा उक्त धाराओं के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग किया है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी हां।

(5) निलम्बित कर शीघ्र अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अयूब खां (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इनको निलम्बित कब किया गया है ? यह बता दीजिए।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि ये आदेश कब दिये गये हैं ?

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस प्रश्न के आने के बाद ही मन्त्री महोदय द्वारा इनको निलम्बित करने के आदेश दिये गये हैं ? मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय श्री हरिदत्त व्यास जो कि वहां के जनरल मैनेजर हैं, उनको निलम्बित करने के आदेश दिये गये हैं और यह आदेश यह सवाल आने के बाद ही दिया गया है क्योंकि यह जानकारी, यह सारा मसला सवाल किए जाने के बाद ही आया है।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिडावा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि 24-5-77 को श्री हरिदत्त

(श्री ईश्वर चन्द्र)

व्यास ने श्री वर्मा ए.आर. को एक चिट्ठी लिखी कि श्री भगवान सहाय को कैश रकम जमा कर के रसीदें दे दें और जिन सदस्यों को फर्जी बांड पर लोन दिया गया है, उनकी रसीदें काटी जा सकें। रामदयाल व्यवस्थापक को भी इस काम में लगा दें। वे भी आपको सहयोग दें। तो यह सारा रिकार्ड फर्जी है। तो क्या इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के दौरान यह जो चिट्ठी की बात माननीय विधायक ईश्वर चन्द भटनागर ने कही है, उसको मैंने देखा है और उसकी गम्भीरता को देखते हुए कार्यवाही की जाएगी। रहा सवाल अगली कार्यवाही का तो निलम्बित कर दिया गया है और सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी कानूनी कार्यवाही हो सकती है, उसके लिए आदेश दिये गये हैं। इसमें जो एफ आई. आर. दर्ज कराने या रिपोर्ट कराने की बात है, मैंने यह स्पष्ट निवेदन किया है कि इस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कोई अपराध बनता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी और इसकी एफ.आई. आर. भी दर्ज की जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कोआपरेटिव रजिस्ट्रार को इस बात की जानकारी कब प्राप्त हुई?

श्री ईश्वर चन्द : अध्यक्ष महोदय 24-5-77 को श्री नंदलाल जोइन्ट रजिस्ट्रार ने इन्क्वायारी कर ली। उस रिपोर्ट को दो साल हो गये हैं। उसके बाद भी कोई एफ. आई. आर. लाज नहीं की गई है। फोर्जरी का क्लीयर-कट केस है। डाकूमेन्ट को टेम्पर विद करने का, फर्जी बाण्ड भरने का साफ केस है। अब यह कह रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। क्या यह पर्याप्त है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की अनियमितता, गबन करने वाले लोगों को क्या-क्या संभावित सजाएं दी जा सकती हैं? क्या यह सत्य है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनकी वेतन वृद्धि होती रहती है और जितने छोटे कर्मचारीगण हैं उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाता है तो इनको भी क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? कृपया यह बतावें कि ऐसे लोगों को क्या संभावित सजाएं दे सकते हैं?

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस मैनेजर की पहली शिकायत मैंने 31-10-77 को की थी। दूसरी दफा तब की थी जब श्री मेघवाल जी ने इस विभाग का चार्ज लिया था। यह दूसरी दस्तखत 17-3-78 को दी थी। उस दिन यह दस्तखत रजिस्ट्रार को भी थी। आपने आर्डर दिया था। जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी करूंगा। यह तमाम फोटो कापीज मेरे पास हैं। व्यास ने वर्मा को लिखा है और जो यह वर्मा को लिखा है कि एडजस्टमेंट कर देना। यह फर्जी बाण्ड है, इनका भी एडजस्टमेंट कर

(श्री नत्थी सिंह)

देना। अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मसला है। आपने दो साल तक कैसे इसको रोके रखा है ? कृपया मंत्री महोदय इसका जवाब दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं दो साल से बराबर मंत्री महोदय, रजिस्ट्रार महोदय को लिख रहा हूं। यह फोटो कापीज हैं जिनको मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं।

श्री नवरंग सिंह : मंत्री महोदय को यह पता नहीं है....

श्री नत्थीसिंह : जब असेम्बली का क्वेश्चन आया तो आपने कार्यवाही की। तब आपकी आंख खुली।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें ...

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन दफे शिकायत की हैं। जो रजिस्ट्रार पहले थे वह मैनेजर के रिश्तेदार थे। उस सारी बात पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया इसका क्या कारण था ?

श्री माणकचन्द ठाकोर (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. में विलम्ब करने के कारण मुकदमा अन्त में जाकर सन्देहास्पद स्थिति में होने के कारण मुलजिम बरी हो जाता है। इस कारण मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने अपना दिमाग इस बात में लगाया है, माइन्ड लगाया है, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार का, गबन का अथवा कोई फोर्जरी है तो उस पर पुलिस कार्यवाही कर मुकदमा बन सकता है ? यदि मुकदमा बनता है तो इसकी पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की गई और रिपोर्ट नहीं की गई तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि इसकी रिपोर्ट पुलिस में दाखिल करवा दी जाएगी ? अन्यथा यह माना जायेगा कि हमारे मंत्री महोदय जान बूझकर कानून जानते हुए भी, नतीजा जानते हुए भी अभियुक्तों को संरक्षण देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने सदन को झूठी खबर क्यों दी ? यह इतना पुराना मामला है, क्यों नहीं एफ. आई. आर. दर्ज करवाई ? और अगर करवाई तो उस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तर आने दीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : मैं इसके मुतलिक निवेदन कर रहा हूं, मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि कोई भी रिश्वत का मामला होगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे ..

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप भाषण मत दें। सप्लीमेन्ट्री आने दें।

श्री नत्थीसिंह : यह साफ घूसखोरी का मामला है।

श्री कैलाश मेघवाल : श्री नत्थीसिंहजी ने कहा कि वे शिकायतें देते रहे हैं। मैं इसे

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्वीकार करता हूं इसके अलावा भी मुझे पब्लिक से, डाक से इस बारे में शिकायतें मिलती रही है जिनको मैं जांच के लिये भेजता रहा हूं। उसी का परिणाम है जांच होकर मेरे सामने आई है और उसके आधार पर मैंने सदन को सूचना दी है कि इस प्रकार के आदेश दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें हो सकता है कि कहीं प्राथमिक जांच में विलम्ब हुआ हो या मेरे तक फाइल आने में विलम्ब हुआ हो लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की कोई योजना नहीं है। विलम्ब हुआ इसके लिये भी देख लिया जायेगा कि किस स्तर पर विलम्ब हुआ।

श्री ईश्वरचन्द्र : मेरा भी प्रश्न है उसका जवाब नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अयूब खां।

श्री ईश्वरचन्द्र : जोइन्ट रजिस्ट्रार ने इन्क्वायरी की वो किस तारीख तक आपके पास आ गई ?

श्री नत्थीसिंह : जिन अधिकारियों ने जांच में विलम्ब किया, फाइल रोकी क्या आप उनको दण्डित करेंगे या नहीं ?

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, यह पहला मामला नहीं है और भी अनेक शिकायतें आती हैं और सी. सी. बैंक है उसके अण्डर में दूसरे बैंक भी हैं उनकी भी शिकायतें हैं लेकिन वे मामले अभी तक असेम्बली में नहीं आये, न उनकी जांच हुई, न होगी न उन पर अमल हुआ। आप यह भी फर्मा दीजिये जो और शिकायतें हैं उनकी भी जांच कर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री नत्थीसिंह : श्री हरिदत्त व्यास, जो मैनेजर है उसने लाखों रुपये बैंक के खाये हैं, आप पूरी जांच करायें, कितना घोटाला निकलेगा। उसका रिकार्ड मेरे पास है। मैं दे रहा हूं जब से शोभाराम जी चेयरमैन आये तब से उसने हजारों रुपये खाये। 10 हजार रुपये उसने अपने कैशियर, जो उसका हिस्सेदार है, उसको दिये और उसके बाद 2 हजार जमा करा दिये और 8 हजार खुद ने खा लिये। कैशियर ने उसके खिलाफ बयान भी दिया। आप रिकार्ड देख लें। इसलिये मेरा निवेदन है जब से यह नौकरी पर आया है तब से जांच करा कर सदन के सामने रखिये। मेरा रिकार्ड मैं पेश करूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या रजिस्ट्रार की हरिदत्त व्यास से रिश्तेदारी है, इसलिये मामला नहीं उठ सकता ?

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : इससे पहले जो रजिस्ट्रार थे, नाम मेरे ध्यान में नहीं, वे रिश्तेदार थे। मैं पर्सनली मिला और रिक्वेस्ट की कि तमाम जांच जल्दी से जल्दी कर दीजिये। 3 दफे गया फिर भी जांच करके फाइलें क्यों दबा ली गई ? इस पर कार्यवाही की

(नत्थीसिंह)

जानी चाहिये।

श्री भंवरलाल ऐरन : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक रिपोर्ट आने के बाद निलंबन के आदेश दिये तो क्या फौजदारी मुकदमे के आदेश दिये या एफ. आई. आर. के ?

एक माननीय सदस्य : इसका उत्तर आ चुका है।

श्री ईश्वरचन्द्र : बार बार सीट बदल करते हैं, कभी दल न बदल लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर बैठ कर प्रश्न पूछिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनका स्थान तो ट्रेजरी बैंच में था........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, उत्तर दे दीजिये तो दूसरा प्रश्न पूछता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय नत्थीसिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी तथ्य उनके पास हैं, पहले भी दिये हैं, अब भी दे दें। निश्चित रूप से कार्यवाही की जाकर भ्रष्टाचार की पूरी जांच करवाई जायेगी। मैं विधायक महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को दबाने की कोई कोशिश प्रशासनिक दृष्टि से किसी भी स्तर पर की गई तो मैं सारी कार्यवाही देख लूंगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मैं अयूब खां जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो भी मसले आते हैं जांच के उनके सम्बन्ध में एक बात अवश्य सूचित करना चाहता हूं कि जांच के इतने अधिक आदेश दिये हैं कि उनमें जांचकर्त्ता द्वारा विलम्ब भी होता है मैंने कभी मेरे स्तर पर कोई आदेश भ्रष्टाचार के मामले के नहीं रोके हैं और यह याद रखना मेरे लिये असंभव है।

श्री मूलचन्द डागा : सहकारिता विभाग की कार्यवाही ऐसी है कि जिससे विश्वास होता नहीं। बातों से विश्वास नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर(हनुमानगढ़): माननीय मन्त्रीजी यह आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी देरी करेंगे। मन्त्री जस्ट लाइक यू, इस तरह से देरी करें तो फिर दूसरों का क्या हाल होगा ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

नौखा क्षेत्र के खारे पानी वाले क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था

836. **श्री उदाराम हठीला(नौखा)**: क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री उदाराम हठीला)

करेंगे :—

नोखा क्षेत्र में किस जगह पानी की व्यवस्था पिछले साल में की है तथा जहां खारा पानी है वहां मीठे पानी हेतु व्यवस्था करने की सरकार की क्या नीति है ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य विभाग (श्री महबूब अली) : नोखा क्षेत्र में वर्ष 77-78 के अन्तर्गत लालासर, कनवालीसर, किशनसर ग्रामों को पेय जल उपलब्ध करा दिया गया है।

खारे पानी वाले ग्रामों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाओं का चयन जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों से प्राथमिकता, धन की उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार किया जा सकेगा।

श्री उदाराम हठीला : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत, मैं यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा जनता पार्टी सरकार के बाद कहीं पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, तालाब पालवा, साण्डवा आदि 10-20 गांवों में लोग रात-दिन खारा पानी पीते हैं और दूर से मीठा पानी लाकर पीते हैं। मन्त्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि पानी की व्यवस्था कब तक कर देंगे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने गांवों में ....

श्री अध्यक्ष : मीठे पानी का इन्तजाम क्या हो सकता है ? और कितने अर्से में हो जायेगा यही गांव हैं स्पेसिफिक....

श्री महबूब अली : नोखा के अन्दर समस्याग्रस्त 109 गांवों की सूची मैंने दी है, इनके अन्दर 40 गांवों के अन्दर अब तक पानी पहुचा दिया गया है पिछले साल 1977-78 में।

श्री श्योपतसिंह मकासर : समस्याग्रस्त का मतलब खारा पानी........

श्री महबूब अली : समस्याग्रस्त की डेफिनिशन दे चुका हूं और बीसियों बार बता चुका हूं ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको फिर बताना पड़ेगा ....

(व्यवधान)

You are paid for the replies.

(व्यवधान)

हम पूछ रहे हैं समस्याग्रस्त का मतलब खारा पानी है और आप कह रहे हैं कि जवाब दे दिया है। आपको जवाब देना पड़ेगा और 20 बार पूछेंगे तो 20 दफा देना पड़ेगा। आप मेहरबानी नहीं कर रहे हैं हम पर कि जवाब दे रहे हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायात): मन्त्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

(व्यवधान)

मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं । मैं सवालात नहीं पूछना चाहता हूं । सदन के अन्दर यह हमारा अधिकार है कि यदि सदन के अन्दर मन्त्री महोदय से यह पूछे कि परिभाषा क्या है इस समस्याग्रस्त की तो उनको जवाब देना चाहिए ।

श्री ईश्वर चन्द्र : यह जनरल नॉलेज का प्रश्न है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम पूछना चाहते हैं कि समस्याग्रस्त का मतलब खारा पानी है । यह सप्लीमेंट्री करने का हमारा अधिकार है....

(व्यवधान)

समस्याग्रस्त का मतलब क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : मंत्री रहोगे तो जवाब देना पड़ेगा....

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस तरह से मन्त्री जी जवाब देते हैं तो इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि इस तरह से तो इस सदन में बैठना लाभकार नहीं है अतएव इसके प्रोटेस्ट में बाहर जाता हूं ।

(बहिर्गमन)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : मन्त्री महोदय ने कहा कि इस सदन में वह कह चुके हैं और सरकार ने बता दिया है तो कब कब और कौन कौन सी डेट को आपने परिभाषा बताई है ? कृपया यह बतावें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

माननीय प्रश्नकर्त्ता को यह पता होगा क्योंकि नोखा के सम्बन्ध में प्रश्न है । आप पूछिये प्रश्न माननीय सदस्य ।

श्री उदाराम हठीला : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि खारा पानी वाले गांवों की समस्या है या पानी है नहीं इसका खुलासा करें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तर कैसे आयेगा अगर आप उत्तर देने के लिए मन्त्री जी को कोई मौका या समय नहीं देते हैं ?

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर):इसके बारे में पूछना चाहता हूं कि जो गांव....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप स्थान ग्रहण करें ।

माननीय श्री बन्शीलाल सारस्वत खड़े होकर केवल एक सप्लीमेंट्री पूछें ।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

You have caught my eyes, Madam

श्री बन्शीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि बीकानेर से 35 मील दूर नोखा स्थित है और वहां की तहसील में बिल्कुल नजदीक ही 109 गांव समस्याग्रस्त हैं ? इतनी बड़ी संख्या का राजस्थान केनाल की लिफ्ट योजना से पेय जल की समस्या का समाधान किया जा सकता हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य तीन सप्लीमेंट्री हो जाएं फिर मन्त्री महोदय से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उत्तर दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू): अध्यक्ष महोदय, इस तरह से काफी कोई प्रश्न पूछे और मंत्री इस तरह उत्तर दें तो मैं आपसे डाइरेक्शन चाहूंगी, दिशा-निर्देश चाहूंगी और वह यह चाहूंगी कि आप यह बतायें कि कोई भी सदस्य यदि मन्त्री से यह पूछे कि इस बारे में परिभाषा क्या है तो क्या टेम्पर लूज करके मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ? आप मंत्री महोदय से कहें कि इतनी छोटी सी बात के लिए टेम्पर क्यों लूज करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : Please sit down आसन पैरों पर है।

माननीय सदस्या, मेरा यह अनुमान है कि मंत्री महोदय ने कोई रोष में आकर टेम्पर लूज नहीं किया है। टेम्पर तो लूज किया है माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह ने और उन्होंने गुस्सा करके बहिर्गमन किया है।

माननीय मंत्री महोदय कुछ उत्तर देना चाहें तो उत्तर दे दें।

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि समस्याग्रस्त गांव राजस्थान के अन्दर 24035 गांव हैं उसकी कुल पर्सेन्टेज 4005 गांव यानि 17 पर्सेंट अभी तक कवर कर चुके हैं। नोखा में 109 गांव हैं उनमें से 40 में पानी दे चुके हैं और उसकी पर्सेन्टेज 34 आती है। राजस्थान की पूरी एवरेज 17 पर्सेन्ट के मुकाबले में नोखा की एवरेज 34 पर्सेन्ट पहुंची है। इसलिए एवरेज के हिसाब से नोखा के अन्दर काफी काम हुआ है। माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछले वर्ष में काम नहीं हुआ है तो पिछले वर्ष में जिन गांवों में पानी पहुंचाया गया है 77-78 में उसकी सूची प्रस्तुत की गई है और 78-79 में पहुंचाया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नोखा को कोई अलग रखने का प्रश्न नहीं है।

जहां तक समस्याग्रस्त गांवों की परिभाषा का प्रश्न है जिस पर माननीय सदस्य एजीटेट हुए हैं मैं निवेदन करता हूं कि मेरा इरादा उनको आफेन्ड करने का नहीं है। समस्याग्रस्त बहुत दफा कहा गया है इसके बावजूद उनकी भावना को ठेस पहुंची है तो खेद प्रकट करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : मैं पूछना चाहता हूं कि पानी नहीं है या खारा पानी है ?

श्री नूरा (मसूदा) : खारे पानी की समस्या है या पानी की कमी की समस्या है उसका खुलासा नहीं किया है। वहां पर पानी की कमी की समस्या बनी हुई है या खारा पानी की समस्या है ?

श्री मदनसिंह दांता : पानी खारा है इसलिए समस्याग्रस्त है या पानी नहीं है इसलिए समस्याग्रस्त है ?

श्री बन्शीलाल सारस्वत : मैंने अर्ज किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान केनाल की लिफ्ट योजना से उसका समाधान किया जा सकता है। उसका मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने मंत्री महोदय को संकेत कर दिया है।

वह विचार कर लेंगे। प्रश्न पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री गुल मोहम्मद : यह कब तक होगा?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जहां खारा पानी है वहां आप क्या व्यवस्था करेंगे ? मंत्री महोदय में, मैं विश्वास नहीं रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कह सकते हैं। हमारे महान् देश के अन्दर 30 वर्ष की स्वतन्त्रता के पश्चात पेयजल की समस्या को मैं प्राथमिकता देता हूं। अगर नोखा में सम्भव हो सके तो मीठा पानी दें।

श्री मदनसिंह दांता : यह कह रहे हैं कि वहां मीठा पानी है।

श्री गोविंदसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़): उदयपुर और जयपुर में 24 घटे पानी देने लिए कहा गया था।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी। श्री अब्दुल हादी।

यूनानी तिब्बी कालेज

837. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार जयपुर) श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर को पुनर्जीवित करने हेतु अतिरिक्त निदेशक के संयोजन में एक सात सदस्यीय समिति गठित की थी? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार ने यूनानी पेनल्टी खोलने हेतु विश्वविद्यालय की एक कमेटी गठित की थी और उसने रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं की गई तो क्यों ?

(3) राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज जयपुर को इस वर्ष कितना अनुदान दिया गया ? अगर नहीं दिया गया तो क्यों ?

(श्री अब्दुल हादी)

(4) क्या यूनानी तिब्बी कालेज जयपुर को पुनः मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही विभाग ने की है ? अगर की है तो, क्या ? आगे यूनानी के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद : (श्री भैरवलाल कालाबादल) (1) जी हां। गत सरकार ने अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद के संयोजन में एक सात सदस्यीय समिति जून, 75 में गठित की थी। उस समिति की रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी गई है। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया कि दोनों राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में यूनानी पद्धति को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए राजस्थान विश्व विद्यालय को लिखा जावे। इसलिए दिनांक 15-6-76 को राजस्थान विश्वविद्यालय को यह लिखा गया कि यूनानी पद्धति की चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में दोनों आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जावे। जिसमें अधिक से अधिक 20 छात्र हों। उपरोक्त योजना प्रारम्भ करने के लिये विश्व विद्यालय की सहमति मांगी गई थी एवं उसको पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया था। विश्वविद्यालय में मार्च, 1977 में एकेडेमिक कौंसिल को इस पर निर्णय लेकर लिखने के लिए सूचित किया था, लेकिन अब तक कोई अन्तिम उत्तर विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने पुनः स्मरण करवाया है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) इस वर्ष कोई अनुदान नहीं दिया गया है क्योंकि अनुदान समिति ने इस संस्था को अनुदान देने हेतु कोई सिफारिश नहीं की है।

(4) जी नहीं। यदि संस्था उच्च शैक्षणिक स्तर स्थापित करेगी तो राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक उसको मान्यता देने पर विचार करेगी। राज्य सरकार की यह नीति है कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और प्राकृतिक, चिकित्सा का विकास करने का सभी को समुचित अवसर प्राप्त हो।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण
विधान सभा पुस्तकालय में
रखा गया)

श्री हरचन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का जवाब कुछ भी तो समझ में नहीं आया है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : बहुत अच्छा जवाब है। साफ साफ समझ में आया है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : जवाब बिल्कुल स्पष्ट है।

एक माननीय सदस्य : 20 हकीमों को लेने के लिए जो बात कही गई थी।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : उनके लिए हम विचार कर रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहताहूं। एडीशनल डायरेक्टर के अण्डर में जोकमेटी मुकर्रर कर दी फिर उसके बाद विश्व विद्यालय को लिख रहे हैं। इजाजत नहीं आ रही। नहीं आने का क्या कारण है ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : सरकार क्या कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री अयूब खां (तिजारा) : आप बीच में क्यों बोलते हैं, वह सक्षम हैं, जवाब देने में।

श्री गुल मोहम्मद : आप मजाक में इस सवाल को उड़ाना चाहते हैं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि, समस्या यह है कि जो यूनानी दवाखाने हैं, यह संस्था है, इसको क्या आप रिकनाइज मानेंगे ? जिन सूचनाओं के लिए आपने कहा है कि आपके पास दरख्वास्त नहीं आई, आपके पास आई है। आपको मालूम है। मुझे भी मालूम है। आप यह उत्तर दें कि कितना अनुदान दिया है ? जयपुर यूनानी संस्था को कितना अनुदान दिया है ?

श्री भैंरवलाल कालाबादल : अध्यक्ष महोदय, अनुदान समिति ने यूनानी कालेज को अनुदान देने की सिफारिश नहीं की है। इसलिए नहीं की है कि यह यूनानी कालेज मान्यता प्राप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बहुत शानदार।

(व्यवधान)

श्री आलम अली (फतेहपुर) : मान्यता नहीं देने का कारण क्या है ? दो साल से किसी भी साल में अनुदान नहीं दिया है। मान्यता क्यों नहीं दी है ?

श्री अब्दुल अजीज : आप इसे मान्यता दें। दूसरी बात इसको रिकग्नाइज करें। दो साल से चर्चा चल रही है। उसने नहीं दी, उसने नहीं दी। यह ठीक नहीं है।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्री रिप्लाई देने के लिए खड़े हुए हैं। गये साल में इस सदन में सवाल आया था। जैसा कि आयुर्वेद मन्त्री ने कहा था, 20 हकीमों को ले रहे हैं। लेकिन उनको नहीं लिया गया है। दूसरी बात यह है कि यूनानी कालेज मान्यता प्राप्त नहीं है। इसकी मान्यता अस्वींकार कर दी गई है। आप इसके लिए सक्षम हैं। आप इसको

(श्री गुलमोहम्मद)

मान्यता दें। आप एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : हमने अभी कहा है, इस बारे में विचार चल रहा है।

एक माननीय सदस्य: विचार तो दो साल से चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री आलम अली : इन बातों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अयूब खां : माननीय मन्त्री महोदय सहानुभूति रखते हैं।

श्री आलम अली : आपको मान्यता देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नवलराय बच्चानी।

श्री नवलरायबच्चानी(अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही वेतनमान का सवाल भी रखा जाता है।

श्रीरघुनन्दन व्यास (सिरोही) : वेतनमान का सवाल नहीं है। कालेज की मान्यता का प्रश्न है।

श्री नवलराय बच्चानी : यह विचार कब तक चलता रहेगा ? अन्य प्रदेशों से लेकर दवाखाने चलाये जा रहे हैं।

चिकित्सा मन्त्री(श्रीत्रिलोक चन्द जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनानी कालेज को मान्यता देने का प्रश्न है। तिब्बी कालेज को मान्यता देने का प्रश्न है।

(व्यवधान)

28-2-77 को समिति ने योजना प्रस्तुत की है। उसके अनुसार विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया है कि यह मामला एकेडेमिक कौंसिल के सामने विचाराधीन है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है। उदयपुर और जयपुर में जो कालेज हैं वहां पर ये पाठ्यक्रमचलाये जायें। फिर विश्वविद्यालय को आयुर्वेदिक कालेज में यूनानी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया था।

जहां तक यूनानी कालेज को मान्यता देने का प्रश्न है, 76-77 में राज्य सरकार ने राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर को, उपनिदेशक जयपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाकर उसके व्यय पर 6000/- रुपये की अनुदान राशि स्वीकृति की गई थी किन्तु संस्था को कोई उपलब्धि नहीं हुई। 1977-78 में संस्था का कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाया गया, अनुदान नियमों के अनुसार 40 छात्रों का होना अनिवार्य है, किन्तु 76-77 की छात्र संख्या 32 ही रही 1978-79 में छात्रों की संख्या 42 होने के कारण संस्था का नाम अनुदान समिति के समक्ष रखा गया, अनुदान समिति ने निर्णय किया कि निदेशक, आयुर्वेद एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्यों, इन तीनों पदाधिकारियों द्वारा माह अप्रैल, 1979 में

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

संस्था का निरीक्षण करके सत्र के आरम्भ में ही इसके लिए बैठक बुलाई जावेगी।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : पहले वाली समिति ने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 68-69 में न तो मान्यता दी और एक पैसा भी अनुदान का नहीं दिया, 69-70 में एक पैसा अनुदान का नहीं दिया, उसके बाद 70-71 में नहीं दिया, 72-73, 73-74, 74-75 और 75-76 में भी एक पैसा नहीं दिया और आप कहते हैं कि 76-77 में दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप इसको नष्ट करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इसलिए आपने इसकी मान्यता समाप्त कर दी, आप यह बताने की कृपा करें कि इसको पहले क्यों नहीं अनुदान दिया गया था ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर आ जायगा तो हम सन्तुष्ट हो जायेंगे। क्या यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर को पुनः मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही विभाग ने की है ? अगर की है तो, क्या ? आगे यूनानी के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया कि इसके सम्बन्ध में अनुदान समिति ने निर्णय किया है, तीन आदमियों की एक समिति का गठन कर दिया गया है। वह अप्रेल में इसका निरीक्षण करके रिपोर्ट पेश करेगी उसके आधार पर इसको अनुदान देने और मान्यता देने के प्रश्न को तय किया जायगा।

एक माननीय सदस्य : कब तय किया गया ?

श्री त्रिलोकचंद जैन : 17 मार्च को तय किया गया। मान्यता नहीं देने और अनुमान नहीं देने का प्रश्न नहीं है। जो कालेज है उसको बचाने का प्रश्न है, उसको मान्यता भी दी जायगी और अनुदान भी दिया जायगा।

श्री गुल मोहम्मद : मन्त्री महोदय, आप यूनानी के साथ सोतेला व्यवहार कर रहे हैं, साल भर पहले भी आपने कहा था और आज भी यही कह रहे हैं, अगले सेशन में भी आप यही कहेंगे।

व्यवधान

श्री रघुनन्दन व्यास : हम तो मन्त्री महोदय से यह विश्वास चाहते हैं कि अप्रेल में निश्चित रूप से इसका निर्णय हो जायगा ?

श्री नत्थी सिंह : आप यह बताइये कि आप इसको मान्यता देना चाहते हैं या नहीं, अनुदान देना चाहते हैं तो कितना देना चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकचंद जैन : 75 में हमने विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए लिखा था,....

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : मान्यता कब तक दे देंगे यह बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दे देंगे, अवश्य दे देंगे।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, इनको विचार करते एक साल हो गया, ये मान्यता देने वाले नहीं हैं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अप्रैल, 79 में समिति की रिपोर्ट निरीक्षण करने के बाद आ जायगी, यह मैंने इतना डेफिनेट बता दिया है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आप कब तक मान्यता दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपालसिंह खण्डेला।

जिला सीकर में बाढ़ नियन्त्र हेतु बांध

838. श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्वा खण्डेला (जिला सीकर) के पास बाढ नियंत्रण हेतु बांध बनकर तैयार हो गया है और बांध के रिसाव का पानी कस्बे के बीच से साल भर बहने लग गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस रिसाव के पानी से कस्बे के हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के मोहल्लों में पानी का जमाव होने लग गया है और उससे उन मोहल्लों के तथा आसपास के मोहल्लों के लोगों में बीमारी फैलने की पूर्ण आशंका हो गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस समस्या की ओर राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन का कई बार ध्यान आकर्षित किया गया है, मगर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है ?

(4) क्या सरकार इस समस्या के स्थाई हल के लिए कोई योजना बनाने का इरादा करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : (1) जी हां।

(2) बांध के रिसाव का पानी बाजार से गुजरता है। बाजार में नालियां बनी हुई हैं। लेकिन पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी कुछ निचली बस्तियों में रुकता हुआ बहता रहता है तथा आगे जाकर नगरपालिका सीमा से बाहर चला जाता है। किसी प्रकार की कोई बीमारी फैलने की सूचना नहीं है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) बांध की वजह से होने वाले जल रिसाव को रोकने सम्बन्धी कार्य के लिए जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को लिखा जा रहा है।

(4) इसका उत्तर प्रश्न के खण्ड 3 में आ गया है।

श्री गोपालसिंह : खण्ड 4 का जवाब क्या है?

श्री भंवरलाल शर्मा : इस प्रश्न का उत्तर खण्ड 3 में आ गया है।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं, लिखने से काम नहीं चलेगा, आप समस्या का हल बताइये कि क्या करना चाहते हैं?

श्री गोपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, खण्डेला का बांध बनने के बाद पानी शहर से गुजर रहा है, शहर में पानी फैल जाता है, कच्ची बस्तियों में दल-दल हो गया है, नगरपालिका की कोई व्यवस्था नहीं है, दो साल हो गये हैं, आज भी कह रहा हूं, आप यह बता दें कि आपने लिख दिया, क्या यह समस्या के समाधान के लिए काफी है?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो पानी आता है यह बांध के रिसाव से आता है, आपने जो नगरपालिका की जिम्मेदारी बताई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार हमने 25 हजार रुपये नगरपालिका को दिये हैं।

श्री गोपालसिंह : इसी काम के लिए नहीं दिये, मेज कुर्सी खरीदने के लिए दिये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : 25 हजार रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है, पानी जो बहकर आता है उसके लिए हमने जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को भी लिख दिया है।

श्री गोपालसिंह : एक तरफ आप कहते हैं कि हमने जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को लिख दिया है, दूसरी तरफ आपने यह कह दिया कि 25 हजार रुपये नगरपालिका को दिये हैं, आप समस्या को हल नहीं करना चाहते, इसकी जिम्मेदारी आप की है या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की, यह बता दीजिये?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : इस कीचड़ और दलदल को खतम करने का उत्तरदायित्व किसका है, पी. एच. ई. डी. का या आपके विभाग का?

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें, जैसा आपने बताया 25 हजार रुपए नाली के लिए स्वीकृत किया है और नगरपालिका सचिव ने उसे कुर्सी मेज खरीदने में खर्च किया तो क्या आप अपने उस सचिव या प्रशासक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे?

श्री गोपालसिंह : मंत्री जी इस बारे में निश्चित जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपने कहा ग्रांट दी पानी निकालने के लिए, अगर उसने इस काम के लिए खर्च नहीं किया है तो आप क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

(17)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट है। क्या सरकार इस समस्या के स्थाई हल के लिए कोई योजना बनाने का इरादा करती है ? यदि हां तो कब तक ? क्या कोई योजना नगरपालिका द्वारा बनी है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो पानी आता है, उस बांध के बनने के कारण आ रहा है। उसको रोकने की वास्तव में जिम्मेदारी पी. एच. ई. डी. की है जिसके कारण यह समस्या खड़ी हुई है, फिर भी हमने 25 हजार रुपए दिए हैं बाकी जो भाग पी. एच. ई. डी. का है....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या राज्य सरकार नगरपालिका को इस पानी के रिसाव को रोकने के लिए आदेश देगी और योजना बनाएगी और इसके लिए स्पेसीफिक अनुदान देगी ?

श्री भंवरलाल ऐरन : जिस पर्पज के लिए अनुदान दिया गया है उसके लिए खर्च हुआ है ?

श्री हरचन्दसिंह : किस पर्पज के लिए अनुदान दिया गया है ?

श्री गोपालसिंह : पानी निकालने के लिए दिया है।

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : यह रिसाव की जिम्मेदारी किसकी है ? इस समस्या का कब तक समाधान कर देंगे ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : मंत्री महोदय या तो स्वयं स्पष्ट नहीं हैं या मैं उसको नहीं समझ पाई हूं। यह बांध बनाया पी. एच. ई. डी. ने और सीपेज रोकने की जिम्मेदारी किसकी है ? यह तो बाढ़ नियंत्रण हेतु बांध बनाया गया था····

श्री गोपालसिंह : रिसाव का पानी बांध बनने से आने लगा और सिंचाई विभाग ने बांध बनाया है। जब तक सिंचाई विभाग रिसाव के पानी को नहीं रोके और दूसरी व्यवस्था न करे तब तक के लिए निश्चित रूप से स्वायत्त शासन मंत्री की जिम्मेदारी है, वह देखें कि पानी शहर में न आए और जैसा भी आप ठीक समझें इसको जल्दी से जल्दी निकालने की व्यवस्था करें। क्या इसकी रोकथाम के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए, कोई योजना बनाई है ? नहीं बनाई है तो मन रखते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सवाल बहुत छोटा है, बड़ी बात नहीं है। मैंने उत्तर दिया है कि इस पानी के कारण जो गड़बड़ी हुई थी उसके लिए नगरपालिका ने हमको लिखा था और हमने 25 हजार रुपए इस साल इसी काम के लिए दिया है। अगर आप कहते हैं कि उसका दुरुपयोग किया है, उस पैसे को उस काम में नहीं लिया जिसके लिए स्वीकृत किया था, तो जांच कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर आपको समय हो तो 5 मिनट के लिए भी उस स्थान पर होकर आयें तो 5 मिनट में हल निकल आएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : चला जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा ।

अनियमित तरीकों से शहरी भूमि के आवंटन संबंधी शिकायतें

839. श्री **ईश्वरचंद्र** (पिड़ावा) [श्री **बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क) की अनुपस्थिति में] क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को सूचना या शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ आई.ए.एस. अफसरों ने अनियमित तरीके से शहरी भूमि को आवंटित कराया है या हथियाया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं और उनकी अनियमित उपलब्धियां क्या हैं ?

(2) उक्त मामलों में राज्य सरकार क्या कार्यवाही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कर रही है ?

नगर **आयोजना मंत्री** (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) केवल एक आई. ए. एस अधिकारी श्री इन्द्रसिंह कावड़िया के बारे में एक शिकायत बनीपार्क विस्तार योजना में एक भू खंड गलत तरीके से प्राप्त करने की हुई है ।

(2) इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री **ईश्वरचंद्र** : क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या जी० रामचन्द्रन के खिलाफ शिकायत आई है कि उसने झूंठे हलफनामे देकर तीन भू खंड ले लिए ? दूसरे, कितने आई.ए.एस. अधिकारियों ने यहां पर भू खंड लिए हैं—नियमित या अनियमित ? इस इन्दरसिंह कावड़िया के खिलाफ जो शिकायत है, वह किस स्टेज पर है ? शिकायत कब आई ?

श्री **भंवरलाल शर्मा** : इन्दरसिंह कावड़िया के खिलाफ एक विधान सभा सदस्य ने शिकायत की, वह यह कि बनीपार्क एक्सटेन्शन एरिया में एक प्लाट श्री कावड़िया ने लिया और बाद में हस्तान्तरण कराकर जनता कालोनी, मोती डूंगरी स्कीम में बदलवा दिया । 1966 में बनीपार्क एक्सटेन्शन स्कीम बनी यू. आई. टी. ने बनाई । वहां कली के भट्टे लगे हुए थे उनको हटाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया तत्कालीन जिलाधीश की अध्यक्षता में । उसने यह तय किया, कि जो भट्टे वाले हैं यहां पर उनको हटाने के लिए जिनके पास जमीन अधिक है उनसे ली जाए उसके एवज में एक प्लाट उनकी रिहाइश के लिए दिया जाए और एक प्लाट भट्टा लगाने के लिए दिया जाए । इस प्रकार का जब समझौता हुआ तो उसमें एक मुरलीधर नाम का व्यक्ति था जिसके पास भट्टा था । उनको भी एक रिहाइशी भू खंड और एक भू खंड भट्टे के लिए दिया गया । उसमें यह भी शर्त रखी गई कि इसकी जो कीमत होगी वह 4 रुपए प्रति वर्ग गज ली जाएगी केवल उनसे जो आय कर नहीं देते हैं और जो आय कर देते हैं उनसे उस कीमत के अनुपात में ली जायेगी जिस कीमत पर आस पास के भू खंड नीलामी के द्वारा बेचे जाते हैं । जब उसकेनाम आवंटन हो गया मुरलीधर के नाम पर यू. आई. टी. की तरफ से, तो श्री कावड़िया और मुरलीधर के बीच एक समझौता हुआ । उन्होंने यू आई. टी. को प्रार्थना पत्र दिया

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि जो कम्पेन्सेशन श्री मुरलीधर को मिलने वाला है उसके स्वामी हम हैं इसलिए कम्पन्सेशन में जो एक प्लाट मिलेगा वह भी हमको दिया जाए। इस प्रकार की प्रार्थना श्री मुरलीधर ने की कि दो भू खंड मुझे मिलेंगे उनमें से कम्पनसेशन के रूप में रिहाइशी भू खंड श्री कावड़िया को दिया जाए बाकि भट्टे वाला मुझे दिया जाए। श्री मुरलीधर ने हलफनामा दिया कि मैं आयकर सीमा के नीचे हूं, मैं आयकर नहीं देता, उस हलफनामे पर उनको रियायती दर पर जमीन अलाट की गई। मुरलीधर ने यह भी कहा कि जो पैसा मैंने यू. आई. टी. में जमा कराया है यह भी श्री कावड़िया का है मेरा नहीं....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : डागाजी, जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो अपनी सीट पर बैठे बैठे न बोलें।

श्री मूलचंद डागा : बिना मतलब की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें ...

श्री ईश्वरचंद्र : उत्तर पूरा नहीं हुआ है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि भट्टों के कम्पन्सेशन के रूप में जो भू-आवंटन किया गया था क्या श्री इन्दरसिंह कावड़िया भी उस भट्टे को चलाते थे। दूसरा प्रश्न यह है कि बनीपार्क एक्सटेन्शन स्कीम में जो भू-आवंटन किया गया और उसको एक्सचेन्ज किया गया वह दोनों प्लाट कितने कितने वर्ग गज के थे और किस तारीख को अलाट किये गये और एक्सचेन्ज किस तारीख को किया?

श्री रघुनन्दन व्यास : वर्ष भी बता दें कम से कम।

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्दरसिंह कावड़िया जी को जो जमीन का भू-आवंटन हुआ है उसकी रिजर्व प्राईस क्या है और उस भू खंड की बाजार की कीमत क्या है ?

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न यह है कि आप तो यह बता दें कि कौन से आई.ए.एस. आफिसर ने भू खण्ड नहीं लिया है?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसकी जानकारी तो आपको ज्यादा होगी।

श्री शिवचरणसिंह : अब जांच करा लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बता दें पहले कि आपने किस किस को दिये ?

श्री शिवचरणसिंह : पहले यह बांटते थे और अब आप बांट रहे हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह प्लाट किस वर्ष में दिया गया ?

श्री मदनसिंह दांता : क्या मंत्री महोदय कानूनी हक है कि मैं किसी को जमीन दे दूं उसको आप दे सकते हैं? यह कानूनी हक नहीं है तो चर्चा नहीं हो सकती।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह इतना आसान मामला नहीं है जितना आप समझ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने निवेदन किया कि श्री मुरलीधर ने यह कहा कि जमीन की कीमत के बारे में पैसा जमा कराया वह मेरा नहीं है और कावड़िया जी का है इसलिए जमीन इनके नाम पर ट्रांसफर कर दें, जो मुरलीधर जी को ओरीजिनल जमीन दी गयी और पट्टा दिया गया था वह भू-आवंटन केवल 533 गज का दिया गया था बाद में यू. आई. टी. ने देखा होगा तो पता लगा कि इतनी जमीन उपलब्ध नहीं है तो 12-9-69 को केवल 466 वर्ग गज जमीन देने के लिए अमेंड कर दिया। इसके बाद यह ट्रान्सफर हो गया मुरलीधर के नाम से हटकर।

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। आप तो सारा इतिहास बता रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय ने 69 तक का बताया अब 79 तक कब पहुंचेंगे?

श्री अयूब खां : माननीय मंत्री महोदय अभी जमीन के चारों तरफ घुमा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : 59 से 69 तक नहीं पहुंचे लेकिन मैं तो 12 बजे तक पहुंच गया हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह तो बहुत महत्व-पूर्ण प्रश्न है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 132 के. वी. लाइन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नैक्स्ट क्वेश्चन है। यह प्रश्न कभी नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : यह मामला उस मनी-आर्डर की तरह है जो श्रीनाथ जी को भेजते है और श्रीनाथ जी ही (अजमेर पूर्व) पाते हैं।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले कम्पलेन्ट कावडिया जी के बारे में मैंने स्वायत्त शासन मंत्रीजी को दी थी उसके बाद में आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 4 महीने पहले मैंने कम्पलेन्ट एल एस.जी. कमिश्नर को भेजी और उसने जांच की और इसको सही पाया कि घोटाला है और उसने चीफ सैके-ट्री को लिखकर भेजा है कि यह सही घोटाला हुआ है। चीफ सैक्रेटरी ने क्या कार्यवाही की यह पूछना चाहता हूं?

श्री ईश्वरचन्द्र : जी. रामचन्द्रन का जवाब दीजिए वह आज आचार्य रजनीश नहीं आये।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : इस प्रश्न को या तो स्थगित किया जाये या फिर जवाब दिलाया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ताओं से मेरा नम्र निवेदन यह है कि पांच, छः, सात माननीय सदस्य मिलकर मंत्री महोदय से बात कर लें, हल निकल आयेगा।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय या तो इस प्रश्न को स्थगित कराया जाये या फिर जवाब दिलाया जाये।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : जी. रामचन्द्रन की शिकायत है।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आई. ए. एस. आफिसर का मामला है और जो रामचन्द्रन ने पैट्रोल पम्प की जमीन ली है। इस प्रश्न को स्थगित कराया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इतने माननीय सदस्यों के प्रश्न, मंत्री महोदय, इनको कुछ शांत करने का जवाब दिया जा सकता है तो दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वह बहुत लोगों ने पूछे हैं और भी अधिकारियों के नाम बताये हैं। मेरा यह निवेदन है कि जिन-जिन माननीय सदस्यों के पास सूचनायें हैं और भी अधिकारियों के बारे में हैं तो वह दे दें और इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये। मैं बिलकुल सीरियसली जवाब दूंगा।

श्री विज्ञान मोदी : कावड़िया जी की 1½ साल पहले शिकायत भेजी है।

श्री हरचन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को हम क्या सूचना दें। पहले भी हमने सूचना दी है उसका नतीजा यह है कि वह कहते हैं कि जांच हो रही है। यह खिलवाड़ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह जांच चलायेंगे और हम सूचना देते रहेंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, और मंत्री महोदय किसी एम. एल. ए. की कमेटी बना कर जितने भी आई. ए. एस. आफिसर्स को प्लाट दिये हैं उनकी जांच कराने के लिए तैयार हैं ऐसी कमेटी के द्वारा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय बड़ी सज्जनता से तैयार हैं।

श्री मदनसिंह दांता ; पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन सर....

श्री अध्यक्ष : No Clarification प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मदनसिंह दांता : There is already a Committee of M. L. As. They can put that matter to us.

(शेश तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

न्याय पंचायत शोखरी के सचिव की बकाया

1023. श्री हरिकृष्ण (नदबई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री मथुरा प्रसाद शर्मा ने न्याय पंचायत शोखरी पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर में सन् 1969 से सन 1975 तक सचिव पद पर कार्य किया है ?

(2) क्या यह सही है कि वेतन में से रुपये 1500) उनका न्याय पंचायत शोखरी की ओर शेष है और उसका आडिट रिपोर्ट तथा जिला सतर्कता कमेटी से भी सत्यापन हो चुका है।

(3) यदि हां, तो एक गरीब व वृद्ध व्यक्ति को उसकी रकम का भुगतान क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार इनके वेतन भुगतान का बजट में कोई प्रावधान रख रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जबकि न्याय पंचायत समाप्त हो चुकी है।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ग्राम पंचायत के पास धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उनको वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है।

(4) विभागीय आदेश दिनांक 20-12-77 द्वारा समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं कि न्याय पंचायतों के सचिवों के बकाया वेतन का भुगतान ग्राम पंचायतों के फण्ड से कराने की व्यवस्था करें।

विकास अधिकारी मूण्डावा द्वारा प्राथमिक शाला कुडकी में नियुक्ति

1024. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या पचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, मूण्डवा ने दिनांक 5-5-79 को किसी श्री नरेन्द्रकुमार सोनी नामक व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय कुडकी, पचायत समिति मूण्डवा, जिला नागौर में सीधा गर्मियों की छुट्टियों के लिए नियुक्त किया ?

(2) क्या यह सही है कि श्री सोनी का नियुक्ति आदेश निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षणालय संस्थान, जयपुर के किसी पत्र के

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

संदर्भ में किया गया है? अगर, हां तो निदेशक के क्या आदेश थे? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) श्री सोनी को विकास अधिकारी ने किस ग्रेड में नियुक्ति दी, कितने महीनों तक वे इस पाठशाला में अध्यापक रहे, कितने माह का वेतन, कितनी धनराशि उक्त अध्यापक को दी गई, क्रमवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अब श्री सोनी किस पंचायत समिति या किस पाठशाला में कार्यरत हैं?

(5) क्या उपरोक्त संदर्भ में कुडकी पाठशाला के अध्यापक एवं विकास अधिकारी मूण्डवा ने कोई पत्र व्यवहार निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के साथ किया है? अगर हां, तो कब कब और क्या तथा निदेशक ने उसके उत्तर में क्या लिखा है? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) विकास अधिकारी पंचायत समिति मूण्डवा द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार सोनी की नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि पंचायत समिति के आदेश दिनांक 5-5-78 द्वारा ग्रीष्मावकाश में शाला में कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) श्री नरेन्द्र कुमार सोनी को नियुक्ति नहीं दी गई थी। अतः वेतन दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) श्री नरेन्द्र कुमार सोनी पंचायत समिति मूण्डवा की किसी भी शाला में कार्यरत नहीं है।

(5) जी हां। दिनांक 19-8-78, 2-9-78, 8-9-78, 12-9-78 के पत्रों द्वारा औद्योगिक संस्थान जयपुर से पत्र व्यवहार किया गया। पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(पत्रों की प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

सांख्यिकी अधीक्षक का मामला

1025. श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसी भी प्रकार की भूमि सुधार एवं कृषि विकास आयोजना में भू-अभिलेख एवं कृषि सम्बन्धी आंकड़ों का अत्यधिक महत्व है परन्तु फिर भी उक्त आंकड़ों से सम्बन्धित राजस्व मण्डल राजस्थान में स्थित सांख्यिकी अधीक्षक (भू-अभिलेख) के महत्वपूर्ण पद को राजस्थान सांख्यिकी सेवा से अलग क्यों रखा गया? क्या यह एक भूल थी अथवा इस पद पर जुलाई

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

1951 से ही निरन्तर कार्यरत अधिकारी श्री शिवचन्द्र गर्ग को राजस्थान सांख्यिकी सेवा में एकीकृत होने पर मिलने वाले लाभ से वंचित रखने हेतु ऐसा किया गया ?

(2) क्या श्री गर्ग की सेवायें प्रारम्भ से अन्त तक अति सराहनीय रही हैं तथा भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के समय राष्ट्रपति द्वारा भी उन्हें 1961 के जनगणना आयोजन में प्रशंसनीय कार्य हेतु प्रशस्ति-पत्र सहित रजत पदक प्रदान किया गया ? राजस्थान राज्य की विभिन्न पशुगणनाओं, कृषि गणना 1971 आर्थिक गणना, 1977 आदि में भी क्या उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ?

(3)क्या सन् 1956 में राजस्थान लोक सेवा आयोग को धोखे में रखकर श्री गर्ग की सेवायें समाप्त कर दी गई ? क्या सन् 1960-66 की अवधि (भारत सरकार में प्रति नियुक्ति काल) में उनका राज्य सेवा में पद-ग्रहणाधिकार ही समाप्त कर दिया गया तथा 1976 में राजस्थान सांख्यिकी सेवा नियमों में मनमाने तथा असवैंधानिक संशोधन कर पिछले पच्चीस वर्षों की प्रशंसनीय सेवाओं के लाभ से भी उन्हें वंचित कर दिया गया ? क्या यह सब दोषपूर्ण एवं शर्मनाक जार्यवाही नहीं थी ?

(4) यदि हां, तो क्या यह पिछले 20 वर्षों में इस राज्य में हुये कुप्रशासन का ज्वलंत उदाहरण नहीं है ? राज्य सरकार इस मामले में पूर्णतः जांच कर कब तक न्याय प्रदान करने का विचार रखती है ? इस सम्बन्ध में न्याय प्रदान करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उसका विवरण भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भूमि सुधार एवं कृषि विकास आयोजना में भू-अभिलेख एवं कृषि सम्बन्धी आंकड़ों का महत्व है। वर्तमान में कृषि सम्बन्धी आकड़ों की देख रेख के लिये राजस्व मण्डल में आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी नियुक्त है। सांख्यिकी अधीक्षक का पद अराजपत्रित व मंत्रालयिक सेवा का था अतः उसका राजस्थान सांख्यिकी सेवा जो राजस्व राज्य सेवा है, के गठन के समय (1958) में विलय का प्रश्न ही नहीं उठता राज्य सरकार ने कार्यवाही नियमानुसार की न कि भूल से और न ही श्री शिवचन्द्र गर्ग को राजस्थान सांख्यिकी सेवा में एकीकृत होने पर लाभ से वंचित रखने हेतु ऐसा किया गया।

(2) श्री गर्ग ने जो दिनांक 30-9-78 को सेवा निवृत हो गये है अपने सेवा काल में जहां तक सूचना है आशानुकूल कार्य का निष्पादन किया। 1961 के जनगणना के आयोजन में अन्य कार्यकर्ताओं की भांति श्री गर्ग को भी प्रशस्ति पत्र व रजत पदक मिला था।

(3) श्री गर्ग 1951 में नियुक्ति के पश्चात से 1978 में सेवा निवृत होने तक निरन्तर राजकीय सेवा में रहे। श्री गर्ग

(आयोजना मन्त्री)

भारत सरकार के जन गणना विभाग में 21–2–60 से 30–11–66 तक प्रति नियुक्ति पर राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा भेजे गये। राजस्व मण्डल की भू-अभिलेख शाखा के पुनर्गठन स्वरूप सांख्यिकी अधिक्षक का पद समाप्त कर दिया गया। श्री गर्ग राज्य सेवा के अधिकारी नहीं थे। वह केवल राजकीय सेवा में मंत्रालयिक संवर्ग में अधीक्षक थे अतः जनगणना विभाग से प्रतिनियुक्ति से वापिस आने पर सरप्लस घोषित कर अबसार्पशन नियमों का लाभ देते हुए राजस्व मण्डल में सांख्यिकी के पद पर पहिले कार्यवाहक रूप में व बाद में स्थायी रूप से एब्जार्व किया गया। उनका वेतन राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 (1) (ए) के अन्तर्गत एब्जार्पशन मानते हुये निर्धारित किया गया जिस की वैधता को उन्होंने राजस्थान सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जिसे ट्रिब्यूनल ने खारिज करते हुये राज्य सरकार के निर्णय को वैध माना। यह सही नहीं है कि 1976 में राजस्थान सांख्यिकी सेवा नियमों में मन-माने तथा असंवैधानिक संशोधन कर कर पिछले पच्चीस वर्षों की प्रशंसनीय सेवा के लाभ से उन्हें वंचित कर दिया गया।

(4) श्री गर्ग को नियमानुसार न्याय दिया गया है, अतः अब कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य के विद्युतीकृत गांव

1027. श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी)—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में कुल कितनी तहसीलें हैं और उनमें कितने कितने ग्राम हैं? तहसील वाईज उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखी जाय जिनमें अब तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है?

(2) राजस्थान के 26 जिलों में से किन किन जिलों में अब तक पूर्ण विद्युतीकरण हो चुका है अथवा हो रहा है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या विद्युतीकरण में समानता लाने के लिए पूर्व में विकसित तहसील क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य आगे बढ़ाने से रोक कर उन अविकसित तहसीलों में नए सिरे से विद्युतीकरण किया जायेगा और तब तक उसे जारी रखा जायगा जब तक कि वे विद्युतीकरण की दृष्टि से विकसित तहसील क्षेत्रों के समकक्ष न आ जायं जो कि विद्युतीकरण की दृष्टि से अब तक राजनीतिक कारणों से पिछड़ी रखी गई हैं?

(4) भविष्य में जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें बनायी जायगी क्या उसमें क्षेत्रीय विधायकों का सहयोग लिया जायगा? यदि नहीं तो, क्यों नहीं?

उत्तर

(1) सन् 1971 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार राजस्थान में कुल 196 तहसील हैं और उनमें कुल 33462 ग्राम एवं नगर हैं। इनमें से माह जनवरी, 1979 के अंत तक 10939 ग्राम और नगर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं जिनकी संकलित आंकड़ों के अनुसार तहसलीवार

(विद्युत मन्त्री)

सहीं तदर्थ सूची है सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान के 26 जिलों में से अभी तक किसी भी जिले का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण नही हुआ है। इस समय किसी भी जिले के पूर्ण विद्युतीकरण की किसी भी योजना पर कार्य नहीं चल रहा है।

(3) विद्युतीकरण में समानता लाने के लिए वर्तमान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाने का मूल आधार क्षेत्रीय असमानता, उपयुक्त भूजल की उपलब्धि एवं विद्युत उच्च प्रसारण लाइनों से दूरी आदि है और इस आधार पर योजनायें बनकर क्षेत्रीय असमानता को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने के लिए राज्य विद्युत मण्डल प्रयत्नशील है।

(4) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम योजनाओं पर निर्णय लेते समय क्षेत्र के माननीय विधायकों के सुझावों का यथा सम्भव ध्यान रखा जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

सिंचाई विभाग को अलाटेड राशि

1028. **श्री शिवचरण सिंह (बयाना):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सिंचाई विभाग को गत वर्ष प्लान अथवा नान प्लान में कितनी राशि अलाट हुयी ?

(2) जो राशि अलाट हुयी उसमें से कितनी वर्क्स पर व कितनी सीमेन्ट एडजस्टमेन्ट पर व कितनी जीप, ट्रक, ट्रैक्टर व अन्य सामान के खरीद पर की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश राशि फरवरी व मार्च के माह में खर्च की गयी है ? यदि हां, तो किस प्रकार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 में कार्यों के लिए प्लान के अन्तर्गत 1178.72 लाख व नान प्लान के अन्तर्गत 448.06 लाख राशि अलाट हुई।

(2) कार्यों पर व सीमेन्ट एडजेस्टमेन्ट पर सस्पेंस व जीप, ट्रक, ट्रैक्टर मशीन एवं सयंत्र के अन्तर्गत निम्न प्रकार से खर्च हुआ।

(अ) प्लान—

कार्यों पर व्यय	1093 32 लाख
मशीन एवं संयत्र	64.01 लाख
सस्पेंस	37.78 लाख
	1119.35 लाख

(सिंचाई मन्त्री)

(ब) नान प्लान—

कार्यों पर व्यय	449·30 लाख
मशीन एवं संयंत्र	2 40 लाख
सस्पेंस	26·15 लाख
	477·85 लाख

(3) माह जून से सितम्बर तक अधिकांश निर्माण कार्य वर्षा के कारण या तो बन्द रहते हैं या उनकी गति धीमी रहती है और माह अक्टूबर के बाद कार्य प्रगति पर होने के कारण अधिकांश भुगतान माह फरवरी व मार्च में किया जाता है।

खर्च का विवरण प्रश्न के खण्ड-2 में दर्शाया गया है।

रामगंज मण्डी के तालाब

1029. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) रामगंज मण्डी तहसील में कुल कितने तालाब है ? क्या सभी तालाब सिंचाई के योग्य हैं ? यदि नहीं, तो कितने है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई योग्य तालाब टूटे हुए हैं और सरकार ने उक्त तालाबों को ठीक कराने हेतु कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है ? क्या सरकार उक्त तालाबों को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां. तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) रामगंज मण्डी में सिंचाई विभाग का कोई तालाब नही है। अन्य तालाबों की सूची सिंचाई विभाग न तो बनाता है और न ऐसी सूचना सिंचाई विभाग के पास उपलब्ध है।

(2) सिंचाई विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कितने टूटे हुए तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा सकता है अतः इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

लाडपुरा तहसील के तालाब

1030. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाडपुरा तहसील में कुल कितने तालाब हैं ? क्या सभी तालाब सिंचाई के योग्य हैं ? यदि नहीं, तो कितने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई योग्य तालाब टूटे हुए हैं और सरकार ने उक्त तालाबों को ठीक कराने हेतु कोई भी कारगार कदम नहीं उठाया है ? क्या सरकार उक्त तालाबों को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(28)

उत्तर

(1) लाडपुरा तहसील में सिचाई विभाग के निम्नलिखित 6 तालाब हैं।

1—आलनियां डैंप

2—रानतुर

3—खमावा

4—अनन्तपुरा

5—बेरा बास

6—गिरधपुरा

अन्य तालाबों की सूची विभाग न तो बनाता है और न ऐसी सूचना सिचाई विभाग के पास उपलब्ध है।

(2) जी नहीं, सिचाई विभाग के अन्तर्गत कोई भी तालाव इस क्षेत्र में टूटा हुआ नहीं है।

सिचाई विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कितने अन्य टूटे हुए तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा सकता है अतः इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

डेगाना क्षेत्र के विद्युतीकृत गांव

1031. श्री रामरघुनाथ चौधरी(डेगाना): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डेगाना विधान सभा क्षेत्र, यानी डेगाना तहसील जिला नागौर में कितने गांव विद्युतीकृत हैं इनमें से कौन कौन से गांव कौन कौन से ए. ई. एन. के कार्य क्षेत्र में हैं एवं किस किस योजना अन्तर्गत सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों की योजना बनाकर जब विद्युतीकृत घोषित किया गया था तो कई जगह बीच बीच में गांव छूट गए, जबकि वहां सिचाई के कुएं काफी संख्या में है एवं सिचाई के पानी की कोई कमी नहीं है?

(3) चारों तरफ के गांवों का विद्युतीकरण कर किसी गांव को बिना कारण छोड़ देना क्या सौतेला व्यवहार नहीं है ? अब 1) सथानी 2) मथानिया 3) रोहिसड़ा 4) कालनी 5) वासनीजग्गा 6) पीपलिया 7) जसवन्तपुरा 8) सनेड़िया 9) पाटनियां 10) पचरान्डा कलां का वास 11) सूरियास 12) पवाल 13) रलियावता 14) जावा 15) चारणावास 16) धाणा 17) रावलियावास 18) लगोड 19) पालियास 20) माण्डल जोधा इन गांवों को कब तक विद्युतिकृत कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है इन उपरोक्त सभी गांवों के चारों तरफ वाले गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है एवं इन गांवों में सिचाई हेतु पानी की कोई कमीं नहीं है ?

(5) इस क्षेत्र के विद्युतीकृत ग्राम में अब कितने ग्राम बाकी रह गए है जहां ग्रामवासियों को एक भी कनेक्शन नहीं मिला है ? कनेक्शन नहीं मिलने के क्या कारण है ?

(6) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं जहां ट्रांस्फार्मर नहीं है ? ग्रामों के नाम व

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने गांव है जहां विद्युत लाइन नहीं डाली या हटाली गई, या तार चोरी चले गए? ग्रामों के नामों व कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) डेगाना तहसील के विद्युतीकृत ग्रामों की सहायक अभियन्ता के कार्य क्षेत्र-वार सूची जिस योजना के अन्तर्गत उसका विद्युतीकरण किया गया है, दर्शाते हुए सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्रामों के विद्युतीकरण के समय कुछ ग्राम 11 के.वी. लाइन के नीचे अथवा पास में ऐसे रह गये हैं जो विद्युतीकृत नहीं हैं उनके कुओं में पानी की प्रचुर उपलब्धता के सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(3) योजना की साध्यता एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर ग्रामों का चयन अथवा विद्युतीकरण निर्भर करता है। इस तहसील के ग्राम सथानी को विद्युतीकृत ग्रामों में माह फरवरी, 1979 में नियमित किया गया है। ग्राम कला का बास का विद्युतीकरण माह मार्च, 79 में कर दिया गया है तथा ग्राम माण्डलजोवा के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति में है। ग्राम पचरांडा का विद्युतीकरण मार्च, 78 में ही कर दिया गया था। शेष के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहना अभी सम्भव नहीं है।

(4) प्रश्न 3 में वर्णित ग्रामों में से दस ग्राम ऐसे हैं जिनके चारों ओर के लगभग सभी ग्राम विद्युतीकृत हैं। भूजल की उपलब्धि के सम्बन्ध में कुछ कहना संभव नहीं है।

(5) तहसील डेगाना में 9 ग्राम ऐसे हैं जिनमें अभी कोई कनेक्शन नहीं है विवरण निम्नानुसार है —

(अ) ग्राम ढाणीपुरा, शेखपुरा एवं छनवाड़ा से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ब) ग्राम गोनरडा की 11 के. वी. लाइन 1965 से बाढ की डूब में आ गई है।

(स) ग्राम गोठड़ा के प्रार्थना पत्रों पर कनेक्शन देने पर रोक लगी थी जो माह फरवरी, 79 में अध्यक्ष, विद्युत मण्डल द्वारा हटाली गई है तथा उन पर अब कनेक्शन देने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।

(द) ग्राम बाड़ी घाटी के उपभोक्ताओं ने डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा कराने के बाद एल फार्म प्रेषित नहीं किया है अतः पेन्डिंग हैं।

(य) ग्राम बनवाडा एवं सुदबाड़ा की 11 के. वी. लाइनों के तार चोरी हो गये हैं।

(र) ग्राम राकियासनी एवं शेखपुरा के 11 के. वी. लाईनों के तार हटा दिए गये हैं।

(विद्युत मन्त्री)

(6) निम्न सात ग्राम ऐसे हैं जिनके ट्रांसफार्मर्स पर उस समय कोई प्रार्थना पत्र पेन्डिग न होने के कारण हटाकर अन्यत्र लगा दिये गये थे।

ढाणीपुरा, बनवाड़ा, शंखपुरा, गौनरड़ा, राकियासनी, सुदवाड़, एवं राताटून्डा

(7) तहसील डेगाना के ग्राम राकियासनी तथा शंखपुरा की 11 के. वी. लाइनों के तार उस समय कोई प्रार्थना पत्र न होने कारण हटा लिये गये थे। ग्राम बनवाडा एवं सुदवाड़ा की 11 के. वी. लाइनों के तार चोरी चले गये थे जिनकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई थी परन्तु पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

11 के. वी. लाइन के पास स्थित गांवों का विद्युतीकरण

1032. श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह निर्णय लिया गया है कि 11 के. वी. की लाईन के इर्द-गिर्द 1 या 2 कि. मी. दूरी पर स्थित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाय ?

(2) क्या आडवाडा ग्राम (जालौर) 11 के. वी. की लाइन से उपरोक्त सीमा में ही हैं ? यदि हां, तो क्या आडवाडा विद्युतीकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय असमानता एवं उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर बनी साध्य योजनाओं के अन्तर्गत ऐसे ग्रामों के विद्युतीकरण पर विचार करने का निर्णय लिया गया है।

(2) जी हां। ग्राम आडवाडा को आर. ई. सी. के समक्ष विचाराधीन ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

पांचना बांध सिंचाई योजना सवाई माधोपुर

1033. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई माधोपुर में सिंचाई के लिए पांचना नामक बांध योजना राज्य सरकार द्वारा बनवाई जा रही है? इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और यह कब तक पूरी होगी ?

(2) इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले की किस तहसील की कितनी कितनी भूमि सिंचित होगी ? कृपया ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां । इस योजना को पूर्ण करने में लगभग 333 लाख रुपये खर्चा होने का अनुमान है । बांध का कार्य वर्ष 1983 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

(2) सूची "क" संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जैसलमेर जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

1034. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जैसलमेर पंचायत समिति में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब तक लागू कर दी जायगी ? जैसलमेर जिले की विद्युतिकरण योजना में कौन 2 से गांव हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा कर क्या बडोदा गांव भी इस योजना में सम्मिलित है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जैसलमेर पंचायत समिति के ग्राम जयरात, आकल जोधा, किता, भगू का गांव, बडोदा गांव एवं अजासर का विद्युतीकरण आर. ई. सी. की "एस. पी. डी." श्रेणी की योजना के अन्तर्गत अभी स्वीकृत किया गया है तथा इस पर इस वर्ष कार्य भी शुरू किया जा रहा है ।

जोधपुर नगर के विद्युत् कनेक्शन

1035. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत मण्डल के पास घरेलू उपभोक्ता को जोधपुर नगर में विद्युत कनेक्शन देने के लिये कोई सुव्यवस्था नहीं है ? प्रायः घरेलू कनेक्शन के लिये एक माह से बारह माह लगा दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत मण्डल क्या कोई लोकप्रिय प्रणाली और व्यवस्था बनाना चाहेगी ? यदि हां, तो कब तक और उसकी क्या विशेषतायें होंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अधिकतर विलम्ब उपभोक्ता द्वारा समय पर मण्डल द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं की आपूर्ति न कर सकने के कारण होती है

(2) मण्डल की विद्युत कनेक्शन देने की वर्तमान प्रणाली में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ।

पश्चिमी राजस्थान की तहसीलों के नल कूप

1036. श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बालकृष्ण थानवी)

(1) पश्चिमी राजस्थान की किस किस तहसील में कितने कितने नलकूप वर्तमान में कार्यरत हैं एवं किस किस तहसील में कितने कितने नये नलकूप अभी खुदाईधीन हैं? दोनों का जुदा जुदा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पश्चिमी राजस्थान की किस-किस तहसील में पिछले कितने अर्से से कितनी कितनी नल कूप कितने कितने व्यास की खुदाई रंगे कितने 2 व्यास की है? तहसील-वार पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) फलौदी तहसील के ग्राम लोडियां, छीलावजालोड़ा को भू-जल विभाग की सिफारिश के मुताबिक (लोडियों में स्वीकृत नलकूप को जलाभाव के कारण उपयुक्त न मानने की वजह से) नल कूप कोलू से कब जोड़ा जा रहा है?

(4) फलौदी तहसील के ग्राम सावरा-गांव माडली, मनचीतिया, बडी मीड्ड, नया गांव गाडना व बाप तथा सावरगांव के निकटवर्ती कोलायत तहसील के ग्राम सेवड़ा (जिसे कि खारा क्षेत्र माना जाता है) को भू-जल विभाग ने जैसलमेर जिले के निकट-वर्ती ग्राम नोखा में नया नल कूप खोदकर पानी महैय्या करने के लिये, नोखा के भू-गर्भ में जलाभाव मान कर अनुपयुक्त करार दिया है अतः अब उपरोक्त आठों ग्रामों को किस जल प्रदाय योजना से कब जोड़ा जाकर क्षेत्रीय ग्रामीणों की जल पिपासा शान्त करने की क्या योजना है एवं इस योजना का क्रिया-न्वयन कब तक करवा दिया जायगा?

(5) फलौदी तहसील के ग्राम लूणा, मीठडिया, मयाकोरिया आदि को (जो कि बीकानेर जिलान्तर्गत आई हुई कोलायत तहसील की सीमा पर अवस्थित है को) कोलायत तहसीलान्तर्गत आये हुए नजदीकी नल कूप खीनासर से जोड़कर पानी मुहैय्या करने की योजना कब क्रियान्वित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(6) फलौदी तहसीलान्तर्गत आये हुए ग्राम ऊदर के जोधपुरी वास को बीकानेर जिलान्तर्गत आई हुई तहसील कोलायत के बीकानेरी ऊदर वास पाइप लाइन से जोड़कर पानी पिलाने की कब व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(7) फलौदी तहसील के कोलू ग्राम में अवस्थित नल कूप को भू-जल मण्डल विभाग से कब अधिग्रहण किया जा रहा है? एवं क्षेत्रीय ग्रामीणों तथा पड़ोसी ग्रामों को उससे संबंधित करके वहां के ग्रामीणों को पानी पिलाने की कब से व्यवस्था की जा रही है?

(8) फलौदी तहसीलान्तर्गत आये हुए सांवरागांव नलकूप को भूजल विभाग, पोकरण तहसीलान्तर्गत किस आधार पर मान रहा है एवं इस बन्द पड़े नल कूप को शुरू करने में जल प्रदाय विभाग के सामने क्या दिक्कत है?

(9) क्या यह सही है कि सांवरागांव नलकूप के जरिते सांवरा गांव के अतिरिक्त माण्डली मनचीतियां सेवड़ा बेडी मिड्ड, नया-गांव, गाडना एवं बाप की ग्रामीण जल समस्या हल की जा सकती है? अगर हां, तो

(33)

(श्री बालकृष्ण थानवी)

इस योजना को कब से हाथ में लेकर कब तक पूरा करने का इरादा जल प्रदाय विभाग कर रहा है ?

(10) क्या फलौदी तहसीलान्तर्गत आये हुए सीहड़ा ग्राम के द्वितीय तैयार शुदा नल कूप को टेस्टिंग, नलकूप तैयार होने के वर्षों बाद तक न करने के पीछे क्या रहस्य है और अब उक्त नलकूप का टेस्टिंग कब किया जा कर उसके जरिये पड़ौसी ग्रामीणों को कब से जल मुहैय्या करने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(11) क्या फलौदी तहसीलान्तर्गत आये हुए ग्राम बावड़ी कलां में तैयार शुदा मीठे पानी के नल कूप से जिसे कि भू-जल विभाग बार बार असफल घोषित कर चुका है इसी ग्राम के स्कूल के छात्र जब से अकाल पड़ा है बराबर लम्बीडोर डोली से पानी निकालकर पी रहे हैं और यह नल कूप वास्तव में असफल न होकर पूर्ण सफल है कारण कि अभी इस नल कूप व्यास में 350 फुट से अधिक पानी चढ़ा हुआ है ? अगर हां, तो असलियत जानने के लिये इस नल कूप पर पानी खींचने की मशीन लगा कर इस का परीक्षण क्यों नहीं करवा लिया जाय और उक्त नल कूप में गहरा तथा स्थायी जल पाया जाने हर इसे तत्काल चालू करके इसके माध्यम से पड़ौसी ग्रामों से (जिनमें छोटी बावड़ी, झेमला, शेखासर आदि का समावेश है) पाइप लाइन जल्द से जल्द क्यों न पहुंचाई जाय ?

(12) फलौदी तहसीलान्तर्गत आये हुए ग्राम बीटड़ी में जिस द्वितीय नलकूप को वर्षों पूर्व अधूरा तैयार करके छोड़ दिया गया था उसे अब कब तैयार किया जा रहा है ?

(13) फलौदी तहसीलान्तर्गत आये हुए ग्राम शैतानसिंह नगर का दूसरा नल कूप दो साल पूर्व करीबन 400 फुट खोदा गया था उसे अब कब तक पूरा किया जा रहा है और अब तक पूरा न करने का क्या कारण था ?

उत्तर

(1) विवरण सदन को मेज पर रख दिया गया है ।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) फलौदी तहसील के ग्राम लोर्डिया छैला व जालोडा की पेयजल योजनायें स्वीकृत नहीं की गई है अतः नलकूप कोलू से जोड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) ग्रामों की योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों, धन की उपलब्धी एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर की जाती है। फलौदी तहसील के ग्राम सोवा ग्राम, मांडली मंचातिया, वजोरिया, नयागांव गाडना व बाप एवं ग्राम सेवड़ा तहसील कोलायत की योजनाओं की स्वीकृति जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों, धन की उपलब्धि एवं श्रोत की तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर की जा सकेगी ।

(३४)

(स्वास्थ्य मंत्री)

(5) ग्राम लूना व मिथरिया की हांका स्कीम स्वीकृत कर दी गई है।

(6) ग्राम उदर के जोधपुरी वास की जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है अतः इस सम्बन्ध में कार्य किया जाना संभव नहीं है।

(7) जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों, धन की उपलब्धी एवं श्रोत की तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर ग्रामीण योजनायें बनाई जा सकेगी एवं कोलू स्थित नलकूप के बारे में विचार किया जा सकेगा।

(8-9) सांतराणा में बना हुआ नलकूप विभाग के आधीन नहीं है एवं नई योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव, धन की उपलब्धी तथा तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर स्वीकृत की जा सकेगी।

(10-11) ग्राम बावडी कलां में तैयार शुदा नलकूप की अत्यधिक कम क्षमता होने के कारण भू-जल विभाग ने इस नलकूप को परित्यक्त कर दिया है। नलकूप को टैस्ट करने हेतु भू-जल विभाग को पुनः लिखा गया है। टेस्टिंग के बाद नलकूप के सफल पाये जाने पर आस पास के ग्रामों में जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों एवं धन की उपलब्धी के अनुसार पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

(12) भू-जल विभाग द्वारा यह वर्णित किया गया है कि नलकूप मीठडी में न होकर बीठडी में है एवं इस नलकूप को 170 फिट तक खोद लिया गया था तत्पश्चात बहुत बड़ी केवेटी के आ जाने के कारण भरसक प्रयत्नों के बावजूद मडलांस को नहीं रोका जा सका। अतः भू-जल विभाग द्वारा इस नलकूप को असफल घोषित कर दिया गया है।

(13) शैतानसिंह नगर का नलकूप रोटेरी ईकाई द्वारा करीब 170 फिट तक खोदा गया। इस क्षेत्र का स्टार्टर बहुत ही सख्त है एवं रोटेरी द्वारा और खुदाई करने पर मशीन की टूट फूट भी बहुत अधिक होती एवं रोटेरी बिट की खपत अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती। अतः निर्णयानुसार श्रम एअर रिग द्वारा आगे की खुदाई का कार्य चालू रखा गया। इस श्रम एअर ईकाई द्वारा इस नलकूप को 400′ तक की गहराई तक खोद लिया गया जिसके पश्चात "क्ले फोरमेशन" आ गया एवं "एअर लोस" होने के कारण श्रम एअर रिग द्वारा आगे की खुदाई सभव नहीं हुई। अतः पुनः यह निर्णय लिया गया कि आगे की खुदाई एक रोटरी रिग द्वारा की जाय। इस स्थान के पत्थर बहुत सख्त होने के कारण रोपेरी बिट की खपत आवश्यकता से कहीं अधिक हो रही थी एवं वर्तमान में विभाग के पास में रोटेरी बिट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अतः यह कार्य पुनः चालू नहीं किया जा सका। रोटेरी बिट्स की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति के पश्चात ही यह कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सरकारी सेवा में मृत्यु और बकाया का भुगतान

1037 श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री सुरजाराम जलदाय विभाग में ग्राम झाझड़ जिला झुन्झुनु में सहायक के पद पर कार्यरत था और उसकी गत माह दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी ? क्या उनके बकाया भुगतान एवं नियमानुसार मिलने वाले दुर्घटना मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किसे और नहीं तो क्यों तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) विभाग में उक्त कर्मचारी का पैसा किन किन मदों में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त कर्मचारी के बच्चे बहुत ही छोटे हैं और उसके परिवार के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या विभाग उनके बच्चों के वयस्क होने तक उनकी तथा पत्नी की पेंशन की व्यवस्था करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 16-6-78 से बिना किसी सूचना के ड्यूटी से मृत्यु होने के दिनांक तक लापता था। दिनांक 19-12-78 को किसी अज्ञात दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने की सूचना विभाग को कर्मचारी की पत्नी श्रीमती प्रभाती ने दिनांक 15-3-79 को दी। कर्मचारी की ड्यूटी स्थान पर मृत्यु नहीं हुई अतः मुआवजा नियमानुसार विभाग में देय नहीं है।

(2) (i) 858 संदिग्ध खाते में।

(ii) वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं नवीन वेतन मान के स्थरीकरण होने पर अन्तर राशि।

(iii) 805 सी. पी. एस.

(3) कर्मचारी कार्यप्रभारित स्तर का था. अतः पेंशन का नियम में प्रावधान नहीं है।

जियोलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा हवाई सर्वेक्षण

1038. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया नामी विभाग द्वारा हवाई सर्वेक्षण की राज्य सरकार को जानकारी है और उसकी कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उसकी सहायता से मीठे पानी का श्रोत का पता लगा राज्य के पीने के पानी की समस्या का समाधान करायेगी ? यदि कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट मंगवाकर उससे लाभ लेगी ?

(36)

उत्तर

जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा मीठे पानी के स्रोत का पता लगाने हेतु हवाई सर्वेक्षण की जानकारी विभाग के पास नहीं है।

ग्राम मुजासर सती माता के मेले में पीने के पानी की व्यवस्था

1039. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मुजासर तहसील फलौदी में एक सती माता का मेला हर माह की तेरस तिथि को भरता है जहां हजारों की संख्या में नर नारी आते हैं? क्या यह भी सही है कि मेला स्थल में यात्रियों के पीने के पानी की अभी तक सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो पीने के पानी की क्या व्यवस्था की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि सती माता के उक्त मेला स्थल के नजदीक एक गंवाई पीचका है जिसका पानी सैकड़ों फीट गहरा है? वह पीचका सती माता मेला स्थल से कितना दूर है एवं उसका पानी कितना गहरा है एवं पानी इतनी गहराई से कैसे निकाला जाता है? क्या सरकार इस पीचका में पम्पिंग सैट लगाकर पानी बाहर निकाल कर पीचका के कोठों में स्टोर कर पाइप लाईन के जरिये सती माता के मेले में आए हुए यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध करना उचित समझेगी? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि अगर सरकार उपरोक्त गवाई पीचके में पम्पिंग सैट डालकर पानी निकाल कर कोठों में स्टोर कर ग्राम वासियों को पीने का पानी उपलब्ध करवाना चाहे तो सरकार के कम खर्च से गांव वालों एवं सतीमाता के मेले में आए हुए यात्रियों को आसानी से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकता है? अगर हां, तो इस प्रकार की योजना उक्त गांव में मंजूर कर सरकार पीने का पानी कब तक उपलब्ध करवाना चाहेगी।

उत्तर

(1) जी हां, विभाग पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था करता है, मेला आदि के लिये अलग से पानी की व्यवस्था नहीं की जाती।

(2) जी हां, गांव में गवाई पीचका सतीमाता के स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर है, तथा उस पीचके में पानी की गहराई करीब 212 है। वर्तमान में पीचके का पानी पखालों द्वारा बाहर निकाला जाता है। गर्मी में पानी की आवक कम हो जाती है। पीचके में पानी की मात्रा कम होने से पम्पिंग सैट लगाना सम्भव नहीं है।

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(3) गवाई पीचका में गर्मियों में पानी की तादाद कम हो जाने से कुएं में पम्पिंग सैट लगाकर पानी उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है।

द्वितीय वेतन श्रृंखला वाले अध्यापकों की स्क्रीनिंग

1040. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित द्वितीय वेतन श्रृंखला में दिनांक 30-6-56 को कार्यरत अध्यापकों की विभाग द्वारा उक्त पदों के लिए स्क्रिनिंग कराई गई ? यदि हां, तो दिनांक 30-6-56 को कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों को इससे क्यों वंचित रखा गया?

(2) क्या द्वितीय वेतन श्रृंखला में कार्यरत अध्यापकों को 1-11-56 के बाद तृतीय वेतन श्रृंखला में कुछ समय तक कार्य करते रहने के बावजूद भी उन्हें द्वितीय वेतन श्रृंखला में दिनांक 1-11-56 से वरिष्ठता दी गई ? यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या वरिष्ठ अध्यापकों के अनवरत कार्य करने के पश्चात् भी उनको वंचित रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के वक्त द्वितीय वेतन श्रृंखला से 4 तथा वरिष्ठ अध्यापकों में से 1 के अनुपात से पदोन्नति की जाती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस विषमता को समाप्त कर 1955 से दुबारा जांच कर जो वरिष्ठ अध्यापक इस लाभ को प्राप्त करने से वंचित रह गए थे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नति करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के वार्षिक विभाग के पत्र सं0 एफ-60 (1) नियुक्ति।ए।ई।61 पोटो-151 बोल्यू-3 दिनांक 16-4-71 एवं सांख्यक पत्र दिनांक 22-4-71 में दिये गये निर्देशनों की पालना में राजस्थान तथा अजमेर राज्य के 1-11-55 से 31-10-56 तक के प्रशिक्षित स्नातक वेतन श्रृंखला तथा अप्रशिक्षित स्नातक वेतन श्रृंखला के चयनित एवं अस्थाई अध्यापकों को उक्त वेतन श्रृंखलाओं में राजस्थान लोक सेवा आयोग से 31-10-56 से स्क्रीन कराया गया था। स्क्रीनिंग का यह कार्य राजस्थान तथा अजमेर राज्य के प्रशिक्षित स्नातक वेतन श्रृंखला तथा अप्रशिक्षित स्नातक वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की 1-11-56 पर आश्रित वरिष्ठता सूची निर्मित करने के लिए कराया गया था। चूंकि अजमेर राज्य में वरिष्ठ अध्यापक की वेतन श्रृंखला के कोई चयनित अध्यापक नहीं थे, अतः वरिष्ठ अध्यापकों की 1-1-56 पर संप्रेषित वरिष्ठता सूची निर्मित करने का प्रश्न न होने का कारण राजस्थान के 31-10-56 तक के अस्थाई एवं चयनित वरिष्ठ अध्यापकों को स्क्रीन कराने की आवश्यकता नहीं थी। राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ-10 (1) नियुक्ति।ए-4-61। पीटी-15 दिनांक 12-1-72 द्वारा वरिष्ठ

(शिक्षा मन्त्री)

अध्यापकों को शामिल न करने के लिये निर्देशित किया गया था।

(3) जी हां। सूची तैयार करने में 10 दिन का समय लगेगा क्योंकि इसमें करीब 500 व्यक्तियों की वरिष्ठता पंजिका का अध्ययन करना होगा। अतः नामावली बाद में प्रस्तुत की जावेगी।

(4) जी हां, कारण प्रश्न एक के उत्तर में स्पष्ट किया हुआ है।

(5) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-16 (17) एज्यू।ग्रुप-6। 69 दिनांक 13-1-75 के द्वारा संशोधित सेवा नियम 1977 के अनुच्छेद 23 में यही प्रावधान है। सन् 1975 में वरिष्ठ अध्यापकें एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की पृथक-पृथक वरिष्ठता सूचियां निर्मित कर प्रसारित कर दी गई थी इन वरिष्ठता सूचियों को स्थायी रूप से प्रकाशित करने से पहले इन्हें अस्थाई रूप से प्रकाशित कर आपत्ति पत्र मांगे गये थे और उन आपत्ति पत्रों पर यह विचार कर स्थाई वरिष्ठता सूची 27-5-75 को प्रकाशित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इन अध्यापकों के वरिष्ठता मानदण्ड राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-6 (ई) 56।एज्यू।केस–2।65 दिनांक 9–9–65 को दिनांक 14-9–65 के राजपत्र में प्रकाशित है, के प्रावधानुसार ही निर्मित की गई है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा नियम 1971 के प्रभावी तिथि से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के परिलेख से की। अतः विनयता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली नगरपालिका द्वारा किये गये गैर कानूनी कार्य की जांच

1041. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली नगरपालिका द्वारा पिछले 15 वर्षों में अनेक गैर कानूनी कार्य किये गये जिसकी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं एवं उनकी जांच की जा रही है? यदि हां, तो विभाग ने किन किन व्यक्तियों को दोषी है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें तथा कितने मुकदमे विचाराधीन है?

(2) क्या यह सही है कि इन दोषी व्यक्तियों में कुछ भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबरों के नाम भी शामिल हैं?

उत्तर

(1) जी हां। जांच चल रही है। जांच के बाद ही दोषी व्यक्ति के बारे में निर्णय हो सकेगा।

(2) जी हां।

(39)

कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवाकाल में वृद्धि के आधार

1042 श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) क्या- स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा किस कर्मचारी|अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद पुन: सेवाकाल बढ़ाए जाने हेतु क्या नियम तथा आधार हैं ?

(2) क्या श्री किशोरी लाल गोपा भूतपूर्व रोशनी निरीक्षक एवं निजी सहायक प्रशासक नगर परिषद जोधपुर दिनांक 31-8-77 को सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या उनकी सर्विस के दौरान उनकी सेवाओं को हमेशा जोधपुर नगर परिषद द्वारा सराहा गया था तथा उनकी सर्विस बुक में हमेशा अच्छे कर्मचारी के ही रूप में रिमार्क दिया गया था ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या श्री किशोरी लाल गोपा को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल और सेवा करने के अवसर देने हेतु नगर परिषद् जोधपुर द्वारा सरकार के पास कोई निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो किन आधारों पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया ?

(4) क्या वर्ष 1978-79 में नगरपरिषद जोधपुर के कार्यालय अधीक्षक का सेवा काल बढ़ाया गया था जबकि उनका पुराना सर्विस रिकार्ड सेवा का बढ़ाए जाने के लिए पूर्णतः नियमों के प्रतिकूल था ? यदि हां, तो किन आधारों पर ?

(5) क्या श्री किशोरी लाल गोपा के सेवा काल बढ़ाए जाने बाबत नगर परिषद जोधपुर द्वारा भी राज्य सरकार को लिखा गया था ? यदि हां, तो किन आधारों पर उसे नहीं माना गया ?

(6) क्या श्री किशोरी लाल गोपा को रोशनी निरीक्षक का डिप्लोमा ग्रेड देने की सिफारिश प्रशासन द्वारा प्राप्त होने पर निकाय एवं राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट सेवाओं की अनदेखी करके स्वीकृत नहीं की गई ? क्या राज्य सरकार अब भी पिछले समय से उनकी सेवाओं को देखते हुए डिप्लोमा ग्रेड देने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जावेगा ?

(7) क्या श्री किशोरी लाल गोपा सेवानिवृत्त रोशनी निरीक्षक की लीवप्रिरियेटरी रिटायरमेंट अस्वीकृत करने हेतु जनहित में प्रशासक नगर परिषद जोधपुर द्वारा निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उनको अवकाश के वेतन का भुगतान कर दिया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में सेवाकाल नियुक्ति

(५०)

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

अधिकारी द्वारा बढ़ाए जाने का प्रावधान हैं।

(2) श्री किशोरीलाल शर्मा दिनांक 31–8–77 को सेवा निवृत्त हुए थे। उनकी सेवा पुस्तिका में कार्य की सराहना के इन्द्राज नहीं पाये जाते है।

(3) जी हां। सामान्य सेवा निवृत्त के बाद अवधि नहीं बढाई गई।

(4) नगर परिषद जोधपुर के कार्यालय अधीक्षक की सेवा अवधि एक साल के लिए परिषद के प्रस्ताव को उचित मानते हुए बढ़ाई गई थी।

(5) जी हां। सेवा अवधि बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया।

(6) जी नहीं। नगरपरिषद से सूचनाएं मांगी गई हैं। मामला विचाराधीन है।

(7) हां, इस प्रकार का निवेदन पत्र नं. एडीएम/पी. ए./2771 दिनांक 1-4-77 द्वारा किया गया था इसके पश्चात की भी मोका समर्पित अवकाश का लाभ सेवा चाहते थे अतः वे अवकाश (समर्पित) पर दिनांक 9-5-77 से चले गये तथा अवकाश पश्चात् पुनः कार्य पर दिनांक 5-6-77 को आ गये। अतः अवकाश वेतन समर्पित अवकाश का दिया गया।

अध्यापकों की स्टेडी लीव का मामला

1043. श्री नाथूराम (बागीदोरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बी. एड. मे अध्यापकों को भेजने उनकी अवकाश स्वीकृति, अवकाश वेतन के चुकारे तथा प्रशिक्षण के पश्चात् पुनः पदस्थापना के सम्बन्ध में क्या रीति-नीति है? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या बांसवाड़ा जिले में इन निर्देशों की अवहेलना की गई है व आदिवासियों की उपेक्षा की गई? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो इस बांसवाड़ा जिले । कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु किस किस विद्यालय से भेजा गया उनमें कौन कौन आदिवासी थे उनके अवकाश स्वीकृति किस किस अवधि की कब कब की गई तथा कितना कितना अवकाश वेतन दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या प्रशिक्षण हेतु भेजे गए इन अध्यापकों के स्थान अन्य स्थाई अध्यापकों से भर लिए गए हैं? यदि हां, तो प्रशिक्षण के पश्चात् सम्बन्धित अध्यापकों की पदस्थापन

(श्री नाथूराम)

कहां किया जायगा यदि नहीं तो उन पदों पर कार्य कर रहे अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता सेवा अवधि तथा निवास स्थान सम्बन्धी सूची उनकी पूर्व पदस्थापना सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? इस सत्र में रिक्त स्थान नहीं होते हुए भी जिन अध्यापकों को इन स्थानों पर लगाया गया है उन्हें क्या सत्रान्त में हटाया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों व किन नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर :—

(1) पी. एल. समाचार कार्यक्रम में विभाग केवल ऐसा रूल अप्रशिक्षित अध्यापकों को वरिष्ठता के आधार पर प्रतिनियुक्त करना है । उनको अवकाश के स्वीकृति राजस्थान सेवा नियम, 96 के अनुसार होती है । पुनः पदस्थापना के सम्बन्ध में विभागीय आदेश की प्रति संलग्न है ।

(2) जी नहीं । पत्राचार पाठ्यक्रम में इस वर्ष जिन अध्यापकों को भेजा गया उनकी सूची उन्हें किया गया वेतन तथा अवकाश का विवरण संलग्न हैं ।

(3) जी हां विभागीय आदेशानुसार उन्हें यथा सभव उन्हीं विद्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा जहां से प्रशिक्षण में गये थे । रिक्त स्थान न होने पर भी अध्यापकों के पदस्थापन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(आदेश व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें ।

फलोदी क्षेत्र के विद्यालय

1044. श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हायर सैकण्डरी स्कूल फलोदी, सैकण्डरी स्कूल लोहावट, सैकण्डरी स्कूल बाप, सैकेण्डरी स्कूल खीचन, बालिका सैकेण्डरी स्कूल फलोदी, सैकेण्डरी स्कूल पीलवा, सैकेण्डरी स्कूल भोजासर, सैकेण्डरी स्कूल देणोक, सेकेण्डरी स्कूल चोतीणा एवं फलौदी तहसील में कार्यरत अन्य सैकेण्डरी स्कूलों में कालेज में जाने योग्य कक्षा दसम् एवं एकादश (ग्यारहवीं कक्षा) में अभी कितने कितने छात्र-छात्रायें पढ़ते हैं ? स्कूल वाइज एवं कक्षा वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या पूरी फलोदी तहसील में केवल एक ही हायर सैकेण्डरी स्कूल है ? अगर हां, तो उसमें कुल कितने छात्र पढ़ते हैं ? क्लास वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या फलोदी नगर में एक भी छात्र सैकेण्डरी स्कूल (सिवा बालिका) के नहीं है ? अगर हां, तो क्या आगामी शिक्षण सत्र से आवश्यक मात्रा में फलोदी नगर में सैकेण्डरी स्कूलें खोली जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) फलोदी तहसील में किस किस स्थान पर कितनी कितनी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक

(श्री बालकृष्ण थानवी)

स्कूलें हैं एवं उनमें पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी हैं ? स्कूल व क्लास वाइज संख्या की सूची मदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर—

(1) खण्ड-4 के उत्तर से यह सूचना अंकित है।

(2) इस विद्यालय की क्लासवाइज छात्र संख्या निम्न प्रकार है :—

9 वीं	10 वीं	11 वीं	योग
261	247	352	860

(3) जी हां। आगामी शिक्षण काल में नये स्कूल खोलने की नीति विचाराधीन है।

(4) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य के महाविद्यालयों को अनुदान

1045. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने महाविद्यालयों को कितना कितना अनुदान दिया जाता है ? सन् 71 से आज तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या ये सभी अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय सरकारी ग्रान्टस इन एड रूल्स की अनुपालना पूरी तरह करते हैं ? यदि हां तो क्या सरकार की ऐसी कोई ऐजेन्सी है, जो प्रति वर्ष इस सम्बन्ध में चेक रखती है व रिपोर्ट देती है ? यदि हां, तो कृपया पिछले वर्ष की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखे। यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम शीघ्र उठाने जा रही है ताकि अनुदान राशि का दुरुपयोग न हो ?

(3) इन अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी ने कमेटी ने पिछले पांच वर्षों में कितने प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों को निलम्बित एवं सेवा विमुक्त किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें इनमें से कितनों को गैर कानून रूप से हटाया गया एवं राज्य सरकार इन्हें न्याय दिलाने के लिये क्या कदम उठाये ?

(4) इस प्रकार निजी संस्थायें ऐसे कदम न उठायें उसके लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) कालेज निदेशालय के अन्तर्गत वर्तमान में 38 महाविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है, सूची संलग्न है।

(2) यह अनुदान प्राप्त महाविद्यालय सरकारी ग्रान्ट इन एड रूलस की अनुपालना करते हैं। निदेशालय स्तर वास्तविक व्यय

(श्री माधवसिंह दीवान)

की जांच प्रतिवर्ष की जाती है तथा पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय अगले वर्ष दिये जाने वाली अनुदान राशि में समायोजित कर ली जाती है।

(3) वर्तमान में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों को सेवा विमुक्त किया गया है तथा शेष सूचना एकत्रित की जा रही है :—

1. श्री एल. एस. वर्सोंकी, प्राध्यापक, विद्याभवन केरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर 1-9-75 से

2. श्री सी. ई. मैकफारलैण्ड विद्याभवन रूरल इन्स्टीट्यूट 12-7-76 उदयपुर

3. श्री मानव प्रकाश प्राध्यापक, जवाहर विद्या पीठ का मोड़ 14-1-78

4. श्री एस. पी. सी. भण्डारी, प्राचार्य जैम कालेज, बीकानेर 3-11-77

5. श्री एस. पी. सोनी, प्राचार्य, नेहरू मेमोरियल कालेज, हनुमानगढ़ 1-4-78

6. श्री के सी. पाण्डेय प्राचार्य बी. डी. कालेज लक्ष्मणगढ 1-8-78

7. श्री ए. एस. सेठ, प्राध्यापक, लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय जयपुर 1-7-72

श्री एस एस. दर्सोंधी एवं श्री डी. ई. मेकफारलैण्ड को विद्याभवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर की मेनेजमेंट ने पुनः सेवा में ले लिया है।

श्री एस. पी. सी. भण्डारी की अपील राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है और संबंधित मैनेजमेंट को श्री भण्डारी को वापस सेवा में लेने के आदेश दिये परन्तु संस्था ने अभी उन्हें सेवा में नहीं लिया है अतः राज्य सरकार ने श्री भण्डारी की वेतन की राशि महाविद्यालय के अनुदान में से काटकर सीधा भुगतान करने का आदेश दिया है जो महाविद्यालय की अनुदान राशि में से काटकर दिया जा रहा है।

श्री ए. एस. सेठ प्राध्यापक, लालबहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर की अपील राज्य सरकार ने स्वीकार ने स्वीकार कर पुनः उन्हें सेवा में लेने के लिये आदेश प्रसारित किये लेकिन संस्था ने राजकीय आदेश के विरुद्ध न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर रखा है अभी तक यह मामला न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर रखा है अभी तक यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) निजी संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों को गैर कानूनी रूप से हटाये जाने पर प्रार्थी द्वारा अपील करने पर अनुदान नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं। निर्णय की अवहेलना करने पर संस्था के अनुदान में इन कर्मचारियों की देय राशि काट ली जाती है तथा उन्हे सीधा भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नाहरी का नाका हाउसिंग बोर्ड में प्रकाश की व्यवस्था

1046. श्री जीथिग (कुशलगढ़) : क्या

(श्री जोधिंग)

आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नाहरी का नाका हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 2, 3, 4 के सम्मुख सड़क (प्रस्तावित नेशनल हाईवे को ओर देखती हुई) पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? क्या मण्डल को विदित है कि इस सड़क के उस ओर रेत के बड़े बड़े टीले और गहरे गड्ढे (रेविन्स) है जिधर छिप कर चोर व लफगे रात को चोरी व राहजनी करते हैं और मण्डल की मेहरबानी का लाभ उठाते हुए अंधेरे में गर्मियों में व बरसात के मौसम में चोरी व सीनाजोरी की कई वारदातें हुई है ?

(2) क्या इस सड़क पर एक खम्भा छोड़कर एक पर केवल 2 फुट की एक ट्यूब लाइट लगी हुई है जिनमें से भी 50 प्रतिशत सदैव बन्द पड़ी रहती है ? क्या यह भी सही है कि आवासन मण्डल विद्युत मण्डल और नगर परिषद् तीन तीन ऐजेन्सी के अन्तर्ग्रसित होने के कारण प्रकाश की व्यवस्था बदतर हो गई है ?

(3) क्या इसके विपरीत मण्डल के सुभाष कोलोनी की ओर अवस्थित व शापिंग कम्पलेक्स के पास की सड़को पर 4-4 फुट की 2-2 ट्यूब लाईट एक खम्भे पर लगाई गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? यह भेदभाव क्यों है और कालिजों को समाज कण्टकों से सुरक्षा की दृष्टि से उपरोक्त सड़क पर प्रत्येक खम्भों पर 4-4 फुट की 2-2 ट्यूब लाइट लगाने की व्यवस्था के साथ सामयिक संधारण कराने का क्या राज्य सरकार विचार रखती है ?

(4) क्या बड़े पार्क के पास 2 क 11 से 2 छ 10 के पार्श्व से गुजरने वाली बाई लेन पर लगाये खम्भे 2 च 17 के पास छोड़ दिये गये हैं जिस कारण 2 छ 10, 2 छ 11 व छोटे पार्क के पास अंधेरा रहता है ? क्या इस लाइन पर 2 खम्भे और लगाकर 2 छ 10 के सामने की सड़क से जोड़ने पर विचार किया जायेगा ?

उत्तर

(1) सेक्टर 2,3,4 के सम्मुख सड़क पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था से चोरी की रोक थाम की व्यवस्था के लिए आवासन बोर्ड ने समय समय पर पुलिस विभाग को इस बारे में उचित प्रबन्ध करने को लिखा है।

(2) ट्यूब लाइटों के रख रखाव के लिए राज्य विद्युत मण्डल व नगर परिषद का उत्तरदायित्व है उनको समय समय पर इस सन्दर्भ में निवेदन किया जाता रहा है।

(3) आवश्यकतानुसार सड़क की चौड़ाई देखते हुए उचित प्रकाश की व्यवस्था की गई है। इनके सामयिक संधारण का कार्य बिजली बोर्ड से सम्बन्धित है।

(4) उचित प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध है। फिर भी अतिरिक्त खम्भे लगाने का कार्य पर विचार करने से राज्य विद्युत मण्डल व नगर परिषद को लिखा जा सकता है।

स्थानीय निकायों में चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के सेवा नियम

1047. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सेवा नियम बनाये हुए हैं? यदि हां, तो क्या पाली जिला की सोजत नगर पालिका में उक्त नियमों की पालना की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) प्रश्न के भाग (1) का उत्तर दिनांक 1-9-69 से 1-12-72 तक उक्त दोनों श्रेणियों में भरती किये गये व्यक्तियों की सूची दी जावे जिसमें यह भी बताया जावे कि भर्ती के दिन उनकी आयु व योग्यता नियमानुसार थी या नहीं? अगर नियमानुसार नहीं थी तो उनको भरती किसने की व क्यों की?

(3) राजस्थान नगरपालिका अधिनस्थ एवं मन्त्रालयिक सेवा नियमों के आधार पर उक्त नियुक्तियां करने का किसको अधिकार है व क्या य नियुक्तियां नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा की गई? यदि नहीं, तो क्या उक्त नियुक्तियां वैध है और अगर नहीं तो ऐसी नियुक्तियों पर किया गया भुगतान लेखा परीक्षण के दौरान काबिल एतराज रहा?

(4) अगर उक्त नियुक्तियां अवैधानिक हैं तो क्या सरकार उनको नियुक्त करने वाले को उनके पद के दुरुपयोग के लिए व निकाय को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहरायेगी व उक्त राशि की वसूली उनसे करेगी।

(5) प्रश्न के भाग (2) में बताये समय में की गई नियुक्तियां बावत लेखा परीक्षण में क्या एतराज किये गये व उन एतराजों पर क्या व कब अनुपालना की गई और अगर नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई?

(6) क्या राज्य सरकार लिपिकों का ट्रांसफर एक नगर पालिका से दूसरी नगर पालिका में करने का विचार रखती है, ताकि नगरपालिका से भ्रष्टाचार उन्मूलन किया जा सके?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु नगर पालिका सोजत में दिनांक 1-6-59 से 1-12-72 तक की अवधि में 3 व्यक्तियों की नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध की गई थी।

(2) सूची संलग्न है। नियुक्ति अधिकारी का नाम भी सूची में दिया गया है।

(3) नियुक्ति का अधिकार नगरपालिका अध्यक्ष को है। अध्यक्ष को अधिकार कहां था। नियुक्तियों में नियमों का पालन नहीं किये जाने पर आडिट आक्षेप भी है।

(4) इन सभी मामलों की जांच करने के लिए आदेश दिये जा रहे है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(5) आडिट द्वारा अतिरिक्त नियुक्ति होने का एतराज था। अनुपालना नहीं की गई है जांच कराई जा रही है।

(5) इस बाबत विषयों में ट्रांसफर है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अध्यापिका हैप्पी स्कूल का बकाया वेतन

1048. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर स्थित बाल निकेतन हैप्पी स्कूल, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में कुमारी चन्द्रा चावला, अध्यापिका के रूप में कार्य करती थी तथा उनका दिनांक 18 दिसम्बर, 1972 को देहावसान हो गया ?

(2) क्या कुमारी चन्द्रा चावला का बकाया वेतन तथा भविष्य निधि का पूर्ण भुगतान उक्त स्कूल की प्रबन्ध कार्यकारिणी के द्वारा कर दिया गया है ? यदि नहीं तो बकाया वेतन तथा भविष्य निधि का भुगतान कराने के लिये क्या राज्य सरकार कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी

1049. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़),

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान में विभिन्न विद्यालयों में कितनी छात्र/छात्रायें वर्तमान में विद्यालय महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रतिशत छात्र/छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

(3) क्या राजस्थान में छात्र शिक्षा का प्रतिशत नगण्य है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन छात्राओं की शिक्षा के लिए क्या इरादा रखती है ?

(4) क्या राजस्थान में वर्तमान शिक्षा छात्र/छात्राओं में नौकरी करने की ही भावना पैदा करती है तथा व्यवसाय की ओर उनका कोई रुझान नहीं है ? यदि हां, तो इस व्यवसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) राजस्थान में वर्तमान में प्रतिशत के आधार पर छात्र-छात्राओं के आंकड़े निम्न प्रकार है:—

प्रतिशत शालाओं में जाने वाले विद्यार्थी

आयु-वर्ग	छात्र	छात्रायें	योग
6-11	81.49	29.43	57.29
11-14	41.93	10.96	27.22
14-17	23.55	5.54	14.94
17-23	8 50	2.00	5 28

(3) जी हां। छात्राओं को विद्यालय में जाने के लिये विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए निःशुल्क पुस्तकें व गणवेश, छात्रवृत्ति, शिशु क्रीड़ा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा आदि की व्यवस्था की जा रही है।

(4) यह प्रश्न केवल राजस्थान का न होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्ध रहता है। शिक्षा में परिवर्तन होने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार हो रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजकीय संस्कृत कालेज चिरणा का प्राचार्य पद

1050. श्री ईश्वर चन्द्र (पिडावा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री मोतीलाल जोशी का राजकीय संस्कृत कालेज, चिरणा के प्राचार्य के पद पर स्थानान्तरण कब हुआ उन्होंने उक्त पद का कार्यभार कब सम्भाला ?

(2) चिरणा में कार्यभार सम्भालने की तिथि से आज तक श्री मोतीलाल जोशी कितने दिन चिरणा में रहे और कितने दिन जयपुर में ? उनके जयपुर में रहने का क्या कारण रहा ?

(3) क्या यह सही है कि संस्कृत निदेशक श्री चतुर्वेदी की श्री मोतीलाल जोशी से मिली भगत है जिसके कारण श्री चतुर्वेदी किसी न किसी बहाने से श्री जोशी को जयपुर में ही प्रतिनियुक्ति करके नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाते रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार ने श्री मोतीलाल जोशी की प्रतिनियुक्ति जयपुर में न करने के बारे में भी कोई निर्देश दे रखे हैं।

(श्री माधोसिंह कछवाह)

यदि हां, तो संस्कृत निदेशक उनका उल्लंघन क्यों करते है ?

उत्तर

(1) 13 अक्टूबर, 1978 को स्थानान्तरण व 25/10/78 को कार्यभार संभाला।

(2) अक्टूबर, 1978 से फरवरी, 1979 के बीच जयपुर यात्रा दिवसों की संख्या 27 है। दिनांक बार विवरण संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। उल्लंघन नहीं करते।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सुगम शिक्षा समिति विद्यालय का रिकार्ड

1051. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुगम शिक्षा समिति विद्यालय, जयपुर का कोई रिकार्ड संस्कृत निदेशालय ने जनवरी, 78 और मार्च, 78 के बीच किसी जांच के लिए लिया था ? यदि हां, तो लिये गये रिकार्ड की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि संस्था की अपील पर निर्णय के उपरांत राज्य सरकार ने संस्था का रिकार्ड लौटाने हेतु लिखित आदेश निदेशक संस्कृत शिक्षा को दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि संस्कृत निदेशक ने राज्य सरकार के उक्त आदेश के तहत संस्था प्रतिनिधि को रेकार्ड लेने हेतु बुलाया ? यदि हां, तो कब और किस आदेश द्वारा ?

(4) क्या यह भी सही है कि संस्कृत निदेशक ने फिर भी संस्था का पूरा रिकार्ड नहीं लौटाया जिसकी शिकायत संस्था ने पुनः राज्य सरकार को की है ? संस्कृत निदेशक राज्य सरकार के रिकार्ड लौटाने सम्बन्धी आदेश की अवज्ञा क्यों कर रहे हैं और राज्य सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रतिलिपि परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(4) संस्था का अधिकांश रिकार्ड लौटाया जा चुका है, प्राप्ति रसीद परिशिष्ट

(श्री ईश्वर चन्द्र)

"1" पर संलग्न है। केवल कैश बुकें, खाता व फीस रजिस्टर तथा 31 रसीद बुक्स जांच के लिए विभाग ने अपने कब्जे में ले रखी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से संस्था को स्पष्टतः सूचित भी किया जा चुका है। परिशिष्ट "4"

(सूची व आवेश के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

विजेता छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र

1052. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1977-78 में आयोजित राज्य स्तरीय पूर्व प्रवेशिका क्रीड़ा प्रतियोगिता में विजेता छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र अभी तक भी संस्कृत निदेशक ने नहीं दिलाये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त प्रमाण पत्र न देने के बारे में किसी विद्यालय ने निदेशक संस्कृत शिक्षा को कोई लिखित शिकायत भी की है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या वर्तमान सत्र में भी क्षेत्रीय पूर्व प्रवेशिका क्रीड़ा प्रतियोगिता गांधी नगर क्षेत्र में भी विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार व प्रमाण पत्र नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन संस्थाओं को नहीं दिये गये और क्यों ?

(4) क्या विवेकानन्द विद्या निकेतन जवाहर नगर, जयपुर ने भी पुरस्कार व प्रमाण पत्र न दिये जाने की कोई शिकायत निदेशक संस्कृत शिक्षा को दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(5) उपरोक्त बकाया पुरस्कार व प्रमाण पत्र कब तक सम्बन्धित संस्थाओं व छात्र-छात्राओं को दिला दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। शिकायत की प्रति संलग्न है। सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष को उचित निर्देश दे दिये गये थे।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। शिकायत की जांच की गई तथा उचित कार्यवाही के आदेश दे दिये गये थे।

(5) पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित कर दिये गये हैं अतः प्रश्न नहीं उठता।

(शिकायत की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

उम्मेद होस्पिटल जोधपुर के अपूर्ण कार्य

1053. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(शिक्षा मन्त्री)

1. क्या यह सही है कि उम्मेद होस्पिटल, जोधपुर मे निम्न कार्यों की पूर्ति की आवश्यकता है :—

(1) 25 फ्लश शौचालय का निर्माण चिकित्सालय के चार दिवारी में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अनुमानित राशि एक लाख रुपये।

(2) 50 के.वी.ए. क्षमता का विद्युत जनरेटर की व्यवस्था करना अनुमानित राशि एक लाख रुपये।

(3) रेम्प (Ramp) का निर्माण कराना अनुमानित राशि 50 हजार रुपये।

(4) होस्पिटल के चार दिवारी में डामर का कार्य कराना अनुमानित राशि 30 हजार रुपये।

(5) 150 छत पंखे लगाना अनुमानित राशि एक लाख रुपये।

(6) नव निर्मित ओपरेशन थियेटर में अन्य कार्य अनुमानित राशि 50 हजार रुपये।

(7) ओपरेशन थियेटर में इन्स्ट्रूमेंट व इक्यूपमेन्ट के लिए अनुमानित राशि एक लाख रुपये।

यदि हां, तो सरकार ने गत वर्ष कितनी स्वीकृतियां प्रदान की? यदि नहीं, तो क्यों?

2. चिकित्सा सेवा सम्बन्धी उपरोक्त वर्णित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए कितनी धन राशि स्वीकृत की जायगी?

उत्तर

(1) वित्त संकोच के कारण इन कार्यों के लिए गत वर्ष कोई प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) जोधपुर मेडीकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों के लिए स्वीकृत प्रावधान में से प्रधानाचार्य द्वारा इंगित प्राथमिकता के आधार पर ही विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

सरदार शहर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद

1054. श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सरदार शहर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के कुल कितने स्थान हैं?

(2) क्या सन् 77-78 व 78-79 में चिकित्सकों को कुछ स्थान रिक्त रहे? यदि हां, तो कितने व कितनी अवधि तक तथा उसके क्या कारण हैं?

(3) क्या उक्त अस्पताल में एक मेटेरनिटी वार्ड भी बना हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(श्री हजारीमल सारण)

(4) क्या उक्त मेटेरनिटी वार्ड में स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक स्टाफ नियुक्त कर देने का विचार है ?

उत्तर

(1) इस चिकित्सालय में कुल 6 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है ?

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) जी हां। मई, सन् 1958 से।

(4) जी हां। मेटरनिटी वार्ड सहित सरदार शहर में 50 रोगी शैय्याओं के लिए स्टाफ स्वीकृत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

धर्मार्थ आयुर्वेद औषधालय मनोहर थाना

1055. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना कस्बे में धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय को राज्य सरकार कितनी राशि प्रतिवर्ष अनुदान स्वरूप देती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कस्बे में यह एक बहुत पुराना औषधालय है और कितनी ही बार राज्य सरकार से इस बात का अनुरोध किया गया कि उक्त औषधालय राज्य अपने नियंत्रण में ले लेवें किन्तु आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपना क्या मत रखती है ?

(4) औषधालय खोलने के लिये राज्य सरकार ने क्या मापदण्ड निश्चित किया है ?

उत्तर

(1) धर्मार्थ औषधालय, मनोहरथाना (झालावाड़) को वर्ष 1978-79 में रुपये दो हजार सत्तर (2070-00) का अनुदान दिया गया था।

(2) जी हां। मनोहरथाना में अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा संचालित होने के कारण इस औषधालय को राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में नहीं लेने का निर्णय लिया।

(3) प्रश्न भाग (2) में इसका उत्तर दिया जा चुका है।

(4) राज्य सरकार द्वारा औषधालय खोलने के लिए निम्न मापदण्ड हैं:—

1. छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम दस औषधालय हों।

(चिकित्सा मंत्री)

2. छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में कम से कम एक औषधालय हो।

3. जन जाति क्षेत्र में कुल खोले जाने वाले औषधालयों का 10 प्रतिशत औषधालय खोला जाना।

4. ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क भवन व्यवस्था, अन्य चिकित्सा सुविधा से पर्याप्त दूरी का होना तथा प्रभावी जनसंख्या कम से कम 2000 होना।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति के विरोध में आमरण अनशन

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

[व्यवधान]

श्री भंवरलाल ऐरन : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री भंवरलाल ऐरन : आप अनुमति दें तो रेज करूं।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री भंवरलाल ऐरन : वह तो आपने समाप्त कर दिया इसलिए ही मैंने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है।

श्री मूलचन्द डागा : When the chair is on its legs, you can not raise a point of order

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य धमका कर पाइन्ट आफ आर्डर रेज ना करें। अपनी भाषा को बदलिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका पाईन्ट आफ आर्डर है। मैं रिसीव करता हूं।

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, आज 3 दिन से माननीय विधायक, श्री बाल कृष्ण थानवी मद्य निषेध की नीति को लेकर अनशन पर हैं। आज उनकी आंखों में जलन पैदा हो गई है और मन्त्रिमण्डल बैठे बैठे चुपचाप देख रहा है। क्या उनको मरने देने की इच्छा है? मन्त्रिमण्डल क्या विचार कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन बहुत चिन्तित है। आप कृपा करके संरक्षण प्रदान करें।

श्री विज्ञान मोदी : अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि जांच करके सदन को जानकारी दिलाई जाये।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : माननीय अध्यक्ष जी,.......

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या स्वास्थ्य विभाग ने किसी तरह की देख-रेख की है ? अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है। बार बार इस पर चर्चा हुई है और चर्चा का विषय है कि सारे राजस्थान में सम्पूर्ण नशाबन्दी होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मतलब हुआ जब सेन्टर आपको पूरी सहायता देने को तैयार था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पहले कई दफा कहा कि वे तैयार थे। माननीय थानवी जी ने इस हाउस के अन्दर यह घोषणा की थी कि अगर राजस्थान में पूरी नशाबन्दी नहीं हुई तो वे अनशन पर बैठेंगे। उसी समस्या को लेकर थानवी साहब आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और विचार करने के बाद उनके स्वास्थ्य को देखें। उनकी भावनाओं की परवाह नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा। माननीय वित्त मन्त्री जी आपको किसने भुलावा दिया ? थानवी जी ने घोषणा की थी कि राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा नहीं की गई तो अनशन पर बैठूंगा और वह अनशन पर बैठे हुए हैं, किसी तरह की सदन परवाह नहीं कर रहा है। इतने बड़े अहम् मसले पर सरकार विचार नहीं करे, सरकार देखे नहीं, उनसे बात नहीं करे। डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध नहीं हुईं। मैं जानना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी आपको जानकारी हो तो आप जानकारी दें और जो उन्होंने आमरण अनशन किया है, इस मामले को आप निपटायें। अगर आपने नहीं निपटाया तो इस कथन की आपके प्रति अच्छी भावना नहीं होगी। राजस्थान की निगाह थानवी साहब के ऊपर है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बड़ी विडम्बना की बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी का एक सदस्य अपनी सरकार की नीति के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। यह बड़ी विडम्बना की बात है....

श्री किशनसिंह भाटी : It relates to him personally.

इसमें विडम्बना कौन सी है ?

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या तमाशा हो रहा है। आसन मौन हो गया। मुझे बोलने तो दें। बड़ी विडम्बना की बात है। राजस्थान के 27 वर्ष के लोकतन्त्रीय इतिहास में पहली बार सत्तारूढ़ पार्टी का एक सदस्य अपनी ही सरकार की नीति के विरोध में....

श्री हरचन्द सिंह : यह बात गलत है....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : उप मन्त्री की हैसियत से इन्होंने अनशन किया था....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : विड़म्बना थी नहीं....

श्री नूरा : आप बोलने दें। आप सुनें तो सही....

श्री भंवरलाल शर्मा : तानाशाही की सरकार थी....

श्री नूरा : जो उनके विचार होंगे, वे बोलेंगी....

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : पाइंट आफ आर्डर पर पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री मूलचन्द डागा : On a point of order....

श्री ईश्वरचन्द्र : मेरा पहले पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने पाईन्ट आफ आर्डर उठाया है, आपने उसको सुन लिया, इस पर बहस क्यों ?

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं चाहता कि इससे ऊपर बहस हो। मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हैं, यदि उचित समझें तो इसका उत्तर दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने श्री बाल कृष्ण थानवी के प्रति जो सद्-भावनाएं प्रगट कीं उसके लिए मैं सदन का आभारी हूं। थानवी जी जब से भूख हड़-ताल पर बैठे हुए हैं, मास्टर साहब और बाकी के लोग मिलते रहे हैं। उनसे बात-चीत चल रही है। 1 अप्रैल से शराब बन्दी की जाये इस बात को लेकर उन्होंने अन-शन किया है। इस सम्बन्ध में मास्टर साहब मिले हैं, गोकुल भाई मिले हैं, मनोहरसिंह जी मिले हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे और उनके बीच का मामला है, हम बात कर रहे हैं। आप राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा न करें। श्री नत्थीसिंह जी ने कहा कि उनके उपचार की व्यवस्था नहीं हो रही है। सारी व्यवस्था हो जायेगी। जो भी माननीय सदस्य कहेंगे, कितने डाक्टर लगने चाहिये, वह सारी व्यवस्था हम करेंगे।

श्री भंवरलाल ऐरन : क्या मुख्य मन्त्री जी स्वयं मिलने जायेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां।

श्री अध्यक्ष : कृपया, इस बारे में चर्चा समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
जी, सवाल इस बात का नहीं है, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनकी पार्टी का आन्तरिक मामला है।

सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने इस बात की घोषणा की है उनकी कथनी और करनी अलग-अलग , किन्तु ये विधायक ऐसे हैं जिनकी कथनी और करनी एक है, कह दिया तो कर दिया। सदन के एक माननीय सदस्य यहां आमरण अनशन पर बैठे हैं और मुख्य मंत्री जी यह कहें कि हमारी पार्टी का अन्दरुनी मामला है। क्या हमको चिन्ता नहीं है? क्या पूरे राज्य को चिन्ता नहीं है? यह उनकी पार्टी की नीति का सवाल है। उनकी कथनी और करनी एक है और जिसकी कथनी और करनी एक है, उसकी मुसीबत तो होगी ही। मुख्य मंत्री जी बताये तो सही, क्या नीति है?

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : जो आपको कहना है कह दीजिए, लेकिन इसके बाद किसी को अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वृद्धि चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, बाल कृष्ण थानवी समाजवादी, सर्वोदयी और सुदृढ़ विचारों के और बड़े सिद्धान्त के व्यक्ति हैं। मैं उनको जानता हूं, राजनीति में मैंने जो प्रवेश किया है वह उनकी प्रेरणा से ही किया है और वे मेरे गुरु रहे हैं।

श्री मदनसिंह दाता : चेला यहां कैसे बैठा हुआ है?

(व्यवधान)

श्री वृद्धि चंद जैन : लोकतन्त्र की स्थापना की गई और मुझे उसका संयोजक बनाया गया था। उन्होंने और श्री गट्टानी जी ने ही मुझे बनाया है। वे बहुत ही सिद्धान्त के हैं, इसलिए मैं यह चाहता हूं इस प्रश्न को कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। मैं यह चाहता हूं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वे व्यक्ति ऐसे सुदृढ़ विचारों के हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो जीवन होम देंगे—ऐसे दृढ़ विचारों के हैं। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हू, मैं भी आज गया था और उनसे मिला हूं। मैंने कहा हम निवेदन करेंगे गवर्नमेंट से कि दो अक्टूबर, 1979 से राज्य में पूर्ण नशाबन्दी के लिए एग्री करें तो हम कोशिश करें लेकिन उन्होंने कहा मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए आप अध्यक्ष महोदय, प्रेरणा लें, मुख्य मन्त्री जी प्रेरणा लें और हम भी प्रेरणा लेंगे कि उनका आमरण अनशन समाप्त हो, यही मैं चाहता हूं।

श्री मदनसिंह दाता : अध्यक्ष महोदय, हम सारे सदन के सदस्य उनको समझायेंगे कि यह गवर्नमेंट जिद्द नहीं छोड़ेगी। नेता अपनी जिद्द के पक्के हैं इसलिये हम जाकर भूख हड़ताल से दूर करेंगे फिर विवश होकर कोई तारीख लेंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामरघुनाथ चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चित्तौड़ जिले में बेगूं पंचायत समिति में गेहूं की 100 बोरियां भुगतान हेतु अग्रिम दी जाने के विषय में।

(2) सर्वश्री खेतसिंह, शंकरलाल, परसराम मदेरणा व मथुरादास माथुर, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम नीमेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के 18 हरिजन व पिछड़ी जाति के भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि से बेदखल करने के विषय में।

(3) श्री रामकरणसिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में बाइस गोदाम कच्ची बस्ती में एक संस्कृत बाल विद्यालय द्वारा फर्जी रिकार्ड बनाकर सरकार से भारी राशि का गलत पेमेन्ट उठाने के विषय में।

(4) सर्व श्री सूरजपालसिंह, माधवसिंह दीवान व रामनारायण डूंडी सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भीनमाल द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के बिलों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार करने के विषय में।

(5) श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर के आर. डी. 507 खारवाड़ा जिला बीकानेर के जलाशय की मछलियों का ठेका बिना टेण्डर लिये नीलाम करने के विषय में।

(6) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में पर्यटन विकास निगम बनने के बाद पर्यटन विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता व अन्य अधिकार समाप्त करने के विषय में।

(7) श्री नूरा सदस्य, विधान सभा की ओर से उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि पिछले 7-8 वर्षों से जमा होने के बावजूद उनकी रसीदें नहीं भेजने के विषय में।

(8) सर्व श्री वृद्धिचन्द्र जैन व गंगाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में शिव व सिवाना तहसीलों में भेड़ों में माता की बीमारी फैलने की घटना के विषय में।

(9) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर पुलिस द्वारा गत 3 अप्रेल को सरमथुरा के पास वहीद खां नामक बालक को गोली से उड़ा देने की घटना के विषय में।

(10) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की बावरिया व रेवारी जाति को अन्त्योदय योजना में सम्मिलित न करने के विषय में।

(11) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की मंहगाई की दरें

(श्री अध्यक्ष)

बढ़ाने के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारियों के विषय में इस प्रकार की घोषणा नहीं किये जाने के विषय में।

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेज रहा हूं और स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांवों की प्राथमिक शालाओं के बालकों के परिवार वालों से शिक्षा शुल्क के रूप में 10 रुपये प्रति वर्ष, प्रति परिवार लिये जाने के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना है कि जीरो आवर दो बजे बाद नहीं चलाया जायगा और दृढ़ता पूर्वक मैंने यह निर्णय ले लिया है। इसका रोष, आक्रोश और खामियाजा, नुकसान जो भी होगा मैं भुगतने के लिये तैयार हूं। कृपया माननीय सदस्य मुझे सहयोग दें।

श्री मूलचन्द डागा : टाइम फिक्स कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : दो-दो, तीन-तीन मिनट माननीय सदस्य बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये सब प्रस्ताव आ जायेंगे। इसमें मैं अनधिकृत चेष्टा से भी संकेत करूं तो माननीय सदस्य ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा उदारता बरतते हुए ये 11-12 स्थगन प्रस्ताव लिये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी कृपा की है।

श्री अध्यक्ष : कोई कृपा नहीं की है। मेरा इतना ही निवेदन है कि दो बजे बिल्कुल जीरो आवर समाप्त हो जाय।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

श्री जुल्फीकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ इनफार्मेशन आ गया।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के नाम से एक समाचार सर्क्यूलेट हो रहा है और वह समाचार बहुत दुखद है। सदन के बाहर मुख्य मत्री जी ने सूचना दी है, हम यह चाहेंगे कि मुख्य मंत्री जी इस सदन को भी उस घटना के बारे में सूचना दें। सूचना यह है मान्यवर पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री भुट्टो को आज सुबह फांसी दे दी गई है। यदि, मान्यवर, यह सही है तो मुख्य मंत्री जी बतायें और मुख्य मंत्री जी से इसलिये पूछते हैं कि उनके नाम से है। मुझे और भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह सही है तो हमें मुख्य मंत्री जी से जानकारी चाहिये कि क्या उन्हें फांसी दे दी गई है। क्या स्थिति है इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी कन्फर्म करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप किस लिए सवाल उठा रहे हैं ? क्यों कन्फर्म कराना चाहते हैं ..

(व्यवधान)

आप तो जब इन्दिरा गांधी को फांसी लगे तब बोलना ।

श्री मदनसिंह दांता : What do you mean....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : पहले आपको ही फांसी नहीं हो जावे, क्या बात करते हो ? फांसी तो आपको होगी । श्रीमान्, ये शब्द वापस लिये जावें ।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री वृद्धिचन्द जैन : इस प्रकार के शब्द श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए कहना बहुत गलत है । मुख्य मंत्री जी आप अपने सदस्यों को समझायें और उन पर नियंत्रण करें । हमारी प्रजातांत्रिक परम्परा में यह स्थिति नहीं है और न यहां पर कोई भी गवर्नमेंट हो, इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकती ।

श्री अब्दुल अजीज : जिस व्यक्ति के लिए भारत से हमारे महान नेता जयप्रकाश नारायण ने वहां के राष्ट्रपति से यह कहा था कि क्षमादान कर दिया जावे, उसके बारे में आपको कोई चिन्ता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सुबह ही एसोसियेट प्रेस न्यूज एजेंसी है, उसके द्वारा यह समाचार दिया गया है कि लाहौर से एक जंग समाचार पत्र निकलता है उसका एक विशेषांक निकला है। उसमें श्री भुट्टो को फांसी दिए जाने का उल्लेख है, यह समाचार मुझे मिला है । यही समाचार अन्य न्यूज एजेंसीज की मार्फत भी आया है । मैंने अभी टेलीफोन लगा रखा है । जब तक आफिशियल सूचना प्राप्त नहीं होती मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री मदनसिंह दांता : हां, ऐसी गलती भी मत करना । पहले भी मिस्टेक हो चुकी है ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत बेगूं को एडवांस में काम के बदले अनाज योजना के तहत गेहूं दिला दिया गया, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि काम के बदले अनाज की योजना बहुत अच्छी योजना है और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी गरीब लोग रहते हैं उनको मजदूरी मिली है और उनको आपने काम दिया है । लेकिन यह तो आप भी पसन्द नहीं करेंगे कि अनाज का किसी तरह से दुरुपयोग किया जावे लेकिन इस तरह के दुरुपयोग किए जा रहे हैं । एक तरफ तो उन ग्राम पंचायतों को जिन्होंने हजारों लाखों रुपयों का काम करवाया था, उनको आज तक अनाज नहीं मिला है ।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मेरे यहां जिला नागौर से यह सूचना आई कि वहां पर पिछले चार महीने से जो काम हुए थे उनको आज तक अनाज नहीं मिला है। वहां के सरपंच ने जिलाधीश को ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि अगर 31 मार्च तक अनाज नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल करेंगे लेकिन उनको अभी तक भी अनाज नहीं मिला है। एक तरफ तो हजारों का काम करने के बाद भी अनाज नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हालत है कि एडवांस में अनाज दिया जा रहा है, गेहूं दिया जा रहा है। यह राज्य सरकार की दोहरी नीति और सौतेला व्यवहार है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वाली बात है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बेगूं को, ग्राम पंचायत बेगूं को सात सौ क्विन्टल अनाज दिया गया है। जिन ग्राम पंचायतों में सौ, दो सौ क्विन्टल का काम हुआ है उनको तो चार महीने से अनाज नहीं दे रहे हैं और किसी पंचायत को, क्षेत्र विशेष की ग्राम पंचायत को छः सौ, सात सौ, आठ सौ क्विन्टल अनाज दे दिया गया है और फिर उनका मिसयूज होना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

ग्राम पंचायत बेगूं को कितना अनाज दिया और कितना काम वहां पर हुआ है इसकी डिटेल में नहीं जाकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक श्री रमेशचन्द्र शर्मा हैं, जिनके ट्रैक्टर नम्बर आर. जे. एच. 925 को ग्राम पंचायत ने काम पर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना उन मजदूरों के लिए है जिनको खाने को अनाज नहीं है, मजदूरी करने की जगह नहीं है, उनको आधार देने के लिए और भरण पोषण का साधन देने के लिए यह योजना चलाई है और उस योजना में मजदूरों को काम मिलना चाहिए लेकिन अगर कोई ग्राम पंचायत ट्रैक्टर या ट्रकों को एंगेज करे तो या तो अपने निजी साधनों को अप्लाई करके ही उसका पैसा दे सकती है। पैसे के एवज में अनाज देने की कभी भी व्यवस्था नहीं है। हमारे जिले में इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। वहां पर जिलाधीश ने यह कहा कि मजदूरों को अनाज देने की बात समझ में आती है लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी ग्राम पंचायत दूसरे कार्य कराने के लिए किसी ट्रक को किराये पर ले तो अपने पास से पैसा दे, चाहे कण्ट्रीब्यूशन हो, चाहे और किसी तरह से हो लेकिन राज्य सरकार से इसके लिए अनुदान नहीं मिल सकता है और इसीलिये कभी भी अनाज दे कर किसी ट्रक को काम में नहीं लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिस बेगूं की मैं बात कर रहा हूं, श्री रमेशचन्द्र को सौ बोरी एडवांस में दी गई और सौ क्विन्टल जिसकी कीमत दस हजार होती है, उसको दिया गया। यह बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ तो आप अनाज नहीं दे सकें और दूसरी तरफ इतना भारी एडवांस कर दें। उसने उस अनाज को जमनालाल जो बेगूं में है, उसकी दुकान पर ले जाकर बेच दिया। किसी भी काम के लिए एडवांस में कैसे अनाज दिया, यह बात समझ में नहीं आती। आपका नियम है कि मजदूर काम करें, उसकी हाजरी ली जाय, मस्टर रोल के फार्म भरते हैं और भरने के बाद उनको दिऐ जाते हैं। सब कुछ तैयार

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

करने के बाद मस्टर रोल ग्राम पंचायत के पास में जाते हैं और ग्राम पंचायत को उसके आधार पर जितना अनाज मिलता है वह अनाज ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। लेकिन एडवांस में अनाज देने की स्थिति नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न भी था, मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिला था लेकिन कम समय के कारण सप्लीमेंट्री पूछ नहीं सका था। मुझे यह बताया गया प्रश्न के उत्तर में कि राज्य सरकार की नीति किसी भी ग्राम पंचायत को एडवांस में अनाज देने की नहीं है और यह जो दिया गया है, यह गलत है या सही है, इसको हम देखेंगे। देखेंगे क्या, जब आपकी नीति ही नहीं है अनाज एडवांस में देने की। जो अनाज बेचा गया और मौके पर उसको रोका लेकिन जिलाधीश ने मौके पर रिलीज कर दिया। आपकी एक तरफ तो यह नीति रही है और जिलाधीश ने यह कहा था कि कोई अनाज नहीं दिया जा सकता

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

और दूसरी तरफ जिलाधीश ने इसको रिलीज कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मामले में आपकी नीति नहीं है, एडवांस में अनाज देने के खिलाफ हैं तो कलेक्टर ने उसको किस तरह से रिलीज कर दिया और जिस तरह से गलत ढंग से रिलीज किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही घटनायें अन्य जिलों में भी हो रही हैं। जब आप एक तरफ तो अनाज दे नहीं पा रहे हैं तो दूसरी तरफ एक ग्राम पंचायत में इतना अनाज कहां से पहुंच गया कि उसको किसी भी व्यक्ति विशेष को ट्रैक्टर के काम में लेने के लिए एडवांस कर दिया जाय। मैं इसके साथ में एक निवेदन और करूं कि 180 बोरी अनाज कोटा में जब्त किया गया। वे भी किस तरह से दी गईं और जो बोरियां जब्त की गईं बेचे जाने के लिए जिस आदमी ने उनको मंडी में लाकर रखा वह आदमी कौन था इसका पता ही नहीं है। उस वक्त भी यह स्थिति हुई कि ये बोरियां कहां से आईं तो जिस व्यापारी के यहां पर वे बोरियां पड़ी थीं उसने कह दिया कि मेरे यहां पर तो एक व्यक्ति आकर रख गया था और यह कह गया था कि आप इनको बेच देना, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूं। वह उसका नाम नहीं बताता है। मेरे कहने का मतलब यह है अध्यक्ष महोदय, कि इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। यह काम के बदले अनाज की योजना अच्छी योजना है, गरीब इससे लाभान्वित होने चाहिएं और उनके फायदे के लिये बनाई है लेकिन इस तरह से मिसयूज होता है तो इस तरह की घटनायें स्पष्ट तौर से मिसयूज की हैं।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी जवाब दें, जब यह स्पष्ट मामला है कि एडवांस देने की आपकी नीति नहीं हैं फिर यह एडवांस में अनाज क्यों दिया गया।

श्री एच एन. शर्मा (बेगू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस पाइन्ट पर ध्याना-कर्षण प्रस्ताव दिया हुआ था, श्रीमान ने मुझे दो मिनट बोलने की अनुमति दी है। उसके लिए मैं श्रीमान का बहुत आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की अपनी नीति स्पष्ट है कि किसी भी ग्राम पंचायत को एडवांस के रूप में काम के बदले अनाज योजना के तहत गेहूं एडवांस में नहीं दिया जा सकता। और इस प्रश्न के उत्तर में भी. जो कि माननीय राम रघुनाथ जी को दिया है, स्पष्ट तौर से स्वीकार किया गया है कि राज्य सरकार की तरफ से एड-वांस के रूप में गेहूं और अनाज नहीं दिया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान के माध्यम से पंचायत मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहूंगा कि मैं स्वय वहीं पर मौजूद था; जिस दिन जमनालाल की दुकान पर गेहूं बिक रहा था, ढेर लगा हुआ था, मैं स्वयं वहां था। मैंने डी.डी.ओ. से सम्पर्क किया, एस.डी.ओ. से सम्पर्क किया, कलेक्टर से सम्पर्क किया और ए.डी.ओ. से सम्पर्क किया, मैंने उन सब को बताया कि यह सौ बोरी गेहूं इस तरह से बिक रही है उस पर तुरन्त ए. डी. ओ ने आदेश दिया और बोरियां जब्त की गई। जांच करने पर सरपंच ने खुद ने माना है कि 51 बोरी ट्रैक्टर की मजदूरी के पेटे दिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय हमारे स्थगन प्रस्तावों का क्या होगा ?...

श्री एच.एन. शर्मा : दो मिनट।

अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि 41 बोरी एडवांस के रूप में दी गई हैं और उसमें ए.डी.ओ ने जांच की है। उसमें लिखा है सरपंच की बदनीयती जाहिर नहीं होती है। मेरी मान्यता है कि एडवांस के रूप में देना, सौ बोरी की कीमत ज्यादा होती है। सरपंच को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार दस हजार का अनाज दिया गया है। पंचायत ने यह अलग से प्रस्ताव किया और उस प्रस्ताव की कोई स्वीकृति नहीं दी गई तो एडवांस में किस प्रकार से यह अनाज दिया गया है ? यह गलत है। सरपंच की यह कार्यवाही उसकी बदनीयती को जाहिर करती है। इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि उस सरपंच के खिलाफ 17[4] की कार्यवाही की जाकर उसको सस्पेन्ड किया जाए तब जा करके काम के बदले अनाज योजना सफल होगी। ऐसी अच्छी योजना को ऐसे सरपंच फेल करना चाहते हैं। इससे सरकार की बदनामी होती है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। यह मेरी मांग है। मुझे आशा है कि सरकार कठोर से कठोरतम कार्यवाही कर के इस सरपंच को हटाएगी।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय मेरा भी इसमें नाम है। ध्यान आकर्षण में मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : दो मिनट। मैंने दस्तखत किये हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर....

श्री अध्यक्ष : श्री शर्मा का प्रस्ताव था। उस लिहाज से मैंने उनको अनुमति दी।

श्री रतनलाल वर्मा : उस पर मेरे भी दस्तखत हैं। एक मिनट लूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कोई फैक्टस् हों तो बताइयें। हो हल्ला करने से क्या फायदा होगा।

श्री रतनलाल वर्मा : हो हल्ला नहीं करूंगा फैक्ट्स ही बताऊंगा....

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप मुझ से कक्ष में मिल लीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक इसके अन्तर्गत जून में काम कराने के कोई आदेश नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आसन के आदेश के विपरीत बोलने पर अंकित न हो।

श्री रतनलाल वर्मा : X X X X

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय राम रघुनाथ ने यहां पर उठाया है, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि यह सही है कि ट्रैक्टर, ट्राली या ट्रक्स जो कार्य पर आवे उनको मजदूरी चुकाने का कोई आदेश नहीं है। इस प्रकार की शिकायत आई थी जिसकी जांच की गई है। जो तथ्य है, मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जानकारी कर के जांच करूंगा और दोषी पाये जाने पर पंचायत एक्ट के तहत कार्यवाही अवश्य करूंगा।

साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कहा गया कि शिकायत आई थी कि सरपंच ने गेहूं को बेच दिया है। कभी कभी ग्राम पंचायत यह प्रस्ताव लेती है और वह प्रस्ताव लेकर गेहूं को बेचा जाता है। इस पर भी जांच की जाएगी। क्या उन्होंने प्रस्ताव करके बोरियां बेची हैं? तो इस प्रकार यह जो बोरियां पकड़ी गई हैं, उस परिप्रेक्षा में देख कर के कि इसमें सरपंच की कोई बदनीयती थी या नहीं, यह सब देख कर के बाद में कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, कोटा की बात यहां पर कही गयी है। इस सम्बन्ध में कोटा जिलाधीश को लिखा गया है। एफ. आई. आर. दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस केस में भी पूरी जानकारी करके आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो साफ है, 41 बोरियां एडवान्स दी गई हैं। इसकी तो एफ. आई. आर. दर्ज कर देनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यह सरपंच तहसील जनता पार्टी का अध्यक्ष है और इस प्रकार यह जो अनियमितता की गई है, उसने इस प्रकार से जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा सरपंच के नाते भी पद का दुरुपयोग किया है। सरकार की जो

X X X अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री एच. एन. शर्मा)

बहुमूल्य योजना है, उसको फेल करने की कार्यवाही की गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं पुनः मांग करूंगा कि पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज की जाए तब जाकर आगे काम होगा।

श्री अब्दुल अजीज : ये कौन से घटक के हैं, यह बता दीजिए ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार की नीति की बात है। जो कुछ भी किया गया है, चाहे वह प्रस्ताव पास करके किया गया हो, क्या यह सब राज्य सरकार की जो नीति है, उसके खिलाफ नहीं है ? यह स्पष्ट है। चाहे प्रस्ताव हुआ हो या न हुआ हो, इसमें अतिरिक्त जिलाधीश का सहयोग रहा है और उसने पकड़े हुए माल को छुड़वा दिया है। क्या यह स्पष्ट जुर्म नहीं बनता है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मेरे पास जो तथ्य है, यह जांच रिपोर्ट है, वह पढ़कर सुना दूं। जो जांच हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को अलग से सूचित कर दें। अब समय की तंगी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय मेरा स्थगन प्रस्ताव राजस्व मन्त्री महोदय से ताल्लुक रखता है। परन्तु राजस्व मन्त्री जी यहां से गायब हैं और यह गम्भीर मामला है। जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं वह भी गम्भीर है। अगर हाउस में मिनिस्टर महोदय नहीं रहते हैं तो हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है। चीफ व्हिप को लताड़ना चाहिए और वे मन्त्री महोदय को जहां कहीं भी वे हों, पकड़ कर सदन में बिठायें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय खेतसिंह जी से बात करके ही गये हैं :....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे से यह कहा है कि मैं फाइल ला रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : आपको मालूम है फिर भी एतराज कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ अध्यक्ष : महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था। गांव निम्बाड़ा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टौंक में 18 हरिजन परिवारों को बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत सन् 1975 में जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन पर सन् 76 में इन हरिजन परिवारों ने काश्त की। सन् 1977 में काश्त की और सन् 1978 के जून में इन हरिजन परिवारों को इस जमीन से बेदखल कर दिया गया। दो साल तक काश्त करने के बाद जबकि इन्होंने जमीन का इम्प्रूवमेंट किया, बैंक से कर्जा लिया, हजार-हजार रु कर्ज लेकर अपनी जमीन को लेविल किया, जमीन पर जो पेड़ थे उनको काट करके लेवलिंग करके फसल बोई परन्तु 1978 में उनकी खड़ी फसलों के समय आपके यहां से आदेश हुआ और उनकी फसल को कुर्क करके इन गरीबों को हटाने के आदेश

(64)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दे दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। पिछले सत्र में भी यह प्रश्न उठाया गया था। इन हरिजनों ने बाद में रक्षा मन्त्री, श्री जगजीवन राम को लिखा और ये लोग रक्षा मन्त्री से दिल्ली में मिले। इस पर रक्षा मन्त्री महोदय ने एक पत्र मुख्य मन्त्री महोदय को लिखा और मुख्य मन्त्री ने स्वयं ने अपने पत्र में जो उन्होंने श्री जगजीवन राम जी को लिखा है, इस पत्र में मुख्य मन्त्री ने यह माना है कि निम्बाड़ा चरागाह की 82 बीघा जमीन जो तहसील टोड़ारायसिंह में है, राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध चरागाह से निकाल करके 18 हरिजन व्यक्तियों को 18 हरिजन परिवारों को 1975 में आवंटित की गई थी। यह स्वयं मुख्य मन्त्री ने माना है। यह जमीन इन लोगों को चरागाह की जमीन से निकाल कर दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, उन दिनों बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत यह आदेश था कि हरिजनों को जमीन दी जानी चाहिये जो कि भूमिहीन हैं। चाहे वह चरागाह हो और वह काबिले काश्त हो तो अलाट, आवंटित कर दी जाए। उसके तहत यह जमीन आवंटित की गई है। उसके बाद में इन लोगों को पट्टे दिए गए। पास बुक मिल गई। उनको यह पट्टा मिल गया। दो साल का लगान उस जमीन का इन लोगों ने जमा करवाया है। गत सत्र में भी यह पट्टा आपको दिखाया था, रसीदें दिखाई थीं। कोआपरेटिव बैंक से जो कर्जा उठाया है उसकी पास बुक भी इनके पास है। इसके बारे में मन्त्री महोदय ने विपक्ष के नेता महोदय से बात करके यह आश्वासन दिया था कि मैं सहमत हूं कि इन हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है और मैं इनको हियरिंग देकर इसका फैसला कर दूंगा।

परसों आपने एक प्रश्न के उत्तर में सदन में यह कहा कि कांग्रेस (आई) के सदस्य जो हरिजनों पर अत्याचार के मामलों को सदन में उठाते हैं, वे झूठे होते हैं। वे हरिजनों का झूठा मामला सदन में लाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे सच्चा मामला और क्या हो सकता है? पिछली बार भी यह मामला आपके सामने रखा था। उस पर आश्वासन दिया गया था। मन्त्री महोदय, आपने कहा था कि एक महीने के अन्दर फैसला करके निश्चित तौर से इन लोगों को जमीन देकर आबाद कर दूंगा। आपने इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की है। आज तक ये हरिजन इधर उधर भटक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ये 18 परिवार नीचे आये हुए बैठे हैं। उनकी किसी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सम्पतराम जी से भी इन्होंने बात की। सम्पतराम जी ने इनको एस. पी. के पास भेजा। एस. पी. ने कहा कि यह रेवेन्यू का मामला है। मैं इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। रेवेन्यू मिनिस्टर ही इस पर फैसला कर सकते हैं। 18 व्यक्तियों को एलोकेशन, उनके पट्टे, उनकी पास बुक, उनकी गिरदावरी की रसीद, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया गया था, आपने आज तक उस आश्वासन की पूर्ति नहीं की है। ये लोग आज भी बेदखल हैं। इनके साथ में

(श्री खेतसिंह राठौड़)

घोर अन्याय हुआ है। हकीकत तो अध्यक्ष महोदय यह है कि वहां का सरपंच इनको बसने देना नहीं चाहता है। सरपंच इनके खिलाफ है सरपंच कहता है कि पांच मील दूर दूसरा गांव है वहां पर जमीन ले लो। वे वहां जाना नहीं चाहते। कैसे जा सकते हैं अपना गांव छोड़ कर? आज उनकी जमीन पर काश्त नहीं करने दी जाती इसलिए जयपुर में मजदूरी करके पेट भर रहे हैं। इससे भयंकर क्या काम हो सकता है? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सारे मामले पर आप मेहरबानी करके उनको आबाद कीजिए। जमीन उनको आवंटित है, काश्त करते रहे हैं, आप उन्हें कब्जा दिलवाइये।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री): निम्बाहेड़ा गांव का किस्सा, अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है। मैं परसों बयान दे दूंगा। माननीय सदस्य ने कहा है कि 18 हरिजन परिवार हैं। यह सही नहीं है। केवल 2-3 हैं। बाकी दूसरी जाति के हैं। मैं परसों वक्तव्य दे दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी: आपने पिछले सत्र में भी बयान दिया था....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री: मैं स्वयं टौंक गया तब उन आदमियों को बुलवाया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बोर्ड से फैसला होने के बाद यह आवंटन किया है जमीन कानूनन ठीक नहीं है और आवंटन रद्द कर दिया। मैंने कहा कि आप सबको जमीन दिला दी जायेगी लेकिन वे तैयार नहीं हुए परसों मैं सारा मामला बता दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़: वक्तव्य नहीं, रिलीफ दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी: हाई कोर्ट के फैसले को सरकार ने रद्द कर दिया....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री: 18 आदमी अनुसूचित जाति के नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: 18 हों या कितने ही हों पहले तय कर लिया जाय कि कितनों को आवंटन हुआ उनका आवंटन बहाल किया गया था। रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बाद गवर्नमेंट ने इन्हें अपने रेट पावर से कहा था कि जमीन दी जायेगी...

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री: मैंने निवेदन कर दिया, परसों मैं बयान दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है—

माननीय खेतसिंह जी: you should not cross the floor like this.

श्री दिग्विजयसिंह: He wants to cross the floor.

श्री मदनसिंह दांता: अध्यक्ष महोदय, आज समस्त संसद सदस्य, समस्त पार्टियों के सदस्य हरिजन शब्द को लेकर बोलते हैं। जितने हरिजनों के सैंटर में बड़े ऊंचे पद

(श्री मदनसिंह दांता)

हैं, मंत्री बैठे हैं। यहां भी गृह मन्त्री बैठे हुए हैं, और भी मंत्री बैठे हुए हैं। यह हरिजन शब्द और पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक जातियों का नाम लेकर ये राजनैतिक खेल मचा रहे हैं। वाकई में कौन वहुसंख्यक है, कौन पिछड़ी जाति है। बावर्‌या (बावरी अलग हैं] जो सपूर्ण हिन्दुस्तान में शायद एक लाख भी नहीं है 4-4, 5-5 घर उनके गांवों में रहते हैं इसलिये उनके पास कोई नहीं जाता। ऐसे ही ऊंट चराने वाले रेबारी हैं। आज तक उनका एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, क्यों उनका कोई वोट नहीं, आज मुसलमान भाइयों के लिये भी आवाज हिन्दु उठाते हैं। ब्यौरा लिया जाय तो हरिजनों के, पिछड़ी जाति के और मुसलमान भाईयों के मिनिस्टर मिलेंगे लेकिन आज बावरिया जाति, जिसका कोई मकान, पता, ठिकाना, गांव नहीं। सबसे रद्दी चीज खाकर, गीदड़ मिल जाय तो उसे भी मारकर खा लें। उनके जीवन स्तर को आप देख नहीं सकते, आधी नंगी नारियां फिरती हैं, उनकी, बच्चे भूखे रहते हैं, नंगे फिरते हैं धूप खाते हैं जिनके घरबार नहीं, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव वाले निकाल देते हैं तो दूसरे गांव चले और वहां से भी रवाना कर देते हैं तो तीसरे गांव। मधुमक्खी का शहद आदि लाकर, मैं समझता हूं, गुजारा करते हैं।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों भी इस आशय पर निवेदन किया पर शायद उस बात को आप समझ नहीं सके। क्योंकि बावरिया जाति ऐसी है, जिन्हें गांवों में प्रवेश भी नहीं देते। इसलिये मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं यह जाति, जिसका हिन्दुस्तान में पता नहीं, आवाज नहीं, क्योंकि उनके वोट नहीं हैं वाकी आज जगजीवन राम जी जैसे हरिजन मिनिस्टर हैं फौज पर, आज होम मिनिस्टर जैसे हरिजनों के नेता हैं अगर पुलिस में कोई हरिजन अफसर नहीं जाय तो गवर्नमेंट की क्या गलती है लेकिन इनकी आज कहीं भी कोई सुनाई नहीं क्योंकि इनके पास वोट नहीं हैं।

आज एक ही मांग हरिजनों की होगी, स्टूडेन्ट्स की होगी तो उस पर चार चार पार्टियां बोलने के लिये खडी हैं लेकिन हमने तो वही पार्टी देखी है जिनके न राम है न रहीम, कोई देखने वाला नहीं है। ऊपर आकाश है और नीचे धरती। ठण्ड में जै: जानवर गड्ढे खोद कर सोते हैं उसी प्रकार सो जाते हैं। अन्त्योदय में जिनका कोई स्थान नहीं। जिनको यह कर अवाइड कर दिया जाता है कि तुम्हारे पास तो काफी साधन हैं, चार लड़के हैं। अध्यक्ष महोदय, रेबारी ऊंट चराते जरूर हैं मगर सभी के ऊंट नहीं हैं, उनका कोई साथी नहीं है। भेड़ बकरियों के भी साथी हैं। आज बकरी के लिये भी लड़ाई होती है। किसी नेता के पास 500 है, किसी के पास हजार हैं, किसी के पास दो हजार हैं उनके लिये भी आवाज उठाई जाती है। परन्तु आज हिन्दुस्तान की जो सबसे पिछड़ी जाति है उसके लिये कोई आवाज नहीं उठाई गई। इसलिये बावरिये, रेबारी ऐसी जाति के हैं जिनका न कोई प्रतिनिधित्व है और न सीट रिजर्व है, सीट भी उनके लिये हैं जिनके पास पैसा है, जो विधान सभा में सदस्य हैं और फिर भी

(श्री मदनसिंह दांता)

आवाज उठाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार को जोर देकर फर्मावें कि इन दोनों जातियों की तरफ भी ध्यान दें। ये भी भारत वर्ष के निवासी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनको फौज में भर्ती किया जाना चाहिये। बड़े बड़े शिकारी कुछ नहीं कर सकते। ये बावरिया किसी बोर्डर पर जाकर, गर्मियों में, सर्दियों में ऐसी मजबूत जाति है जो रह सकती है। उनके लिये मैं स्थगन प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार के संबंध में है कि बहुत बड़ी धन राशि का गबन किया जा रहा है शिक्षा के नाम से। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि एक स्कूल की कहीं जमीन नहीं, उसमें एक भी लड़का पढने वाला नहीं है और ग्रान्ट इन एड की सूची बनी आज से 4-5 दिन पहले उसमें कहीं काम नहीं लेकिन रातों रात सचिवालय के अधिकारियों सौदा किया, सौदे का बंटवारा किया और सौदे के हिसाब से दूसरे ही दिन लिस्ट में नाम आ गया और उसको पेमेन्ट हो गया। उस पेमेन्ट की 19 हजार की एक किश्त दे दी गई। यह स्थगन प्रस्ताव इसलिये रखा है कि आज 30 हजार का पेमेन्ट होने वाला है। राज्य सरकार का पैसा इस तरह से 22 गोदाम में कागजों में चल रहे स्कूल के नाम से व्यय हो रहा है, उसको रुकवाया जाय। मुझे जैसी आपने जानकारी दी है कि बहुत कम टाइम लेना है इसलिए मुझे इतनी ही जानकारी देनी है। राज्य सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है उसको इस तरह से कुछ अधिकारी जो सैक्रेटेरियेट में बैठनें वाले हैं वह यदि मिलकर इस तरह की बात करते हैं तो महामना, बताइये कि क्या हालत होगी, इस राज्य की? इस देश को, इस जनता को कौन सम्भालेगा और किस तरह से एक अजीब परिस्थिति हो गयी है इसकी वजह से भगवान ही मालिक है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप सरकार के मन्त्रियों को आगाह करें, चेतावनी दें कि इस तरह से जो हो रहा है उसको रुकवायें, वर्ना इस तरह से मत्री महोदयों के जो कुछ आदेश हैं उनका तो पालन ही नहीं होता है और धीरे धीरे उनकी क्रेडिट गिरती जा रही है, यह एक अजीब हालत हो जायेगी और जनता के पैसों का जो चाहे जिस तरह से उपयोग कर लेगा। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम का आपको ध्यान हो तो बता दें।

श्री रामकरणसिंह : महारानी दुर्गावती विद्यालय, वाइस गोदाम।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : मैंने, अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट विद्युतीकरण योजना के कार्यालय में कुछ अव्यवस्था के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। इस विषय

(श्री सूरजपाल सिंह)

में मेरी मन्त्री महोदय से बात हुई है और चीफ इन्जीनियर साहब से बातचीत हुई है। मन्त्री महोदय ने दोषी व्यक्तियों को निलम्बित करने के आदेश देने का मुझे विश्वास दिलाया है। लेकिन मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दोषी व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, परन्तु जल्दी में ऐसा काम नहीं किया जाय जिससे किसी निर्दोष को सजा मिल जाय। इसलिए पूर्णतया जांच कराने के बाद कुछ निर्णय लें। ऐसा न हो कि आप उसकी जांच के लिए किसी को भेज दें और वह ऊपर-ऊपर जांच कर आये। इसलिए पूर्ण जांच होने के बाद ही आप कोई कदम लें। मैं नहीं चाहता कि दोषी व्यक्तियों को प्रोटेक्ट किया जाय, लेकिन ऐसा भी न हो कि किसी निर्दोष व्यक्ति को इसके अन्दर नुकसान हो जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव, पर्यटन विभाग में कार्यरत जो कर्मचारी थे राजस्थान पर्यटन निगम बनने के बाद उनकी हालत बड़ी अजीब हो गई है, उसके सम्बन्ध में है। उनमें काफी लोग अलग अलग तारीखों में काफी लम्बे समय से लगे हुए थे। जब निगम बना तो मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह चाहूंगा कि जो पुराने कर्मचारी, पुरानी तारीखों से लगे हुए थे उन तमाम लोगों को निगम के अन्दर एडजस्ट किया जाय, और उनको पूरे सेवाकाल का फायदा मिलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदया का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि कर्मचारियों के जो नेता थे आपका यह निगम अभी बना है उसने बैठते ही बिस्मिल्ला ही गलत कर दिया है। आपने सबसे पहला हमला उनकी यूनियन के, कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों के नेताओं पर किया। जब आपने बिस्मिल्ला ही गलत कर दिया तो फिर यह निगम चलेगा कैसे? माननीय मंत्री महोदय, उस निगम को कामयाब करने का काम आपका और हमारा नहीं है। उसको कामयाब करने की जिम्मेदारी निगम के उन कर्मचारियों पर होगी। अगर आप उनको सुनने का मौका देंगी, उनकी बात को सुनेंगी, उन लोगों को नियुक्तियां दी जायेंगी और उनको सारे लाभ मिलेंगे अपनी सर्विस के तो निश्चित तौर से आपका निगम अच्छा चलेगा। भिड़ते ही इस निगम को बीमारी लग जाय, जैसे बच्चे को लग जाती है तो वह बच्चा स्वस्थ कभी नहीं हो सकता है, वही हाल इसका होगा। तो, मैं बहुत ही सन्जीदगी के साथ अपील कर रहा हूं कि आप तमाम कर्मचारियों को उनकी सेवाकाल का पूरा लाभ दें, और बिना किसी भेद-भाव के दें। मुझे यह पता लगा है, मेरे पास उनकी यूनियन के कार्यकर्ता आये हैं, उन्होंने बताया है कि उनको नहीं लिया गया है। इसी बात के लिए यह मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। वह एक-दो कार्यकर्ता नहीं हैं सैंकड़ों कार्यकर्ता हैं, सारे राजस्थान के अन्दर सैंकड़ों कर्मचारी हैं। वह गरीब लोग हैं वह कोई बड़े अधिकारी नहीं हैं। झूठे बरतन उठाते हैं, सेवा करते हैं, आपकी कामयाबी का आधार यह छोटे कर्मचारी हैं। मैं सदन में यह आश्वासन चाहूंगा,

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि वह सदन में कहें कि उनके साथ में किसी तरह की जुल्म-ज्यादती नहीं होगी और उनके सेवाकाल को माना जायगा, उनके नेताओं, कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं किया जायगा। मैंने इसी उम्मीद के साथ यह स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्रीमती विद्यापाठक : (राज्य मन्त्री, पर्यटन विभाग) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि अभी 1-4-79 को कुछ सर्विसेज, जो कि पर्यटन विभाग के एकोमोडेशन और ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्धित थीं, को पर्यटन निगम को ट्रान्सफर किया गया है। इनमें पर्यटन आवास के टूरिस्ट आफिसर्स, यू. डी. सी., एल डी. सी यह एक कैटेगरी थी, दूसरी कैटेगरी जो एकोमोडेशन में काम कर रहे थे, वह थे, माननीय सदस्य का आशय सम्भवत: टूरिस्ट एमोरोडेशन में काम करने वालों से है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभी हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : वहां पर तीन सर्विसेज हैं। एक वह जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं, उन लोगों को निगम में डेपूटेशन पर भेजा है और उनकी सर्विसेज बिल्कुल सेफ हैं। दूसरी कैटेगरी वह है, जो ऐसे रूप से नियुक्त हैं जिनकी नियुक्ति नियमानुसार नहीं है, परन्तु वह सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी सर्विसेज विभाग से समाप्त करके निगम को दी गई हैं और निगम ने उनको फ्रेश एम्प्लाय किया है और उनकी सर्विसेज समाप्त नहीं की गई हैं। यह नियमित 1-4-79 से डेपूटेशन पर पहली कैटेगरी वाले, जो परमानेन्ट सर्विस में हैं, उनको भेजा गया है। इनसे आप्शन मांगा जा रहा है कि वे कहां रहना चाहते हैं और उसके अनुसार काम किया गया है। निगम में रहने का आप्शन नहीं देंगे उनको विभाग में या अन्य स्थानों पर एब्जार्ब किया जायगा। दूसरी कैटेगरी के हैं जो कि नियमित रूप से एम्पलायड नहीं हैं, एडहॉक हैं। डिपारटमेंट ने उनकी सेवाएं कार्पोरेशन को भेज दी हैं और वहां पर इनका फ्रेश अपांइटमेंट किया जायगा। अभी किसी के परमानेन्ट किये जाने का प्रश्न नहीं है।

तीसरी कैटेगरी के वह लोग हैं जो डेलीवेजेज पर हैं जिनका सर्विस रूल्स के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि यह डेली वेजेज पर थे तो इनको कभी भी हटाया जा सकता है। इनकी सर्विसेज वहां पर ट्रान्सफर की गई हैं कार्पोरेशन को। अगर वह आवश्यक समझें तो जिनको उचित समझेंगा उनको रखेंगे, लेकिन इनका अधिकार विभाग या कार्पोरेशन में नियमानुसार कहीं नहीं है। नियमानुसार नियुक्त किसी व्यक्ति को नहीं हटाया गया है। डेली वेजेज पर जो व्यक्ति हैं जिनको वहां पर भी हटाया जा सकता था उन्हीं को हटाया गया है

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट दिया है, अगर किसी को नहीं हटाया जाएगा तो अच्छी बात है। जो एडहॉक बेसिस पर थे, उनको परमानेन्ट किया जायेगा। मुझे यह मालूम नहीं है कि वह टेम्प्रेरी हैं या डेलीवेजेज पर है यह पता नहीं। मुझे तो यह शिकायत मिली थी कि जो नेता हैं, उनको नहीं लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मैडम से पूछना चाहता हूं कि यह आप कह रही हैं कि किसी को नहीं हटाया। लेकिन मैं पांच व्यक्तियों के नाम देता हूं। एक दीपसिंह है, जो पम्प पर काम करता है। एक गुलाम मोहम्मद है, जो गणगौर में काम करता है। एक अयूब है, एक किशनलाल है। एक चक्रवर्ती है। ये गणगौर में काम करते हैं। इनको हटा दिया है। इन पांच आदमियों को हटा दिया है। इसलिये मैं यह लिस्ट आपको देता हूं। आप कृपा करके इनको देख लें। गरीब आदमी हैं, परेशान हो जायेंगे। ओवर-ऐज हो गये हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : अगर वह परमानेन्ट हैं तो नहीं हटाये जायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एडहॉक बेसिस पर जो हैं, उनके लिए डिस्क्रिशन की बात पर नहीं छोड़ें। लम्बी चौड़ी सर्विस हो गई है। सारी कण्डीशन वह फुलफिल करते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : नियमानुसार ही किया जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनको हटा कर नई नियुक्ति करें। यह तो ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह देख लेंगी।

श्री खेतसिंह राठौड़: आपके पास तो जगह है।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं देख लूंगी।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी के जवाब आ रहे हैं। मैंने जो प्रश्न उठाया है, उसका कोई धणीधोरी है?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मछली के ठेके के बारे में कई बार यहां पर चर्चा हुई है। परन्तु माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक बड़ी भूल की ओर दिलाना चाहता हूं। जिस भूल के कारण राजस्थान सरकार को 4-5 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। बीकानेर जिले में खरवाड़ा आर-डी 507 एक बड़ा जलाशय है। वह अगर जयसमन्द से बड़ा नहीं है तो उसके बराबर अवश्य है। उस बड़े तालाब में लाखों रुपयों की मछलियां हैं। उस तालाब से मछलियां पकड़ने का ठेका एक ठेकेदार को बिना किसी नीलामी के, बिना कोई बोली के, बिना कोई प्रस्ताव के, गलत ढंग से दे दिया गया है।

श्री मदनसिंह दांता : मछली किस तरह की हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : मझारु हैं।

श्री अध्यक्ष : बीकानेर में मछलियां कहां से आ गईं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : राजस्थान केनाल से आती हैं। बढ़िया मछलियां हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीकानेर जिले में मछलियों का 14 लाख रुपये का ठेका दिया गया है। अगर यह सही ढंग से दिया जाता तो 50 लाख रुपये का हो सकता था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहुत फाइन मछली है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीकानेर और गंगानगर जिले में जो जलाशय हैं उनका ठेका दिया गया है। स्पेसिफिक पाउण्ड हैं उनका ठेका हो गया। उसके बाद में जिस ठेकेदार ने इसका ठेका लिया है। यह खारवाड़ा 507 का है। यह उन नामों में नहीं है। गंगानगर जिले के जो पाउण्ड्स हैं, उसमें खारवाड़ा का नाम नहीं है। इस जलाशय का ठेका नहीं हुआ है। कोआपरेटिव सोसायटी ने इस जलाशय के ठेके के लिए कमिश्नर सी.ए.डी. को दरख्वास्त दी। एडीशनल डायरेक्टर फिशरीज ने रिपोर्ट दी है। खारवाड़ा आर. डी. 507 का ठेका नहीं हुआ है। जो ठेके हुए हैं, उनमें इसका नाम नहीं है। स्पष्ट रिपोर्ट आने के बाद पता नहीं किस आपाधापी से उन्होंने खारवाड़ा जलाशय को शामिल कर लिया है। यह मछली पकड़ने का ठेका उस ठेकेदार को दे दिया है। इससे राजस्थान सरकार को 5 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। अभी भी यदि राज्य सरकार कार्यवाही करे तो लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती है। माननीय मन्त्री महोदय को पता होगा कि बीकानेर के जंगलों में जलाशय के ठेके दिये हैं उसमें यह शामिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही यह कह दूं कि इस जलाशय का नाम नहीं है। जिन जलाशयों का नाम है, उसके अन्दर खारवाड़ा का नाम नहीं है। उसका इससे कोई लिंक नहीं है। आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों की आपाधापी है। यह खुशी की बात है कि जनता सरकार आने के बाद मछलियों के ठेके की बात उठाई जा रही है। 5 लाख का मछलियों का ठेका लोगों ने मिल कर दे दिया है। स्थगन प्रस्ताव के जरिये से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया है। आप इसकी सर्वप्रथम जांच करायें। वह जांच मन्त्री महोदय स्वयं करेंगे या किसी उच्च अधिकारी के द्वारा करायेंगे। तो यह सारी पोल सामने आयेगी। उस ठेकेदार ने 50 हजार रुपया दिया है। उस ठेकेदार ने सोसाइटी के लोगों को कहा है। उसने कहा कि मैंने तो पैसा देकर काम कराया है। 50 हजार रुपया खर्च करके, 5 लाख रुपये का फायदा उठा रहा है। मैंने यह मन्त्री महोदय को बताया है लेकिन मंत्री महोदय को उनके अधिकारियों ने गुमराह किया है।

(व्यवधान)

आप लोगों ने तो रुपया खाया है। हम अपने मन्त्रियों को बता रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हमने जो खाया है, वह तो आपके मुख्य मन्त्री नाक से निकलवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप तो कल भी बोल चुके हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (पशुपालन मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य रामकृष्णदास जी ने अभी बताया कि बीकानेर के आर. डी 507 में पानी भरा हुआ है, उसको ठेके में शामिल किया गया है जब कि वह निविदा में नहीं था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष जो ठेका हुआ उसमें गंगानगर जिले की बात थी और उसके वाटर को डिफाइन किया गया था। इस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बीकानेर और गगानगर जिले भी शामिल किये गये। यह सही है कि जो वाटर उसमें डिफाइन किये गये हैं उसमें बीकानेर के आर. डी. 507 का उल्लेख नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि बीकानेर में इसके अलावा और कोई जलाशय नहीं है जहां पर मछली निकाली जा सकती है। 77-78 में इसका ठेका साढे सात लाख का हुआ था और इस वक्त साढ़े बारह लाख का हुआ है। इसलिए हानि नहीं हुई है जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 5 लाख की हानि हुई है। यह प्रश्न जरूर है कि निविदा में इसका उल्लेख नहीं था और बाद में एरिया डवलपमेंट कमिश्नर ने लिखा कि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, क्या स्थिति है? गवर्नमेंट में.इसके कागजात आये, फिर डाइरेक्टर एनिमल हजबेण्डरी ने क्लेरफिकेशन करके भिजवाया कि आर. डी. 507 को भी इन्क्लूड किया जावे और ठेकेदार को इजाजत दी जावे। यहां पर इस प्रकार की बात भी की गई कि अधिकारियों ने मिल कर ढिलाई की और यह आरोप भी लगाया गया कि पचास हजार रुपये दिये गये हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि इसका कोई सबूत नहीं है। ऐसी कोई बात हो तो मैं आश्वासन दे सकता हूं कि सारे मामले की पत्रावली मंगाकर मेरे स्तर पर इसकी जांच करवाऊंगा और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदन सिंह दांता : मछली का ठेका आप उसकी किस्म के हिसाब से देते हैं या किस हिसाब से देते हैं? ट्राउट और सिल्वर ट्राउट है, जिस प्रकार से तांबे की खानों में दिया जाता है

श्री दिग्विजय सिंह : जो फिंगर लिंग्स है, माशर, ट्राउट है उनकी दूसरी मछलियों से कीमत ज्यादा होती है. उसी के हिसाब से रेट फिक्स करके देते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वर्ष हर जगह ठेके की रेट ज्यादा है। आपने जो निविदा निकाली, उसमें बीकानेर और गंगानगर शामिल करके लिखा है, अगर इसमें इसका नाम होता तो निश्चित तौर पर अधिक राशि आती,। यह अधिकारियों की भूल हुई है। इसको उसमें शामिल नहीं करने से निश्चित तौर से ठेकेदारों को लाभ हुआ और हमको नुकसान हुआ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने निवेदन किया और कोई वाटर नहीं है, फिर भी मैं मामले को मंगा कर जांच कर लूंगा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन

(श्री नूरा)

प्रस्ताव, मजदूरों की भविष्य निधि रकम के बारे में....

श्री गुलमोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि पांच लाख की हानि नहीं हुई लाभ हुआ है, गत साल में 24 फरवरी से 30 जून तक का ठेका दिया गया जो 7 लाख 59 हजार का था, इस साल अक्टूबर से जून तक दिया गया है जिसमें बीकानेर का पानी भी शामिल है। इसलिए पांच लाख के फायदे की बात नहीं है, गत वर्ष साढ़े तीन महीने का दिया था। और इस साल आठ महीने का दिया है, इसलिए फायदा नहीं हुआ है। यह तो समय ज्यादा देने से पैसा बढ़ा है व बीकानेर के कुछ पानी भी इसी वर्ष शामिल किये हैं।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव, मजदूरों की उस राशि से सम्बन्धित है जो अपनी गाढ़ी कमाई से प्रोविडेण्ट फण्ड में और उतनी ही राशि कारखानेदार मिलाकर प्रोविडेन्ट फण्ड के खाते में जमा कराते हैं। वह रकम हजारों और लाखों में होती है और यह पैसा मजदूर के प्रोविडेन्ट फण्ड में जमा होने पर प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर हर साल मजदूरों को सूचित करता है कि इतनी रकम उसके खाते में जमा हो गई है। लेकिन यह देखा गया है कि मालिक लोग उस पैसे को जमा नहीं कराते हैं, उस दशा में कमिश्नर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। मजदूरों की रकम तो काट ली जाती है और मालिक उस पैसे को रख लेता है, लाखों की तादाद में यह पैसा जमा नहीं कराया जाता जिसके कारण मजदूरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उनको समय पर पैसा नहीं मिल पाता है। मेरा यह मानना है कि प्रोविडेण्ट फण्ड कमिश्नर की ढिलाई की वजह से यह रकम जमा नहीं होती और अगर जमा हो जाती है तो कई बार यह देखा गया है कि आठ आठ साल तक उसकी सूचना मजदूरों को नहीं दी जाती, जिससे मजदूरों में भारी असन्तोष फैला हुआ है। दो चार जगहों के तो मैं नाम भी गिना सकता हूं। उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिण्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा में स्टोन की खानें हैं, आठ-आठ साल हो गये मजदूरों को पैसा जमा नहीं हुआ, आर. जी. सेठ दूलीचन्द मूलचन्द माण्डल, भीलवाड़ा ने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का पिछले कई वर्षों से पैसा जमा नहीं कराया, उनको फण्ड की राशि भी नहीं मिल रही है, यह पैसा समय पर जमा नहीं होने की वजह से मजदूरों को पैसा मिलने में दिक्कत आ रही है, उनका पैसा खतरे में पड़ गया है, इसकी तादाद हजारों नहीं लाखों में है, उनकी रसीद समय पर नहीं मिलती, प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर को जमा कराना चाहिए, उसको जमा नहीं कराकर कारखानेदार अपने पास रख लेते हैं और मजदूरों के खाते में वह पैसा जमा नहीं होता है इससे मजदूरों में असन्तोष बढ़ रहा है, उनको समय पर पैसा नहीं मिलता, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोविडेण्ट फण्ड कमिश्नर को इस बात के लिए निर्देश दिये जायें कि वह शीघ्र कार्यवाही करें और मजदूरों का पैसा उनके खाते में आए। मैंने मन्त्री महोदय से भी कहा था,

(श्री नूरा)

उन्होंने कहा कि इसकी व्यवस्था करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं यह एक दो जगह का सवाल नहीं है, राजस्थान में इस तरह के कई कारखानेदार हैं जो इस तरह से करते हैं, वे पैसा जमा नहीं कराते हैं, इससे मजदूरों में असन्तोष फैल रहा है और समय पर उनको पैसा नहीं मिलता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, इस विषय में कि बाड़मेर जिले की शिव और सिवाना तहसीलों में शीप पाक्स को बीमारी के कारण हजारों की संख्या में भेड़ें मर गई हैं और उससे भी ज्यादा दो साल में कभी तो स्माल पाक्स की बीमारी, कभी शीप पाक्स और कभी गठिया की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार से पिछले दो-तीन सालों से भेड़ों में बीमारियां आती रही हैं और हजारों की संख्या में भेड़ें मर रही हैं। हमारे जिले की इकानामी, विशेष तौर से शिव इलाके में भेड़ों और पशुओं पर निर्भर है और इसके बारे में राज्य सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए, वह नहीं दे रही है और वैक्सीनेशन को व्यवस्था नहीं कर रही है तो यह छूत की बीमारी है शिव और सिवाना में फैली है, आगे और विस्तार होगा। जालोर व जैसलमेर तक विस्तार होगा। तो प्रिवेंटिव मैजर्स लेने आवश्यक हैं। सभी भेड़ों का वैक्सीनेशन करना आवश्यक है। जिन परिवारों का अन्त्योदय में चयन किया गया हैं अधिकांश को शिव इलाके में भेड़ें दी गई, वे लोग गरीब हैं, वे अच्छी तरह से उनको व्यवस्था नहीं कर सकते। उन लोगों की इकानामी और नष्ट हो जाएगी और अपना ऋण भी अदा नहीं कर सकेंगे। आपका जो उद्देश्य है अन्त्योदय योजना में मदद देने का वह फस्ट्रेट हो जाएगा। इस सम्बन्ध में वैक्सीनेशन की बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर जिले में पूरी व्यवस्था करें ताकि यह रोग बढ़े नहीं और भेड़ें अधिक नहीं मरे। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है, प्रकाश डालें।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बाड़मेर जिले की सिवाना और शिव तहसीलों में चेचक की बीमारी से जो भेड़ें मर रही हैं उसकी व्याख्या की है। इस सम्बन्ध में विभाग की व्यवस्था के बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। बाड़मेर जिले में लगभग 8।। लाख भेड़ें हैं। दिनांक 2-4-79 को याने आज से दो दिन पूर्व विभाग को इस बात की जानकारी मिली कि वहां पर भेड़ों में बीमारियां चल रही हैं। इससे पूर्व भी इस सत्र में विभाग ने 8।। लाख भेड़ों में से 42250 भेड़ों को जिनको माता की बीमारी थी, टीके लगाए हैं परन्तु डोज बी. पी. लेबोरेटरी जयपुर में दवाइयां उपलब्ध न होने से हम वहां पर इतनी नहीं पहुंचा सके। मुझे विश्वास है कि 3-4 दिन में लेबोरेटरी, जो जयपुर में है उसमें 3-4 हजार खुराक प्राप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इज्जतगढ़ में इंडियन वेटीरिनरी रिसर्च इन्स्टीटयूट है, स्पेशल मेसेन्जर के जरिए वहां से दवाइयां मंगाने की व्यवस्था की गई है। जोधपुर में पशु रोग अनुसन्धान कार्यालय, जो जयपुर में था, अब जोधपुर में स्थापित किया गया है, वहां पर जो दवाइयां थीं मौके पर पहुंच

(श्री नन्दलाल मीणा)

गई हैं। बाड़मेर जिले में जितने भी प्रसार केन्द्र हैं जो वेटिरिनरी के अन्दर चलते हैं, उनको सतर्क किया गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि भेड़ों में बीमारी न फैले, भेड़ें न मरें क्योंकि उस इलाके में भेड़पालकों की आर्थिक स्थिति भेड़ों पर निर्भर करती है। भेड़ जीव तो है परन्तु वन्द जीव है ऐसी हालत में पहले की तुलना में दवाइयां आने वाले बजट में भी रख दी हैं। मैं आपको इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विभाग जागरूक है, सजग है। दो तारीख को सूचना मिली है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। हमारे पास जो दवाइयां उपलब्ध थीं, सारी व्यवस्था राजस्थान में है। विभाग का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी सजग है, कहीं से भी सूचना मिलेगी तो हम व्यवस्था करेंगे। आपकी भावना के अनुरूप सरकार कटिबद्ध है और बीमारी की पूरी रोकथाम की जायेगी सूचना मिलने के बाद उपचार किया जाता है....

श्रीमती सुमित्रासिंह : वैक्सीनेशन पहले लगाया जाता है, यह कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : मुझे बुखार आएगा तभी तो डाक्टर के पास जाऊंगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : चेचक का टीका बुखार आने से पहले लगता है। वह प्रिवेंटिव मेजर होता है। बाडमेर में 8॥ लाख भेड़ें हैं और टीकों की संख्या अपर्याप्त है। जयपुर में तो टीके हैं ही, बाहर से भी मंगवाए जा रहे हैं, 40 हजार टीके उन्होंने भेजे हैं, कितनी भेड़ें मरी? आप यह भी नहीं समझ सके, मुझे अफसोस है। 8॥ लाख भेड़ों का वैक्सीनेशन हो सके ताकि चेचक की बीमारी उनमें नहीं आए, यह व्यवस्था 5 दिन के भीतर क्या आप करवा सकेंगे?

श्री अध्यक्ष : कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : 8॥ लाख भेड़ों के रखवाले आप हैं, भेड़ें तो बोलती नहीं।

श्री नन्दलाल मीणा : भेड़ों के आधार पर दवाइयों का बंटवारा नहीं होता है दवाइयां बीमारी के आधार पर भेजी जाती हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर आपको लेना पड़ेगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : विभाग ने मंत्री को गलत सूचना दी है या वे समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। चेचक का टीका मनुष्यों को भी बीमारी आने से पहले लगाया जाता है। उसी तरीके से जब एक भेड़ में चेचक की बीमारी फैल गई और आपको पता लग गया कि यह संक्रामक रोग फैल रहा है तो क्या आपका दायित्व नहीं है कि आप सभी भेड़ों का वैक्सीनेशन करा सकें ताकि स्वस्थ भेड़ें भी इस बीमारी से प्रभावित न हों? फिर मंत्री दोहरा रहे हैं कि जब बीमारी आएगी तब वैक्सीनेशन करेंगे।

श्री मूलचन्द डांगा : यह जनता पार्टी का नया रिसर्च है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप भेड़ों के रखवाले हो।

श्री नन्दलाल मीणा : 8॥ लाख भेड़ों में से 42250 को 31 मार्च तक टीके लगवा दिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह अपर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : बाकी के लिए व्यवस्था की जा रही है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर का जैसलमेर पर असर पड़ेगा, फिर जालोर जिले पर पड़ेगा। कितने टीके लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : टीके बीमारी आने पर लगाए जाते हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इस चेचक की बीमारी से कितनी भेड़ें मरी हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : सिवाना व शिव से आने वाले माननीय सदस्यों से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि....

श्री वृद्धिचन्द जैन : मुझे जानकारी है, वे जानकारी नहीं रख रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बाड़मेर में कितनी भेड़ें हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : पाली के माननीय सदस्य बतायें ?

श्री अध्यक्ष : वे सब इन्तजाम कर रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नहीं कर रहे हैं। पहले 8॥ लाख भेड़ों के टीके की व्यवस्था करें, ऐसी व्यवस्था करके जवाब दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : 8॥ लाख भेड़ों को टीके थोड़े ही लगेंगे ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह प्रिवेंटिव मेजर है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मंत्री महोदय मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जिस तरह से आदमी के माता के लिए प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये जाते हैं और उनके कीटाणु खतम कर दिये, ऐसे ही सरकार इनके लिए भी सोच रही है ताकि चेचक की बीमारी भेड़ों में नहीं हो ?

श्री नन्दलाल मीणा : प्रकृति पर प्रहार करना चाहते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रिवेन्टिव तौर पर टीका तो सबको लगाया जाना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : आप रीडर्स डाइजेस्ट पढ़िये, उसमें मनुष्यों के माता के कीटाणु प्रिजर्व रखे हुए हैं क्योंकि वह जानते हैं कि ऐसी बीमारी भेड़ों से आदमियों में नहीं लगे।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी का जो प्रस्ताव है उस पर विचार किया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : जब भेड़ें बीमार हो जाती हैं तो मंत्री महोदय जाकर पूछते हैं या नहीं ?

श्री कल्याणसिंह सांखला : आपकी भी भेड़ें हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : बाड़मेर में भेड़ें बीमार हो गयीं तो आप पधारे या नहीं कि कैसी तबियत है क्या बात है ?

श्री नन्दलाल मीणा : मैं डाक्टर नहीं हूं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप भेड़ों के शुभ-चिन्तक तो हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आपने उत्तर बिल्कुल बढ़िया दिया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय डाक्टर तो नहीं हैं लेकिन पशु-पालकों से हमदर्दी जाहिर करने के लिए वहां जाने की तो आवश्यकता है ?

श्री नन्दलाल मीणा : मैं सारी स्थिति को देखकर आया हूं।

श्री मदनसिंह दांता : He is reading like "Ba, ba, black sheep".

भेड़ के लैम्स होते हैं उन्हें दूध मत चूसने दें जब तक कि बीमारी खतम न हो जाये। Have you stopped that? बीमारी होती है तो दूध बन्द करना चाहिए नहीं तो वह बीमारी भी आ जाती है। इसकी आपने व्यवस्था की या नहीं या ऐसा ही करेंगे ?

Ba, ba, black sheep, have you any wool ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भेड़पालक उपचार के लिए प्रशिक्षित नहीं किये जाते हैं। हमने जिला स्तर पर ऐसी व्यवस्था की है कि जो भेड़-पालक वहां पर हैं उनको दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में एक प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वह समय पर उसका उपचार करा सकें और व्यवस्था करा सकें।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान में प्राइमरी एजूकेशन में पटवारियों द्वारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर टैक्स लगाने के संबंध में दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का इस तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने 31-3-79 को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जिसका कि नम्बर 146 था, जिसमें मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों से कोई फीस ली जाती है जिसका उत्तर दिया कि नहीं ली जाती है ? किसी प्रकार की कोई फीस गांव के किसी भी बच्चे से प्राथमिक स्तर पर नहीं ली जाती

(श्री अब्दुल अजीज)

है। यह उत्तर आने के बाद और उससे पूर्व की स्थिति यह है कि आज भी हमारे गांवों में पटवारियों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कुल फीस घरगैल, घूनीगैल ली जाती है और वह फीस करीब 10 रुपये हो जाती है। 1।। रुपया गेम्स के लिए, 1।। रुपया एग्जामिनेशन के लिए और 50 पैसे तीन स्टेजेज में करके 1।। रुपया यह मेडिकल के लिए लेते हैं। इस प्रकार से 4।। रुपया यह हो जाता है और 5 रुपया फी घरगैल और ले लेते हैं। इस प्रकार से दस रुपया घरगैल गांवों में हर पंचायत में गांव के पटवारी वसूल करते हैं और हमारी सरकार की घोषणा यह है कि प्राइमरी एजूकेशन बिल्कुल फ्री होगी। किसी प्रकार का शुल्क राजस्थान में कहीं नहीं लिया जायेगा।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बाल वर्ष के उपलक्ष में विशेष तौर पर जब कि भारत में बाल वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें हमने कई प्रकार की छूट दी हैं और यहां तक भी छूट दी है कि कोई आफेन्डर भी हो और छोटा मोटा गुनाह कर ले तो ऐसे आदेश हैं कि किसी प्रकार की सजा इस वर्ष में नहीं दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा नम्र निवेदन है और जब कि हमारा अपलिफ्टिंग है कि छोटे छोटे बालकों को पढ़ायें और आगे बढ़ायें और माता पिता के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़े और पढ़ाई की तरफ प्रगतिशील कदम रखें तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कर वसूली गांवों में नहीं हो। यह पूरे राजस्थान का मसला है और कहा जाता है कि यह पंचायतें अपनी व्यवस्था करती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि चाहे गांव की पंचायत ने कोई भी फैसला लिया हो लेकिन वह कर वसूली राजस्थान के कोष में आती है डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली। राजस्थान सरकार का फर्ज है कि छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दे और इस प्रकार राजस्थान सरकार यह कहकर पीछे नहीं हट सकती कि पंचायतों के सरपंच और गांव के लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बात की राजस्थान के लिए घोषणा होनी चाहिए कि किसी भी गांव में किसी भी पंचायत के तहत या किसी भी पुराने फैसले के तहत किसी प्रकार का शुल्क गांवों में नहीं लिया जायेगा। बस मैं इतना ही निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दस रुपया प्रति वर्ष ग्राम पंचायतों के अन्दर प्रति घर से वसूल किया जा रहा है उस सम्बन्ध में जो बातें कहीं, यह किस प्रकार से वसूल हो रहा है यह मेरी जानकारी में है।

बाकी एजूकेशन सैस जो पंचायतों ने लगाया हुआ है तो पंचायत समितियों ने वह सैस लगा रखा है और कोई बकाया है, कहीं तीन, तीन और चार,

(श्री दिग्विजयसिंह)

चार साल का ग्रौर कहीं पांच, पांच ग्रौर दस, दस साल का भी है जो कि वसूल नहीं किया हुग्रा है। हो सकता है पटवारी लोग उस बकाया की वसूली कर रहे हों। ग्रध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियां स्वयं सक्षम हैं इस एजूकेशन सैस को लगाने के लिए ग्रौर राज्य सरकार ने किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया है। यह पंचायत समितियों के ग्रधिकार की बात है ग्रौर ग्रगर वह चाहें तो उस सैस को समाप्त कर सकती हैं। जो बात ग्रापने कही कि 1।। रुपया गेम्स का ग्रौर 1।। रुपया परीक्षा का इस तरह से तीन रुपया ले रहे हैं ग्रौर कुल मिलाकर 10 रुपया वसूल कर रहे हैं तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा कि पटवारी किस प्रकार से वसूली कर रहे हैं। बाकी सैस के हिसाब से बकाया की वसूली कर रहे हैं तो वह पंचायत समिति सैस की वसूली है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार या विकास विभाग बीच में नहीं ग्राता है क्योंकि पंचायत समितियों ने ग्रपने निर्णय के ग्रनुसार यह सैस लगाया है जिसके कि वह ग्रधिकारी हैं ग्रौर वही इसको हटा सकते हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक बाल वर्ष का प्रश्न है इसमें कहना कि सैस को समाप्त कर दिया जाये, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राज पंचायत समितियों में सिवाय इस एजूकेशन सैस के किसी प्रकार का टैक्स लगा हुग्रा नहीं है। यह उनके ग्रधिकार की बात है ग्रौर उनके सोचने की बात है। इस बाल वर्ष में सैस को समाप्त करना चाहते हैं या नहीं यह उनके देखने की बात है। इसलिए ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि बाल वर्ष में हम ग्रवश्य चाहते हैं कि जो सैस की राशि है इसको बाल विकास के लिए ग्रौर बालकों के काम के लिए ही उपयोग में लायें। जैसे ग्राज भी प्राइमरी स्कूलों में कहीं टाट-पट्टियां नहीं हैं, कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं हैं तो हमने ग्रादेश दे दिये हैं कि इस पैसे में से 50 पर्सेन्ट कन्ट्रीब्यूशन मानकर काम के बदले ग्रनाज योजना में काम करा लें ग्रौर 50 पर्सेन्ट पैसा प्राइमरी स्कूल के ग्रन्दर जहां टाट-पट्टियां नहीं हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं हैं वहां वह उपलब्ध करायें ग्रौर जो भी प्राइमरी स्कूल ग्रधूरे पड़े हैं उनको पूरा कराने के निर्देश दिये हैं। बाकी सैस को निरस्त कर दें तो यह हमारी काम्पीटेन्सी में नहीं है।

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : ग्रध्यक्ष महोदय, जब हमारी नीति है कि प्राइमरी एजूकेशन फ्री हो ग्रौर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा तो मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ग्रापको ग्रपनी घोषणा के ऊपर कटिबद्ध होना चाहिए ताकि गांव वालों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़े ग्रौर गेम्स के लिए 1।।) रुपया, एग्जामिनेशन के लिए 1।।) रुपया पहली जमात से 5वीं जमात तक देने वाली राशि है ग्रौर मेडिकल के लिए 1।। रुपया तो राज्य सरकार बच्चों को क्या देती है ? जब सारी व्यवस्था गांव के लोग ही चन्दे से करते हैं तो राज्य सरकार किस मर्ज की दवा है ग्रापके माध्यम से ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि जब ग्रापकी जनता सरकार की स्पष्ट घोषणा है कि बच्चों के परिवार के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा तो ग्रापका यह कहना

(श्री अब्दुल अजीज)

कि यह उनका अपना अरेंजमेंटहै, टाट-पट्टी खरीदें, भवन बनायें। यह सब काम राज्य सरकार का है कि बच्चों की तन्दुरुस्ती का ध्यान रखा जाये, स्कूल का भवन बनें। गांवों में अध्यापक की तन्खवाह के लिये चन्दा कर रहे हैं तो राज्य सरकार क्या कर रही हैं ? मंत्री महोदय ने फर्माया यह पुरानी वसूलियां हैं। मेरा निवेदन है कि आपका करोड़ों रुपया फालतू खर्च हो जाता है। आपकी जनता सरकार की यह पालिसी है कि कोई टैक्स नहीं लगायेगें। इनकी वसूलियां रोकी जायें।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि प्राईमरी एजुकेशन के लिए जो शुल्क है, वह समाप्त होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राईमरी एजूकेशन के लिए कोई शुल्क नहीं है कोई वसूलियां नहीं की जा रही हैं। जो यह कहा गया कि शुल्क लगाया गया हैं, यह गलत है। जैसा मैंनें पहले कहा, राज्य में 232 पंचायत समितियां हैं। हमने कोई एजूकेशन सैस लागू नहीं किया है। कई पंचायत समितियों ने लगाया है कई ने नहीं लगाया है यह उनके काम्पीटेन्स की बात है।

श्री अब्दुल अजीज : टैक्स गांव वालों को तो देना ही पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : किसी पंचायत समिति ने लगाया है, किसी ने नहीं लगाया है।

श्री अब्दुल अजीज : इसलिये वह माफ होना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, कल धौलपुर की पुलिस ने सरमथरा के पास एक ट्रक पर गोली चलाकर एक 14 साल के लड़के की निर्मम हत्या की है। लड़के ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया हैं उसके आधार पर और जो और समाचार मिले हैं उसके आधार पर यह जाहिर होता है कि पुलिस ने निर्मम हत्या की। इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाया जाना चाहिये। गृह मन्त्री जी यहां हैं नहीं, पुलिस की गोली से 14 साल के माईनर बच्चे की निर्ममहत्या हुई है। मैं भाषणबाजी नहीं करना चाहता जब तककी सरकार की तरफ से इस संबध में फैक्ट्स न आ जायें, हम कहना पसन्द नहीं करते। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार को आदेश दें कि इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें, वक्तव्य दें किन परिस्थितियों में गोली चलानी पड़ी। आप आसन की तरफ से उनको बाध्य करें कि सरकार अपनी सुविधानुसार स्टेटमेंट दें ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाये। जैसी हालत है, अखबारों में आया है। दूसरी जगह से मालूम हुआ हैं। उस ट्रक में जिसमें यह बच्चा भी बैठा हुआ था और लोग भी बैठे हुए थे, पुलिस ने गोली चलाई और वह लड़का मर गया। ट्रक के ऊपर गोली क्यों चलाई ? किस आधार पर गोली चलाने की आवश्यकता थी ? 14 साल का बच्चा कोई डाकू भी नहीं हो सकता था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गृहमन्त्री जी नहीं हैं, वे शीघ्र ही इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब देंगे, इसी सत्र में दे देंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : इस सत्र में।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री ने और भारत सरकार के वित्त मन्त्री ने 30 मार्च, 1979 के रोज यह घोषणा की कि जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और पेन्शन का लाभ मिलना चाहिए, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मन्त्री जी इस बात से परिचित होंगे कि राजस्थान सरकार ने समय-समय पर यह आश्वासन दिया है कि जब कभी भी केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेन्शन के बाबत में वृद्धि करेगी उसमें राज्य सरकार भी पीछे नहीं रहेगी, बराबर अनुकरण करेगी। इस बात की घोषणा कई बार सदन में जो-जो मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री रहे हैं उन्होंने की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्री ने यह घोषणा कर दी है कि हम महगाई भत्ता और पेन्शन में जो लाभ उनको मिलना चाहिये, जो उनका अधिकार है, वह मिलेगा। राजस्थान के संयुक्त कर्मचारियों की जो सभा है, यह बात अखबार में भी निकली है कि उन्होंने इस बात के लिये आपसे आग्रह किया है कि हमारी भी इस मांग को स्वीकार किया जाये। आपने कल स्टेटमेंट पढ़ा होगा। लीडर आफ अपोजीशन पार्लियामेंट में हैं उन्होंने यह साफ कहा है—

"On the price front, Mr. Stephen said, the inflation had started to show its ugly head. from 301 in 1976-77, the consumer price index went up to 340 by the end of 1977-78"

योजना मन्त्री जी बात कर रहे हैं, वे इस बात को सुनेंगे। टैक्सेशन के कारण, आपने जो बजट पेश किया है उसके कारण जो मंहगाई और बढ़ी है, सरकारी कर्मचारियों की जो तन्ख्वाहें हैं उनमें उन्होंने बढ़ोतरी की मांग की है। आपने जो पहले आश्वासन दिया था, 1-12-78 से 1 किश्त ड्यू हो गई है। क्या वित्त मन्त्री जी उत्तर देंगे कि 1.12.78 से एक किश्त ड्यू हो गई है ? आज 4 अप्रैल है और आपने उस किश्त की अदायगी नहीं की है। आपके कर्मचारियों ने आपको नोटिस दे दिया है। आपको प्रार्थना पत्र दिया है। राजस्थान की सरकार नम्रता की भाषा, विनय की भाषा नहीं समझती। यह समझते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, हड़ताल पर आ जायें, आन्दोलन करें और काम ठप्प कर दें तो सुनेंगे। मैं चाहता हूं, इस पर वित्त मन्त्री जी कोई न कोई वक्तव्य अवश्य देंगे क्योंकि यह उनका अधिकार है और उन्होंने यहां तक कहा है आपने सदन में आश्वासन दिया है कि वेतन आयोग मुकर्र होगा। क्या कार्यवाही हुई है ? क्या आपने बात चीत की ? जब आपने सदन में आश्वासन दिया, तब भी कुछ नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं,

(श्री मूलचन्द डागा)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अगर उन्होंने कोई ठोस कदम उठा लिया तो आपकी जिम्मेदारी होगी। सरकारी कर्मचारी जिनकी तन्ख्वाह कम है, बाध्य होंगे कि सड़कों पर आयें, भूख हड़ताल करें, काम को ठप्प कर दें तो आपकी जिम्मेदारी होगी।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार का प्रश्न।

श्री मूलचन्द डागा : इस पाइन्ट को वित्त मन्त्री जी कन्सीडर करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय डागा साहब ने जो मोशन रखा है, उसके ऊपर राज्य सरकार विचार कर रही है।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

सर्व श्री घनश्याम सरपंच नौरंग पुरा, रघुवीर सिंह उप सरपंच, मदनलाल शर्मा पुत्र विशम्भर दयाल, निरंजन लाल पुत्र कन्हैया लाल महाजन, नारायण सहाय जाट कूकडला उम्मेद सिंह भूतपूर्व सरपंच व लक्ष्मण सिंह पुत्र जयसिंह निवासीगण नौरंगपुरा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 160 के अन्तर्गत, मुझे विधान सभा आने से जबरन रोकने तथा मेरे द्वारा सदन में उठाये गये भ्रष्टाचार के प्रश्न के लिए धमकी देने सम्बन्धी मामले में, मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है, इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाने की अध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति चाहता हूं।

(व्यवधान)

आप अपने फैक्ट्स से पूरी बात कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : Let him say. We want to hear him on facts.

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रामेश्वर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार के एक गिरोह, जिसमें श्री घनश्याम सिंह सरपच नौरंगपुरा, रघुबीर सिंह, उप सरपंच जो वर्तमान में है उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने इस पवित्र फंड फार वर्क योजना के सम्बन्ध में इन्क्वायरी चालू करी। उम्मेदसिंह भूतपूर्व सरपंच और मदनलाल शर्मा भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ 402 का केस दायर है। ये निरंजन लाल, इनके खिलाफ सहकारिता के घोटाले के सम्बन्ध में थाने में रिकार्ड मंगवा रखा है, उनका केस दायर नहीं हुआ है। इनमें से एक जो गत वर्ष निलम्बित हुआ है। एक उनका भतीजा सवाई माधोपुर में निलम्बित हुआ है। यह लम्बा चौड़ा भ्रष्ट परिवार है। इन्होंने हमेशा पंचायत में जिसमें 40 प्रतिशत हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको दबाने की कोशिश

(श्री रामेश्वर प्रसाद)

की है । फूड फार वर्क की योजना से उन्होंने नाजायज वर्क किया है । इन कामों की शिकायतें की हैं क्योंकि जनता उनके खिलाफ शिकायतें कर रही है । उस मामले को लेकर मैंने उस भूतपूर्व सरपंच के गबन, घोटालों के मामले सदन में उठाये हैं उससे रंजिश होकर काफी दिन से मेरे प्रति एक षड्यन्त्र रचा जा रहा है जिसका मुझे मालूम नहीं हुआ था । जब मैं 1 तारीख को शाम को घर गया और 2तारीख को सुबह वापिस आने लगा तो जो रोड़वेज की गाड़ी आती है, नौरंगपुरा के पास एक छोटा गाव पड़ता है, उस गाड़ी में बैठकर आया तो वह गिरोह 15-20 आदमियों को लेकर पंचायत के पास, जब कि पंचायत के किवाड़ बन्द थे जब वहां गाड़ी आकर रुकी तो पंचायत से निकल कर अध्यक्ष महोदय, वहां बस के चारों तरफ इकट्ठे हो गये और मुझे जबरन खींचकर बस से नीचे उतारा और यहां तक कहा गया कि जो जनता के द्वारा शिकायत की गई है, उसमें तुम हमारी पैरवी करो और हमारे खिलाफ मत जावो । जो घोटाले किये हैं उस बारे में मत बोलो और यदि खिलाफ में बोलोगे तो हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे- इस प्रकार खींचा तानी की गई। दो-तीन आदमी वहां आये तो मैंने उनके साथ अपनी कार्यकुशलता और क्षमता से जिस तरह से व्यवहार करके मैंने मेरी जिन्दगी की रक्षा की, वह मैं स्वयं जानता हूं । उनके व्यवहार और उत्तेजना को देखते हुए कैसे मैंने अपने आपको बचाया, यह मैं स्वयं ही जानता हूं । वहां से दो-तीन आदमियों को लेकर मैंने कहा इस गाड़ी के आदमियों को तो जाने दीजिये । बस को मैंने छोड़ दी और जो आदमी इकट्ठे हुए थे उनको मैंने झूठा आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को मैं निपटा दूंगा । इस प्रकार उनको धोखा देकर और दो-तीन आदमियों को साथ में लेकर जो पास ही में पहाड़ी पड़ती है मैं वहां चला गया और पहाड़ी पर जाकर मैं मगन लाल जायल के द्वारा जयपुर आया । यदि मैं वहां इस प्रकार कुछ नहीं कहता तो न जाने वे क्या करते और अध्यक्ष महोदय, दो-तीन आदमी मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज आपके सामने विचार व्यक्त करने की हालत में न होकर कुछ और होता । इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे साथ जो विशेषाधिकार का हनन हुआ है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं-आम पब्लिक के बीच में जो मेरी मानहानि की है और जो रंजिश देखते हुए कार्यवाही की है मैंने श्रीमान आपकी सेवा में प्रस्तुत की है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप विशेषाधिकार के रखे हैं....

श्री मूलचन्द डागा : Are you contradicting ?

श्री ईश्वर चन्द्र : No, No.

श्री मूलचन्द डागा : आपको क्या जरूरत है, इन्होंने कह दिया है, वह काफी है । Why are you speaking then ?

(84)

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार के प्रश्नों पर बहस नहीं होती है।

श्री मूलचन्द डागा : अगर वे बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। मैं चाहता हूं माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि विरोध इस प्रस्ताव का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तत्पश्चात् और भी नियमों के अन्तर्गत विचार करके व्यवस्था दूंगा। कोई विरोध हो तो बतायें-यह प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यही कहना चाहता हूं विशेषाधिकार के प्रश्न जब सदन में आते हैं और बीच में आबस्ट्रक्ट करते हैं तो यह भी एक विशेषाधिकार का हनन है।

श्री मूलचन्द डागा : अगर माननीय सदस्य इसकी गरिमा जो आ रही है, उसको रोका गया हो....

एक माननीय सदस्य : आप कैसे बोल रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय ईश्वरचन्द्र जी बोलें तो माननीय डागा जी भी बोलें। इस मामले को कम से कम अब समाप्त करिये। मैं यह भी नहीं कहता कि सदन की क्या इच्छा है। मैं कैसे आटो सजेशन दे दूं। एक मिनट देखता हूं।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि कितनी देर रखा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पूर्णतया सदन को अवगत करा दिया है।

श्री माधोसिंह कछवाह : बहुत इम्पार्टेंट बात कही है। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने कही है कि मैं कह नहीं सकता हूं अगर सदन में भी नहीं कहें तो उन्हें आप अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष : मेरा यह अनुमान है कि सदन की यह इच्छा है कि यह मामला विशेषाधिकार का बनता है।

क्या सदन की सम्मति है कि मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को दे दूं ?

(स्वीकृत)

अनुसन्धान जांच एवं प्रतिवेदन हेतु मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वह प्रतिवेदन तीन महीने, चार महीने या जो आगामी सत्र आये तब तक पेश हो जाये।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि उनको जान का खतरा है तो उनकी रक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर दी जाय। ऐसे कोई निर्देश दे दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में, उनके संरक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक समझेंगे तो मुझे मिलेंगे। सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि इसमें यह प्रोवीजन रखा जावे कि इसका प्रतिवेदन आगामी सेशन में पेश हो।

श्री अध्यक्ष : आगामी सत्र तक तो आवेगा ही, माननीय सदस्य।

आधा घण्टे की चर्चा

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था राजस्थान लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह इच्छा जाहिर की थी कि तीन-चार दिन के बाद में सदन में ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मुझे मेरे चैम्बर में मिलिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : Right, sir

आधा घन्टे की चर्चा

हिन्दुस्तान व पाक युद्ध के दौरान आये शरणार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं

श्री वृद्धिचन्द जैन : सम्बन्धित मन्त्री जी खुद नहीं हैं, कौन जवाब देगा, आधा घण्टे की चर्चा पर।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था कराऊंगा, आप चर्चा प्रारम्भ करें, वित्त मन्त्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आधा घण्टे की चर्चा के सम्बन्ध में कौन जवाब देगा, सम्बन्धित मन्त्री महोदय को हाजिर रहना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : आप उचित समझें तो स्थगित करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : गृह मन्त्रीजी नहीं हैं इसलिए स्थगित ही करा दें।

श्री रामनारायण चौधरी : सम्बन्धित मन्त्री को यहां पर मौजूद रहना चाहिए और बिना आपकी अनुमति के श्रीमान् इस तरह से सदन से अनुपस्थित रहना....

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्रीजी स्वयं मुझे मिले हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मिनिस्टर फार पुनर्वास का मामला है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी के पुत्र का फेक्चर हो गया है इसलिए अस्पताल में एडमिट है। इसलिए नहीं आ सकेंगें।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने खुद आ करके मुझे सूचित किया है कि वे आज सदन में आने में असमर्थ होंगे। इसलिए माननीय सदस्य आप चाहें तो स्थगित कर दें।

श्री रामनारायण चौधरी : चलने दीजिए साहब।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जब जवाब नहीं देंगे तो क्या फायदा।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रयास करूंगा कि माननीय केदारजी या और कोई जवाब दे दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इससे तो अच्छा स्थगित कर दें दो-तीन दिन के लिए।

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो स्थगित कर दें।

श्री रामनारायण चौधरी : बड़ा इम्पाटेंट इश्यू है इसका जवाब भी आना चाहिए। अगर आप मुनासिब समझें तो स्थगित करवा दें। मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो इसको स्थगित करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : लेकिन इसी सत्र में आना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : स्थगित कर दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर [संशोधन] विधेयक, 1979

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : माननीय

(87)

(श्री आदित्येन्द्र)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संकल्प है। धीरज से देखिये कोई जल्दी नहीं है।

परिनीयत संकल्प

श्री मूलचन्द डागा : मेरा परिनियत संकल्प है।

यह सदन, "श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1979) को अस्वीकार करता है।"

राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में यह पहली घटना है और जब से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अध्यक्ष पद ग्रहण किया है उसके बाद जनता पार्टी के शासन ने यह कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ पहला काम किया है और वह काम यह है कि इस सत्र के अन्दर, श्रीमान जब आपने तारीख 9 फरवरी के रोज राज्यपाल महोदय ने सत्र को आहूत किया था, वह मैं पढ़ना चाहता हूं—

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतदद्वारा राजस्थान विधानसभा को अधिवेशन के लिए सोमवार दिनाक 26 फरवरी, 79 को प्रातः 11 बजे सवाई मानसिंह टाउन हाल जयपुर में आहूत करता हूं।"

तारीख 9 फरवरी 1979 को आपकी तरफ से यह नोटिस निकला, यह सूचना निकली जिसके द्वारा हमें आहूत किया गया और उसी रोज उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया। जिस रोज की तारीख थी 9 फरवरी 1979 उसी रोज अध्यादेश जारी किया। इसका सबूत राजस्थान के करीब करीब सभी पत्रों में दिया है और वह पत्र राजस्थान पत्रिका को पढ़ रहा हूं 10 फरवरी की, उसमें यह खबर निकली है। राज्यपाल ने जहां आज एक ओर विधान सभा को बजट सत्र के लिए आहूत किया है वहां दूसरी ओर अध्यादेश जारी कर सरकार ने देशी शराब के बिक्रीकर में वृद्धि करने के अधिकार लिए हैं।
इसी तरह से एक पर्सेन्ट की जो बढ़ोतरी की गई है उससे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो जायेंगी।

(2 19 म0 प0)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासन)

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जिस तारीख को यह अखबार निकला है. यह 10 फरवरी का है और 9 फरवरी के रोज यह खबर दी है कि आज ही विधानसभा का बजट आहूत हुआ है और आज ही अध्यादेश जारी किया गया है, यह खबर अखबार में निकली है।

दूसरा पेपर दैनिक नवज्योति है, इसमें लिखा है बिक्री कर की सामान्य दर में एक

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रतिशत की वृद्धि। राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर देशी शराब की बिक्री दर 30 प्रतिशत से साठ प्रतिशत कर दी है और इसकी सूचना पर पूरी खबर उन्होंने दी है।

फिर राष्ट्रदूत अखबार है उसमें भी उन्होंने यही दिया है कि राज्य में बिक्री कर की सामान्य दर में एक प्रतिशत की वृद्धि और यह बताया है कि ज्यों ही सदन को आहूत किया गया है और सदन को बुलाया गया उसी समय राजस्थान की सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया।

श्रीमान्, मैं यह नहीं कहता कि सरकार को अधिकार नहीं है लेकिन, श्रीमान, यह अच्छी परम्परा नहीं है। इसको अच्छी परम्परा नहीं कहा जा सकता कि ज्योंही आप सत्र को बुलायें और उसी समय अध्यादेश जारी करें। सत्र को बुलाने के बाद यह नोटिस निकाला है, यह जो धांधली है उसके लिए, श्रीमान, यह कई बार मैंने कोट किया था पहले भी, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट, इसका पेज नम्बर 532 है इसके अन्दर इस प्रकार की रूलिंग है। उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूगा। "....Mr. Mavlankar based on very sound judgement. I would invite the attention of the Government to see that there is really emergency or urgency justifying the issue of an Ordinance. There should not be much of a hurry about these Ordinances that can wait for the session of Parliament.'

इसमें यह बात भी कही गई है। इमर्जेन्सी और अर्जेन्सी की बात कही गई है। सवाल यह है कि इन्होंने एक तरफ तो विधानसभा का सत्र बुलाया और दूसरी तरफ अखबारों में यह खबर निकली दस तारीख को। दस तारीख के रोज हम को यह मालूम हुआ। मैं चार्ज लगाता हूं इस सरकार पर कि इस सरकार ने जान बूझ कर यह उठाया है इस सरकार ने जान बूझकर इस गजट को पिछली तारीख से, 5 तारीख से निकलवाया। यह गजट कब पहुंचा है जनता के पास, यह मैं पूछना चाहता हूं।

Section 5 (1) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 authorises the State Government to levy tax on sale of goods at such rate not exceeding 33%. In order to increase the rate of tax on sale of country-liquor from 30/. to 60/. of the sale price, it was considered necessary to amend the Rajasthan Sales Tak Act, 1954. Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session, and the matter was urgent, it was considered necssary in the circumstances to promulgate an Ordinance for the above purpose. Hence the Governor made and promultaged the Rajasthan Sales Tax (Amendment) Ordinance on the 5th day of February, 1979."

(श्री मूलचन्द डागा)

अब इसमें इन्होंने यह कहा है कि यह पांच तारीख को निकाला गया है। श्रीमान्, अगर यह गजट 5 तारीख को निकल गया था तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के जो तीन दैनिक पत्र हैं राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत और नवज्योति, ये तीनों अखबार जयपुर से निकलते हैं, इनका प्रकाशन यहां से होता है, यह शाम की खबर सुबह प्रकाशित कर देते हैं। इनको यह खबर 6 तारीख को निकाल देनी चाहिए थी। परंतु सब पत्रों में, समाचार पत्रों में यह समाचार 10 फरवरी को आया है। यानि गजट 9 फरवरी को उनको मिला है। एक ओर तो सरकार इस प्रकार से गलती करती है, और दूसरी ओर जनता के साथ इस प्रकार का धोखा करती है, विश्वासघात करती है और साथ ही यह सरकार साढ़े तीन करोड़ जनता से आचरण सुधारने की बात करती है, नैतिकता की बात करनी है तो यह सरकार कहां तक ईमानदार है? श्रीमान् जब कि 5 फरवरी को, जैसा कि गजट बताता है, यह 5 फरवरी को प्रकाशित हो गया है, एक आर्डिनेन्स निकाला गया है और राजस्थान के सारे अखबारों में और वह अखबार जिनकी प्रति जयपुर से प्रकाशित होती है, उनमें 10 फरवरी को खबर छपी है। जिसको मैंने यहां पर पढ़ कर सुनाया है। हमारी विधानसभा को आहूत करने की सूचना 9 फरवरी को निकाली गई। यह 9 फरवरी को इन्होंने निकाला है और रेडियो पर भी यह अनाउन्स हो चुका था कि विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से बुलाया जायेगा। यह अखबार में निकल चुका था। श्रीमान् इन्होंने, सरकार ने, यह काम कर के विधानसभा का अपमान ही नहीं किया है वरन् विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। नियम 213 है, गवर्नर ने यह आर्डिनेन्स निकाला है तो आर्डिनेन्स बहुत अर्जेन्सी पर या उस कन्डीशन पर निकाल सकते हैं। अगर यह चाहते थे कि सैल्स टैक्स पर प्रोविजन 30 पर्सेन्ट से 60 पर्सेन्ट कर दिया जाए-परन्तु इन्होंने विधान सभा में न आकर अपने अधिकार में यह बात ले ली इस आर्डिनेन्स के जरिये से कि हम 30 से 60 पर्सेन्ट तक ले सकेंगे। श्रीमान्, इस प्रकार से अगर आर्डिनेन्स निकाल दिया जाए तो यह क्या दृष्टान्त होगा जनता को? जिन लोगों को पता नहीं है, जो गांव में रहते हैं, जयपुर में रहने वाले को भी मालूम नहीं है। क्या सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उत्तर आयेगा या माननीय वित्त मन्त्री जी उत्तर देंगे? जिन्होंने अपना माल बेचा है, 5, 6, 7 तारीख को और जिन्होंने सैल्स टैक्स नहीं दिया उनसे लिया क्यों नहीं या उनको मालूम नहीं है? आप कैसे उनसे सैल्स टैक्स वसूल करेंगे, इसका उत्तर देने का कष्ट करें? जनता के पास यह सूचना नहीं पहुंची है। जनता के पास समाचार पहुंचाने के दो साधन हैं। पहला तो अखबार है। समाचार पत्र के द्वारा दस तारीख को यह खबर उन तक पहुंची है। तो दस के पहले उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया है, माल की बिक्री की है, माल बेच दिया है, उनसे कैसे सैल्स टेक्स आप वसूल करेंगे? श्रीमान्, इस विषय पर, इसके लिए कई रूलिंग्स हो चुकी हैं। इस प्रकार जो आर्डिनेन्स गजट में आया हुआ है, उस पर रूलिंग्स हुई हैं। हमारी विधानसभा का सत्र हो रहा है। यहां आकर विधानसभा में यह तय कर लेते

(श्री मूलचन्द डागा)

कि कितना टैक्स लगाना है, कितना बोझा डालना है। आखिर में विधानसभा किसलिए है और यह आर्डिनेन्स किसलिए आप लाए हैं ? इस सम्बन्ध में श्रीमान्, मैं आपकी सेवा में एक रूलिंग पढ़ना चाहता हूं। यह बतलाऊंगा इसमें हमारे व्यापारी, डीलर्स, सब को नुकसान होगा। मैं एक रूलिंग आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं, इनकम टैक्स रिपोर्ट, यह जो मैं आपके सामने पेश कर हूं 1970 की है, इसका पेज नम्बर है 1996.

"Prevention of evasion of Tax by transfer of property for less than market value Notice of proposed acquisition in official Gazette must be within prescribed period. Date of publication, whether date of Gazette or date on which Gazette become available to public"

श्रीमान्, इस सारे जजमेंट में यह बताया है कि जिस दिन लोगों के पास गजट पहुंचा और उसके पहले जो माल उन्होंने बेच दिया जब गजट पहुंच जाता है तब से ही यह टैक्स लग सकता है। उसके पहले से वह वसूल नहीं कर सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस प्रकार का जो यह नोटिफिकेशन गजट में निकाला है, जो पुरानी डेट लगा कर आपने इसको निकाला है, लागू किया है और सारे अखबारों से यह मालूम होता है कि यह 9 तारीख को आर्डिनेन्स निकला है जिस पर 5 तारीख आपने छापी है इसके अन्दर, मैं यह आपके सामने रूलिंग पढ़ रहा था। उन्होंने इस बात के ऊपर जजमेंट दिया है जो पब्लिकेशन, नोटिफिकेशन आर्डिनेन्स आपने निकाला है, वह नोटिफिकेशन जिस डेट को लोगों के पास पहुंचा है उस तारीख से यह लागू माना जाएगा। यह जजमेन्ट है। यह मानते हैं कि यह खबर दस तारीख से लोगों को मालूम हुई है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि 5से10 तारीख के बीच में जिन जिन व्यापारियों ने, डीलर्स ने शराब खरीदी और बेची है. देशी शराब, आपने कौन सा, कितना टैक्स उनसे वसूल किया है, यह बतावे ? क्या यह आपको मालूम है ? फरवरी 5 के आंकड़े आप बतावें। इस प्रकार सरकार ने तीन करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया है। विधान सभा सत्र आने वाला था और इस प्रकार का यह टैक्स

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और सरकार यह कदम उठा रही है इसके लिये मैंने अपना सकल्प पेश किया है और मैं चाहता हूं कि सारा हाउस इस आर्डिनेन्स को जो एक विधेयक की शक्ल ले रहा है और अधिनियम बन जायेगा। इस प्रकार जनता पर टेक्स लाद दिये गये, छोटी-छोटी चीजों पर महंगाई बढ़ गई। मेरा पहला सवाल है, सरकार ने जो आर्डिनेन्स निकाला, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। यह नियमों के और सविधान की धारा के अनुकूल नहीं है। जब आर्डिनेन्स 9 फरवरी को निकाला, सरकार ने 5 फरवरी कर दी। यह गलती जो करने वाले हैं चाहे सैल्स टैक्स विभाग के अधिकारी हों या कोई अन्य, उनको प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिये। वित्त मंत्री जी आपने कब कौन सी तारीख को केबिनेट में निर्णय लिया, कब

(श्री मूलचन्द डागा)

ग्राउट किया और कब प्रकाशित हुआ यह आप देखलें—

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्यथा सारे राजस्थान के पत्रों में 10 तारीख को निकाला है। इससे आपने सदन की अवमानना की है, अपमान किया है और परम्पराओं के विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई। श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 फरवरी को प्रख्यापित राजस्थान विक्रय कर (सशोधन)अध्यादेश,(सख्या 1 सन् 1977) को अस्वीकार करता है।"

सदन के अस्वीकार करने के लिये मैं कुछ तथ्य सदन में पेश करना चाहता हूं। जिन कारणों को लेकर अध्यादेश प्रख्यापित कराया गया वे कोई पर्याप्त तथ्य नहीं हैं। वित्त मंत्री जी, जो प्रोहिबिशन मंत्री भी हैं और उस हैसियत से यह देशी मदिरा पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की सरकार के पास में अथॉरिटी थी, मैं उसे पर्याप्त नहीं मानता हूं। इसलिये 30 से 60 प्रतिशत देशी मदिरा पर टैक्स लगाने के लिये अध्यादेश जारी करवाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी अध्यादेश जारी करायें, जैसा कि सीलिंग एक्ट के सम्बन्ध में भी था तो मन्त्री जी ने दो दलीलें दी थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप लोग फारसाइट काम में नहीं लेंगे। लेकिन यह बहुत गम्भीर मामला है। यह अध्यादेश मनी अध्यादेश है और यह अध्यादेश उस वक्त प्रोमलगेट हुआ है 5-2-79 को जब कि वित्त मन्त्री जी अच्छी तरह से जानते थे कि मैं राजस्थान का वित्त मंत्री हूं और वित्त मंत्री के नाते, बजट सैशन बुलाया जाने वाला है और उसमें बजट भाषण प्रस्तुत करूंगा। उसके जरिये में कुछ टैक्सेशन की घोषणा करूंगा, जिनके जरिये फाइनेन्स बिल लाऊंगा और दूसरे अधिनियमों में संशोधन लाऊंगा। इस बात को राजस्थान के वित्त मन्त्री जी अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें पूरा ज्ञान था। यह जो गांधीवादी वित्त मंत्रीजी ने 5 तारीख को आर्डिनेन्स धारा 213 के नीचे प्रोमलगेट कराया। वह प्रोमलगेट कराने के अन्दर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 5-ए के अन्तर्गत हमारे पास जो शक्ति है, जो अथॉरिटी है वह 30 प्रतिशत लगाने की है टैक्स, क्योंकि यह आवश्यक समझा गया था। आवश्यक इसलिये समझा गया कि इसको 30 से 60 प्रतिशत बढ़ा दें इससे जब आप बजट प्रस्तुत करने वाले थे और 26 तारीख को सत्रारंभ होने वाला था। मंत्री महोदय शायद जानते नहीं हैं, ट्रेजरी बैंचेज भूल भुलैया में चल रही है लेकिन वित्त मंत्री जी बजट सैशन की तैयारी शुरू कर लेते हैं जनवरी में ही और वित्त मंत्री ने इस प्रकार का टैक्स लगाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेग्ना चार्टर का प्रिंसीपल है और वह जगत का सर्वमान्य है। कोई भी टैक्स लगाया नहीं जायेगा जब

(श्री परसराम मदेरणा)

तक कि सदन की अनुमति न ले ली जाय और सदन की सील न लगवा ली जाय। यह इस चार्टर के पीछे भावना है। No tax without rubber consent. जहां भी संसदीय लोकतंत्र है वहां टैक्स कभी भी बजट सेशन के पूर्व लगाने का प्रश्न ही नहीं। बिना विधान सभा की अनुमति के नये टैक्स नहीं लादे जाते, कोई रियायत हो तो अलग बात है लेकिन इन्होंने तो देशी मदिरा की बात कह कर असलियत को छिपाया है।

माननीय वित्त मंत्री, आपने 5 तारीख को प्रख्यापित करवाया 6 तारीख को इस अध्यादेश के द्वारा यह शक्ति आपके पास लेकर एक नोटिफिकेशन 6 तारीख को निकाला। 6 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकाला वह राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 5 के नीचे गजट में प्रकाशित किया गया है कि मैं 30 से 60 प्रतिशत सेल्स टैक्स कर रहा हूं। इसके साथ साथ 6 तारीख को दूसरा नोटिफिकेशन निकला वह आपने नहीं लेकिन आफिस आफ दी एक्साइज कमिश्नर, उदयपुर ने 6-2-79 को निकाला है और उसमें इश्यू प्राइसेज को कुछ बदला है। इसमें कंपेरेटिव फीगर्स नहीं दिये हैं जो इश्यू प्राइसेज हैं उनमें संशोधन किया है, 5 यू. पी का 24. 45, 34 यू.पी. का 10 05, 45 को 7.35 और 60 यू.पी. को 3.65 रखी है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जानता हूं कि सदन के सामने प्रोहिबिशन मंत्रीजी ऐसा चोला पहन कर, ऐसा मुखौटा लेकर आये हैं जो देशी मदिरा पर टैक्स लगा रहे हैं लेकिन-यह लगा कर आमदनी नहीं बढ़ाई। इन्होंने, एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन 6 तारीख को निकाला है, उसमें देशी मदिरा पर एक्साइज की ड्यूटी थी उसको घटाया है और वह इसलिये घटाया है कि ये गांधीवादी प्रोहिबिशन मंत्रीजी भारत सरकार के पास जाते हैं, प्लान का ले-आउट बढ़ाने की बात करते हैं, 7वें वित्त कमीशन, नेशनल डवलपमेंट कौंसिल के साथ दलील रखते हैं तो वे कहते हैं कि आपकी एक्साइज की आमदनी बढ़ती जा रही है तो किस प्रकार का प्रोहिबिशन ला रहे हैं। प्रोहिबिशन में घाटा होगा इसकी पूर्ति के लिये धनराशि चाहिये इसलिये एक तरफ सेल्स टैक्स बढ़ाया ताकि वह आमदनी सेल्स टैक्स में जुड़ जाय और इधर एक्साइज के नीचे जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको कम किया है। कुल मिलाकर देशी शराब जितनी कीमत पर मिलती थी उसी कीमत पर मिल रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार की आंख मिचौनी इस सदन से चलती रहे।

यह किसी भी सभ्य सरकार के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार के लिए शोभनीय बात नहीं है। और यह सत्य नहीं है तो माननीय वित्त मंत्रीजी इसका उत्तर दें। मेरा निश्चित तौर से इस सरकार पर यह आरोप है कि यह जो आर्डिनेन्स प्रोमलगेट करवाया है आर्टिकल 213 के नीचे उसका न तो कोई प्रयोजन था, न कोई उद्देश्य था सिवाय इसके कि नेशनल डवलपमेंट कौन्सिल अौर गवर्नमेंट आफ इंडिया की आंखों में धूल झोंकने के। प्रोहिबिशन के बाद लगातार आमदनी बढ़ी है उसको छिपाने के

(श्री परसराम मदेरणा)

लिए आपने एक तरकीब लगाई है। उस तरकीब को लगाकर आपकी आमदनी तो बराबर हो गई लेकिन वह सैल्स टैक्स के हैड में चली गई। इस प्रकार की कार्यवाही करना और बजट सैशन के पूर्व ही इस सदन को बायपास करना और मैगना चार्टर एक वैल एस्टेब्लिश्ड चार्टर है उसके अन्दर विधान सभा, जिसमें सार्वभौम सत्ता है, सावरन हाउस है। तो हाउस की ऐसी सावरेन्टी को रौंध डाला है पैरों के नीचे। You have compelled it under foot.

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आर्डिनेन्स है यह मनी आर्डिनेन्स है। मुझे यह बता दिया जाय कि पिछली सरकार जिसकी आप बहुत बातें करते हैं, आपको जो चीज अच्छी लगती है वह तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो खराब लगती है तो पिछली सरकार के माथे पर थोप देते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 1952 के बाद में विधान सभा के तुरन्त पहले कोई आर्डिनेन्स बनाया हो इस तरह का, और विधान सभा का सैशन चलने के पहले। लेकिन आपने फरवरी में निकाला है और एक फरवरी को निकाला है। राजस्व मंडल ने 30 दिसम्बर, 1978 को करवाया है क्योंकि वहां पर टाइम एक्सपायर हो रहा था तो उसका एक्स्टेन्ड करना चाहते थे, लेकिन दलील आपकी बड़ी लचर थी हाईकोर्ट की। लेकिन मनी बिल का आप एक भी एग्जाम्पिल बता दें। एग्जाम्पिल है पिछले 26।। सालों में जिसमें टैक्स कम किया है, रिड्यूस किया है जब कि मैं डिप्टी सैल्स टैक्स मिनिस्टर था लेकिन वह भी बजट सैशन के पूर्व नहीं। अगर आप बजट सैशन के पूर्व प्रोमलगेट कराने की अच्छी परम्परा मानते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वित्त मन्त्री जी, कि आपने 7 से 8 पर्सेन्ट जनरल सैल्स टैक्स में इन्क्रीज किया है वह भी उन दिनों में किया 5 तारीख के पास पास। बाकि बजट स्पीच में लाये हैं। तो बजट स्पीच के अन्दर मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन एक्ट के नीचे प्रस्ताव इस सदन के अन्दर रखें, लेकिन उनका कानून के अन्दर आपको अख्तियार था। आपको अथोरिटी थी। लेकिन अथोरिटी होते हुए भी आपने फाइनेन्स बिल में अमेंडमेंट दिया। पहले से ही मोटर व्हिकल्स एक्ट के शिड्यूल में पावर लगा रखी है कि उससे आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए टैक्सेशन प्रपोजल्स स्वयं ने आपने अनाउन्स, हाउस की सावरेन्टी के सामने किये, यह पावर्स होते हुए भी कि आप टैक्सेज बढ़ा सकते हैं। एक तरफ तो आपने यह किया और दूसरी तरफ आपने दूसरे भी कुछ ऐसे मेजर्स लिये हैं जो टैक्सेशन प्रपोजल्स मैं देख रहा हूं कि वह आपके पास पावर्स हैं तो भी इस सदन के अन्दर, सदन की गरिमा सदन की लेजिस्लेटिव कम्पीटेन्स और सदन की सावरेन्टी के अनुरूप आप कुछ प्रस्ताव लाये जिनके लिए टैक्सेशन एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सरकार के पास पहले ही अथोरिटी थी बढ़ाने की। आपको 7 से 8 पर्सेन्ट बढ़ाने की अथोरिटी सैल्स टैक्स और मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन एक्ट में पावर होते हुए भी आपने सदन को कान्फीडेन्स में नहीं लिया। यह दोनों चीजें इसके अन्दर विरोधाभास के रूप में कैसे हैं ?

(श्री परसराम मदेरणा)

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जो बात पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है वह बहुत सीरियस मैटर है और वह सीरियस इस मायने में है कि 6 तारीख को आर्डिनेन्स प्रोमलगेट होता है और 6 तारीख को ही सैल्स टैक्स एक्ट के सैक्शन 5 के अन्दर नोटिफिकेशन जारी होता है और 6 तारीख को ही एक्साईज एक्ट के अन्दर नोटिफिकेशन निकलता है, और इन नोटिफिकेशन्स की इत्तला आम जनता को 10 तारीख को होती है। इसका मतलब यह है कि 10 तारीख को जब इत्तला होती है तो इस सरकार ने जनता के साथ में धोखा किया है। उधर वह टैक्स वसूल करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जनता से, कन्जूमर्स से और जो टेक्स बढ़ा देते हैं तो जो कार्य करते हैं वह वसूल करते हैं, और सरकार को एक ट्रस्टी की हैसियत से जमा कराते हैं। आप यह बतायें कि आपने 5 दिन के बाद में क्यों जारी किया? आप 5 दिन तक कुम्भकर्णी निद्रा में सोते रहे, वित्त मंत्री जी, और राजस्थान की जनता को पता तक नहीं चला। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा चार्ज है। मेरा आरोप यह है कि जो कुछ भी किया गया है श्री डेज के अन्दर सब मामला किया गया है। धोखाधड़ी की गई है। 6 तारीख को आर्डिनेन्स प्रोमलगेट हो और उस पर तारीख, जिस दिन निकले वही होनी चाहिए, लेकिन सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं। मैं जानता हूं जब मेरे पास यह विभाग था तो मैंने कह दिया था कि पहले की तारीख से नहीं निकाल सकते हैं। वह ऐसा करते हैं आर्डिनेन्स प्रोमलगेट होता है 6 तारीख को और उसका जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उस पर भी 6 तारीख बैठा देते हैं जबकि वह नोटिफिकेशन पब्लिश होता है 5-6 दिन के बाद। इस तरह से वह 11 12 को पब्लिश होता है। यदि इस प्रकार की अनैतिक कार्यवाही सरकार के नये टैक्सेशन के मेजर्स में, टैक्स की चोरी करने वाले की बात तो हम सोच सकते हैं कि कानून की ओट में बच निकलना चाहते हैं, लेकिन सरकार थ्री डेज में नोटिफिकेशन निकाले आर्डिनेन्स के प्रख्यापित करने के बाद और राजस्थान की जनता को कुछ पता ही न हो तो यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है और वित्त मंत्री जी और सरकार की नैतिकता पर एक रिफ्लेक्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री महोदय, यह जो चार्ज माननीय परसराम मदेरणा लगा रहे हैं वह काफी गम्भीर चार्ज है और आप शायद अपने उत्तर में इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (संसदीद कार्य मंत्री) : इसका स्पष्टीकरण पहले हो चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, नहीं, आपने पहले कब कहा था?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : विरोधी दल के माननीय नेता उसी बात को रिपीट कर रहे हैं जो सदन में पूर्व में आ चुकी है और सरकार की तरफ से उसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

95

श्री मूलचन्द डागा : कौन सी तारीख को आपने जवाब दिया है और कब यह बात उठी है। यह बिल्कुल झूंठ बात है। पहले कोई बात उठी ही नहीं। मैंने बात उठाई है उसके बाद नेता महोदय ने पुरजोर शब्दों में उसको उठाया है और आप कहते हैं कि जवाब दे चुके हैं और सदन को सन्तोष हो चुका है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने जवाब दिया है स्वयं ने।

श्री मूलचन्द डागा : कब ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : कितनी तारीख को ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : तारीख याद नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : यह आर्डिनेन्स वित्त मंत्री ने निकाला है। आप कहां हैं पिक्चर में ? आप वित्त मत्री जी से फाइल निकलवाइये तो पता चल जायगा कि कब गजट में निकला है और कब आर्डिनेन्स निकला है। यह आपको मालूम हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे इतना जरूर याद है कि माननीय परसरामजी मदेरणा ने इस प्रकार का चार्ज लगाया था तो राजस्व मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण जरूर दिया था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नहीं साहब इसके बारे में दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप इस तरह गलत मत बोलिये। यह अच्छा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय, उपाध्यक्ष, मैं सदन में अनुपस्थित रह सकता हूं, पाली से आने वाले माननीय सदस्य अनुपस्थित रह सकते हैं. यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये मुद्दा यहां पर उठाया गया हो, स्थगन प्रस्ताव के जरिये उठाया गया हो या किसी वाद-विवाद के बीच में यह मुद्दा आया हो और वित्त मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया हो और आपने खड़े होकर, बीच में आप जवाब दे दें। वित्त मंत्रीजी वैसे बीच-बीच में उठते नहीं हैं। वह 29 तारीख को उठे थे जब कि दो-तीन चार्जेज उन पर लगाये गये। प्रोहिबिशन के मामले में तो वह जल्दी उठते हैं। वह शान्ति से उठते हैं। आपने जवाब दिया हो और यह कह रहे हैं कि सन्तोष करा दिया इस सदन को। सन्तोष तो मुझे हुआ नहीं और सन्तोष सदन को हुआ नहीं तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब आप खुद इस बात से कान्शस एक बार बन जाइये कि सन्तोष जो कुछ मैं कह रहा हूं उस बात से हो रहा है. और जब उन्होंने सन्तोष सदन को करा दिया तो यह सदन के सोचने की बात है। यह बात कह देते हैं आप। आप कह तो रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि आर्डिनेन्स किस सैक्शन में इश्यू हुआ है उसका नोटिफिकेशन कब निकला था। दोनों नोटिफिकेशन किस तारीख के हैं ? किस तारीख को निकले हैं ? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आदी बन गये हैं। ऊल-जलूल जवाब देते हैं। कोई भी बात

(श्री परसराम मदेरणा)

कह दें। पहले भी मैंने कहा है कि आपको सम्मति ले लेनी चाहिए। इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, वह लीपापोती है। यह जो भी है, तो यह बात नहीं कही होगी। यह जो केबिनेट की तरफ से हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन दिनों विधान सभा में बहुत ही खराब परम्पराएं डाली जा रही हैं। कोई भी मिनिस्टर खड़ा होकर टैक्स बजट में बोलने लगता है। अपनी घोषणाएं करने लगता है। वित्त मन्त्री जी के अलावा जो दूसरे मन्त्री हैं, वह खड़े होकर रिड्यूस करने की बात कहें। यह गलत परम्परा है। यह बजट प्रपोजल की सीक्रेसी का प्रश्न है। बजट हमेशा दो आदमियों के बीच में रहता है। चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। केबिनेट के दूसरे मंत्रियों को पता भी नहीं रहता है। फाइनेन्सियल क्या प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, यहां हर दूसरे मंत्रियों से अनाउन्स कराया जा रहा है। जिसका जो विभाग है, वह अपने विभाग के बारे में घोषणा कर रहा है। आज यह जो चार्ज लगाया गया है। उनके पास अखबार है। जिसमें 10 तारीख है। तो यह बता दें कि 6 तारीख के आर्डिनेन्स को 6 दिन हो जाते हैं। इसीलिए हमने जो आरोप लगाया है, फाइनेन्स टैक्सेशन की घोषणा करना, एग्जामिनेशन द्वारा अगर सैल्स टैक्स नहीं लगाते तो ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। यह भार गलत डाला है। जनता को मालूम नहीं। किसी व्यक्ति को मालूम नहीं। कन्ज्यूमर को मालूम नहीं। आपने सदन की गरिमा को बायपास किया है। सदन की रेपूटेशन गिराई है। सभी मानते हैं, बोथ हाउसेज आफ पार्लियामेंट में बजट लाने की सेक्रिटी है। उसको आपने धूल में मिलाया है। यह जो आप खतरनाक परम्परा डाल रहे हैं। बजट स्पीच के बाद सैल्स टैक्स बढ़ायेंगे। उसका उल्लेख बजट भाषण में करना चाहिए। यह सब ऐसी परम्परायें डाली जा रही हैं जो इस सदन की सावरेन्टी है, सदन को कान्फीडेंस में लेने की जो बात है, उसका निरादर करना चाहते हैं। उसको गिराना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश नहीं की जाये। जो मनी बिल लाया गया है उससे सैल्स टैक्स बढ़ाकर राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंकी गई है। इन आरोपों का उत्तर भी नहीं है। यह हमने टैक्स को मेजर आर्डिनेंस के जरिये से बजट सैशन से पूर्व लगाकर खतरनाक परम्परा डाली है। मैं पूरे सदन से यह निवेदन करूंगा कि यह जो अध्यादेश वित्त मन्त्री जी लाये हैं, उसको अस्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि—"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1977) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

दल के माननीय नेता ने आर्डिनेंस के जरिये से टैक्स इम्पोज करने के बारे में जो विचार रखे हैं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। मैं कठोरतम शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि जो जनता से सरकार द्वारा आर्डिनेंस के जरिये से, सदन आहूत होने से दो दिन पहले इस प्रकार का घृष्टतापूर्ण प्रयास किया गया है। वह मैं ही नहीं आने वाला इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें तो मैं एक मिनट बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह संकल्प है। आपके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह युक्ति संगत नहीं है।

माननीय वित्त मन्त्री जी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं सपोर्ट तो कर सकता हूं। मोशन जो मूव हुआ है, उसको सपोर्ट तो कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका बोलने का अधिकार है लेकिन तभी जब मैं अनुमति दूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसीलिए अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रिजोलूशन का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे थर्ड रीडिंग में बोल लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : थर्ड रीडिंग में तो पुराना हो जाता है। मैं चाहता हूं वित्त मन्त्री जी के दिमाग में शायद कुछ बातें असर कर जायें। बाद में तो दिमाग पक्का हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पर चर्चा होगी, तब बता देना।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले वाले माननीय सदस्य श्री डागा साहब ने एक संकल्प प्रस्तुत किया है और उसी संकल्प के द्वारा जो अध्यादेश 5 फरवरी को राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित किया गया है। उसको अस्वीकार किया है।

इस सम्बन्ध में माननीय डागा साहब ने कहा है और उसके पश्चात् विपक्षी दल के नेता, माननीय मदेरणा जी साहब ने भी तर्क दिया है। उनसे पहले भी तथ्य दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि सरकार की कभी यह मंशा नहीं थी और न आज है कि सदन को बायपास किया जाये या सदन का अपमान किया जाये। यह ठीक है कि अध्यादेश जिस तिथि को निकला या सदन को आहूत किया गया तो उससे 4 दिन पहले ही प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश की मंशा यह थी कि जो यह सेल्स टैक्स एवं करों की इससे पहले अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत थी, उस सीमा को 60 प्रतिशत करने के लिए अध्यादेश निकाल,

(श्री आदित्येन्द्र)

गया है। ऐसा इसलिए आवश्यक हुआ कि सैल्स टैक्स में कुछ वृद्धि हो और साथ में इश्यू प्राइस को कम करके एक्साईज की आमदनी कम दिखाई जाये। वैसे अगर दोनों टोटल इफेक्ट बिल्कुल निर्धारित था एक तरफ कमी की गई और दूसरा तरफ वृद्धि दिखाई गई। यह ठीक है, जैसा विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा है कि हमारी मन्शा यह थी कि एक्साईज की आमदनी कम दिखाई जाय और सैल्स टैक्स की आमदनी ज्यादा हो, जिससे कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट से हमको कुछ ज्यादा मिल सके। इसमें मैं फिर माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक दो दिन पहले मन्त्रिमडल में भी, मैं आपको निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता, इस सम्बन्ध में विचार करके निर्णय लिया गया था। गवर्नर साहब के यहां से सैंक्शन ली थी और 5 तारीख को इसको प्रोमलगेट किया। 6 तारीख को राजस्थान के एकस्ट्रा आर्डिनरी गजट में नोटिफिकेशन निकाला गया कि एक्साईज की इश्यूड प्राइस कम की जाय। जो पहले साल में थी वही रखी गई थी, इस समय वह बढ़ा दी गई थी और उसको फिर घटा दिया गया है। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अनादर की भावना या अपमान की भावना बिल्कुल नहीं थी।

दूसरी बात, उससे कुछ दिनों पहले सैल्स टैक्स की दर सात पर्सेन्ट थी जो आठ पर्सेन्ट कर दी गई थी। वह इसलिए की गई थी कि, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस समय योजना आयोग के सामने यह तय किया जा रहा था कि वार्षिक योजना कितनी हो, उससे पहले इस बात की जरूरत थी कि कुछ वित्तीय साधन योजना आयोग के सामने हम दिखायें और योजना आयोग के सामने हमने बताई कि हम 7 पर्सेन्ट की जगह 8 पर्सेन्ट करेंगे। वैसे सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उसके अधिकारों से बाहर हो क्योंकि 8 पर्सेन्ट वह कर सकती थी, इसलिये 8 पर्सेन्ट जो किया है वह अच्छी दृष्टि से किया है जिससे कि योजना का आकार बढ़े इसीलिए हमने वहां जाकर बताया कि ऐसा करने से हमारे वित्तीय साधनों में वृद्धि होगी और योजना का आकार बढ़ा है, मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुद्दे उठाये थे उस एक मुद्दे का माननीय वित्त मन्त्री ने कृपा करके उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा था आप फाइल मंगाकर देखिये कि आपने कौन सी तारीख में दस्तखत किए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नम्रता पूर्वक आपके जरिये माननीय वित्त मन्त्रीजी से मैंने पूछा था कि आपके दस्तखत किस तारीख के हैं, सारे अखबारों में खबर निकली है 10 तारीख को। क्या आपने प्रेस को, जर्नलिस्टों को इकट्ठा किया और किया तो कब किया? 5 तारीख को गजट में निकल गया, क्या आपने ऐसी महत्वपूर्ण बात को सारे अखबारों में प्रकाशित करने के लिए कभी प्रेस को बुलाया और कहा कि एक की जगह दो या 30 की जगह 60 करते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं सारे अखबार राजस्थान के कहते हैं कि 10 तारीख को मालूम हुआ, राजस्थान पत्रिका ही नहीं, राष्ट्रदूत ही नहीं, सभी अखबारों ने निकाला कि 10 तारीख को मालूम हुआ, 9 तारीख से सैंशन

(श्री मूलचन्द डागा)

बुलाया गया, और नोट भी मैंने पढ़ा है। आप हमको यह बताइये कि क्या आपने प्रेस कान्फ्रेन्स की थी उन दिनों में, या आपने जन सम्पर्क विभाग को इत्तला कब की?

तीसरी बात यह बताइये कि 5 तारीख से लेकर 9, 10 तारीख तक किन किन व्यापारियों से आपने इस रेट से सेल्स टैक्स लिया है? एक ही व्यापारी बता दीजिये तो मैं मान लूंगा आपकी बात को, मुझे एक भी उदाहरण दे दीजिये कि उस व्यापारी ने 6 तारीख को, 7 तारीख को या 8 तारीख को 60 पर्सेन्ट देशी शराब पर टैक्स ले लिया। इन चीजों की बिक्री हुई है, मुझे वह रसीद बता दीजिये, मैं मान लूंगा जो डीलर ने माल बेचा उसने यह टैक्स ले लिया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के कोने-कोने में रहने वाले व्यापारी हैं, डीलर हैं जिसने यह टैक्स नहीं लिया, उनको मालूम नहीं पड़ा। आपने गजट में कैसे निकाला? उसके बाद अखबारों में आना चाहिए। एक-स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में आपने निकाला है तो अखबार वाले तो इतने जागरूक हैं कि दो घण्टे में दिल्ली की खबर को एक घण्टे में छाप देंगे। यही तो एजेन्सी काम करती है। सारे अखबारों में निकला है कि आज मालूम हुआ, इसलिए मुझे शक है कि जैसा अभी विरोधी दल के माननीय नेता ने भी चार्ज लगाया, मैंने भी पहले कहा और आज भी कहता हूं कि सरकार की ईमानदारी और अवधि से बाहर आ जायगा, इसलिए उस सरकार को शासन में नहीं बैठना चाहिए। जनता पार्टी का शासन आने के बाद राज-नीतिक मानदण्ड बिल्कुल नहीं रहा। पब्लिश

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हुआ नहीं, मुझे आप तारीख बताइये जिस दिन आपने दस्तख्त किए हैं? गजट और प्रेस में किस तारीख को दिया, यह बता दीजिये या किस डीलर से टैक्स लिया? अब आप क्या करेंगे, 5 तारीख से लेंगे, 6 तारीख से लेंगे या कब से लेंगे? इसलिए जो मुद्दा मैंने उठाया था उन मुद्दों का उत्तर नहीं मिला है इसलिए मैं सदन से कहूंगा कि मैंने जो संकल्प दिया है उसको स्वीकार किया जाय और आर्डिनेन्स को रद्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मन्त्री महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में एक जानकारी करना चाहूंगा, टैक्सेशन प्रपोजल्स के बारे में आपने टैक्सेशन डिपार्टमेंट को किस तारीख को इन्फार्म किया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक ही टैक्स लिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। आपने एक दलील दी कि 7 पर्सेन्ट से 8 पर्सेन्ट कर दिया और यह कहा कि मेरे पास अथॉरिटी है, उसको इस्तेमाल करते हुए योजना के आकार के लिए टैक्स लगाया। दूसरे टैक्स आर्डिनेंस के जरिये कम कर दिया, इस तरह से कुल मिलाकर बराबर टैक्स रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि पहले वाले में योजना का आकार था और दूसरे में योजना के रिसोर्सेज में तो कोई मदद नहीं मिली और आपने 7 से 8 पर्सेन्ट किया, वह भी फरवरी में किया। उससे योजना का कितने

(श्री परसराम मदेरणा)

करोड़ का आकार बढ़ गया, उसकी वजह से आपको योजना में कितना धन ज्यादा मिल गया ? योजना में यूं धन नहीं मिलता है कि आपने 7 से 8 पर्सेन्ट टैक्स कर दिया। वे तो टैक्सेज का कलेक्शन होने के बाद में जब वे आश्वस्त हो जाते हैं, तब राष्ट्रीय विकास परिषद विचार करती है इसलिए यह जो दलील आपने दी कि योजना का आकार बढ़ाने के लिए ऐसा किया, यह लचर दलील है।

श्री शिवचरण सिंह : आपने देशी शराब पर तो एक्साईज ड्यूटी 30 से 60 प्रतिशत कर दी लेकिन अंग्रेजी शराब पर ऐसा नहीं किया क्योंकि बड़े आदमी वह शराब पीते हैं उनको ओबलाइज करने के लिए 30 से 60 प्रतिशत उस पर नहीं किया। केवल देशी पर किया क्योंकि देशी शराब गरीब ही पीते हैं। इसका स्पष्टीकरण करिए।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष जी, मैंने अभी कहा है कि यह टैक्स केवल शराब पर लगाया गया था। यह 6 तारीख से ही प्रभावी हो गया उनको 6 को ही सूचना दे दी गई और जो इश्यू प्राइस डिस्टलरीज की ओर से थी, सरकार ने उतना ही चार्ज किया। इसी तरह से जो टैक्स 6 प्रतिशत का था वह भी उसी तारीख से प्रभावी हो गया। विरोधी दल के नेता ने जो बात कही है, यह दूसरा 7 से 8 प्रतिशत का नोटिफिकेशन निकाला था। राज्य सरकार की अधिकार की बात थी। यह इसलिए किया गया कि पहली जो योजना बनाई गई थी वह 235 करोड़ की थी उस समय हमने कुछ वचन दिये थे कि हम अपने वित्तीय साधनों को कुछ बढ़ायेंगे, वे वित्तीय साधन हम नहीं बढ़ा सके केवल 6 करोड़ ही, वह भी शराब पर टैक्स लगाकर साधन बढ़ा सके। इसलिए जब योजना आयोग के सामने गए तो लगभग 6 करोड़ के साधन हमने बढ़ाए और इस आश्वासन के बाद 275 करोड़ की योजना बनी। जब हमने साधन बढ़ाने का आश्वासन दिया तब यह 275 करोड़ की योजना बनी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को अस्वीकार करने का जो परिनियत सकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्व मन्त्री न तो शराब पर बोले, कभी भी वे पाप में भागीदार नहीं होते हैं, दूसरों से करवा देते हैं।

विचारार्थ प्रस्ताव

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1979 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों के प्रस्ताव, विधेयक को जनमत जानने हेतु एवं प्रवर समिति को भेजने के लिए प्राप्त हुए हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रामनारायण चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री मूलचन्द डागा : गिरधारीलाल जी की सीट कहां है, बोलने के लिए कहां से खड़े हो रहे हैं? नियमों में प्रावधान है कि अपनी जगह से ही सदस्य बोल सकता है, हर समय जगह बदलते रहते हैं। या तो यू. आई. टी. में जाकर वहां से बोलें।

श्री प्रद्योतसिंह मकासर : कन्फर्म किया जाए कि गिरधारीलाल हैं या रजनीश।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री की सेवा में मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले तो जो उन्होंने देशी शराब पर 30 से 60 पर्सेंट कर बढ़ाया है दूसरे किसी राज्य में ऐसा नहीं है। अब यह अन्य किसी वस्तु पर नहीं लगेगा. एक बात गाइड लाइन के आधार पर साफ होनी चाहिए।

दूसरे, कर मुक्त व कर युक्त दो माल हैं। उदाहरण के लिए सांगानेर का कपड़ा यदि कर मुक्त है तो आपने रंग पर एक पर्सेन्ट से बढ़ाकर 12 पर्सेंट कर दिया तो स्वाभाविक रूप से वह कपड़ा जो किसी कुटीर धन्धे को प्रोत्साहित करता है उसको हमने महंगा कर दिया। इसी प्रकार कृषि के उपकरणों पर यदि हमने कर-मुक्त कर दिया पर अन्य जो कच्चा माल है जो उसके काम में आता है उसको कर युक्त कर दिया तो वह बात ठीक नहीं होगी। 1963 में भी कांग्रेस पार्टी बिल लाई थी और उनको वापस लेना पड़ा था। ऐसा लगता है कि कहीं वही का वही बिल वापस सदन में आ गया हो और आपने मुलाहिजा न किया हो। इसके बाद जुर्माने का जो आपने प्रावधान रखा था वह टैक्स के आधार पर नहीं आपने दिनों के आधार पर रख दिया। यदि कोई आदमी नहीं देगा तो प्रतिदिन 10) के हिसाब से जुर्माना होगा। किसी के पास एक लाख है, तो भी 10 रुपए, एक करोड़ हैं तो भी 10 रुपए, 100) हैं तो भी दस रुपए। यह सही नहीं है। इससे बड़े आदमियों को लाभ होगा, छोटे आदमी को नहीं। इस पर भी गंभीरता से विचार करें।

आपने एक प्रोविजो लगाया है।

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recored in writing in any particular case extend the period specified in this clause by a further period not exceeding six months.

व्यापारी को सुने बिना कमिश्नर को आपने यह अधिकार दे दिया, यह भी वाजिब नहीं है। इस पर भी विचार करें। मान लीजिए किसी केस में कमिश्नर ने निर्णय दे दिया कि इस पर कर नहीं लिया जाएगा और वह गरीब व्यापारी टैक्स दे दे तो कमिश्नर की आज्ञा का उल्लंघन हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर निर्णय होगा कि टैक्स

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लिया जाना चाहिए। ऐसी हालत में आप केवल उनसे कर लें। लेकिन आपने प्रावधान रखा है कि कर व ब्याज दोनों लेंगे। व्यापारी का कहीं पर दोष नहीं है। कर लेना बन्द किया कमिश्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि कर लेना है तो उससे केवल कर लें, ब्याज किस आधार पर वसूल करने जा रहे हैं?

इसके अलावा बजट भाषण में आपने कहा था कि 18 प्रतिशत से हम 15 प्रतिशत करेंगे। लेकिन जो 12 प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 15 कर दिया। यह बजट विरोधी एक बात है। आपको कमिश्नर को स्पष्ट रूप से अधिकार देने चाहिए। इसके अलावा आप व्यापारी से ब्याज लेते हैं 18 पर्सेंट और देते हैं 4 पर्सेन्ट। आयकर कानून में नियम है कि जितना पर्सेंट ब्याज लोगों से लेते हैं उतना पर्सेन्ट ही वे लोगों को देते भी हैं। आपके लेने के तराजू और, देने के तराजू और। यह 4 पर्सेंट भी केवल कागजों पर लिखा रहता है, वह व्यापारी को नहीं मिलता है, इस असंगति को दूर करें।

इसके बाद सेल्स टैक्स ट्रिब्युनल बनेगा, राजस्थान में इसकी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। आपके उत्तर में यह बात स्पष्ट हो जाये कि वह सेल्स टैक्स ट्रिब्युनल कब तक बन जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्तिम निवेदन मेरा यह है कि जब बोर्ड है और कोई अपील करेगा तो उसको मौका मिलता नहीं है और हाईकोर्ट में जायेगा और हाईकोर्ट कहेगा कि यह व्यक्ति अपील करना चाहता है तो फिर वह वापिस बोर्ड में इसके लिए जायेगा तो समय तो सम्पूर्ण बोर्ड ही खा जायेगा व्यापारी अपील कहां से करेगा? इसलिए सैकिण्ड अपील में व्यापारी भी खुले रूप से जा सके बिना रोकथाम के। यह मेरी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपकी सेवा में निवेदन की हैं। मैं समझता हूं कि आप जब हमारे वित्त मन्त्री हैं तो हमारी पार्टी की छवि भी भली प्रकार से निखरे इसके लिए मैंने छोटे मोटे सुझाव आपकी सेवा में पेश किये हैं उन पर आप थोड़ा ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा

श्री मूलचन्द डागा : दोनों से एक ही आवाज आयेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष जी........

श्री मदनसिंह दांता : मैं तो समझा था कि आप भूख हड़ताल पर बैठी हैं उनके साथ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) मैं समझती हूं कि मैं इसका उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगी कि जब मीसा में चुनाव लड़ा था और लोगों से कहा था और घोषणा पत्र में भी लिखा था कि हम सैल्स टैक्स हटा देंगे। दो साल तो हो गये हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ। यह नीति का प्रश्न है। कौन सा राज्य पहल करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस तरह के बिल नहीं लायें और आप कृपा करके अपने दल को प्रेरित करें और गांधी जी की समाधि पर कसम खाकर हम यहां आये हैं। मैं समझती हूं कि आप घोषणा पत्र और पार्टी की रीति नीति के अनुसार बिक्री कर को हटाने की बात है, मैं समझती हूं कि इसमें राजस्थान पहल करे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप सरकार को मनायें, आप केबिनेट के एक समर्थ मन्त्री हैं। मैं समझती हूं कि जो हमारी रीति नीति है उसको मनवा के लिए आपको सतत् प्रयत्न करना चाहिए। जो आप यहां बिल लाये हैं यह बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। इसको आप चाहे जनमत जानने के लिए भेज दें कोई स्वीकार नहीं करेगा। इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जनता पार्टी की सरकार खूबसूरत बातें करती हैं और जनता के सामने अच्छे अच्छे वादे करते हैं........

श्रीमती सुमित्रा सिंह : थोथे वादे करती है।

श्री मूलचन्द डागा : उनके लिए तो जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने बहुत कुछ कह दिया है। आज मुझे यह पूरा मालूम हो गया है कि जनता पार्टी की सरकार अपने खुद के विधायकों को कान्फीडेन्स में नहीं ले सकी ...—

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप खुद सरकार में रह चुके हैं। जिसने आपातकालीन स्थिति में अत्याचार किये और आप बोले नहीं। हम वह हैं जो रीतिनीति तय करके आये हैं अपनी सरकार से मनवाने के लिये आपकी तरह मूकदर्शी नहीं हैं। सरकार पहल करे यह मैं कहना चाहती हूं। आप लोगों की जुबान तब नहीं खुली।

श्री सूरजपालसिंह : आपकी न रीति है और न नीति है। आप तो आमरण अनशन पर नहीं बैठीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको जनतन्त्र में छूट है। उस समय आप नहीं बोले। आपकी जुबान सिली हुई थी।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आपातकाल नहीं है और बड़ा अच्छा काल है। एक बात साफ हो गयी कि आपातकाल से भी ज्यादा खतरा

(श्री मूलचन्द डागा)

है। और आपातकाल से भी ज्यादा खतरा नहीं है तो आप अपनी पार्टी मीटिंग में पहले पूछते कि किस प्रकार के टैक्स लगा रहे हैं। सारे उद्योग चौपट हो जायेंगे। आपके कमिश्नर को ज्यादा अधिकार मिल जायेंगे। जनता में असंतोष फैलेगा। हमने यह वादा किया था कि हम राजस्थान में सैल्स टैक्स माफ कर देंगे। आप अपनी पार्टी में कोई बात कहते नहीं हैं। शायद वहां किसी का भय है, आतंक है और उसका कारण एक ही है कि सारी शक्ति एक ही व्यक्ति ने अपने हाथ में केन्द्रित कर ली है........

एक माननीय सदस्य : यह बिक्री कर पर बोल रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह आपकी बुद्धि का बिक्री कर हो गया है। आपने बुद्धि को बेच दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको पढ़ने का टाइम मिलता नहीं फिर बिल पर कैसे बोलें। नीति की बात तो हमने कही थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या बिराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्षा महोदय, जयपुर देहात से आने वाली माननीय सदस्या को थोड़ा कन्ट्रोल तो कीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : महिलाओं को बोलने दीजिये नहीं तो कोई और खतरा हो जाता है। उनको अधिकार है वह चाहे जब बोलें। आपने अच्छा किया उपाध्यक्ष महोदय, कि जब महिलायें अपने भाव प्रकट करें और जब विह्वल हो जाती हैं तो आप इजाजत देते हैं। मैं आपका आभार मानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि महिलाओं को आप उदारता से हमेशा ही अवसर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने के लिये क्यों कहा ? राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान की सरकारें यह मान चुकी हैं कि सारी सरकारें नौकरशाही के कहने पर चलती हैं। यह मन्त्री मण्डल से सारे काम नौकरशाही ही करवाती है। मार्च का महीना आता है तो कहते हैं कि हमें घाटा है। सारी जनता की क्रय शक्ति छीनकर नौकरों के हाथ में देना चाहते हैं और यह मानी हुई बात है कि हमारी 3 लाख की जमात है सरकारी अधिकारियों की। इस लोकतन्त्र को खाने वाली ही दो जमात हैं एक तो पूंजीपति और दूसरी नौकरशाही, यह लोकतन्त्र की जड़ें खोद देंगे। घाटे का बजट पिछली साल पेश किया और इस साल भी पेश किया। उन्होंने पूछा कि क्या करें ? टैक्स बढ़ा दो। जो अधिकारी वित्त मन्त्री जी की मेहरबानी लेना चाहते हैं तो कहते हैं कि मेरा एक प्रपोजल है। मैं टैक्स बढ़ाने की राय देता हूं। वह कहते हैं कि हरियाणा में ज्यादा है तो ठीक है, पंजाब में ज्यादा है तो ठीक है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि हरियाणा की पर-केपिटा इनकम क्या है, पंजाब की पर-केपिटा इनकम क्या है, महाराष्ट्र की पर-केपिटा इनकम क्या है, लेकिन अधिकारी जिसको मालूम है कि मुझे अच्छी

(श्री मूलचन्द डागा)

तनख्वाह मिलती है उसने गरीब का जीवन नहीं देखा। वह काम नहीं करता है खेत में। और जो सांगानेर की साड़ियां छापता और मेरे यहां का पाली का काम करने वाला आर्टीजन है वह रंग लेने आयेगा तो उसको 12 पर्सेन्ट टैक्स देना होगा। कच्चे माल पर भी आपने टैक्स लगा दिया। खाती, सुथार और लुहार जो चीज खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। यह जो पहले माफ था उसको बढ़ा दिया। नहीं तो फार्म 17 लेकर जाता और कहता कि मैं मैनुफैक्चरर हूं, काम करता हूं, आर्टीजन हूं मुझे टैक्स नहीं लेना लेकिन इन्होंने जो माफ था उस पर भी टैक्स लगा दिया। कच्चे माल पर भी लगा दिया। राजस्थान में जो बिक्री कर है उस बिक्री की समस्या का निराकरण क्या होगा? मैंने जनमत जानने के लिए क्यों कहा ? वित्त मन्त्री जी आपको मैं कहना चाहता था लेकिन आपको समय ही नहीं मिला क्योंकि आपने शराब की प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह बन्द कराऊंगा तो आपको मालूम ही नहीं है कि टैक्स प्रपोजल क्या है।

श्रीमान, आप जानते हैं कि 30 का 60 पर्सेन्ट किया है लेकिन आज राजस्थान में एक बात मालूम हो गयी कि राजस्थान का योद्धा असेम्बली का योद्धा जो अपने वचन का पक्का रहा और बात का धनी रहा वह एक ईमानदार योद्धा रहा और वह राजस्थान का एक प्रतीक अपनी बात पर अडिग है, आपकी ढिलमिल नीति के कारण कि हम शराब बन्दी करना चाहते हैं, किसने कहा था आपको ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें दूसरा सवाल यह है कि अगर रिटर्न देरी से पेश करते हैं। मान लो, एक महीना दे दिया, दूसरे महीने दे दिया, तीसरे महीने नहीं दिया, तो आप कहते हैं कि सारी रकम का जो टोटल होता है उसका आधा लिया जायेगा। मान लो मुझे एक हजार रुपया देना है और 800 दे दिये तो बाकी के 200 रुपये के आधा नहीं बल्कि 1000 का आधा, पांच सौ रुपये देने पड़ेंगे। क्या व्यापारी अपनी आय में से देगा ? सारा भार कन्ज़्यूमर पर डालेगा। आपने रखा 10 रुपये रोज का जुर्माना देगा, मान लो तीन महीने नहीं करे तो कितना रुपया टैक्स हो जायेगा ? सारी जनता जानती है कि सैल्स टैक्स का डिपार्टमेंट कोई ईमानदार या दूध का धुला हुआ डिपार्टमेंट नहीं है। सारे व्यापारी परेशान हैं। यह आपका जो क्लाज 6 है उसमें यह प्रावधान डाल दिया। बड़े दुःख की बात कहना चाहता हूं कि आप एक समय निश्चित करें, 5 साल का, तीन साल का या कोई भी समय निश्चित करें। आपने कौन सा कानून बना दिया कि कमिश्नर 6 महीने में वापिस जांच कर सकता है। मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं यह इनकम टैक्स का जो सैक्शन 153 है।

"Time limit for completiom of assessment and re-assessment.-No order of assessment shall be made undersection 143 or section 144 at any time after-the expiry of 4 years...."

एक भी ऐसा कोई प्रोवीजन बता दें इस इनकम टैक्स के अन्दर। मेरा पीरियड खतम

(श्री मूलचन्द डागा)

हो गया कमिश्नर की दया पर जिन्दा रहूं। कोई रीजन नहीं कमिश्नर उसको ओपन कर सकता है। यह कैसा कानून है? यहां इन्होंने पेश किया कि कमिश्नर को पावर हो गई He can extend period for six months. आप यह कहां से लाये हैं? आप देख लीजिये क्योंकि हर चीज की बारीकी में जाते हैं। सेल्स टैक्स में यह प्रोवीजन्स दे दिया :

"Provided thht the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing in any particular case extend the period specified in this clause by a further period not exceeding six months."

5 साल तक इनकम टैक्स के केसेज होते नहीं। आज भी 56-57 के टैक्स हो रहे हैं। एक बात जो बार बार वित मत्री जी ने यहां पर कही थी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि हम राजस्थान में टैक्सेज का सरलीकरण करेंगे। इस सेल्स टैक्स की बारीकियों को नहीं जानते। टैक्स प्रेक्टीशनर दलाली करता है और ए. सी. टी. ओ. के द्वार पर घूमता है। इस पर इतने अमेंडमेंट्स होते हैं हर साल दो तीन अमेंडमेंट आ जायेंगे। न आदमी पढ़ सकता है, न समझ सकता है। दूसरा आपने रेवेन्यू बोर्ड में आई. ए. एस. आफिसर्स को बैठा दिया। कई बार सदन में चर्चा हो गई कि आई. ए. एस. आफिसर्स और जो काबिल नहीं हैं जिनमें योग्यता नहीं है आप मेहरबानी करके रेवेन्यू बोर्ड से हटायें, बार बार हमने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, काफी समय ले लिया, चर्चा समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपकी बात तो मान लूं, चर्चा समाप्त कर दूं लेकिन तीन करोड़ जनता समाप्त नहीं करने देगी। जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मैंने इसलिये कहा है कि यह बिल जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे। यह आपने विधेयक पेश किया है। पहले तो सेल्स टैक्स का आर्डिनेन्स लाये और कानून जोड़ दिया इतने जोड़े कि 15, 16 क्लाजेज हैं। मैं थर्ड रीडिंग पर अपनी बात और कहूंगा अभी जो मेरा प्रस्ताव है जनमत जानने हेतु परिचालित करने का, उसको स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह मकासर

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर : शंकरलाल जी ने कहा था, मैं बोल दूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह का प्रावधान नहीं है। आप स्वयं जानते हैं। आप संक्षेप में बोल दें।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत शुक्रिया ग्रदा करता हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया। खास तौर से एक पाइन्ट पर माननीय मंत्री जी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि सैल्स टैक्स और टैक्सेशन बहुत काम्पलीकेटेड सबजेक्ट बन गया है। यह टैक्स प्रेक्टीशनर्स सब स्पेशेलिस्ट हैं। ग्रभी डागा साहब ने अपनी चर्चा में कहा कि हाईएस्ट ग्रथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी रेवेन्यू बोर्ड है और रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जो बैठने वाले हैं वह टैक्स एक्सपर्ट बहुत कम हैं, हैं ही नहीं। ऐसी सूरत के अन्दर जो केसेज रेवेन्यू बोर्ड में जाते हैं उनके डिसीजन में डिले होती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि टैक्स ट्रिब्यूनल अदर देन दी रेवेन्यू बोर्ड अलग बनना चाहिये। यह ग्रहम सवाल है। रेवेन्यू बोर्ड के तीन मैम्बर कम कर दीजिए और टैक्स की ट्रिबूनल अलग बनाई जाये क्योंकि सेल्स टैक्स के मैटर्स, मोटर व्हिकल टैक्स. एन्टरटेनमेंट, टैक्स, पैसेन्जर टैक्स, ऐसे टैक्सेज हैं इनके अन्दर एक्सपेरीयन्स्ड गवर्नमेंट सर्वेट्स बड़े असें तक काम किया हो वह उस ट्रिब्यूनल में में बैठेगा, तो राज्य सरकार के खिलाफ जो अमूमन फैसले हो जाते हैं, वे नहीं होंगे। रेवेन्यू बोर्ड में स्टे आर्डर दे देते हैं, स्टे आर्डर मिल जाता है, बिना समझे ही स्टे मिल जाता है। अगर हाई कोर्ट में पेन्डिंग हो तो समझ में आता है, रेवेन्यू बोर्ड में पेन्डिंग पड़े हुए हैं। इस पर आप सोचें। टैक्सेज ट्रिबूनल अलग बनाईये। इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर नहीं होगा। केसेज का स्पीडी डिस्पोजल होगा, रेवेन्यू लासेज नहीं होंगे। पब्लिक को भी आराम मिलेगा और सरकार को भी। इसलिए यह मांग करता हूं और खास तौर से हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, सरकार के बहुत ही एक्टिव मिनिस्टर, मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए है। मेरे कहने का मतलब है कि टैक्सेज ट्रिबूनल अलग बनाई जाये तो राज्य सरकार को लास नहीं होगा और रेवेन्यू के अन्दर डेफिनेटली प्रोग्रेस आयेगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और अब प्रश्न यह भी पैदा हो जाता है कि एक बार यहां चर्चा चली थी कि टैक्सेशन ट्रिब्युनल बनाया जाय और राजस्थान हाई कोर्ट की 3-4 जजेज की बेन्च को यहां ले आया जाय और वहां एक टैक्सेशन ट्रिब्युनल स्थापित कर दिया जाय ताकि वहां के लोगों को जो इससे घाटा होगा वह भी कम्पनसेट हो जायगा। मैं आज उस विषय की बात को तो नहीं कहना चाहता हूं वह एक अलग प्रश्न है और जो फाइनली एग्जामिन भी हो चुका है। लेकिन मैं इस मौके पर राज्य सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर एक्सपीडिसियस टैक्सेशन के मामले निपटाने के लिये एक टैक्सेशन ट्रिब्यूनल अवश्य बनाया जाय।

दूसरे जो इनकम टैक्स की बात कही जाती है न तो अभी मेरे पास समय है और न ही मेरा नाम था लेकिन एक बात कह देता हूं कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की फिलासफी में बहुत बड़ा अन्तर है। इनकम टैक्स तो एक अलग चीज है और यह सैल्स टैक्स उससे बिलकुल डिफरेन्ट है। सैल्स टैक्स में तो हम कन्जूमर से वसूल

(श्री मथुरादास माथुर)

करते हैं। जितने डीलर्स हैं वे पब्लिक से टैक्स का रुपया ले लेते है और अपने पास उस रुपये को रखकर समय पर असेसमेंट नहीं करवाते हैं। मगर मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

Basic philosophy of the income-tax is different than the Sales tex.

इसलिये सैल्स टैक्स में पब्लिक का रुपया तुम्हारे पास जमा है, तुमने सैल्स टैक्स वसूल कर लिया और फिर उस पैसे को राज्य सरकार के पास समय पर जमा नहीं करवाये और न करवाने पर डिफाल्टर रहता है। फिर आप उसको यह एक, डेढ़ पर्सेन्ट का जो रखा है, वह मेरी समझ में नहीं आता है और यह बेसिकली गलत है। आप उनको प्रोसेस में कोई सहायता दीजिये, यह तो मैं समझ सकता हूं लेकिन राज्य सरकार का पैसा जो डीलर के पास पड़ा है और वह सरकार का रुपया लिये बैठा है उसको आप इस एक, डेढ़ पर्सेन्ट से क्यों छूट दे रहे हो? वह तो उससे ज्यादा कमा लेगा। इसी तरह पैसेन्जर टैक्स का मामला है वे भी कर लेते हैं पैसेन्जर्स से और उस पर और अधिक कहाते है। राज्य सरकार को समय पर रुपया नहीं देते हैं इसलिये यह जो एक, डेढ़ पर्सेन्ट का रखा है, वह बिलकुल गलत है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले में मेरे भाई सहमत हो या नहीं हों यह मेरी निश्चित राय है। राज्य सरकार ने सवा डेढ़ पर्सेन्ट कर दिया लेकिन उसको कोई रुपया घर से देना नहीं होता है। यह रुपया तो जनता से वसूल कर लिया अब उसको सरकार को सवा डेढ़ पर्सेन्ट के हिसाब में क्यों जमा करवायेगा? बैंक में भी जमा करवायेगा तो 10 पर्सेन्ट उसको और मिल जायगा तो वह तो उसे रुपये को दुगुना करेगा—कोई सा भी धन्धा करेगा तो भी रुपया डेढा, दुगुना हो जायगा, राज्य सरकार को जमा करवा कर कौन सी अकलमन्दी की बात करेगा। इसलिये राज्य सरकार को पुरजोर शब्दों मे कहता हूं इस पर विचार करें और डिफाल्टर्स पर जो यह एक, डेढ़ पर्सेन्ट का रखा है, इस पर भी सोचना पड़ेगा और चिन्तन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में और सैल्स टैक्स में बहुत बड़ा अन्तर है इसलिये मैं मांग करता हूं, इस बारे में बहुतो को एतराज होगा वन पर्सेन्ट क्यों किया, डेढ़ पर्सेन्ट क्यों किया लेकिन यह बेसिकली आपने गलत किया है। जो रुपया कन्जूमर्स से लिया हुआ पड़ा है, उस रुपये से वह फिर धन्धा करता है और अधिक कमाता है इसलिये मैं मांग करूंगा राज्य सरकार सख्ती से एरियर्स वसूल करे और इस प्रकार की कोई छूट उन्हें न दें। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मेरा यह निवेदन है बाकी मैं थर्ड रीडिंग में निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री आलम अली।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री अयूब खां

(अनुपस्थित)

श्री नवरंग सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री राम प्रसाद लड्ढा।

(अनुपस्थित)

श्री अजीत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मूल चन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री कौशल किशोर जैन।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री बाल चन्द आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री मूल चन्द डागा : मंत्री मण्डल ने रुवा दिया और सब को बाहर भेज दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। यह प्रस्ताव इसलिए रखा है कि बहुत बड़ा विधेयक वित्त मन्त्री जी यहां सदन में लाये हैं। क्लाज (3) के जरिये आर्डिनेन्स को सब्स्टीट्यूट किया है, यह बात समझ में नहीं आती है लेकिन 15 क्लाजेज का यह विधेयक और जो प्रावधान डाला गया है ऐसा प्रतीत होता है कि सेल्स टैक्स के स्ट्रक्चर को राज्य सरकार और ज्यादा कम्पलीकेटेड बना रही है। इस जनता पार्टी ने चुनाव के समय में राजस्थान की जनता के सामने इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि जनता पार्टी का यह प्रयत्न रहेगा कि वर्तमान कर ढांचे को सरल किया जाएगा। कराधान में बिक्री कर की समाप्ति करना हमारा अन्तिम उद्देश्य है। यह तो राजस्थान की जनता पार्टी के

(श्री परसराम मदेरणा)

घोषणा-पत्र में है और जो पूरे राष्ट्र की जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र फरवरी, 77 का है उसमें उन्होंने इस बात का वायदा किया था कि बिक्री कर हटाकर उसके स्थान पर यथोचित उत्पादन शुल्क लगायेंगे। अब जनता सरकार अपने इस वायदे से मुकर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि वित्त मन्त्री जी ने जब वित्त का चार्ज लिया, उस वक्त इनके सामने एक रिपोर्ट विचाराधीन पड़ी हुई थी और वह रिपोर्ट है रामसिंह कमेटी की। रामसिंह कमेटी ने सेल्स टैक्स के स्ट्रक्चर को सिम्प्लीफाई करने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिये हैं लेकिन इस 22 महीने में जनता सरकार ने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल रखा है। टैक्स एडनाईरीज कमेटी के चेयरमैन वित्त मन्त्री जी बन गये। जैसा कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक रेवेन्यू बोर्ड का अलग से टैक्सेशन का ट्रिब्यूनल होना चाहिए। मैंने अखबारों में यह बात पढ़ी है-एडवाईजरी कमेटी में जहां कुछ असेसीज के रिप्रेजेण्टेटिव भी हैं, माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस प्रकार की घोषणा की है कि मैं एक टैक्सेशन ट्रिब्यूनल स्थापित करने जा रहा हूं लेकिन उस टैक्सेशन ट्रिब्यूनल का कोई उल्लेख नहीं है, इस विधेयक के अन्दर। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह सरकार सरलीकरण के नाम पर, ट्रिब्यूनल स्थापित करने के नाम पर केवल घोषणायें करती है और घोषणाओं के बाद जो सरकार की क्रियान्विति है वह माइनस हन्ड्रेड पर्सेण्ट है। इसलिए मेरा वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि रामसिंह कमेटी के पन्ने उलटिये और उसके साथ ही साथ जो वायदे किये हैं, राजस्थान की जनता के सामने खास तौर से सेल्स टैक्स के एक्ट को सरलीकरण करेंगे। यह सरलीकरण तो अलग रहा लेकिन आप तो इसे और कम्पलीकेटेड करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने इसे जनमत जानने हेतु प्रस्ताव किया है। मैं अभी अलग अलग क्लाजेज में जाना तो उपयुक्त नहीं समझूंगा। जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जो डिपार्टमेंट्स थे, और जो परिभाषा के अन्दर सेल्स टैक्स एक्ट की धारा (2) को उन्होंने पहले तो ओमिट किया है और ओमिट करके फिर एक्सप्लेनेशन 2 के जरिये फिर दुबारा डिफाईन किया है, मैं समझ नहीं सका, उनका मतलब क्या है ? यह दोनों को करने से मुझे खास अन्तर प्रतीत नहीं होता। इसलिए वित्त मन्त्री जी मैं यह सारी जो प्रक्रिया है कि एक तरफ तो ओमिट किया है और दूसरी तरफ फिर टैक्स पेयेबल के लिए रेसपांसिबल बना रहे हैं, इसमें करने का क्या कारण था, यह मेरी समझ में नहीं आया।

उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 3 है, यह बहुत इम्पार्टेन्ट है। मुख्य क्लोज इस बिल में है। क्लाज 3 के अन्दर जो आपने पहले आर्डिनेन्स निकाला था उसी को इसमें इन्क्लूड किया है, उसके बारे में पहले बता दिया था। इसका आर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए कि आपकी आमदनी इससे बढ़ी नहीं है। आपने सैल्स

(श्री परसराम मदेरणा)

टैक्स इन्क्रीज किया है लेकिन एक्साईज ड्यूटी घटाकर बराबर कर दिया है और इस तरह से आपने आंख मिचौनी खेली है राजस्थान की जनता के साथ। योजना का आकार बढ़ाने के बहाने यह झांसा पट्टी दी है। सिर्फ एक तरफ टैक्स लगाया है और दूसरी तरफ कम कर दिया है और कम करने के बाद हम वहीं रहेंगे। आप कहते हैं कि हमारी योजना का आकार बढ़ जायेगा और आपने कहा था एक्साईज एक्ट के नीचे जो आपने अण्डर कुंक की, देशी शराब के ऊपर आमदनी होगी वह आमदनी अपने रिसोर्सेज में नहीं मानी जायेगी और सैल्स टैक्स लगाने से वह रिसोर्सेज में मानी जायेगी, यह कतई न तो भारत सरकार ने कहा है, न नेशनल डवलपमेंट कौंसिल ने कहा है और न प्लानिंग कमीशन ने कहा है यह मिनिस्टर का स्वरूप अच्छा दीखे, इसलिये एक तरफ टैक्स घटाकर दूसरी तरफ बढ़ा दिया है, कुल मिलाकर आमदनी बराबर। आप जितनी कोशिश करें, यह ड्राई एरिया घोषित करने से अगर साढ़े 27 करोड़ की जो आमदनी होती है वह तो पूर्ण रूप से एक ही पूल में आ जाती है। लेकिन आपको प्रोहिबिशन के नाम पर जो पैसा मिलने वाला है तो आप समझते हैं कि भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतने बेवकूफ लोग हैं कि आपने एक नोटिफिकेशन के जरिये इसको रिड्यूज किया है और दूसरी तरफ सैल्स टैक्स इन्क्रीज किया है वह रिसोर्सेज पूल में मान लेंगे और प्रोहिबिशन लागू करने पर ज्यादा पैसा मिल जाएगा। यह तो वित्त मन्त्री जी आप हमेशा दलील दिया करते हैं टेकचन्द कमेटी की और उस को अगर उसके अनुरूप मानते हैं तो टेकचन्द कमेटी की सिफारिशों के विरुद्ध मामला है। आप हमेशा कहते हैं कि प्रोहिबिशन जब हो जावेगा तो उसके बाद सैल्स टैक्स बढ़ जायेगा और सरकार को घाटा नहीं होगा। यह आप कई बार रिपीट कर चुके हैं, कई बार दोहरा चुके हैं। अब सैल्स टैक्स बढ़ने वाली बात और आपको प्रोहिबिशन के बाद ज्यादा पैसा मिल जायेगा यह नोटिफिकेशन गजट में भी पब्लिश होते हैं, गवर्नमेंट आफ इण्डिया के गजट में भी निकलते हैं, वहां पर भी एक्सपर्ट बैठे हैं। इस बहाने अगर आप समझते हैं कि आपको ज्यादा पैसा मिल जायेगा प्रोहिबिशन के नाम पर तो आप बिलकुल भूल भुलैया में हैं। आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सिर्फ टैक्स की हेराफेरी करने के लिए और सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी करने के लिये आपने इस सदन की अवमानना की है तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। भारत सरकार में भी बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, वे भी इस चीज को समझते हैं और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लाज 4 है। क्लाज 4 के जरिये वित्त मन्त्री जी ने सैल्स टैक्स एक्ट के सैक्शन 5 (सी) को अमेण्ड किया है। यह सैक्शन 5 (सी) उपाध्यक्ष महोदय, कंसेशनल रेट आफ टैक्स फार रा मैटीरियल के बारे में है। कंसेशनल रेट आफ टैक्स फार रा-मैटीरियल में जो गुड्स मैन्यूफैक्चर होती हैं उनके लिये, मैन्यूफैक्चरर के लिए जो रा-मैटीरियल की

(श्री परसराम मदेरणा)
आवश्यकता है उसके ऊपर टैक्स एक पर्सेन्ट है। इस संशोधन के जरिये उस 1 पर्सेंट की जगह पर यह जनरल सैल्स टैक्स की रेट 12 पर्सेन्ट लगाना चाहते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खतरनाक परिणाम होंगे।

यहां पर पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, उनकी इण्डस्ट्रियल पालिसी की एक कापी हमारे पास भेजी है कि हम छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उनको कंसेशन देना चाहते हैं। उन्होंने यह बात भी कही है कि हम ग्रामोन्मुखी उद्योग लगायेंगे, ग्रामों में उद्योग लगायेंगे, सब जगह छोटे आर्टीजन और सब जगह छोटे लोग काम कर सकें। यह कंसेशनल रेट जो रही है रा-मैटीरियल पर उसका जाकर अन्ततोगत्वा परिणाम यह होगा कि वह सब छोटी छोटी फैक्ट्रीज और कारखाने जो लगे हुए हैं स्माल स्केल पर जिसमें विलेज आर्टिजन्स एम्पलायड हैं वे बेकार होंगे। मैं उदाहरण देता हूं एक डाइंग एण्ड कलरिंग की फैक्ट्री है चाहे पाली में हो, चाहे बालोतरा में हो, चाहे बगरु में हो, चाहे वह बाड़मेर में हो, चाहे सांगानेर में हो, और मैं तो यहां तक समझता हूं, मैंने पढ़ा है कि इसमें खादी उत्पादन करने वाली इंस्टीट्यूशन भी कवर होंगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कंसेशन पर छोटी इण्स्ट्रीज, छोटी फैक्ट्रीज हैं जिनमें हजारों लोग लगे हुए हैं उसमें रा-मैटीरियल की जो कंसेशन रेट सैल्स टैक्स की है वह 1 पर्सेंट को समाप्त करने जा रहे हैं और इस क्लाज के जरिये और जनरल सैल्स टैक्स 12 पर्सेंट लगा कर आप उन उद्योगों को घाटे में डालेंगे। नतीजा यह होगा कि हजारों आदमी जो इनमें लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, हजारों आदमी हाथ से काम करते हैं और उनको जो रा-मैटीरियल की आवश्यकता है डाईंग और रंगने के लिये उस पर टैक्स लगने से बहुत से लोगों को घाटा होगा। ये फैक्ट्रियां बन्द होगी, लोग बेकार होंगे और जो बेरोजगारी आप समाप्त करने जा रहे हैं उसका समय बीस साल हो जाएगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कन्सेशन छोटी इंडस्ट्रीज को फ्लड करने के लिए था, अब उनको प्रोत्साहन करना तो दूर रहा उनके प्रोत्साहन को चैक करेंगे। इसलिए यह क्लाज बहुत इम्पार्टेंट क्लाज है और जब तक इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हजारों लोग हैं उनकी राय नहीं ली जाए, उनका मत नहीं लिया जावे तब तक क्लाज 4 में इस प्रकार का प्रावधान करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैंने यह जनमत जानने हेतु रखा है।

क्लाज 5 के जरिये उपाध्यक्ष महोदय, ये क्लाज 7 में जो पंक्चुएशन मार्क है उसको समाप्त करना चाहते हैं और समाप्त करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। इसमें जो डीलर एण्ड सच अदर डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर के बाद जो पंक्चुएशन मार्क है, उसको डिलिट करके आप कन्फ्यूजन क्यों क्रियेट करना चाहते हैं? इससे कन्फ्यूजन सैटराइट नहीं होगा। आपको करना यह चाहिए था कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर के साथ अनरजिस्टर्ड डीलर को भी टैक्सेबल बनाना चाहते हैं तो आपको अलग से प्रावधान डालना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहिए। बजाय अलग प्रावधान डालने के आपने पंक्चुएशन हटाने का जो प्रोवीजन किया है यह सरलीकरण के नाम पर आपने सदन की धज्जियां उड़ाई हैं, यह आपके अपने घोषणा पत्र के विपरीत है।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर 6 में यह अमेंडमेंट से अब तक 2 पर्सेंट जो टैक्स लग रहा था डिफाल्टर के ऊपर उसको अब 2 पर्सेंट की जगह पर 10 रुपया प्रतिदिन लगाने जा रहे हैं। पहले जो दस रुपया प्रतिदिन था और टोटल जो है उस पर ग्राथ असेसेबल टैक्स की 50 पर्सेन्ट का पेनेल्टी का अलग प्रोवीजन रख रहे हैं इससे उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह खड़ी होगी कि रिटर्न क्वार्टरली दिया जाता है और टैक्स प्रति माह जमा होता है। जिस अरनेस्ट डीलर ने क्वार्टरली रिटर्न देने के पूर्व दो महीने तक टैक्स जमा कराया है, तीसरे महीने वह क्वार्टरली है और वक्त पर टैक्स जमा नहीं करा सका। टैक्स जमा नहीं कराया तो रिर्टन नहीं लेंगे जब तक तीसरे महीने का टैक्स वह जमा नहीं करा देता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो टैक्स भेजते हैं, तो गवर्नमेंट के पेमेन्ट की लम्बी चौड़ी प्रक्रिया है। जेनुईन तरीके से वह तीसरे महीने टैक्स नहीं जमा करा सका है, आप उसका रिटर्न नहीं ले रहे हैं। परिणाम यह होगा कि आपने उसका टैक्स, असेसी टैक्स के ऊपर 50 पर्सेन्ट लगा दिया, या लगा देंगे। इसका क्या औचित्य है? इसका मतलब यह है कि आपने डिफालटर और आनेस्ट असेसी को एट पार रखा है और दोनों को आप एट पार रखना चाहते हैं। तो इस प्राविजन का कोई औचित्य नहीं है। यह आपने और कन्फ्यूजन किया है और बहुत ही कम्पलीकेटेड बनाया है। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है और वह सुझाव यह है कि बाकी जितना नेट टैक्स बच गया है दो महीने जमा कराने के बाद उसका 50 पर्सेन्ट लेने में कोई औचित्य नहीं है लेकिन ग्रास असेस्ड टैक्स पर 50 पर्सेन्ट लेने का, दो महीने का जमा करा दिया है, कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार आप अरनेस्ट आदमी को, आनेस्ट व्यापारी को खामख्वाह महज पेनेलाइज करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 7 का प्रावधान इसलिए रखा गया है। वित्त मन्त्री जी ने इसकी घोषणा अपने बजट भाषण में की थी। इस प्रकार का उल्लेख किया था और वह प्रावधान इन्होंने क्लाज 7 में किया है। वहां अनिश्चितता रहती है और व्यापारियों ने भी इसके लिए रिप्रिजेन्टेशन दिया है। कोई न कोई ऐसा समय मुकर्रर कर दिया जाए कि उससे पूर्व असेसमेंट हो जाए बजट पर चर्चा करते वक्त मैंने यह कहा था कि इसमें रीजनेबल समय रखना चाहिए। इतना लम्बा समय न दें। अब आप यह जो क्लाज लाये हैं 7, इसके जरिये 10-बी सैक्शन को अमेण्ड करना चाहते हैं। इसमें आपने समय निर्धारित किया है पांच साल का। यानि पांच साल तक वह टैक्स के लिए बैठा रहे। आपने यह कहा है, मेरा अधिकारी असेस नहीं कर सका इस अवधि में तो फिर यह टैक्स देय नहीं होगा। पांच साल का पीरियड, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। इनकम टैक्स के

(श्री परसराम मदेरणा)

अन्दर यह अवधि दो साल की है अगर राजस्थान सरकार ज्यादा अहम् है, ज्यादा अयोग्य है तो वह ढाई साल का पीरियड रख सकती है। इनकम टैक्स ग्रू आउट कन्ट्री वसूल होता है और इसका असेसमेंट दो साल में होता है। इनकम टैक्स आफिसर को दो साल में असेसमेंट करना पड़ेगा। यहां पर कार्मशियल टैक्सेज आफिसर को पांच साल का पीरियड दिया है। इस प्रकार बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए आपने इतनी लम्बी अवधि इसमें रखी है। इन्कम टैक्स के अन्दर यह अवधि दो साल है। आपको भी दो साल रखना चाहिए। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, दो साल के मेरे इस कथन में कोई सब्सटेन्स नहीं है तो आप जनमत ले लीजिये। मैं यह मानता हूं कि निश्चित तौर से इस बात के लिए कि इस को जनमत के लिए प्रसारित किया जाएगा तो राजस्थान की जनता का, 70 प्रतिशत जनता का यह मत होगा कि इसमें समय पांच साल जो रखा है, वह जान बूझकर बड़े बड़े टैक्स इवेडर को फायदा पहुंचाने के लिए रखा गया है। मेरा निवेदन है कि इस पर वित्त मन्त्री जी विचार करेंगे कि पांच साल की जगह पर दो साल सब्सीट्यूट कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 7(2) में जो अमेन्डमेन्ट किया है, उसमें हाईकोर्ट के जजमेन्ट की बात कही गयी है। हाईकोर्ट के जजमेन्ट का जो अभिप्रायः है, वह जजमेन्ट मैंने देखा है। उन्होंने यह बात कही है कि इन कैटेगरी में असेसमेन्ट नहीं कर के, इनका असेसमेन्ट सेक्शन 12 के नीचे होना चाहिए। यहां टाइम लिमिट सैक्शन 10 में डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हाईकोर्ट का जजमेन्ट है, उसके विपरीत यहां पर सैक्शन 10 में टाइम लिमिट रखने का प्रावधान रख रहे हैं। उसके जजमेन्ट की वेलिडिटी को साबित नहीं कर सकेंगे। यह डिफेक्टिव है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 8 में जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है, यह वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण के पैरा 112 के अन्तर्गत लाया गया है। जो टैक्स नहीं देगा उसकी रेट आफ इन्ट्रेस्ट पहले सवा पर्सेन्ट थी वह एक पर्सेन्ट कर दी और डेढ़ पर्सेन्ट थी उस को सवा पर्सेन्ट कर दिया। मुख्य मंत्री महोदय ने भाषण कर सवा पर्सेन्ट को एक पर्सेन्ट और डेढ़ पर्सेन्ट को सवा पर्सेन्ट, और उसको डेढ़ पर्सेन्ट किया है। अभी डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस रेट आफ इन्ट्रेस्ट के सम्बन्ध में कुछ बातें कही थीं। मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु एक बात पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि आप यह 15 पर्सेन्ट, 18 पर्सेन्ट वसूल करते हैं। उस डिफाल्टर से जो कि आनेस्ट है, जो आनेस्ट डीलर है, जिन्होंने ज्यादा एडवान्स टैक्स जमा करा दिया है, उसको रिफन्ड जब आप करते हैं तो उसकी जमा पर 4 पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट आप देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसमें चार पर्सेन्ट का प्रावधान रखा है। एक भी आदमी मैंने हिन्दुस्तान में, राजस्थान में नहीं पाया है। यह देखा है कि उसको आप रिफन्ड करते हैं और यह इन्ट्रेस्ट देते हैं। इनकम टैक्स का प्रावधान है,

(श्री परसराम मदेरणा)

डिफाल्टर से जिस रेट आफ इन्ट्रेस्ट के ऊपर वसूली होगी, रिफन्ड वाले को इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट वही इन्ट्रेस्ट देता है। 15 पर्सेन्ट लिया है तो 15 पर्सेन्ट देगा, 7 पर्सेन्ट है तो 7 पर्सेन्ट देगा। यह ड्युअल स्टेन्डर्ड आपने लगा रखा है। आपने दूसरे का अमाउन्ट जमा कर रखा है और उसको रिफन्ड करने जा रहे हैं असेसमेन्ट करने के बाद क्योंकि वह ज्यादा हो गया है तो उस पर इन्ट्रेस्ट आप चार पर्सेन्ट का देंगे और वसूल करते वक्त वह 15 पर्सेन्ट, 18 पर्सेन्ट करते हैं। इनकम टैक्स वाले पेमेन्ट करते हैं और हर रिटर्न के ऊपर वे लगातार कर रहे हैं। यह चार पर्सेन्ट का आपका प्रावधान है परन्तु इस प्रावधान के उपरान्त भी आपने एक भी असेसी को रिफन्ड नहीं किया है। यह जो प्रावधान आप ला रहे हैं, यह ड्युअल स्टेन्डर्ड का है। सरकार अपने लिए तो और स्टेन्डर्ड स्थापित कर रही है और आनेस्ट असेसी को रिफन्ड करने के लिए अलग स्टेन्डर्ड अपना रही है, दूसरा इन्ट्रेस्ट लगा रही है। यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 9 के अन्दर अमेन्डमेन्ट लाया गया है। रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर रिवीजन का प्रावधान है। इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि यहां, पिछले सत्र में इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट आया था सेक्शन 14 में, उस वक्त क्या इनको सांप सूंघ गया था? बैठे बैठे घोषणा कर दी। पहले भी आप इसमें अमेंडमेंट लाये थे, वह मेरे पास मौजूद है, सो पहले तो अमेण्डमेंट किया नहीं और अब ला रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं, सेक्शन 15 में रेफरेंस की बात है। रेवेन्यू बोर्ड को जजमेंट होने के बाद कोई भी असेसी अगर पाइण्ट आफ लॉ के अन्दर हाईकोर्ट से जजमेंट कराना चाहता है तो पहले 120 दिन बाद एप्लीकेशन देगा और उसके बाद 180 दिन में फैसला उसका बोर्ड को करना है, रेफरेंस करे या नहीं और 180 दिन निकलने के बाद 60 दिन के भीतर भीतर रेफरेंस स्वो-मोटो कर सकते हैं, यह प्रावधान था। अब 60 की बजाय 90 कर दिये और 90 के बाद उपाध्यक्ष महोदय स्थिति क्या होगी जब रेफरेंस हाईकोर्ट में जायेगा? 120 दिन निकल गये, फिर 180 दिन निकल गये फिर 89 दिन निकल गये। उसने रेफरेंस किया। फिर एडमीशन के लिये आर्गूमेंट होंगे कि इसको एडमिट किया जाय या नहीं इसके अन्दर आर्डिनरीली हाईकोर्ट में 4 से 6 महीने लगते हैं फिर अपोजीशन पार्टी को हाईकोर्ट नोटिस देगा और सर्व हो जाय तो अच्छी बात है, क्योंकि नोटिस सर्व होने में ही ज्यादातर अपोजीशन पार्टी रहती है सरकार या टैक्स पेयर। उसमें करीबन 6 महीने से 2 साल का पीरियड रेफरेंस में नोटिस सर्व होने में लगता है। नोटिस सर्व होने के बाद तथ्य होते हैं, फिर आर्गूमेंट होता है कि ला पाइन्ट इन्वाल्व्ड है या नहीं। अगर हाईकोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि बोर्ड को वापिस रिटर्न कर दिया जाय। वह लॉ पाइन्ट तैयार करे और इस प्रोसेस में चार साल का पीरियड निकल जाता है उसके बाद हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग रहता है, क्वेश्चन आफ लॉ जो रेवेन्यू बोर्ड ने भेजा है वह

(श्री परसराम मदेरणा)

डिस्पोज आफ करने में लगते हैं 7 से 8 साल और उसके बाद फिर बोर्ड को भेजते हैं कि यह प्रश्न तुम तैयार करो उसमें 2 या 3 साल और लगते हैं। इस तरह से कुल मिला कर तत्कालीन विधि मंत्री जी इसमें 17 से 18 साल का पीरियड लगता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हमने तो इतना राज ही नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : आपके तो 18 महीने हैं लेकिन यह आउट आफ लेजिस्लेशन है। मेरा सुझाव है कि आप सैकिण्ड अपील का प्रावधान सीधा क्यों नहीं कर देते? इतना काम्प्लीकेटेड सैक्शन 15 को बनाया है, 60 के बजाय 90 दिन की अवधि असेसी के के फेवर में नहीं है। यह तो आपके कमिश्नर या उनके नामिनी कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि काम्प्लीकेटेड आप और करते जा रहे हैं। एक तरफ तो घोषणा कर रहे हैं कि सिम्पलीफिकेशन करेंगे। मेरा निवेदन है, बहुत ही इम्पोर्टेन्ट मामलों में छोटे छोटे काम्प्लीकेशस बना दिये जाते हैं। छोटी फैक्ट्रीज का मैन्यूफेक्चरर रा-मैटीरियल, खरीदता है उस पर जनरल सैल्स टैक्स लगा कर, कंसेशनल टैक्स जिस पर 1 प्रतिशत था, राजस्थान की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का दिया है आपने। इसका परिणाम बेरोजगारी होगी ये फैक्ट्री लड़खड़ा जायेगी। इंडस्ट्री मिनिस्टर घोषणा करते हैं अन्त्योदय परिवारों को गांवों में इंडस्ट्रियल सेन्टर....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसको जरा इल्यूसिटेड कीजिये.

श्री परसराम मदेरणा : You look into clause 4, उसके जरिये 5-सी को अमेण्ड करना चाहते हैं। 5-सी को समाप्त करके जनरल सैल्स टैक्स लगा रहे हैं। जितनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जिनमें लेबरर्स लगे हुए हैं उन पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जो जनमत जानने के कारण थे, मैंने मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किये हैं। आप आनेस्टी और डिसआनेस्टी को कठघरे में मत लीजिये। आज इन्कम टैक्स का जो प्रावधान है चाहे असेसमेन्ट के लिये पीरियड तय करने का ही राजस्थान के अन्दर आप झूठ को छूट दे रहे हैं। यह किसी तरह के टैक्सेशन के लिये शोभनीय बात नहीं है इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि जो संकल्प मैंने रखा है उसको स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री ओमप्रकाश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करें। मैंने प्रवर समिति को सौंपने की बात कही है, इसका मुख्य कारण यह है कि जिस आधार पर बिल लाया गया उनमें तीन बातें प्रमुख रूप से कही गई है- "Opportunity has also been availed to meet certain interpretations put by the Supreme Court and the Board of Revenue on the definition of "dealer" and sections 7 AA and 11B."

दूसरी बात आगे कही गई है--"The provisions regarding payment of tax in advance of return are being made more explicit and certain."

इससे आगे की बात की ओर मैं नहीं जाऊंगा। जो दो बातें कही गई है उनमें ये धारायें या ये मुख्य मुद्दे हैं। ये सरल होने की बजाय उलझ गये। दूसरी बात जो 30 से 60 का प्रश्न है या गूड्स अदर देन एग्जेम्पटेड का प्रश्न है उनका विवरण किसी तरह से स्पष्ट नहीं होता। तो ऐसे बिल को प्रवर समिति को सौंपना चाहिए। दूसरी बात सैल्स टैक्स का प्रश्न है उसके बीच में मुख्य प्रश्न है टैक्स की वसूली और वसूली के कारण उसका असेसमेंट, उसका एरियर और जिनसे टैक्स वसूल होना है उनको तकलीफ न हो। तो जो एरियर का प्रश्न है वह भी उलझा हुआ है। एरियर 10 साल से बाकी है। कोटा में मुकदमे चल रहे हैं। हमने यह तो कर दिया कि किसी को सजा न हो लेकिन इसके साथ साथ रिकवरी हो और रिकवरी की व्यवस्था नीचे से देखें। मैं जिस जिले से आ रहा हूं, जालोर में सी. टी. ओ आफिस नहीं है। जालोर सिरोही का सी.टी.ओ. आफिस एक है जो भी सांचोर से 300 मील दूर है, कहां चैक करने जायेंगे? जब कि हमने कानून बनाये हैं असेसमेंट की व्यवस्था हो वह व्यवस्था भी नहीं और रिकवरी का प्रश्न है वह भी क्लियर नहीं। तो मैं यह कहता हूं असेसमेंट के पाइन्ट पर और रिकवरी के पाइन्ट पर कि हम लोगों को यह एक्ट पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिये। ऐसी व्यवस्था का विचार नीचे के स्तर तक होना चाहिये। इस मामले में हम लोग मग्न हैं।

दूसरी बात, रेवेन्यू बोर्ड हमारी सुप्रीम आथोरिटी है रेवेन्यू की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुःख के साथ कहता हूं कि वह रेवेन्यू है जमीन की रेवेन्यू और बाद में रेवेन्यू सैल्स टैक्स की रेवेन्यू, लेकिन जो अधिकारी वहां पर बिराजते हैं, जो आफिसर्स बैठते हैं वह रेवेन्यू के मामलों में गोल हैं। ऐसा कहना चाहिये, इस कारण छोटे छोटे प्रश्नों पर उलझ जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान में टैक्स ट्रिब्यूनल नया बनाया जाय। उसके साथ साथ सी टी.आई. जालोर में एक और स्थापित होना चाहिये। तहसील और जिलों का भी पुनर्निधारण होना चाहिये ताकि असेसमेंट का पाइन्ट क्लियर हो और रिकवरी बराबर हो।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

शराबबन्दी हम करने जा रहे हैं तो शराब पर आपको कर 30 से 60 करने की जरूरत क्या थी ? दो महीने के बाद आपको सुधार करना होगा। उसको खतम करना है।

यह जो मुद्दे हैं इन मुद्दों पर माननीय वित्त मन्त्री जी ने गम्भीरता से विचार नहीं किया है। यह मेरा निवेदन है कि आप, माननीय मन्त्री जी, इसको प्रवर समिति को सौंप दें ताकि व्यापारियों को लाभ हो और उसके कारण से टैक्सेशन में रिकवरी की सुविधा हो। इन दोनों मुद्दों पर उसमें हम गम्भीरता से विचार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिकृष्ण।

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल विधेयक में जो कर लगाये गये हैं वह बहुत ही उलझे हुए हैं। कच्चे माल पर कर लगा कर सीधा किसान के ऊपर आघात पहुंचाया गया है। इसके साथ ही बकाया पर व्याज लगाया है वह बिल्कुल गलत है। असेसमेंट के वक्त रकम दाखिल करा ली जाती है। उसके पहले रकम दाखिल करा ली जाती है और असेसमेंट के बाद रकम दाखिल करा ली जाती है। इसके बीच में जो रकम होती है उस पर सवा और डेढ़ रुपया के हिसाब से व्याज लगाना बहुत अनुचित है। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में सवाया की दर के लिए कहा था लेकिन सवा रुपये की दर को छोड़कर डेढ़ रुपये सैंकड़े तक का व्याज इस बिल में लगाया गया है। नहीं देने पर 10 रुपया सैंकड़ा और पैनल्टी रखी है। यह कर बहुत है यह नहीं होना चाहिये। माननीय वित्त मंत्रीजी, यह दुकानकारों के लिये बहुत ही अहितकर होगा, और दुकानदारों के साथ ही इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा क्योंकि दुकानदार तो इसको लगा देगा उसका देनदार गरीब आदमी होगा, किसान होगा। इस तरह से व्याज लगाया जायगा तो वह अनुचित होगा। जहां तक अपनी तरफ का व्याज लगाया जाता है वह देनदारी के लिए बहुत कम व्याज होता है चार रुपये सैंकड़े का ही व्याज होता है और इधर सवा रुपया और डेढ़ रुपया सैंकड़ा व्याज लगाते हैं, यह बहुत घातक है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि व्याज की दर को कम किया जाय। जब असेसमेंट के वक्त पूरी रकम दाखिल कराते हैं, बीच में दाखिल कराते हैं और कुछ रकम रह जाती है तो उस पर दोहरा व्याज लगाया जाता है।

मेरा निवेदन है कि 31 मार्च तक की अनुमति है तो कर व पैनल्टी को कम करनी चाहिए। इसका संशोधन माननीय मंत्री महोदय करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री महोदय।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बिक्री कर (संशोधन)

(श्री आदित्येन्द्र)

विधेयक, 1979, जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत है पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। सबसे पहले जोआपत्ति विरोधी पक्ष के नेता माननीय मदेरणा साहब ने की है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में रामसिंह समिति का उल्लेख किया है। रामसिंह समिति की रिपोर्ट मई 1973 में प्रस्तुत कर दी गई थी। 30 अप्रेल, 1977 तक, जब तक कि भूतपूर्व सरकार पदारूढ़ रही, चार वर्ष तक उस रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : 76 से चार वर्ष कौन से हुए ?

श्री आदित्येन्द्र : 73 से।

और इस प्रकार वह रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रही। उसके बाद जनता सरकार बनने के बाद कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे निर्णय हुए हैं कि अब उस रिपोर्ट का कोई खास अर्थ नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : वह दफना दी गई है।

श्री आदित्येन्द्र : जनता पार्टी की सरकार ..

श्री मूलचन्द डागा : हाईकोर्ट के किस निर्णय में ऐसा हुआ है कि इस रिपोर्ट को दफना दिया जाय ? श्री पुरुषोतम मंत्री सुन तो लो।

श्री आदित्येन्द्र : जो आपत्ति उठाई गई है वह आपत्ति सबसे ज्यादा इस बात पर उठाई गई है कि यदि कोई व्यापारी समय पर कर नहीं चुकाता है या रिटर्न पेश नहीं करता है तो उसके ऊपर....

श्री परसराम मदेरणा : सिम्प्लीफिकेशन के लिए कोई कमेटी बैठा रहे हैं ?

श्री आदित्येन्द्र : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अभी विरोधी दल के माननीय नेता ने एक बात कही है तो ऐसा विचार पहले ही किया था कि सरलीकरण के लिए कोई कमेटी गठित की जाय, लेकिन इससे पहले एक कमेटी सन् 76 से बनी हुई है और वह कमेटी एडवाइजरी कमेटी है।

श्री मूलचन्द डागा : इन दोनों बातों पर आपने निर्णय लिये है एक तो सैल्स टैक्स को खतम करने के बारे में और एक कमेटी बैठाने के बारे में, यह दोनों बातें दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। आप तो सैल्स टैक्स समाप्त करने वाली कमेटी बैठाने की घोषणा कर दें।

श्री आदित्येन्द्र : यह ठीक है कि जनता पार्टी के घोषणा पत्र में सैल्स टैक्स को समाप्त करने की बात कही गई है। लेकिन इस पर काफी विचार-विमर्श करने के बाद अभी तक इसका कोई विकल्प नहीं मिला है, और कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाये हैं। अभी तक इस बात पर विचार हो रहा है कि सैल्स टैक्स कैसे खतम किया जाय। इस सम्बन्ध में कई बार प्रश्न भी हुए हैं और

(श्री आदित्येन्द्र)

सेन्ट पर्सेन्ट जवाब यही होता है कि जो कुछ भी घोषणा पत्र में कहा गया था उससे वापिस तो नहीं जाते हैं, मुकरते तो नहीं है लेकिन इसमें शायद और समय लगेगा।

श्री मथुरादास माथुर : मास्टर साहब, आप यह गलती मत करना। यदि सैल्स टैक्स चला गया तो राज्य ही चला गया क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं। यही तो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसके चले जाने के बाद राज्य नहीं रहेगा।

श्री आदित्येन्द्र : यह ठीक है कि राज्य की आय का यह मुख्य साधन है। हमारी सबसे ज्यादा आमदनी सैल्स टैक्स से होती है। पिछले साल 100 करोड़ के करीब हुई है और इस वर्ष में यह सम्भावना है कि वही आमदनी 116 करोड़ की होगी। समाप्त करना सरल नहीं है। यह बहुत कठिन है। हाँ, यह बात जरूर है जैसा कि इस बात के लिए कहा गया था कि सरलीकरण करने की प्रक्रिया के लिए कोई कमेटी बैठाई जाय, यह ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो यह भी मांग करते हैं कि आप शुगर, टुबेको और क्लाथ को वापस सैल्स टैक्स में लेने की कोशिश करें वह एक्साइज ड्यूटी में न जाय। तो इन तीनों आइटम्स पर जो सैल्स टैक्स लगेगा तो हमें इन सारे छोटे-छोटे आइटम्स पर सैल्स टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री परसराम मदेरणा : कन्ट्री लिकर में जैसा दिया है ऐसा।

श्री आदित्येन्द्र : इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि अगर विवरण पत्र मान लें कि समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस पर शक्ति लगाई जाती है और शक्ति लगाने पर मान लें कि समय पर कर नहीं चुकाया तो उसमें जो रखा है, पहले 15 पर्सेंट तक था जो अब तक था तीन महीने पहले अगर रकम चुका देंगे और तीन महीने बाद चुकायेंगे तो उन पर 18% होगा। लेकिन अब सबके लिए है, समय पर अगर नहीं चुकायेंगे तो 18% लिया जाएगा। हां, यह ठीक है, अगर कोई व्यापारी ज्यादा जमा करा देता है तो उसे रिफण्ड करने की बात होती है जो व्यावहारिक बात भी है। वह दूसरे लोगों से कर वसूल कर लिया जाता है। उनके पास जमा रहता है। सरकार के पास जो रकम रहती है, ऐसा मान लें कि किसी झगड़े की रहती है तो उसका फैसला शीघ्र होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि इस पर विचार करना चाहिए और किया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो लेते हैं 18%। आनेस्ट आदमी ने जमा कर दिया है सरकार के पास है। सरकार दूसरों से ज्यादा चार्ज कर ले। सरकार ने ज्यादा ले लिया है तो रिफण्ड पर इन्ट्रेस्ट दे।

श्री मूलचंद डागा : जो सरकार खुद नैतिक नहीं है वह दूसरों को उपदेश क्यों देती है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो कर रखा है, इन्कम टैक्स डिफाल्टर पर भी इन्ट्रेस्ट है। वह बराबर देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार नैतिकता नहीं रखती है और दूसरों को नैतिकता सिखाती है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : डागा जी, बैठो यार।

श्री मूलचन्द डागा : जमा कराओ तो लेंगे 18%।

श्री रघुनन्दन व्यास : सरकार को अनैतिक कहना गैर कानूनी है।

श्री मूलचन्द डागा : आप वित्त मन्त्री है। आपके प्रति मैं श्रद्धा रखता हूं। आपके रहते हुए कोई अनैतिक काम हो नहीं सकता है। आप तो घोषणा कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : उसकी प्रक्रिया है।

श्री आदित्येन्द्र : तो माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, जब सरकार रिफण्ड करती है या रकम जब ज्यादा आ जाती है तो यह 4% रेट है। मैं मानता हूं कि इतना अन्तर नहीं रहना चाहिए। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : बस, बस।

श्री आदित्येन्द्र : इस पर विचार होगा। लेकिन इस समय इस विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : 4% होता ही नहीं कभी। 4% आज तक किसी को नहीं लौटाया गया है।

श्री आदित्येन्द्र : लेकिन इस विधेयक में एक बात है। पहले से एक इम्प्रूवमेण्ट है। कर निर्धारण ठीक होता था। पहले समय में निश्चित स्थिति तक रहता था। व्यापारियों को और सभी को बहीखाते सुरक्षित रखने पड़ते हैं। अब समयावधि के लिए जनता सरकार जो कर रही है, वह समय 5 वर्ष है। यह प्रयोग है एक तरह से। इसका क्या असर होता है। अभी माननीय नेता ने जो बात कही है। इन्कम टैक्स में दो वर्ष हैं। लेकिन इन्कम टैक्स में 8 वर्ष भी हैं और 16 वर्ष भी हैं। अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए 8 वर्ष हैं। जैसा कि माननीय माथुर साहब ने कहा है, इन्कम टैक्स सैल्स टैक्स में अलग अलग हैं। इन्कम टैक्स आमदनी पर है। सैल्स टैक्स में दूसरों से पैसा वसूल किया जाता है। व्यापारी जमा करता है। व्यापारी का कर्तव्य है कि वह समय पर चुकाये। अगर वह समय पर नहीं चुकाता है तो फिर वह जो कुछ भी चीज है, वह उसके साथ होती है। इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स में जो भी असुविधा है, उन पर विचार किया गया है। एडवाइजरी कमेटी में विचार किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिये। इसकी समयावधि 5 वर्ष है। इससे व्यापारियों को राहत रहेगी। दूसरी तरफ जो आथोरिटी है, सी. टी. ओ. वगैरह उन पर पाबन्दी होगी। वह मनमानी

(श्री आदित्येन्द्र)

नहीं कर सकेंगे। उनको यह निश्चित कर दिया जाएगा कि 5 वर्ष आपको करना है, इससे जो करप्शन होता है, उसमें कमी आयेगी।

श्री मूलचन्द डागा : सन्तुष्ट हो गये हैं ?

श्री आदित्येन्द्र : अब सवाल यह है कि शस्ति को 10 की बजाय 5 कर दिया जाये।

(व्यवधान)

अभी यह 10 रुपया है। अब माननीय सदस्य कहते हैं कि 10 रुपया ज्यादा है। यह 10 रुपया इसलिए ज्यादा नहीं है कि यह मान लें कि वह अगर दो महीने तक टैक्स नहीं चुकाता है तो जो टोटल शास्ति होगी जो टैक्स होगा, वह 50% से ज्यादा नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप ग्रोस पर लगा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मान लीजिए हमें एक हजार पर 200 रुपया देना है। हमने 100 रुपया दे दिया है। आप कितना लगायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी।

श्री रतनलाल वर्मा : कितनी बार मना किया गया है, फिर भी नहीं मानते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : किस क्लाज में किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के व्यवहार से ऐसा मालूम पड़ता है कि यह जो कच्चे माल का कर दिया है, 1 पर्सेन्ट की रियायत की गई है। यह सभी व्यापारियों को दी गई है जो वस्तुएं निर्मित करते हैं। इसमें केवल यह संशोधन है। जो ऐसे निर्मित हैं, जैसे कपड़ा है, चीनी है, शुगर है, तम्बाकू है, यह एक्जम्प्टेड हैं। इनके लिए वर्तमान में है। उसके ऊपर 1 प्रतिशत की रियायत से कच्चा माल मिलता है। उनको यह कहा गया है कि उनको कच्चे माल में कोई रियायत नहीं दी जाए। जैसे सभी खरीदते हैं, वह भी उसी प्रकार से खरीदें। यह सब बातें हैं इस विधेयक में जहां-जहां चाहिए थीं, कही गई हैं। इसमें सबसे पहले यह कहा गया है कि डीलर की परिभाषा बदलने की क्या जरूरत पड़ी है। यह इसलिए पड़ी है कि मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उस फैसले के मुताबिक यह है कि गवर्नमेन्ट जंगल का ठेका देती है या गवर्नमेंट का कोई विभाग देता है तो वह व्यापारी नहीं है, उससे कर भी नहीं लिया जाता इसलिए उसी आशंका से कि अगर यहां भी इस तरह की आपत्ति उठा लें, इसलिए डीलर की परिभाषा में परिवर्तन करना पड़ा है। मैं यह मानता हूं कि इन बातों में व्यापारी के लिए कई कठिनाइयां हैं, इससे व्यापारियों को भी सुविधा होगी और सरकारी अधिकारी और ऐसी आथोरिटी के लिए भी

(श्री आदित्येन्द्र)

पाबन्दी लगाई गई है जिससे कि वह मन मानी नहीं कर सकें। उसको डिस्क्रिशन का अधिकार कम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ–

श्री परसराम मदेरणा : माननीय वित्त मंत्री जी आपने डिस्क्रिशन किस क्लोज में कम किया है। क्लाज 15 में सैल्स टैक्स आफिसर्स सी. टी. ओ. और ए. सी. टी. ओ को कहां लिमिट किया है ?

श्री आदित्येन्द्र : यह जो असेसिंग आथोरिटी हैं उन पर पाबन्दी लगाई है कि वह निश्चित अवधि में कर निर्धारण कर देगा। इससे जहां सरकार को फायदा होगा और जो केस अभी तक ऐसी स्थिति में पड़े रहते हैं कि जिनका कर निर्धारण नहीं होता है उनका भी निर्णय हो जायगा। तीस तीस साल से जिनका कर निर्धारण नहीं हुआ उनका निपटारा हो जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : कितने केसेज हैं।

श्री आदित्येन्द्र : यह जानकारी तो बाद में भी दे सकता हूं।

श्री मूलचंद डागा : बाद में दे दीजियेगा, कल दे दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 4 तक कोई संशोधन नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : खण्ड 4 को मैं डिलीट करने का संशोधन प्रस्ताव करता हूं। राजस्थान के हजारों और खास तौर से पाली जिले में काम करने वाले हजारों लोगों का सवाल है। मास्टर साहब ने कहा था यह खुरदरे हाथों का चमत्कार है, सम्पूर्ण क्रान्ति आने वाली है....

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय डिलीट करने का माननीय डागा जी ने संशोधन नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 2 से 4 तक के लिए मैं सदन की अनुमति लूंगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 5

श्री आदित्येन्द्र : मेरा अमेण्डमेण्ट है— In sub section (b) (i), for 'occurring', substitute 'according'.

श्री मूलचन्द डागा : मेरा खण्ड 6 में अमेण्डमेन्ट है। First I have to move my amendment.

श्री रघुनन्दन व्यास : पहले खण्ड 5 में संशोधन ला रहे हैं—

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इनको मालूम नहीं है। He is absent.

श्री रघुनन्दन व्यास : He is not absent but mentally absent.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय वित्त मन्त्री जी, आप क्या अमेण्डमेन्ट लाए हैं, क्यों लाये हैं? मोशन मूव करते समय Minister should explain in the House, why he has brought it ?

श्री आदित्येन्द्र : यह प्रिन्टिग की गलती है, 'occurring' की जगह 'according' होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : 'occurring' और 'according' में तो बहुत फर्क है।

श्री परसराम मदेरणा : आर्टिकल 202 में तो 'occurring' वर्ड को दूसरी तरह से इण्टरप्रेट किया है, इसलिए 'occurring' और 'according' में बड़ा फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 6। माननीय श्री मूलचन्द डागा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यसूची में समाविष्ट कार्य समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि आज की कार्यसूची में समाविष्ट कार्य समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

कार्य सूची में समाविष्ट कार्य समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया गया।

श्री मथुरादास माथुर : आज की कार्यवाही क्या रही, यह तो बता दिया जावे ?

श्री परसराम मदेरणा : क्या कार्य ले रहे हैं आज ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो प्रजेन्ट बिल है और एक छोटा सा संकल्प है।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो आज नहीं हो सकता। हमको समझा तो दो। संकल्प में अमेंडमेंट बिल का जो रेफरेन्स आया है उसमें क्या प्रस्ताव है, मेन एक्ट में क्या है, क्या नहीं है ? ये चार पन्ने हमको दे दिये। मन्त्री महोदय, समझा दें कि क्या अमेण्डमेन्ट है ?

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मन्त्री महोदय समझा देंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो तीसरा कार्य है वह राजस्थान जलप्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 है। उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा, मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

वह कार्य भी आज हो जाए प्रवर समिति को सौंपने का।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार कहे तो हम तैयार हैं।

श्री सूर्य नारायणचौधरी :एक6 तारीख के लिये तय किया है। तो 5, 6 व 7 की छुट्टी है। 4 दिन छुट्टी है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सहयोग दीजिए, I solicit your co-operation.

श्री परसराम मदेरणा : आप जो प्रस्ताव लाए हैं उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज जो कार्यसूची की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो सीवरेज वाला बिल है....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : Only for select committee.

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव लायेंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आया हुआ है। प्रवर समिति को रेफर करने के लिए आपसे बात भी हो चुकी है। सरकार का भी मन है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके प्रस्ताव को मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाय तो मुझे सलेक्ट कमेटी के नाम लेने का अधिकार रहेगा ? प्रवर समिति के सदस्य कौन होंगे यह अधिकार मुझे रहेगा या गवर्नमेंट ले रही है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : गवर्नमेंट ले आएगी। कोई दिक्कत नहीं, आपसे परामर्श कर लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आप इस प्रवर समिति को बनाइए तो हम अपनी बनायेंगे।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 पर खण्डशः विचार

श्री मूलचंद डागा : क्लाज 6 में मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, Substitute the expression :

"A sum not exceeding rupees five per day for the period during which default continues, but not exceeding in the aggregate fifty per cent of tax remaining unpaid according to return" for the expression.

"Rupees ten per day for the period during which the default continues but not exceeding in the aggregate fifty percent of the tax assessed for the peroid to which the return relates."

यह संशोधन प्रस्ताव मैंने दिया है। जो मुझ पर कर बकाया है वह कर देना चाहता हूं। जो रकम चुका दी उसका क्या हुआ ? रिटर्न्स मैंने भर दिए एक हजार रुपये दे दिये, मुझे कर देना है 1400। वित्त मंत्री जी, आप न्याय में विश्वास करते हैं, नैतिकता की आप पर छाप है इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी आपके खजाने में रकम दे देता है और कुछ रकम बकाया है तो आप पूरी रकम का आधा लेंगे या जो टैक्स बकाया है उसका आधा लेंगे ? आपने 10) रुपये प्रति दिन रखा है तो 5 हजार वाले पर भी 10) और 100)बकाया वाले पर भी 10 रुपये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका रूल्स आफ बिजनेस में मुझे समर्थन करने का अधिकार है। मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि मैं पूर्व में ही कह चुका हूं कि यह प्रोवीजन बड़ा हार्श है यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करेगा। ग्रोस सैल्स टैक्स पर 50 पर्सेंट नहीं लिया जाना चाहिए जो कर बाकी रह गया है उस पर लेने वाली

(श्री परसराम मदेरणा)

बात पर आपने सैकण्ड अमेंडमेंट रखा है। जब मैंने पढ़ा तो जो बात मैंने कही है उसके अनुरूप पार्टी से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लाज 6 में संशोधन रखा है। दस रुपए वाला और 50 प्रतिशत ग्रोस वाला डिफाल्टर और ईमानदार करदाता, जिसने जमा करा दिया है, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखना, इसकी कोई प्रोप्राइटी नहीं है। जिन्होंने राजघाट पर शपथ ली है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि वित्त मंत्री तब तक अधिकारियों से बात कर लें। यह ईमानदार असेसी के लिए हार्श प्रोवीजन रहेगा। अगर रिटर्न उसने क्वाटरली जमा कराया, टैक्स कम्पलीट जमा करा दिया, दो महीने टैक्स जमा कराया, तीसरे महीने टैक्स जमा नहीं करा सका इसके लिए इन्होंने विभाग को नीचे-नीचे इंसट्रकशंस ये दे दिए हैं कि जो तीसरे महीने का अगर टैक्स जमा नहीं कराता है तो रिटर्न ही मत लो। नतीजा यह होता है कि पैनल्टी इम्पोज करते हैं ग्रोस टैक्स पर। जो दे रखा है उसको माइनस नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अनपेड टैक्स का 50 पर्सेंट का औचित्य है लेकिन जिसने पूरे क्वाटर का टैक्स नहीं दिया है उस पर भी 50 प्रतिशत और जिसने दे दिया है उस पर ग्रोस टैक्स पर 50 पर्सेंट इस प्रावधान का औचित्य नहीं है। आप नैतिकता के आधार पर डिफाल्टर और ओनेस्ट करदाता को बराबर कैटेगरी में लाए हैं, आप समानता में विश्वास करते हैं। पैसेंजर एण्ड गुड्स टैक्सेशन की कच्ची व पक्की सड़कों के के लिए समान दर बजट में घोषणा कर दी। यातायात मंत्री ने उस समय घोषणा की सदन में धज्जियां उड़ाई। इन्होंने अधिकार ले लिया कि हम अलग अलग रूट्स पर, अलग-अलग एरियाज में अलग अलग नोटिफिकेशन निकालेंगे इसलिए आप इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री हरिसिंह (यातायात मंत्री) : मैंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : आप उस बिल को देख लीजिए जो आपने पास करवा दिया।

आप संशोधन लाए। घोषणा का मतलब यह नहीं है। आपने संशोधन के द्वारा उनकी घोषणा की धज्जियां उड़ाई हैं।

श्री हरिसिंह : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आपको ध्यान ही नहीं है, आप खड़े हो रहे हैं। आप गुड्स एण्ड पैसेंजर टैक्सेशन बिल को देख लीजिए, आपने उसमें संशोधन करवाया है 29 मार्च को उसके द्वारा आपने वित्त मन्त्री की घोषणा को बिल्कुल अनडन करवाया है यह बिल्कुल विरोधाभास है। आपको यह भी मालूम नहीं कि कौनसा बिल आपने पास करवाया था। बजट स्पीच के पैरा 77 के विपरीत है वह बिल जो आपने पास करवाया है, राज्यपाल महोदय की असेंट के लिए गया है।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी, संशोधन के बारे में कुछ कहना है ?

श्री आदित्येन्द्र : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्व मंडल का यह निर्णय है कि जितने दिनों का टैक्स ड्यू है उसका असेसमेंट हो गया है, ऐसी हालत में उस पर कोई पैनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इस-लिए जो कुछ निर्णय लिया गया है क्लाज 6 में संशोधन किया गया है वह इसी कारण किया गया है। राजस्व मण्डल का ऐसा निर्णय है।

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

श्रीउपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशो-धन प्रस्ताव श्री मूलचंद डागा ने खण्ड 6 में रखा है उसको स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खंड 6 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 6 स्वीकार किया गया।

खंड 7 में संशोधन है। क्लाज 7 में अमेन्डमेन्ट इन्ट्रोड्यूज करने के लिए प्रस्ताव रखा है मंत्री महोदय ने।

श्रीमथुरादास माथुर : हमारे पास तो है ही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : हमारे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज 5 और क्लाज 7 दोनों में अमेन्डमेन्ट इन्ट्रोड्यूज किया है। प्रभारी मंत्री जी।

श्री आदित्येन्द्र : In Section 10B propsed to be inserted —

(a) in clause (ii) of sub-section (1), after the words "from the end of the", insert "total", and

(b) in clause (1) of sub-section (2), after the expression "communication of such order to the assessing authority", insert "and all such assessments pending on the date of commencement of the Rajasthan Sales Tex (Amendment) Act, 1979 shall be completed within one year from the date of such commencement or within two years from the date of communication of such order to the assessing authority, whichever is later."

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी, इस संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा.

श्री मूलचन्द डागा : मैंने एक बात कही थी कि इन्होंने 5 साल का पीरियड रखा है "(1) No assessment shall be made—

(i) in cases under section 10-after the expiry of five years from the end of the relevant assessment year;"

पांच साल में तो योजना बनती है और आप अरबों की योजना बनाते हैं। अधिकारियों की इतनी भीड़ है फिर भी पांच साल का समय देंगे तो आप कैसे न्याय दे सकेंगे ? Justice delayed is justice denied. आप पांच-पांच साल में भी मुकदमा तय नहीं करना चाहते हैं तो मैंने मंत्री महोदय, आपको सुझाव दिया और यह कहा कि पांच साल की जगह कृपा करके तीन साल कर दीजिए। 5 साल ठीक नहीं रहेंगे। एक तरफ तो जनता पार्टी ने कहा कि हम न्याय सस्ता, सुगम और शीघ्र देना चाहते हैं और दूसरी तरफ 5 साल का पीरियड रखते हैं. In the proposed new section 10-B, in sub-section (1)-

(a) part (i) substitute the word "three" for the word "five"

(b) part (ii) in the proviso, replace the word "three" by the word "one".

मैंने कहा कि फैसला दे दो और जो फैसले में रुपया वापिस देते हैं तो उसके साथ ही साथ यह वाउचर भी इश्यू कर दे कि इतना रुपया ले जाओ। मैंने अभी कहा कि कोई रुपया वापस नहीं देता। चक्कर काटने पड़ते हैं और नजराना देना पड़ता है तब जाकर वह देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जजमेन्ट हो जाये उसी दिन वाउचर भी इश्यू कर दें रिटर्न का ताकि उसको तकलीफ नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री द्वारा जो संशोधन क्लाज 7 में पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जाये

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लाज 7 में रखा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। 5 साल की जगह 3 साल करवाना चाहते हैं, कमिश्नर 6 महीने के लिए पीरियड एक्सटेन्ड कर सकता है उसको 3 साल की जगह 1 साल करवा कर कमिश्नर की पावर हटवाना चाहते हैं ताकि डिले नहीं हो। यह तो बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। यह अमेन्डमेन्ट सिम्प्लीफिकेशन की ओर इंगित करता है। एक माननीय सदस्य ने इतनी मेहनत करके

(श्री परसराम मदेरणा)

एक संशोधन मूव किया है उसका वित्त-मंत्री जी जवाब ही नहीं देते हैं, यह हमारे साथ अन्याय होगा। वित्त मन्त्री जी जवाब दें कि जो रीजनेबल अमेन्डमेन्ट है क्लाज 7 में आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? और नहीं करते हैं तो किन कारणों से नहीं करते हैं ? पाली से आने वाले माननीय सदस्य जिस व्यापारिक वर्ग से हैं यह अमेन्डमेन्ट वह उन्हीं के विरोध में लाये हैं क्योंकि यह जानते हैं कि टैक्स इवेडर्स को ज्यादा समय देंगे तो निश्चित रूप से वह इसका मिसयूज करेंगे। इसलिए जो लिमिटेशन कम करवा रहे हैं यह बिल्कुल आपको स्वीकार करना चाहिये।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि पहली सरकार के समय कोई लिमिटेशन नहीं थीं और अब यह लिमिटेशन की जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : आप गवर्नमेन्ट में बैठे हैं यह सदन सावरिन है। पहली सरकार और पिछली सरकार की बात जाने दीजिए। आप इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, यह बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी ने कह दिया है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह इसके रीजन नहीं बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज 7 में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री मूलचन्द जी डागा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 8, 9, 10, 11 और 12

खण्ड 8 से 12 तक कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः मैं इनको सदन की सम्मति के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 से 12 तक स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 से 12 स्वीकार किये गये

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये गये

विधेयक का पारण

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को पारित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं। मैं इसलिए विरोध करता हू कि अभी भी हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि अभी विषय हमारे विचाराधीन है। दो साल हो गए और जनता को आपने वायदा किया था, वह पूरा नहीं कर रहे हैं। वह वायदा कब तक पूरा करेंगे इसका भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। दूसरे आपने कहा कि सरलीकरण करेंगे, उसके लिए भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि गांवों में बेकारी है, बेकारी एक अभिशाप है आपने जान बूझ कर हजारों गरीब लोगों को कहा था कि आजादी आई है वह इन खुरदरे हाथों से आई है। मेरे गांव में जो काटेज इन्डस्ट्रीज हैं, जो घरेलू धन्धा करते है चाहे सागांनेर हो, पाली हो, बगरू हो या बालोतरा हो, सब को भारी टैक्स देना पड़ेगा। आप अपने सैल्स टैक्स कमिश्नर को असैसमेंट के बाद 6 महीने का अधिकार दे देते हैं, वह इनकम टैक्स में नहीं है। यह आपका प्रोग्रेसिव कदम नहीं है। आपने पांच साल का पीरियड दे दिया है, मेरा सुझाव भी नहीं माना है। सारी जनता इसके विरोध में है। जनमत का जो मैंने मोशन दिया था वह भी आपने नहीं माना। आप तो सारी बातों की अवहेलना करते हैं। विरोधी दल ने जो सुझाव दिये हैं, उनका विरोध करने के आधार पर नो नो कहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय पर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रोहिबिशन की पालिसी है। आपको यह भी मालूम है कि सैवन्थ फाइनेंस कमीशन ने यह फैसला कर लिया है और भारत सरकार ने मान लिया है। कि सैल्स टैक्स से जो आमदनी होती है, भारत सरकार उसका 50 प्रतिशत कम्पेनसेट नहीं करेगी। केवल एक्साइज ड्यूटी के 50 प्रतिशत कम्पेनसेट करेगी। फाइनेन्स कमीशन ने तीन बाते कहीं हैं। जहां तक प्रोहिबिशन का संबंध है, जिस साल प्रोहिबिशन हो उस साल की एक्साइज ड्यूटी का बेस माना है उसका 50 प्रतिशत कम्पनसेट करेंगे और सेल्स टैक्स का एक पैसा भी कम्पेनसेट नहीं करेंगे आपका 8 करोड़ का सैल्स टैक्स है, उसका एक पैसा भी कम्पेनसेट नहीं करेंगे और इम्पलीमेंटशन पर खर्चा नहीं करेंगे। यह बातें उन्होंने साफ कही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका कोई एडवाइजर है? सैल्स टैक्स आपने बढ़ा दिया और एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। एक्साइज ड्यूटी कम करने से घाटा और बढ़ेगा। आप प्रोहिबिशन करने जा रहे हैं। 20 जिलों में

(श्री मथुरादास माथुर)

आपने प्रोहिबिशन कर दिया । 3 जिलों में अक्टूबर से करेंगे और बाकी तीन जिलों में अगली अप्रैल से करेंगे । जब आपको यह पता है सैवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट में साफ कहा है सैल्स टैक्स का लास कम्पेनसेट नहीं करेंगे, तो आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी चाहिये थी, जिससे कुछ मिलता । आपको इस चौराहे पर ऐसी सूरत में ला कर खड़ा कर दिया है कि राजस्थान का घाटा कर दिया । सैल्स टैक्स का बढ़ाना मीनिंगलैस है, राजस्थान को घाटा पहुंचाना है । मेरा निवेदन है कि जो आपने कहा है, आप यह कह रहे हैं । उसमें दो तीन गलतियां आपने की हैं । उन बातों का मै जिक्र नहीं करना चाहता । असेम्बली के पहले आपने टैक्स बढ़ा दिया । मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप शराब से आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, यह एक इकानामिक नीति है, हम भी इसके पक्ष में हैं, चाहे हम पीते हों नहीं पीते हों जो नहीं पीता है वह शरीफ आदमी है, जो पीता है वह बदमाश अदमी है, यह मैं नहीं मानता । गरीब आदमी को बचाना है, इकानामिक पालिसी है, इसलिये करना हैं । भैरोंसिह जी गोकुल भाई भट्ट को भूख हड़ताल से बचाना चाहते हैं। थर्ड आदमी ने भूख हड़ताल कर दी उससे इस सदन को क्या लेना ? इस सदन के चार माननीय सदस्यों ने घोषणा की थी, मनोहरसिंह मेहता, उजला अरोड़ा, बालकृष्ण थानवी और भंवरलाल ऐरन ने । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा था कि त्याग-पत्र दे दूंगा। मैं इस लिये कह रहा हूं कि राजस्थान की पालिसी का इस तरह से फैसला नहीं होना चाहिये कि एक आदमी भूख हड़ताल कर दे । गोकुल भाई भट्ट की जिन्दगी, का सवाल है । वह हमारे नेता है, आप लोगों के नेता तो अब बने हैं, हम तो बचपन मे मानते आ रहे हैं । आप तो नये मुल्ला बने हैं । मेरा निवेदन यह है कि गोकुल भाई भट्ट के लिये भैरोंसिह जी इस्तीफा देने को तैयार हैं और नहीं तो मास्टर आदित्येन्द्र इस्तीफा देने के लिये तैयार है । बाल कृष्ण थानवी जनता पार्टी के समाजवादी कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर हैं । वे ऊंडा पानी पीने वाले हैं उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न किया जाये ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये कहना चाहता हूं यह लोग ही प्रोहिबिशन करवा कर छोड़ेंगे । किसी की जिन्दगी के साथ आप मजाक नहीं कर सकते । हम भी प्रोहिबिशन इकानामिक पालिसी मानते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माथुर साहब, चर्चा समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस स्कोप में नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : भूख हड़ताल से फैसला करें, इसके विरोध में हूं । भूख हड़ताल के डर से फैसला किया जाय, यह नहीं हो सकता । एक की जिन्दगी प्यारी है और दूसरे की जिन्दगी प्यारी नहीं है ।

(श्री मथुरादास माथुर)

अगर उसकी जिन्दगी के साथ कुछ हुआ तो विरोध में बैठने वाले ही प्रोहिबिशन करवा कर छोड़ेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : The four walls of this Bill comprise 50 clauses. माननीय मन्त्री जी ने बात कही है कि मैंने कन्ट्री लिकर पर टैक्स इसलिये लगाया है कि योजना का आकार बढ़ा दूंगा। सैवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट की प्रतिलिपि मुझे नहीं दी है....

एक माननीय सदस्य : सब को दी जानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रति तो दिखलाइये।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे भी नहीं दी है। मैं तो विटनेस में गया था, वहां से आई है।

श्री परसराम मदेरणा : विटनेस में तो मैं गया था....

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मथुरादास जी को दे दी, परसराम जी को रख दिया। सब को दिलाई जाये।

श्री परसराम मदेरणा : आप भी सैवन्थ फाइनेन्स कमीशन की विटनेस में गये थे, आपको मिली क्या ?

श्री ईश्वर चन्द्र : मिल गई।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे नहीं मिली है।

श्री पदमसिंह राठौड़ : यह कह रहे हैं पढ़े लिखे आदमियों को दी जाये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह मैटर बड़ा रेलेवेंट है, अब मैं इसकी रेलेवेन्सी पर आ रहा था। प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में मोरारजी के सामने जो चाल चली गई, एक तरफ सैल्स टैक्स बढ़ाया और दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी कम करने की वजह से सैण्ट्रल असिस्टेन्स मिलने वाली थी प्रोहिबिशन की वजह से उसमें भी कमी हो जायगी। इस समय कर देते तो फरवरी से एक महीने और 25 दिन का मामला था लेकिन आगे बढ़ गई मियाद....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब, मैं निवेदन करूंगा कि इश्यू प्राइस कम करने से आप एक्साइज ड्यूटी कम करना क्यों मान रहे है ?

श्री परसराम मदेरणा : एक्साइज का मतलब है एक्साइज एक्ट के नीचे जो टैक्सेशन लग रहा है, यह तो मैंने मन्जूर किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये कहा है कि इधर कम कर दें और उधर बढ़ा दें तो कुल मिला कर आमदनी उतनी होगी। लेकिन उसका असर यह पड़ा, जब टोटल प्रोहिबिशन होगा तब जो टोटल प्रोहिबिशन से एक्साइज पर राजस्थान को एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत कम आमदनी होगी उसका 50 पर्सेन्ट मिलेगा तो वह भी उस अनुपात से कम होगा और कम होने की वजह से जो

(श्री परसराम मदेरणा)

आकार बड़ा बनाना चाहते हैं, उसमें तो खाई पड़ जायगी। मुंह इतना सा हो जायगा भारत सरकार के सामने।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आज विधेयक पारित करवाना चाहते हैं, वित्त मन्त्री जी का आखरी टैक्सेशन प्रपोजल है। एक और लाये हैं, यातायात मन्त्री जी रिट्रास्पेक्टिव डेट से कोई कन्सेशन देना चाहते हैं, कोई चेरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन की मांग चल रही है मोटर व्हिकल टैक्सेशन के अन्तर्गत।

इस बजट सेशन में वित्त मन्त्री जी के रेजिम में जिस तरह पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर महोदय ने जो कनवेन्शन्स और डेमोक्रेटिक वेल्यूज हैं उनका सत्यानाश किया है और यह बिल लाकर उनके कोफिन में आखिरी कील गाड़ी है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, यह जो बिल है इसमें आपने बड़े बड़े बिजनेस मेन को 5-5 साल तक असेसमेंट में छूट दे दी। आपने इसके अन्दर जो पेनल्टी लगाई है वह भी नहीं के बराबर की है। आपने इसके अन्दर रिफन्ड के मामले में इण्ट्रेस्ट लेने में कजूंसी बरती है। छोटी इण्डस्ट्रीज की कन्सेशनल चीजों पर भी टैक्स लगाया है तो आप राजस्थान की हालत चौपट करने पर उतारू हो गये है और फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरह की ढिलमिल नीति रही तो आप कुछ नहीं पायेंगे। आपने राजस्थान को घाटा दिया है घाटा देने पर आप सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने और भारत सरकार के सामने क्या दलील देने वाले हैं? इसलिये मेरा निवेदन है यह विधेयक आज वित्त मन्त्री जी पारित करवाना चाहते हैं अब चार दिन की छुट्टी होने वाली है और चार दिन तक यह सदन मीट नहीं होगा जैसा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे थे, एक माननीय सदस्य आमरण अनशन पर बैठा है, अगर कोई इन्सानियत है, कोई गैरत है तो मैं मानता हूं आपको कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिये। जो माननीय सदस्य आपकी पार्टी के हैं उन्हें कोई विश्वास प्राप्त करा कर भूख हड़ताल तुड़वानी चाहिये नहीं तो जो बिल ला रहे है, इस विधेयक के पास होने के बाद राजस्थान कन्सोलिडेटेड फण्ड में घाटा हुआ है, घोषणा की जो धज्जियां उड़ाई है यह सब परम्परा इस बजट सेशन में एक के बाद ऐसी चली है कि आपके पास उनका कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि राजघाट पर हम सब लोग गये थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चार दिन की छुट्टी है, उपाध्यक्ष महोदय, आप जल्दी कर रहे हैं। अब तो आपका सब मामला साफ हो गया है। 8.00 बजेंगे नहीं छः सवा छः तक छूटने वाले हैं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था आपके पास जनता सरकार के ट्रेजरी बैन्चेज के एक पास बना बनाया, उत्तर है रेडीमेड और वह हर जगह फिट कर देते हैं, तत्कालीन सरकार ने यह कर दिया। लेकिन आपने क्या किया? उपाध्यक्ष महोदय, एक

(श्री परसराम मदेरणा)

गांव में एक शासक था। एक गरीब आदमी उसके पास जाकर जाजम पर बैठ गया। तब उसने कहा, तू यहां जाजम पर कैसे बैठ गया ? उसने कहा, मैं नीचे चोकी पर बैठ जाता हूं, वह कहता है चौकी पर तो मैं बैठूंगा, अब तू कहां बैठेगा तो उसने फिर कहा मैं नीचे बैठ जाता हूं, फिर उसने कह दिया, यहां तो मैं बैठूंगा अब तू कहां बैठेगा, गरीब ने कह दिया, मैं खड्डा खोदकर बैठ जाऊंगा। तब शासक ने कह दिया यहां तो मैं बैठूंगा, । तो वह कह देता है कि मैं तुम्हारे पर रेत डाल कर बैठूंगा। तो आप कोल्ड स्टोरेज पर बैठे हो तो क्यों बैठे हो ? तत्कालीन सरकार ने यह कर दिया था, वह कर दिया था तत्कालीन सरकार में तो, मास्टर साहब, आप भी बैठे थे, आप भी शामिल थे। अब आप शीशे के मकान में बैठ कर यह कर रहे हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं तत्कालीन सरकार का जो यह बना बनाया जवाब है यह फैक्ट्री में मैन्यूफेक्चर किया हुआ रेडीमेड आपका रिप्लाई है इसको जल्दी तिलांजलि दे दें। विद्युत मन्त्री जी, मैं पूछ रहा हूं वे भी बहुत लम्बी चोड़ी छलाग भरते थे और अब हो गये। उनके टरबाइन फेल तो अब कोई छलाग लगाने की बात नहीं है लम्बी चौड़ी बातें वायदों के रूप में मत कीजिये। जो घोषणायें बजट में कीं उनके अनुरूप बिल नहीं लाये हैं। उसके बाद नई परम्परायें यह डालीं कि आज फाइनेन्स मिनिस्टर की जो प्रतिष्ठा होती है और बजट सैशन में जो सोल रिप्रेजेन्टेटिव होता है और जिसको चीफ मिनिस्टर के लेफ्ट की तरफ खड़े होकर भाषण पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है वह दूसरों को मिलने वाला नहीं है। ये हरि सिंह जी कितना ही प्रयत्न करें इनको वह सौभाग्य प्राप्त होने वाला नहीं है। केवल फाइनेन्स मिनिस्टर को ही मिल सकता है यह प्रिविलेज, और इस प्रिविलेज आपने छोड़ा है। इस प्रिविलेज को एक के बाद एक आपने डेलिगेट किया है सभी परम्पराओं को तोड़ कर उसके बाद यह बिल लाये हैं। एक कम्पलीकेटेड सैल्स टैक्स बनाया है और जनता पार्टी के घोषणा पत्रों के चिथड़े उड़ाये हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा जो टैक्सेशन एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो आपकी चेयरमैनशिप में है, वह तो रोज के जो टैक्सों के मामले आते हैं, उनके लिये हैं, सैल्स टैक्स एक्ट में कोई तरमीम करने के लिये नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री जो अपने वायदों से मुकर रहे हैं, अपने इस्तीफे से मुकर रहे हैं, सिम्पलीफिकेशन से मुकर रहे हैं, बिक्री कर की समाप्ति से मुकर गये और सब चीजों से आप मुकरते जा रहे हैंतो कब तक राजस्थान की जनता से आप वायदा फरामोशी करेंगे। अगर इस तरह वायदों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगें तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जो आपका असली चेहरा है उसको राजस्थान की जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिये इस विधेयक को जो पारित करने का प्रस्ताव है, इसके बजाय इस सदन को अस्वीकार करना चाहिये और आउट राइट रिजेक्ट करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलना बहुत जरूरी है,

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

मैं जानता हूं कि बिल तो आप पास करा लेंगे। मैं तो एक बात कहता हूं, मुझे हंसी आ रही है कि जनता पार्टी यह बिल पास कराने के लिए लाई है इससे साफ है कि चुनाव के वक्त का वायदा तो पूरा नहीं करेंगी। नई सरकार आएगी वह क्या करेंगी क्या नहीं वह अलग बात है। मगर इन्होंने एक जो वायदा बनियों के साथ किया था, उन बनियों को किस तरह से वायदा खिलाफी से राजी कर सकते हैं, इसका एक ही हल निकाला है। और तो कुछ नहीं कर सकते थे, मगर बनियों को सजा से बहुत डर लगता है, जेल से बहुत डर लगता है। जेल का नाम तो दूर रहा दरवाजा बन्द करने की बात कर लो तो भी अमुंजणी आ जाती है, और दिल घबरा जाता है। जेल में मत डालो, केवल दरवाजा बन्द कर दो तो वह चिल्लायेगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो इस तरह से जो आपने वायदा किया था उसे आप पूरा नहीं कर सके लेकिन यह वायदा दे दिया कि उसे जेल में नहीं डालेंगे। अब वह शिकायत नहीं करेगा। अगर आपको कहूं कि जिस बात से वह डरता था वह बीमारी हटा दी। बनिया बड़ा समझदार होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह रुपये सैंकड़े ब्याज पर आगे चला देता है। डेढ रुपया सैंकड़ा में लेकर ढाई रुपये में आगे चला देता है। जो जुर्माने का प्रोविजन रखा है उससे उसको कोई परेशानी नहीं है। सरकार जो चाहे वह जुर्माना कर दे, सरकार टैक्स बढ़ा दे, सब कुछ मंजूर है, जेल से ही वह डरता था। उसका नतीजा देखेंगे आप आने वाले सालों में। आपकी रिक्वरी जो होगी, सैल्स टैक्स कम वसूल किया जाएगा। आप याद रखना उस बात को जो डर उसके ऊपर था, जिस चीज से भय लगता था दुकानदारों को, व्यापारियों को उसकी आपने छूट दे दी। वह ब्याज और जुर्माने को बर्दाश्त कर लेगा। अगर उसके पास माल पड़ा है, माल आ गया है तो वह तो एक बार तो माल खरीद कर बेच देगा फिर जुर्माना बाद में माल बेच कर भर देगा। तो आपने सब बाते छोड़ दीं, उसको जिस बात का डर था उसका वह डर हटा कर आपने सबसे बड़ा गुनाह किया है वित्त मंत्रीजी। आपने उनके साथ तो दोस्ती निभाई है लेकिन स्टेट के लिए बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसका डर था वह खत्म कर दिया।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने जो भी लड़ाईयां छेड़ी, जो भी योजना का आकार बढ़ाने के लिए झूठा ढोंग बनाया, हमको इसकी वजह से ज्यादा रुपया मिलेगा, इसमें भी नाकामयाब रहे। यह लड़ाई फेल हो गई, चारों खाने चित्त। अब यहां पर योजना का बड़ा आकार बनाने के लिए उन्होंने झूठा ड्रामा किया, उससे मिलने वाली रेवेन्यू 30 से 60 पर्सेन्ट वाला भी ड्रामा था। जिस तरह से शराबबन्दी पर था, वह भी टैक्स बढ़ाने का ड्रामा था। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि कम से कम आपके दो साल के शासन में हम यह सोचते थे कि आप कोई अच्छी तस्वीर पेश करेंगे राजस्थान की जनता के सामने, उस अच्छी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

तस्वीर के बजाय आपने शक्ल बिगाड़ली। जो आपके प्रति सद्भावनाएं थीं, जो धारणायें लोगों की थीं वह गलत हो गई। अभी जिस तरह के सख्त शब्द सदन के विरोधी दल के नेता ने आपके लिए कहे हैं, वैसे शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी शक्ल बिगडी है। इस बिगड़ी हुई शकल को किसी तरह से सुधारें। चारों तरफ बिगड़ी है, एक तरफ ही नहीं बिगड़ी है, ये जो डंड बैठक पिला रहे हैं, जो कसरत

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कर रहे हैं बाहर और जो दूसरे दूसरे कानून ला रहे हैं उससे चारों तरफ आपकी शकल बिगड़ रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खैर मेरी बात का शायद आप पर असर नहीं होगा। मैं आखिर में एक बात कहता हूं। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, आप तो बहुत ही सज्जन पुरुष थे, सर्वोदयी नेता थे, हमारे थानवीजी है उनको आपने बलि का बकरा बनाया। जैसा कि अभी बताया गया सदन में कि वह दृढ़ निश्चय के आदमी हैं, वह जो निश्चय कर लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। किऐसा न हो कहीं हो जाय। अगर कुछ हो गया तो फिर आपकी शक्ल क्या बनेगी? फिर तो नाक काटे पर गोबर आदि लग जावेगा। न आपके पास राज रहने वाला है और न आपकी इज्जत रहेगी। दोनों ही बातें चली जायेगी। अभी मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि हमारी पार्टी का मामला है। तो पार्टी का मामला आप अपने घर में रखिये, सड़क पर मत लाइये। आप पार्टी के अन्दर जो कुछ करते हैं करें लेकिन इस बात की इजाजत नहीं है कि आप पार्टी के झगड़ों को चौराहों पर लाए। चौराहे पर लाने की इजाजत नहीं देंगे। इस तरह से झगड़े चौराहे पर लायेंगे और कुछ हो जाएगा तो आपका इस बात से पीछा नहीं छूट सकेगा कि हमारी पार्टी का मामला है। कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा उसका नतीजा? आज तीसरा दिन हो गया है उनकी भूख हड़ताल को। जब 9 तारीख को मिलेंगे तो उससे पहले आप कोशिश कीजिए मनाने की। यह कोई मामूली बात नहीं है। माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं और जन प्रतिनिधि हैं राजस्थान के वह एक क्षेत्र के नहीं हैं। वह हो पार्टी के आपकी सकते हैं परन्तु प्रतिनिधि सारे राजस्थान के हैं। बड़े पवित्र काम के लिए वे अनशन पर बैठे हैं। पवित्र काम को लेकर बैठे हैं। पहले तो गरीब को फंसा दिया और अब आप आराम से बैठे हैं। अब छुट्टियां मनायेंगे। तो जब तक मेहरबानी करके आप उनको नहीं उठायेंगे तब तक सदन की कार्यवाही चलेगी नहीं चाहे कुछ हो जाय और फिर आपका चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैं आखिर में एक ही बात कहता हूं कि और तो शायद आप कुछ नहीं करेंगे, बिल में अमेंडमेंट भी नहीं करेंगे, हमारी बातों का आप पर असर भी नहीं होगा मगर कम से कम जिस आदमी को आपने फंसा दिया है उसको तो निकालो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसके बाद मुझे इजाजत दें।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, सैल्स टैक्स को खतम करने की घोषणा कर जनता पार्टी ग्राम लोगों को राहत देने का एक तरह से झूठा झांसा देकर पावर में आ गई लेकिन साथ साथ इसमें जो पैनल्टी के नाम से छूट दी गई व्यापारी वर्ग को, वह यह कहना चाहिये कि उसके घर में बैंक खोल दिया है। वह रुपया पैनल्टी में करके एक सौ रुपये को कितनी ही बार इधर उधर करके कितनी ही कमाई कर ले। यह बात आपने नहीं सोची कि वह पैसा उसको रखने का क्या अधिकार है? वह पैनल्टी देकर रखने वाला कौन होता है? जनता अपनी ग्राम जरूरत की चीजें खरीदती है और उस पर टैक्स देती है। टैक्स का पैसा वह विचोलिया माल बेच कर और उस पर टैक्स लेकर अपने पास में रखता है, फिर सरकार को देता है। जो पैसा वह टैक्स का देता था उसकी पैनल्टी नहीं कर के छूट दे दी है। अगर वह पैसा नहीं जमा कराता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए लेकिन आप इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि कल फिर व्यापारी से चन्दा लेना है और चुनाव लड़ना है। व्यापारी से मदद लेनी है इसलिए आपने लम्बे समय तक रकम रखने की छूट दे दी है कि मर्जी हो तब तक सरकार की रकम रख ले, अपना व्यापार चलाए और जब मौका हो तो जुर्माना देकर बच जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि शोषण करने वाले तबके, व्यापारी वर्ग, को आपने यह अधिकार दे दिया है, उसके घर में बैंक खोल दिया है। वह इस पैसे से अपना रोजगार चलाए. कितनी ही दफा उस पैसे को चलाए और जब मर्जी आए पैनल्टी के साथ पैसा दे दे। उस पैसे को भी मर्जी होगी तो देगा नहीं तो नहीं देगा। घर में बैंक की छूट दे दी जब कि उसको जनता के पैसे को रखने का हक नहीं है। इसलिए पैनल्टी का प्रोवीजन नहीं रख कर सजा का प्रोवीजन रखिये, उसको बाजार में घुमाइये। साथ ही शराब पर जो आपने 30 पर्सेंट से 60 पर्सेंट किया है, जो रेट बढ़ा रहे हैं उसमें आपने यह कहा है कि देशी शराब पर यह लिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, देशी शराब कौन पीता है? मैं कहता हूं कि शराब बन्दी का माहौल बनाया गया है। शराबबन्दी की बात यहां पर चली उसमें सात जिलों में आप शराबबन्दी करके, शराब का धन्धा करने वाला को लालच देकर उनसे चन्दा वसूली करेंगे आपने शराब की तस्करी को और बढ़ा दिया है। जो इंगलिश वाइन पीते हैं उनको तो छूट दे दी। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि यह आपका तरीका एक पूंजीवादी तरीका है। गरीबों लूटने का तरीका है। यह असन्तोष बढ़ाने का तरीका है। मेरा कहना है कि इस विधेयक को पारित नहीं किया जाए। इसको वापस लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मन्त्री महोदय।

श्री रामाकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें। आपको अनुमति दे रहा हूं परन्तु जब भी घन्टी बजाऊं आप घन्टी सुनते ही अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आपका हाथ घंटी पर जाएगा उसके पहले ही मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नूरा जी ने जो विचार प्रकट किए हैं, उन विचारों को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरा यह निवेदन है कि इन्डिया पीनल कोड की धारा 409 का जो आफन्स सैल्स टैक्स इवेड करने वाले और सही समय पर टैक्स जमा न कराने वाले व्यापारी पर लागू किया जाना चाहिए। वे जो टैक्स वसूल करते हैं वह एक अमानत है अगर व्यापारी वह पैसा खजाने में जमा नहीं कराते हैं, उसको इवेड करते हैं तो इस सारी टैक्सेशन पालिसी के अन्दर धारा 409 के तहत इन लोगों को अपराधी मान कर सजा देनी चाहिए। जब तक आप अपनी टैक्सेशन पालिसी में यह मुल भूत दृष्टि चेन्ज से नहीं करेंगे तो मेरे विचार से आपके 50 पर्सेन्ट टैक्स की चोरी होती रहेगी। वह जनता से टैक्स वसूल कह रहा है। उस वसूली में से, उस टैक्स में से व्यापारी 50 पर्सेंट अपने पास रख रहा है। इस टैक्स को वसूल करने के लिए आपने कोई अमेंडमेंट नहीं रखा है, इस बिल में भी आप ने कोइ प्रावधान नहीं रखा है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप और राज्यों के समान अपने राज्य का सैल्स टैक्स नहीं करेंगे तो हमें हानि होगी। हमारे निकट ही पंजाब और हरियाणा राज्य हैं। हमारा किसान वहां जाकर ट्रैक्टर लाता है क्योंकि वहां पर सैल्स टैक्स कम है। आपको आश्चर्य होगा कि सरकारी अधिकारी खुद हिन्दुस्तान मोटर्स कलकत्ता सें खरीदते है, आप कितना सैल्स टैक्स वसूल करते है यह आपने स्वयं ने क्या मालूम किया है? बीकानर के के कलेक्टर महोदय कलकत्ता से मोटर लेते क्योंकि वहां पर सैल्स टैक्स कम है। यह कितना दुखदायी काम हैं। राजस्थान में डीलर उपलब्ध है, परन्तु उनसे न खरीद करके राज्य के बाहर से खरीदते हैं क्यों कि दोनों राज्यों में सैल्स टैक्स में डिफरेन्स है।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं और वित्त मन्त्री महोदय, आप से यह चाहूंगा कि आप इसका अपने जवाब में उत्तर दें। आप यह जो टैक्स की कमी वेशी कर रहे हैं, वह तो ठीक है क्योंकि बिना टैक्स के गवर्नमेंट नहीं चल सकती है, वेलफेयर स्टेट में टैक्स होने चाहिए और वसूल भी होने चाहिए परन्तु एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको याद होगा यह जो वूल टॉप का टैक्स है, सरकार ने यह टैक्स पीछे की डेट से रिट्रास्पेक्टिव डेट से किसी नीति से समाप्त किया है? उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अनैतिक काम है। क्या वित्त मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे?

चौथी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं और साथ ही साथ जनता

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

पार्टी के उन बहुमत विधायकों से अपील करूंगा जिन्होंने दस्तखत करके शराब बन्दी की मांग की और राजस्थान में इस पर इतना जोर दिया कि माननीय विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक ने शराब बन्दी के प्रश्न पर आमरण अनशन की घोषणा की। सत्ता पक्ष के कई माननीय विधायकों ने शराब बन्दी कराने के लिए आवेदन पत्र पर साइन किए हैं। उसे हाउस में भी रखा गया। आज वह माननीय विधायक अपने अपने दिल को टटोलें? क्या उन्होंने गम्भीरता से उस पर साइन किये हैं? या क्या वे इसके पीछे पोलिटिक्स खेल रहे थे? शराबबन्दी के इस प्रश्न पर, इस इश्यू पर मुख्य मंत्री को हटा दें। मुख्य मन्त्री ने बड़ी भारी भूल की थी जब उन्होंने यह कहा कि अगर गोकुल भाई एक अप्रेल से शराबबन्दी के प्रश्न पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यह उनकी भूल थी। उनके इस स्टेटमेंट के बाद में पोलिटिक्स चली और यह सारी कार्यवाही हुई कि शराबबंदी के प्रश्न पर दबाव डालकर गोकुलभाई को अनशन पर बिठाओ। गोकुलभाई इनके हाथ से निकल गये और ये हाथ में आ गये। माननीय विधायक, मैं चाहूंगा कि सारे विधायक जनता पक्ष के वहां पर जाएं और उनके सामने नाक रगड़ें और कहें कि हमसे भूल हुई। यह आपकी कमजोरी है। क्योंकि आप सत्तामुखी हैं। आप पद लोलुपता के शिकार हो रहे हैं। आपकी इसी कमजोरी के विरुद्ध उस गरीब पश्चिमी राजस्थान की आत्मा ने अनशन का यह कठोर कदम लिया है। राजस्थान में इसके भयंकर परिणाम निकलने वाले हैं। थानवी ने अपने उपवास से हमारा मुंह काला कर दिया है। उसको जाकर मनावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी बिराजें। माननीय वित्त मन्त्री महोदय।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जनता पार्टी की इसलिए आलोचना की है कि चुनाव के समय जो उसने वायदे किये थे बिक्री कर के सम्बन्ध में, उनको वह पूरा नहीं कर सकी है। यहां पर कई बार चर्चा चली है और मैंने भी यह कहा है कि जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए पूरा प्रयास कर रही है कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाए। जहां तक कि बिक्री कर के सरलीकरण का सम्बन्ध है उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसका नाम सेल टैक्स एडवाइजरी कमेटी है। इस कमेटी में सभी के रिप्रेजेन्टेटिव हैं। टैक्स कन्सल्टेन्ट के रिप्रेजेन्टेटिव हैं, व्यापारियों के रिप्रेजेन्टेटिव हैं और सरकारी प्रतिनिधि भी हैं। उनकी समय समय पर मीटिंग होती रहती है, वे अपनी सलाह देते रहते हैं और उस सलाह के अनुसार निर्णय भी होता है। यह जो बिक्री कर (संशोधन) विधेयक सदन के समक्ष है, उसमें भी जो सलाह दी गई थी, उस सलाह का एक प्रतिबिम्ब है। जहां तक इस बिक्री कर (संशोधन) विधेयक का प्रश्न है, यह बिक्री कर (संशोधन) विधेयक आपके सामने रखा गया है कि इसके सम्बन्ध में भी लगभग विचारों की पुनरावृत्ति हुई है। बार बार वे ही चीजें कही गयी हैं जो पहले कही गई थीं। लेकिन इस बिक्री

(श्री आदित्येन्द्र)

कर (संशोधन) विधेयक में कई बातों का ध्यान रखा गया है जिनके बारे में कह चुका हूं। कुछ सवाल ऐसे उठाये गये हैं जैसे कि जहां तक प्रोहिबिशन का सवाल है यह प्रोहिबिशन की नीति न केवल राज्य की है, प्रोहिबिशन बल्कि देश के जितने राज्य हैं, उनकी प्रोहिबिशन की नीति है, पोलिसी है। यद्यपि कुछ राज्य इसको स्टेजेज में करना चाहते हैं, 82 तक इसको ले जाना चाहते हैं परन्तु इसको 82 से आगे कोई भी राज्य नहीं खींचेगा। इसके पहले पहले सभी राज्यों को प्रोहिबिशन करना है। यहां पर 31 तारीख को राज्य की नीति की घोषणा हो गई है। उस समय मैंने कहा था कि अब जो भी इस सम्बन्ध में असेसमेंट हुआ है या और कोई चीज है तो उसको समाप्त कर देना चाहिए और इस नीति का हमें सच्चाई से क्रियान्वयन करना चाहिये। उस समय मैंने भी निवेदन किया था कि यद्यपि मैं चाहता हूं और पहले भी चाहता था कि 1 अप्रेल, 79 से पूर्ण मद्य निषेध लागू हो। लेकिन जब एक बार निर्णय हो गया और वह निर्णय भी 26 तारीख को अखबारों में निकला, उसके आधार पर यह कहा उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई जरूरत इस बात की नहीं थी कि हम इस सम्बन्ध में कोई आगे ऐसा कदम उठाते। उस समय भी मैंने आग्रह किया था, बाद में यह जान कर सब को दुःख हुआ और मुझे भी बड़ा भारी दुःख है कि माननीय थानवी साहब ने आमरण अनशन किया है। जैसे ही उन्होंने एलान किया, मैं 30 तारीख की रात को और पहली तारीख को भी उनसे मिला, और लोग भी मिले। प्रो. केदार भी मिले दूसरे विधायक-गण भी। सबने, पूरे सदन ने आग्रह किया। मुख्य मन्त्रीजी से भी निवेदन किया था इस सम्बन्ध में और आज ही में मुख्यमन्त्री जी उनसे अनशन त्यागने के लिए आग्रह करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वे आग्रह नहीं करें। यह एक गम्भीर विषय है। मैं जानता हूं माननीय सदस्य अनशन करें और हम चुपचाप बैठे रहें, ऐसी बात नहीं. ऐसा सम्भव नहीं हुआ और न हो सकता है। इसके लिए हम सभी एक तरह से चिंतित हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम आग्रह करेंगे ..

श्री परसराम मदेरणा : आप प्रवचन कीजिए, सब ठीक हो जायेगा।

श्री आदित्येन्द्र : दूसरी बात,यह ठीक है सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से केवल एक्साइज की आमदनी में नुकसान होगा उसका कपेनसेशन दिया जायेगा और विक्रय कर की जो कुछ हानि होगी या क्रियान्विति में जो कुछ भी खर्चा होगा उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। लेकिन यहां आमदनी का प्रश्न नहीं है। जब तक आमदनी का प्रश्न बना रहेगा तब तक प्रोहिबिशन पालिसी को प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत सरकार मदद करेगी भी तो 5 साल के लिए। 5 साल के बाद तो पूरा नुकसान होगा। इसलिए जब तक नुकसान सोचते रहेंगे तब तक प्रोहिबिशन की ओर हमारे पैर नहीं बढ़ सकते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और यह जो 30 से 60 पर्सेण्ट आमदनी बढ़ाने के लिए किया है वह ?

श्री आदित्येन्द्र : यह ठीक है कि यह जो अधिकतम सीमा सैल्स टैक्स की 30 से 60 प्रतिशत के लिये विधेयक रखा गया है सदन के सामने केवल शराब से आमदनी का सैल्स टैक्स होगा, इसलिये रखा गया है। कहीं और किसी जगह इसका उपयोग नहीं होगा लेकिन यह भी जब तक मद्य निषेध की नीति है उस समय तक ले सकते हैं। समय से पहले ही यदि मद्य निषेध लागू हो गया और मेरा विश्वास आज भी है कि यदि इसे ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया, राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार समय की अवधि 1-4-80 है, शायद इससे पहले ही लागू हो जाय तो ज्यादा से ज्यादा 12 महीने हम सैल्स टैक्स ले सकेंगे शराब से। तब तक यह आमदनी होगी। लेकिन अगर अगले साल या उससे पहले क्रियान्वित हो जायेगा तो सैल्स टैक्स का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह केवल मद्य पर लागू किया गया है ....

श्री परसराम मदेरणा : इन्कम का प्रश्न तो रहेगा ही एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रोहिबिशन के लिये इन्कम की आवश्यकता नहीं और इधर 30 से 60 पर्सेन्ट कर ले रहे हैं। यह तो विरोधाभास है।

श्री आदित्येन्द्र : यही मैं निवेदन करूं। यह जो कुछ भी विचार किया गया था उस समय तक मद्य निषेध की नीति कोई निश्चित नहीं हुई थी, उस समय ख्याल किया था कि राजस्थान में मद्य निषेध 1-4-79 से नहीं होगा। यह उस समय विचार नहीं किया गया था....

श्री मथुरादास माथुर : तो आज तो विथड्रा कर लें ...

श्री आदित्येन्द्र : लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। एक बार पैनल आमदनी का हो गया....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वूल टोप के बारे में क्या नीति है ?

श्री आदित्येन्द्र : उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : बात नहीं, बीकानेर में मुंह काला हो रहा है।

श्री आदित्येन्द्र : अभी कोई नहीं कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आमदनी की तो आप परवाह नहीं करते लेकिन जोधपुर कृषि उपज मण्डी है भगत की कोठी। वहां व्यापारी उसके यार्ड के बाहर अनाज बेचते हैं, सैल्स टैक्स की चोरी कर रहे हैं। लेकिन आमदनी की आपको चिन्ता हो तो। नहीं तो सब भूमि गोपाल की।

श्री आदित्येन्द्र : अगर कहीं चोरी होती है

श्री परसराम मदेरणा : भगत की कोठी के बाहर मैं कह रहा हूं व्यापारी लोग अनाज की खरीद फरोख्त सैल्स टैक्स मण्डी टैक्स बचाने के लिये कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

व्यवस्था का प्रश्न

केन्द्रीय अधिनियम को राजस्थान राज्य में अंगीकार करने सम्बन्धी शासकीय संकल्प के साथ अधिनियम की प्रति व उसके अनुवाद का सदस्यों को वितरण

श्री परसराम मदेरणा : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, । संविधान की धारा 252 ए के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य मन्त्री जी इसको ला रहे हैं। एक संशोधन जो किया गया है एक्ट में Water (Prevention and Control of Pollution) Amenement) Act, 1978, एक रिजोल्यूशन इस विधान सभा में जन व स्थ्य मन्त्री रख रहे हैं। इस रिजोल्यूशन को पारित कर देंगे तो वह संशोधित एक्ट राजस्थान में लागू हो जायेगा। तो जब कोई बिल आता है तो उसके रेलेवेण्ट एक्स्ट्रेक्ट आते हैं। न तो एक्ट हमारे पास है, न वह वितरित किया गया है जो 1974 में बना है। यह रिजोल्यूशन जन–स्वास्थ्य मन्त्री लाये हैं लेकिन हमको पता नहीं कि क्या अमेंण्डिग क्लाजेज हैं। प्रिंसिपल एक्ट के रेलेवेंट सेक्सन्श हमारे पास नहीं भेजे कौन सी जगह क्या अमेण्डमेंट कर दिये गये हैं, इसकी हमें कतई जानकारी नहीं है। क्या रिजोल्यूशन हैं, भगवान जाने। वह राजस्थान में लागू होगा। हो सकता है उसके आब्जेक्टिव अच्छे हों। साथ ही प्रस्ताव तो ये लाये हैं लेकिन उसका हिन्दी ट्रांसलेशन नहीं मिला है। प्रस्ताव मूव कर रहे हैं वह हिन्दी में है और यह अंग्रेजी में। इस पर मेरे जैसा कम अंग्रेजी पढ़ा आदमी कैसे राय दे सकता है? दूसरी बात हिन्दी ट्रांसलेशन नहीं, प्रिंसिपल एक्ट हमारे सामने नहीं। 22 क्लाजेज हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 22 क्लाजेज को, अलग सैक्सन्स को यह अमेण्ड करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल एक्ट के 22 सैक्सन्स में अमेण्डमेंट हो रहा है। कम कम मानलें, तो उनका एक्स्ट्रेक्ट न देकर माननीय प्रभारी मन्त्री जी यह प्रस्ताव अन्धेरे में हम से पास करवाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक लेजिस्लेशन के साथ न्याय नहीं होगा। हम अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकेंगे। नहीं तो इसके लिए यही कर देते, यही कह देते कि जो उन्होंने कर दिया है. संसद ने कर दिया है पार्लियामेंट ने उसी को यहां पर एप्रूव कर दें। हम इस पर चर्चा का समय चाहते है। इसलिए हमको प्रिंसिपल एक्ट दिया जाय, रेलेवेन्ट सैक्शन्स के एक्स्ट्रैक्ट्स दिये जाये और हिन्दी में अनुवाद किया जाय ताकि उसको पढ़ कर अपने विचार इस सदन से रख सके।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय विरोधी दल के नेता ने तीन मुद्दे खास तौर से उठाये हैं। एक मुद्दा तो यह है कि क्या ओरिजिनल एक्ट है और कौन से सैक्शन्स हैं जिनमें अमेंडमेंड किया गया है, उनके पास में इसकी कापियां नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ओरिजिनल एक्ट है, 1974 में

(श्री हरिसिंह)

पार्लियामेंट ने बनाया था और 74 में ही विधान सभा में एडाप्ट हो गया था। यह 71 में इस विधान सभा ने रिजाल्व किया था कि ऐसा एक्ट पार्लियामेंट बनाये। मैं खास तौर से माननीय परसरामजी से यह जरूर आशा करता हूं कि यह सब बातें उनको मालुम है। आप अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं अंग्रेजी। वकील भी आप हैं। तो आपने जो खास तौर से एतराज उठाया है कि अंग्रेजी समझते नहीं है, यह पर्सनल जो एतराज है आपका यह मैं मानता हूं आपने....

श्री नूरा : आपने हाउस के हिसाब से किया है और आप व्यक्तिगत जवाब दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह : व्यक्तिगत हिसाब से इस चीज को कहा था कि आप वकील हैं और अंग्रेजी से वकालत की है ओरिजिनल एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है वह अंग्रेजी में है। यह जरूरी नहीं था कि इसका अनुवाद किया ही जाती, क्योंकि चेन्जेज माइनर है खास चेन्जेज मैं उदाहरण के रूप में रखूं....

श्री लालचन्द : हिन्दी में ट्रांसलेशन करवा दें।

श्री हरिसिंह : पहले यह था कि सीवेज पोल्यूशन अण्डरग्राउण्ड वाटर पोल्यूशन लैण्ड एनवायंनमेंट खराब करते हैं। जोधपुर व पाली में पानी का पोल्यूशन हो रहा है उसको सही रोका जायेगा तो किसानों के कुए खराब हो रहे हैं, खेत खराब हो रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सबका समाधान करने के लिए, इनको रेमेडी दिलाने के लिए पहले लाइन में पानी छोड़ देते हैं और स्ट्रीम और वैल में छोड़ते हैं तो पाल्यूशन होता है। इसके साथ में दूसरा संशोधन है। चैयरमैन की क्वालिफिकेशन के बारे में। कोई मेजर सशोधन इसमें नहीं है जिससे खास परेशानी हो। जो लोग पाल्यूशन से सफर करते हैं उनको राहत दिलाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इस पर फिर से विचार करें और इसनो अडाप्ट करे ताकि बहुत से लोगों को राहत मिले। खास तौर से डागा जी के इलाके में काफी पाल्यूशन हो रहा है, वहां के लोगों को राहत मिलेगी। अगर यह पास नहीं होगा तो पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा कि डागाजी को पर्सनली परेशानी पैदा हो जायेगी। तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको अडाप्ट कर लिया जाय, ताकि बहुत से लोग जो इससे प्रभावित है, उनको रिलीफ मिले।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो आपने कहा कि इस सदन ने 74 में अडाप्ट किया था तो इस सदन में एक प्रस्ताव प्रिन्सिपल एक्ट बनाने के पहले 19 1 में आया था। 1971 में कान्सटीट्यूशन के आर्टिकल 252 के अन्दर प्रस्ताव यह पारित किया था कि इस पर यदि सैन्ट्रल विधेयक बनाया जाता है तो हम सहमत है। उसके बाद 74 में एक्ट बना और चूंकि इस विधान सभा का प्रस्ताव था वह एक्ट राजस्थान पर भी

(श्री परसराम मदेरणा)

लागू हो गया । लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हैं कि चूंकि 1971 में इस विधान सभा का प्रस्ताव था और 1974 में अडाप्ट हुआ तो एक्ट की प्रतिलिपि हमको मिल गई। उसके बारे में जानकारी हमको कोई नहीं मिली। यहां पर रखा गया तो सरकार का फर्ज था कि वह आज लाते और हमको देते। अधिनियम कहीं होगा तो स्टेट्यूट बुक में होगा। आज जब ला रहे हैं इस प्रस्ताव को तो इसका मतलब यह नहीं कि किन क्लाजेज मेंअमेण्डमेंट किये हैं यह देखने के लिये एक्ट की जरुरत नहीं है। यह हमें मालूम होना चाहिये कि प्रिन्सिपल एक्ट के जिन 22 क्लाजेज में संशोधन रखे जा रहे हैं वह क्या रखे जा रहे हैं और वह क्या क्लाजेज हैं। उनको बिना समझें हुए यहाँ सदन में कोई बात कहना हमारे लिए सम्भव नहीं है। अंग्रेजी का विद्वान नहीं हूं यह मैंने कहा है, इंगलिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत, मामूली जानता हूं। हिन्दी ट्रान्सलेशन आफिशियल लेंग्वेज एक्ट के अन्दर किसी भी बिल या एक्ट का आप संशोधन लाते वक्त नही देते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नई परम्परा डाल रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। पहले जब कभी भी इस प्रकार का अडाप्शन हुआ है तो उसका ट्रान्सलेशन दिया गया है सदन के अन्दर और प्रिन्सिपल एक्ट के एक्स्ट्रैक्ट्स दिये हैं।

तो मेरा यह निवेदन है कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य के लिये पाल्यूशन की बात कह दी तो यातायात मंत्रीजी पाल्यूशन का मतलब नहीं जानते हैं । पाल्यूशन दो तरह का और होता है। आप वाटर पोल्यूशन की बात कहना चाहते है लेकिन संसार भर में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि नोइज पोल्यूशन का असर दिमाग पर पड़ता है । माइण्ड पोल्यूशन हो रहा है और एपीड के साथ में हो रहा है। यह खतरनाक स्थिति है।

मेरा यह मानना है कि जब तक आप यह नहीं देंगे इस सदन में कोई माननीय सदस्य अपने विचार कैसे रख सकता है ? जब कोई बात अडाप्ट करनी हो तो कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है या कोई खड़ा होकर बोलना प्रारम्भ कर देता है और रिसर्च सैक्शन खोल देते हैं। रिसर्च करना हो तो घर पर करें। इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान हैं। वह नहीं जानते हैं अंग्रेजी और दूसरी विदेशी लोगों की भाषा को। वह कम बैठे हैं उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है। कई माननीय सदस्य इस सदन के सत्तारूढ़ पार्टी के नियम समिति के मेम्बर थे वह कहते थे, जब अंग्रेजी में पढ़ते थे कि हिन्दी में पढ़ो हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो हमें हिन्दी में रखना चाहिये। तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि अगर हम टूटी फूटी अंग्रेजी जानते हैं।

(व्यवधान)

प्रिन्सिपल एक्ट के बारे में कहना चाहता हूं एक बात बताइये कुछ बातें इसमें कही हैं....

श्री ईश्वरचन्द्र : प्रिन्सिपल एक्ट मिल गया है 30 तारीख को । इसमें लिखा है।

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रिन्सिपल एक्ट नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अमेंडिंग क्लाजेज है प्रिन्सिपल एक्ट नहीं है। इसमें नोइज पोल्यूशन और माइण्ड पाल्युशन—यह कर दिया है। जिस तरीके से चेन्जेज चाहते हैं वह जब तक प्रिन्सिपल एक्ट नहीं हो तब तक नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रभारी मंत्रीजी क्लाज वाइज स्वीकार कराना चाहते हैं तो इसमें यह कहा गया है बोर्ड का गठन गलत तरीके से हो गया है। 22 क्लाज हैं, बोर्ड का गठन गलत तरीके से सैक्शन 4 के अन्दर हो गया है, लेकिन कभी भी गलत हुआ हो हम अमेंडमेंट के जरिये से उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं।

अब यह अपना बोर्ड का हुआ है। क्या हुआ है, क्या नही हुआ है। यहां तो प्रिंसिपल एक्ट ही सामने नहीं है।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बोर्ड ने अडाप्ट किया था। इसमें यह था कि विदिन सिक्स मन्थ। अगर 6 महीने में नहीं बनाते हैं....

श्री परसराम मदेरणा। 74 में कहां किया है ?

श्री हरिसिंह : 74 में ....

श्री परसराम मदेरणा : क्या बात करते हैं। 71 में प्रस्ताव किया है। वह हमने 74 में बनाया है। वह यहां लागू हुआ है।

श्री हरिसिंह : इसके आधार पर सेन्ट्रल में एक्ट बना है। इसमें यह था कि 6 महीने तक बोर्ड बना देंगे तो लीगल होंगे। 6 महीने के बाद बनायेंगे तो बोर्ड लीगल नहीं होगी। राजस्थान में विदिन सिक्स मन्थ वह बोर्ड नहीं बनाया। ऐसा हो सकता है कि दूसरी स्टेट्स में नही किया हो। इसका अमेंडिंग पार्ट है, वह है—

Witnin six months the Board will be constituted. Notwithstanding any thing containted in sub Section 4

अगर बोर्ड 6 महीने में नहीं बनेंगे लेकिन लास्ट में /22 अमेण्डमेण्ड का है। इसमें पहले का नही है। ये अब कायदे से बोर्ड गठित माने जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना की बात तो यह है कि यह लिखा है—

Clause 1 (3) it shall come into force. at once in the States of Assam. Haryana and West Bengal end the Union territories...."

राजस्थान का नाम हो नहीं है।

(व्यवधान)

आप सुनिए। आप तो स्प्रिंग के खिलौने की तरह से एकदम उठ पड़ते है।

(श्री परसराम मदेरणा)

आपकी स्टेट का नाम ही नहीं है। जो प्रहरी है भारत का उस स्टेट का नाम ही नहीं है। क्या इसे कोई स्टेट ही नहीं माना हैं। अभी कह रहे थे कि बदलने वाले हैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक चिपको आन्दोलन है जो उत्तराखण्ड में चल रहा है। यहां जब कोई पेड़ काटा जाता है तो वहां के आदिवासी उस पेड़ से चिपक जाते हैं। उसके चलाने वाले सुन्दरलाल बहुगुणा हैं। यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड में चल रहा है।

तो यह सरकार चिपको आन्दोलन नहीं चलाये। आप राजस्थान के नाम को ऊंचा उठायें। छवि छोटी स्टेट्स के नाम हैं, हरियाणा का नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने अमेन्डमेण्ट पेश किया है। जब यह एक्ट लायेंगे तब यह होगा। जब यह खुद करेंगे।

श्री हरीसिंह : माननीय परसराम मदेरणा वकील भी रहे है। अभी भी अच्छे वकील हैं। यह अमेण्ड करने के लिए पेश किया है। इन क्षेत्रो में लागू हो गया है और सैण्ट्रल टेरिटरीज में लागू हो गया है। अगर राजस्थान असेम्बली अमेण्डमेन्ड करने के लिए रिजोल्यूशन भेजती है तो ओटोमेटिकली लागू हो जाता है। अडाप्ट करने की जरूरत नहीं है। 74 में अडाप्ट कर लिया गया है तो जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इस रिजोलूशन को आप बाद में अनेण्डिग बिल के लिए भेज सकते हैं।

श्री हरिसिंह : अगर पहले ही कर लेते तो जरूरत ही नहीं होती।

श्री परसराम मदेरणा : प्रिंसिपल एक्ट के लिए कानून बना लेना चाहिए। लेकिन दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब, आप प्रोवीजन देख लें।

श्री हरिसिंह : एक तो यह कहा है....

श्री मूलचन्द डागा : एक साथ विराज कर।

श्री मथुरादास माथुर : विरोधी दल के माननीय नेता ने यह सवाल उठाया है यह महत्वपूर्ण है। मैं मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स से यह कह रहा हूं। उनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर कोई अंग्रेजी में दरख्वास्त लाता है तो वह....

श्री परसराम मदेरणा : फाड़ देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप यहां बैठते हैं। यह कहते हैं कि अंग्रेजी में नहीं लेंगे। मैं अंग्रेजी में एक्ट कह रहा हूं। माननीय सदस्य अगर पढ़ते है तो मैं कहना चाहता हूं Don't take this House as granted.

(148)

(श्री मथुरादास माथुर)

में जानबूज कर अंग्रेजी बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

यह गलती इनकी नहीं है। यह मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स की है। हाउस के अन्दर इनको यह देखना चाहिये, इन्होंने यह कहा है कि 1978 का जो अमेण्डमेंट एक्ट है। 78 में अमेण्डमेंट करके पार्लियामेंट में मंजूर करके एक्ट भी बना दिया है। 74 में एक्ट बन गया है, अब बताइये। हमने तो उसको भी नहीं देखी है। भले ही उसको हिन्दी में संक्षिप्त करके दें उसकी कापी तो हमको मिलनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमें इसको पास करना है तो हम अमेन्डमेंट ही मूव नहीं कर सकते है। आखिर पार्लियामेंट ने लोक सभा ने इस पर अपना माइण्ड बनाया है। यह तो नेग्लीजेंस है इससे अच्छा यह होता है कि हिन्दी में ही दे देते। वह एडवोकेट भी रहे हैं। हाउस को पालिसी क्या है ? मैं आगे के लिए कह रहा हूं। कम से कम उस एक्ट का एक्स्ट्रेक्ट तो हिन्दी में दें।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में आना चाहिए था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री मथुरा दास माथुर : अब दूसरा निवेदन यह करना है कि यह हिन्दी में लायेंगे तभी बहस करेंगे। अगर आप यह कहते हैं कि प्रस्ताव मूव हो गया तो उस पर बहस होगी। हिन्दी में नहीं आने से सदन को यह पता कैसे चलेगा कि इस की क्या मंशा है ? मैं तो ईमानदारी से कहता हूं। हम क्या कहें। राजस्थान का एक्ट होता और सेण्ट्रल का एक्ट भी लाते जिससे दोनों के बारे में मालूम होता। इसलिए वह दिलाना चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा : श्रीमान, यह जो अभी विरोधी दल के माननीय नेताओं ने कह दिया, वह सही है। कोई बिल कैसे पेश होता है, उस बिल के अन्दर क्या प्रावधान हैं, क्या फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्श है, यह सब उसके साथ होना चाहिये। इस तरह से उसका आधार लगाना चाहिए। उधर बैठने वाले जो लोग हैं, यह जो संकल्प ला रहे हैं, जनता पार्टी ने इसको देखा या नहीं ?

श्री ईश्वर चन्द्र : यह रिकार्ड पर पर आना चाहिए कि अंग्रेजी में नहीं रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय मदेरणा साहब और माथुर साहब ने जो आपत्तियां उठाईं उनके बारे में व्यवस्था यह है कि बहुत सी व्यवस्थाओं के बारे में नियमों के के तहत उल्लेख नहीं है, सुविधा की दृष्टि से व्यवस्था दी जाती है। जो संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है यातायात मन्त्री महोदय द्वारा, किस प्रकार से किया जाय, या उसकी भाषा होनी चाहिए, उसकी और

(श्री उपाध्यक्ष)

क्या-क्या आवश्यकताएं हैं, उस पर किस प्रकार से चर्चा हो सकती है, प्रिलिमिनरी नेसेसिटीज क्या हैं उस के लिए नियमों में प्रावधान है। संकल्प विधिवत आता है तो नियमों के तहत उसकी अनुमति दी जा सकती है। माननीय मदेरणा साहब ने दो बातें बताई इस संकल्प के द्वारा पालियामेंट में जो अधिनियम पारित हुआ है उस को स्वीकार करना चाहते हैं। वह ओरिजिनल इसके साथ हो या रेलेवेन्ट एक्सट्रैक्ट इस रिजोल्यूशन के साथ होने चाहिए। दूसरी आपत्ति यह है कि हिन्दी की कापी होनी चाहिये। मैं इस मामले में यह कह सकता हूं कि कान्सटीट्यूशन के आर्टिकल 252 में प्रावधान है कि रिजोल्यूशन अगर पार्लियामेंट पास करती है तो रिजोल्यूशन के लिए आवश्यकता यह रहती है कि ड्राफ्ट कापी उसके साथ भेजी जाए। इसलिए रिजोल्यूशन को प्रस्तुत करने या अमेण्डमेन्ट को स्वीकार करने के लिए यह नियमों में आवश्यक नहीं है। पहले का रिजोल्यूशन है जिसमें लॉ को एक्ट करने के लिए यह संकल्प पारित कर दिया जाता है। प्रस्तुत संकल्प के द्वारा जो पार्लियामेंट ने स्वीकार किया उसकी अकाउण्टेबिलिटी यहां प्रस्तुत कर दी गई है। नियमों में आवश्यक नहीं है कि रेलेवेन्ट एक्सट्रैक्ट या हिन्दी टांसलेशन रखा जाय, यह सुविधा की दृष्टि से आवश्यक हो सकता है। भविष्य में माननीय सदस्यों को यह सुविधा दी जा सकती है तो यह चर्चा के लिए उचित और युक्तिसंगत रहेगा। इस समय अगर यह पालना नहीं की जा रही है तो इस आधार पर इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसका रेलेवेन्ट एक्सट्रैक्ट नहीं है या हिन्दी में होना चाहिए। इसलिए माननीय यातायात मंत्री महोदय जो संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं उसको प्रस्तुत करने की मैं इजाजत देता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आर्टिकल 252 यह नहीं कहता है, यह साफ है कि संकल्प जो पेश करने जा रहे है उसके कन्टेन्ट्स देखें। वह एक्ट बनने जा रहा है, यह राज्य के एक्सचेकर पर असर डालेगा। आर्टिकल 252 यह है :

(1) If it appears to the Legislature of two or more states so be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make law as for the State except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the House of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two House, by each of the Houses of the Legislature of the State.

तो जब राजस्थान विधान सभा इस संकल्प को पारित करेगी तो उसके द्वारा वह सैन्ट्रल

(श्री मूलचन्द डागा)

गवर्नमेन्ट के एक्ट को लागू करना चाहती है। यह तो देखना चाहिए कि उसके क्या कन्टेण्ट्स है, क्या आप लागू करना चाहते हैं। 252 आर्टिकल का मतलब यह है कि यह जो अमेन्डमेन्ट दिया है वह लागू हो गया राजस्थान में। मैंने इसको देखा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब जो अमेण्डमेन्ट बिल इस संकल्प के द्वारा लिया जा रहा है उसकी पुष्टि की जानी है, वह तो दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : उसका एक्सट्रैक्ट नहीं दिया गया है। रेलेवेन्ट एक्सट्रैक्ट नहीं देवें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है कि प्रजेन्ट एक्ट ओरिजनील एक्ट है उसकी कापी या रेलेवेन्ट एक्सट्रैक्ट की कापी नियमों के तहत देना आवश्यक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, लेकिन जैसी आपने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था से तो ऐसा है कि रिजोल्यूशन पास कर दीजिये चाहे अनुवाद नहीं हो, चाहे प्रिन्सिपल एक्ट भी नहीं हो, रेलेवेन्ट एक्सट्रैक्ट भी नहीं हों, समझ में आये या नहीं। रिजोल्यूशन पास करते हैं तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो समझमें नहीं आती है कि ओरिजिनल क्लाज क्या है। सब-सैक्शन के पार्ट में अमेडण्डमैंट है। सदन में इस प्रकार का रिजोल्यूशन, जो कान्स्टीट्यूशनल रिजोल्यूशन आया है, में तो आवश्यकता नहीं है। इसमें डेलिगेट नहीं कर सकते अच्छा तो यही होता। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि अपनी राय व्यक्त कर दूं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग को मैं चेलेन्ज नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं 1977 का अमेण्डेड एक्ट है, प्रेसिडेन्ट की असेन्ट हो चुकी है The amended Act of 1974 was amended by the Parliament in 1978.

श्री उपाध्यक्ष : वह तो हाउस को बताया कि ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहते हैं, मैंने व्यवस्था दे दी। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माननीय मंत्री महोदय संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद—

मूल अधिनियम जिस भाषा में है उसी भाषा में संशोधन प्रस्ताव

श्री मथुरादास माथुर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। इंगलिश में मूव करना पड़ेगा एक्ट इंगलिश में है। क्योंकि ओरिजिनल एक्ट अंग्रेजी में है इसलिए अमेंडमेंट्स भी अंग्रेजी में आने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माथुर साहब, क्या मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि अगर रिजोल्यूशन हिन्दी में है तो पार्लियामेंट के लिए आवश्यक है कि कानून भी हिन्दी में ही बनाएं ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर ओरिजिनल एक्ट अंग्रेजी में है तो अमेंडमेंट्स जितने आते हैं, अंग्रेजी में ही आते हैं और हिन्दी में अनुवाद आता है । अगर ओरिजिनल एक्ट हिन्दी में है तो संशोधन भी हिन्दी में आते हैं ।क्योंकि यह ओरिजिनल एक्ट अंग्रेजी में है तो रिजोल्यूशन भी अंग्रेजी में आना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे सहमत नहीं हूं । इस विधान सभा की भाषा में हिन्दी है, तो संकल्प हिन्दी में प्रस्तुत किया जा सकता है । रिजोल्यूशन जो प्रस्तुत किया गया है हिन्दी में किया गया है और वर्तमान जो संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है....

श्री मथुरादास माथुर : आप रोज देखते हैं, अपने यहां यदि ओरिजिनल एक्ट अंग्रेजी में है तो अमेंडमेंट भी अंग्रेजी में आते हैं और हिन्दी में अनुवाद आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट मोशन है, वह शायद हिन्दी में ही दिया जाता है, अंग्रेजी में आवश्यक नहीं है । ओरिजिनल मोशन हिन्दी में ही रखा जाता है ।

श्री मथुरादास माथुर : ओरिजिनल एक्ट अंग्रेजी में है, तो अमेंडमेंट अंग्रेजी में होगा । मैं आपकी रूलिंग मानने को तैयार नहीं हूं इस मामले में । अमेंडमेंट अंग्रेजी में होगा और अनुवाद हिन्दी में आएगा क्योंकि अंग्रेजी एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं । रूल्स आफ बिजनेस में है, कन्वेंशन है. आज तक करते आए हैं । हिन्दी में ओरिजिनल एक्ट है तो हिन्दी में अमेंडमेंट आएगा, अंग्रेजी ट्रांसलेशन आएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यह सेन्ट्रल लॉ है ।

श्री मथुरादास माथुर : एक्ट अगर अंग्रेजी में है amendment mist be in English.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस आपत्ति को उचित नहीं समझता ।

शासकीय संकल्प

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम 1978 का अंगीकरण

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 262 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस विधान सभा ने मई 1971 के 12वें दिन इस आशय का संकल्प किया कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण तथा जल की स्वास्थ्यप्रदता के अनुसरण या पुनर्नवीनीकरण सम्बन्धी मामले इस राज्य में संसद द्वारा विधि के जरिए विनियमित किए जायेंगे और अतः उक्त संकल्प के आधार पर इस राज्य के लिए संसद ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) अनियमित किया था,

(श्री हरिसिंह)

अतः अब संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के साथ पठित उसके खंड (1) के अनुसरण में यह विधान सभा, एतद् द्वारा संकल्प करता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 44) राजस्थान राज्य व इसके संबंध में अंगीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यातायात मन्त्री आप चर्चा उठाना चाहेंगे ?

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया था कि वाटर पोल्यूशन और एन्वार्नमेंट पोल्यूशन का वातावरण औद्योगीकरण के साथ में इस देश में बढ़ रहा है उसको देखते हुए इस पोल्यूशन की रोकथाम करना जरूरी है। इसी आशय से यह बिल देश में बनाया गया था। खास तौर से राजस्थान विधान सभा ने मई 1971 में संकल्प किया था। अब औद्योगीकरण के साथ साथ स्थिति ऐसी पैदा हो रही है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो अंडरग्राउंड वाटर का पोल्यूशन, एनवायनमेंट के पोल्यूशन और सर्फेस वाटर को पोल्यूशन की ओर जो मेग्लीजेंस बढ़ती जा रही है खास तौर से पाली, जयपुर व कोटा और जहां जहां भी इंडस्ट्रियल सेन्टर्स हैं वहां वहां जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको रोका जाना जरूरी है। ऐसी हालत में जब कि राजस्थान औद्योगिक रूप से एडवान्स कर रहा है तो इस पोल्यूशन की पोसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ रही है। पहले भी यह एक्ट यहां लागू था लेकिन उसमें कुछ खामियां थीं। हरियाणा व बंगाल ने यह रिजोल्यूशन दुबारा करके सेंटर को भेजा कि यह एक्ट अमेंड किया जाना चाहिए। नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं जिनके कारण से कुछ अमेंडमेंट्स करने के सुझाव दिए थे। उसी के आधार पर पालियामेंट ने 1978 में अमेंड किया। इन अमेंडमेंट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि काफी खामियां थीं वह मिट गई हैं। जरूरत होगी तो समय समय पर दुबारा रिजोल्यूशन करके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भेजेंगे....

श्री परसराम मदेरणा : लेकूनाज क्या क्या थे ?

श्री हरिसिंह : खास तौर से जो मेजर लेकूना था It was stream & well. In Section 25 of the principal Act—

(a) in sub-section (1), for the words "stream or well" at both the places where they occur, the words "stream or well or sewer or on land" shall be substituted;

पहले था स्ट्रीम एण्ड वेल। अब सीवर से पोल्यूशन हो रहा है और खास तौर से लैंड पर फैल जाता है। जैसे झोटवाड़ा में साबुन फैक्ट्री से पानी फैला हुआ है, सारा कन्टेमिनेट कर दिया। सीवर गंदगी फैलाता है, सारे का सारा वातावरण

(श्री हरिसिंह)

दूषित हो जाता है तो यह जो प्रान लैंड जोड़ा गया है, इससे काफी लोग बच निकलते थे वह नहीं बच निकलेंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इसको अलाउ किया जाए ताकि जो आदमी पोल्यूशन कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। पाली जिले में करीब 200 केसेज का हमने चालान तैयार करके रखा है लेकिन सिर्फ इसी बात का इन्तजार कर रहे थे कि यह पास हो जाए तो प्रभावी तरीके से हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें।

मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को अडाप्ट किया जाए ताकि विभाग इफेक्टिवली काम कर सके।

श्री मथुरादास माथुर : सदन के सामने इस एक्ट पर तो चर्चा नहीं की जा सकती। मगर यही मौका है जब हम जानना चाहेंगे कि यह जो बोर्ड राजस्थान में बना हुआ है जिसको राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण मंडल कहते हैं, उस बोर्ड ने क्या काम किया? नया अमेंडमेंड आएगा उस पर चर्चा के लिए यही मौका है ...

श्री परसराम मदेरणा : मंडल की रिपोर्ट कराना चाहते हैं तो की जा सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून तो, मंत्री महोदय, बन जाते हैं, सैन्टर भी कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, आपके यहां वाटर पोल्यूशन बोर्ड स्थापित हुआ और बोर्ड बदल दिया गया, मैं उसमें नहीं जाता, इस एक्ट को इम्पलीमेंट ईमानदारी से करना चाहते हैं तो आपने जो बोर्ड को ग्रान्ट दी है वह नेग्लीजेबल है। सिर्फ अधिकारियों की तनख्वाह और कुछ लेबोरेट्री में पैसा खर्च हो जाता है। लेबोरेट्री भी एक हाई स्कूल और कालेज की भी अच्छी होती है। सिर्फ कुछ सैम्पल्स इकट्ठे कर लिए चाहे वह इन्डस्ट्रीज से किये या इन्डस्ट्री काम्पलेक्स से किये या फिर दूसरी जगह से किये और उनमें से 50 पर्सेन्ट का भी एनेलेसिस नहीं हुआ। जब यह बात है तो फिर उन पर एक्शन क्या हुआ होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बोर्ड इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक कि राज्य सरकार इस बात का निर्णय नहीं ले कि राजस्थान में इन्डस्ट्री चाहे इन्डस्ट्रियल एस्टेट में हो या इन्डस्ट्रियल काम्पलेक्स में हो किसी भी इन्डस्ट्री को लाइसेंस देने के पहले पोल्यूशन बोर्ड से उसको क्लियर करवा लें। तब तो यह बोर्ड इफैक्टिव हो हो सकता है वरना इन्डस्ट्रीज कायम होंगी और उनका डिस्चार्ज पोल्यूट करता रहेगा। चाहे चम्बल का कर रहा हो या किसी और का कर रहा हो। वह डिस्चार्ज तो वहीं गिरेगा। फिर वाटर पोल्यूट होता है, फिर कुए पोल्यूट होते हैं, फिर जानवर मरते हैं और फिर झगड़े पैदा होते हैं। फिर कहते हैं कि करोड़ों रुपयों की इन्डस्ट्री को कैसे हटायें, कैसे उठायें। इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर गौर कीजिए कि आप तो बहुत उत्साही हैं। चम्बल के ऊपर जो पोल्यूशन हो रहा है, वहां पर बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज का

(श्री मथुरादास माथुर)

अन्दाजा नहीं था। अब उनको कौन हटाये? आपने किसी के चालान किये? आपने तीन पार्टीज के नाम लिये हैं बाकी रिपोर्ट में आप बतायें कि किसी का चालान किया? किसी का नहीं हुआ? चालान पेश करते हुए डरते हैं। हालत यह है कि पाली के अन्दर तो सैंकड़ों इन्डस्ट्रीज हैं। वहां बड़ा झगड़ा हुआ और आन्दोलन चला। पोल्यूशन बोर्ड वाले इसमें क्या करें।

मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार इस बोर्ड को इफेक्टिव करना चाहती है तो पूरी इन्डस्ट्री का सर्वे करके बोर्ड उसको एग्जामिन करे उसके डिस्चार्ज को कि वह पोल्यूट करने वाला है या नहीं, पब्लिक की हैल्थ के लिए इन्जूरियस है या नहीं, और अगर बड़ी इन्डस्ट्री के लगाने से वाटर पोल्यूशन होता है तो हमें इन्डस्ट्री को कहना पड़ेगा कि वह अपना प्लान्ट लगायें और पाल्यूशन को खतम करें। यह रूल बनाना पड़ेगा।

अब इन्डस्ट्रीज को हटाने का सवाल है। इसमें काफी काम्पलीकेशन्स पैदा होती हैं। इसलिए जो पुराना इन्डस्ट्रियल पोल्यूशन है। जितना भी जयपुर का सीवर सिस्टम है वह सब पानी को पोल्यूट करता है। जो भी जयपुर का पानी पीता है सब के कीड़े पड़ते हैं और आप तो जानते हैं, डाक्टर साहब, आप अस्पताल में देख लें कि ऐसी बीमारी का कितना पर्सेन्टेज है। आप तो डाक्टर हैं देख लीजिए। यह इन्डस्ट्रीज काम्पलेक्स अब धीरे धीरे गांवों में भी जा रहा है और जगह जगह यह आपके लिए प्राब्लम क्रियेट कर रहा है। उन इन्डस्ट्रीज के अन्दर सल्फरिक इन्डस्ट्रीज हैं, काटेज इन्डस्ट्रीज हैं और उसका डिस्चार्ज गांवों के कुओं को भी पोल्यूट करेगा। तो मेरा कहना यह है कि आपका विभाग एक्टिव नहीं रहा तो गांवों में भी अब पोल्यूशन पहुंच जायेगा। शहरों में तो आपके सामने है। इसलिए आप कानून बनायें तो अच्छा बनायें। हम आपके बिल को बुरा नहीं मानते हैं। काम अच्छा है, आप करवा लें और हमारे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नये आये हैं, डाक्टर हैं। डाक्टर दवा देता है और उससे मरीज ठीक होता है। जो यह कानून बनायेंगे वह भी मान लेंगे लेकिन कम से कम डाक्टर साहब, एक निवेदन है कि इस बोर्ड को एक्टिव बनाओ, कुछ फण्डस दो। इसको बाई प्रोडक्ट मत समझो। यह बोर्ड वह नहीं है जो कि पोल्यूट करता है, सोशियल लाइफ की। यह डिस्चार्ज पोल्यूशन को रोकेगा आप उसको एक्टिव करेंगे तो। आप इसको अधिक पैसा दें और इफेक्टिव मैथड अपनाएं। इसलिए आप यह रूल बनालें कि कोई भी इन्डस्ट्री लगाने की इजाजत नहीं दी जायेगी जब तक कि बोर्ड उसको एग्जामिन न कर ले, इस पाइन्ट आफ व्यू से कि यह पोल्यूट करेगी या नहीं। लोन देते समय एफ. सी. आई. की यह जिम्मेदारी हो कि डिस्चार्ज को फ्री आफ पोल्यूशन किया जा सकता है उसके लिए वह प्लान्ट लगाये तो इन्डस्ट्री लगाने की इजाजत दी जाये, नहीं तो नहीं। आपकी यह रिपोर्ट तो अच्छी है, ऊपर का कवर बड़ा स्लीपरी है, अच्छा है और थोड़ा सा इसमें पैसा है। थोड़े से अकाउन्ट्स हैं, बाकी मेम्बरों की लिस्ट है और बाकी नक्शा है कि कहां कहां पोल्यूशन है।

(श्री मथुरादास माथुर)

एक यह कहा है कि इतने सेम्पल एग्जामिन किये यह इस रिपोर्ट का हाल है। इसलिए मेरा कहना है कि आप बोर्ड को अधिक इफेक्टिव बनाओ। यह पोल्यूशन की समस्या दस पन्द्रह साल से चल रही है इसको हल नहीं किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जब तक एक्ट इफेक्टिव नहीं होगा तब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो चार मिनट कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि इस समस्या से मेरा सारा इलाका पीड़ित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में बड़ी मांग है और आज मुझे कहना पड़ेगा कि 1974 में जब पार्लियामेंट में यह बिल पेश हुआ था तो मैंने इस पर बहुत बड़ी चर्चा की थी। वह मुझे आज भी याद है और वह प्रोसीडिंग्स आज भी होगी कि आप इसको इफेक्टिव कैसे बनायेंगे। राजस्थान में वाटर पोल्यूशन बोर्ड बनाने के बाद मुझे पहले यह बतायें कि एक भी फैक्ट्री का चालान होकर उसको सजा हुई है ? I want one instance, 1975 में महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लि पाली का चालान किया गया और आज 1979 है, कुछ नहीं हुआ। Case is still pending. मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ कानून अलमारी में रखने के लिए या आपके भाषण देने के लिए बन जाते हैं। सीलिंग लॉ बनाया, बहुत अच्छा बनाया और इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। सवाल वायु प्रदूषण का भी है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एयर पोल्यूशन का भी कोई एक्ट बन चुका है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : इसी तरह हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने पहले भी कहा था कि एयर पोल्यूशन के बारे में भी कुछ करें।

श्री मूलचन्द डागा : वाटर पाल्यूशन के सवाल है यहां। मैं जलप्रदाय मन्त्री जी से कुछ आश्वासन लेना चाहता हूं। राजस्थान में जो बांडी नदी पाली में है उद्योग मन्त्री जी यहां बैठे हैं, मैंने बारबार उनसे जी से कहा कि नदी के किनारे किनारे जो जमीन है उस जगह पर आप फैक्ट्रीज मत लगाओ। जब हमने इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग से बात की कि जो किनारे किनारे जमीन हैं वहां फैक्ट्रीज मत लगाने दीजिए और अगर आप किनारे किनारे फैक्ट्रीज लगायेंगे तो सारा डिस्चार्ज नदी के पानी में जायेगा और उसके बाद पाली तहसील के सब गांव जो नदी के किनारे किनारे हैं वहां के पन्द्रह हजार आदमी बेकार हो गये हैं। फैक्ट्री में 7 हजार आदमी लगे हैं वह उन गांवों के रहने वाले हैं, वह आर्गेनाइज्ड लेबर नहीं है, वह आपके कम्पन्सेशन को ले नहीं सकते, उनके पास ताकत नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप इसको आसान मत समझें...

श्री उपाध्यक्ष : अमेन्डमेंट रिजोल्यूशन के सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री मूलचन्द डागा : आप यह क्या एक्ट पास करवा रहे हैं जिसके ऊपर आपका बोर्ड जो पहले फंक्शन करता था, आज इस संकल्प को पारित कराने के बाद और यह एक्ट लागू

(श्री मूलचन्द डागा)

होने के बाद कितना इफेक्टिव हो जायेगा यह जानना चाहता हूं? मैं मोहर लगा दूंगा। बहुमत के आधार पर यह पारित हो जायेगा लेकिन 1974 को आज पांच साल हो गए, पांच साल के बाद क्या हमको राहत मिली? मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं। इण्डस्ट्रियल पालिसी है। वहां फैक्ट्रियां नहीं लगनी चाहिये। उद्योग विभाग अलग है, आर. आई. एम. डी. सी. अलग है। उद्योग विभाग अलग लगाने की इजाजत देता है। कलेक्टर अलग रेगुलराइजेशन करता है। सभी मजदूरों के घरों में पानी जाने लग गया। मीठा पानी मिलता था वह पानी खराब हो गया। आज भी कहूंगा कि नदी के किनारे किनारे जो जमीन है उस पर फैक्ट्रियां, न लगाई जायें। इतना तो आप कहिये कि नदी के किनारे किनारे नई फैक्ट्रियां जिनके कारण प्रदूषण बढ़ेगा, नहीं लगेंगी। क्या आप रोक देंगे? आपने कहा, डागाजी का काम हल हो जायेगा, हल कैसे होगा ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस बारे में मेरा संकल्प है, इस संकल्प पर कहना चाहता हूं। भारत सरकार इसको लागू कर दे तो क्या धारायें बहुत अच्छी हो सकती हैं? राजस्थान में लागू करने के लिये इनके पास कोई तैयारी है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, 13 तारीख को इसी विषय पर चर्चा है, फिर बोल लेना।

श्री मूलचन्द डागा : उस दिन तो कहूंगा ही। इसमें लिखा है, श्रीमान, पी. एच. ई. डी. के अन्दर फीडर है। फैक्ट्रियां फीडर के किनारे किनारे लगी हुई हैं। बार बार कहता हूं उनको रोक दीजिये, कोई रोकता नहीं है। वाटर ड्रिंकिंग पर्पजे के लिये है। उसमें गत्ते की फैक्ट्री का पानी जाता है। इसमें लिखा हुआ है। तीनों फैक्ट्रियों के नाम दिये हैं। जो आपकी नहर आती है जवाई बांध से सारे लोग दूषण करते हैं। आप लोग रोकें। आपकी सारी मशीनरी इनअफेक्टिव है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान, आपकी घण्टी सरकार के लिये बजा दो, घण्टी बजते ही सरकार खतम हो जाये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, जन स्वास्थ्य मन्त्री जी, आर्टिकल 252 के अन्तर्गत दी वाटर (प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ पोल्यूशन) (एमेंडमेंट) एक्ट, 1978 जो बन गया 12-12-78 को प्रेजीडेन्ट की असेंट के बाद, उसे राजस्थान में लागू किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प लाये हैं। आपकी रूलिंग के बाद चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है। कोई स्कोप नहीं है और इसको हमारे मन्त्री जी समझ गये, काफी है। इसको समझना हमारे लिए संभव नहीं है बिना प्रिन्सिपल एक्ट के। उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बाण्डी नदी में लम्बे अर्से से पोल्यूशन हो रहा है। 14-14 मील तक गांवों के अन्दर एसेडिटी आफ वाटर की वजह से लोगों की फसलें जल जाती हैं। एक्ट का

(श्री परसराम मदेरणा)

इम्पलीमेंटेशन राजस्थान में होने जा रहा है। राजस्थान प्रिवेन्शन कन्ट्रोल एक्ट के जरिये करा रहे हैं। जनता सरकार बनने के बाद इस प्रकार के जो निगम, बोर्ड, कमीशन अभी तक 21 आप बना चुके हैं। 22वें की घोषणा माईनिंग मिनिस्टर ने की थी कि एक और निगम बनाने जा रहे हैं। आप इस बात की घोषणा करने वाले हैं। थोड़ी देर में विधि मन्त्री जी राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सिवरेज बोर्ड बनाया जाये, इसकी घोषणा करने वाले हैं। ये कार्पोरेशन, बोर्ड बनाये हैं। न पैसा दे रहे हैं, न ग्रांटड इन एड दे रहे हैं। इन बोर्ड्स की हालत बहुत खराब है। इनके पास प्लांट लगाने के लिए पैसा नहीं है। पोल्यूशन हो रहा है। पानी खराब हो रहा है। उसको बन्द करने की व्यवस्था नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी कार्पोरेशन पर डाल रही है। आपकी हरकत यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी को वहन करना नहीं चाहते हैं। पैसा दें नहीं, हालत खराब है। बोर्ड बना दिये हैं। यह कहने के लिए काफी है कि राजस्थान में इस एक्ट के आने के बाद पोल्यूशन समाप्त हो जायेगा। सिवरेज के लिए आप अलग कार्पोरेशन बना रहे हैं लेकिन वाटर पोल्यूशन की जो आपके सामने समस्या है, इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स के अन्दर, कोटा, पाली और जोधपुर के अन्दर खास तौर से, उसको हल नहीं कर सकते हैं। केवल रिजोल्यूशन एडाप्ट करके आप कहां जा रहे हैं? हो सकता है 6 महीने में बोर्ड कान्स्टीट्यूट नहीं किया तो कार्यवाही इनवेलिड हो जायेगी। पैसे की दिक्कत है। यह स्थिति सभी बोर्ड की होने वाली है। वित्त मन्त्री जी से धन लेकर इस बोर्ड को एक्टिव कीजिए। पाली से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात की चिन्ता है किसानों के 12-14 मील तक कुएं सूख रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति है। इसलिये वहां पर यह प्लांट जल्दी से जल्दी लगायें ताकि वहां अनाज उत्पन्न करने में जो अवरोध हो गया है, उसका समाधान हो सके।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब ने जो बात कही कि अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, यह बात ठीक है कि वाटर पोल्यूशन वर्षों से हो रहा है और पोल्यूशन के लिए कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं इस बात को मानता हूं। दूसरा माननीय डागा जी ने कहा कि पाली में भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। मैं खुद भी मौके पर गया हूं मैंने जांच की है वाकई स्थिति इसी प्रकार की है। शहर में भी फैक्ट्रियों का गन्दा मेटीरियल पड़ा हुआ है, और स्थिति यह है कि पशुओं के पांव तक अगर उसमें पड़ जाते हैं तो गल जाते हैं रुई उसमें डाली जाय तो जल जाती है। खेतड़ी वाली बात भी मैं मानता हूं वहां भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है लेकिन यह पाली वाली बात बिल्कुल सही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में भी बस्तियों के बीच में वाटर पोल्यूशन की गम्भीर शिकायत है। बस्तियों में खड़े नहीं रह सकते हैं, गन्दा पानी इतना सड़ता है।

श्री हरिसिंह : आप सारी बात सुन लेतीं तो मैं बता देता।

(व्यवधान)

You want to be more advanced than the Bill.

श्री परसराम मदेरणा : Better you speak in English please, because the Bill itself is in English.

श्री हरिसिंह : अंग्रेजी आती नहीं है परसराम जी, आपको तो आती है।

श्री परसराम मदेरणा : And the original Act is also in English.

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष जी, शहर की जो म्यूनिसिपेलिटि है, उसके द्वारा भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है। आप दिल्ली से जयपुर आइये, खुले आम यह हो रहा है-जयपुर में हो रहा है। जो माननीय मन्त्री महोदय ने संकल्प रखा है, मैं प्रशंसा करती हूं, आप निश्चित रूप से करें और लोगों की जान बचायें।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई जगहों के वाटर पोल्यूशन के नाम गिनाये हैं। अब नाम तो आप छोड़ें, यह सही है कि राजस्थान में पोल्यूशन पर कन्ट्रोल नहीं हो रहा है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि इस कार्य में नेग्लिजेन्सी हो रही है माननीय परस राम जी ने धन के अभाव में बोर्ड की स्थिति ठीक नहीं बताई है, मैं सब बातों से अवेयर हूं और मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में पिछले तीन-चार महीनों से जो दिलचस्पी दिखाई है और जो कदम हम उठा रहे हैं इससे भी स्ट्रिक्ट कदम उठायेंगे। जो भी व्यवस्था करने की बात है, हम करेंगे। कोई भी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बात करना चाहे और कोई हमारे नोटिस में लाना चाहे तो I will welcome that. I will appreciate that idea.

हम इस बात में कमिटेड है and we will do it.

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर, जिस स्थान पर मैं रहता हूं सबसे ज्यादा नाइज पोल्यूशन हो रहा है। बड़ी-बड़ी गाड़ियों के हॉर्न रात-दिन बजते रहते हैं। इससे बचाने के लिये तो पैसों की जरूरत भी नहीं है। इस नाइज पोल्यूशन से हमारे चित्त की एकाग्रता नहीं हो पाती है। इसलिये जो एम. एल. एज. क्वार्टर्स के पास बड़े बड़े हॉर्न वाली गाड़ियां चलती हैं उनसे नाइज पोल्यूशन बहुत हो रहा है और इस पोल्यूशन ने हमारी हालत खराब कर दी है। रात को हम वहां देर से जाते हैं और वहां भी नाइज पोल्यूशन से स्टडी नहीं कर पाते हैं. इससे सदन में हमें काफी परेशानी रहती है अतः इस ओर भी माननीय मन्त्री महोदय ध्यान दे दें तो अच्छा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्य महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक इन्डस्ट्रीज

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तब तक यह सफलता नहीं मिलेगी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मन्त्री श्री हरिसिंह जी ने जो जल (प्रदूषण निवारण और नियत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1978 को अंगीकार करने सम्बन्धी जो शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

शासकीय संकल्प स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : यह क्या हो रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री हरिसिंह : मैं प्रवर समिति को दे रहा हूं इसलिये अब क्यों टाइम खराब कर रहे हो ?

श्री मथुरादास माथुर : हम इस कार्पोरेशन के सख्त खिलाफ हैं.... ...

श्री डा. हरिसिंह : आप रिजेक्ट कर देना, अब क्यों टाइम खराब करते है। आपसे बिल्कुल सलाह मशविरा कर लिया जायगा।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक के पुर :
स्थापन के बाद प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 66 की ओर दिलाना चाहता हूं—

"When a Bill is introduced or on some subsequent occasion, the member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:-

(a) that it be taked into consideration, or

(b) that it be referred to a Select Commitee of the House;...."

But the Minister in charge here is blowing hot and cold in

(श्री परसराम मदेरणा)

the same breath. He said that it should be take into consideration and now he says that it be referred to Select Committee.

इसलिए रूल 66 के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं इसलिये एक रिजोल्यूशन लाना चाहिये, दोनों नहीं लाने चाहिये।

श्री डा. हरिसिंह : प्रवर समिति को भेजने से पहले हाउस में इन्ट्रोड्यूज कर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : इन्ट्रोड्यूज तो हो चुका।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता माननीय महोदय ने जो आपत्ति उठाई है, सही है। प्रवर समिति वाला ही प्रस्ताव ला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इस तरह ट्रेजरी बैन्चेज का आप मजाक उड़ा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 को सदन में विचारार्थ लिये जाने हेतु प्रविष्ठ किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसमें 74 खंड हैं, मैं चाहता हूं कि सदन में विचार होने से पूर्व इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव भी आये हैं। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं स्वयं अपनी ओर से प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर दूं ?

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि एडवाइजरी कमेटी में 74 क्लाजेज हैं और हमारे सामने यह आरग्यूमेंट दिया था जो वर्ल्ड बैंक की टीम आई है वह फाइनेंसियल असिसटेन्ट नहीं देने वाली है जब तक कि आप इस प्रकार के किसी भी कार्पोरेशन की स्थापना नहीं कर देते हैं। इसलिए हमने यह स्वीकार किया कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। इतना बड़ा बिल है और पहले भी इतना बड़ा बिल सलेक्ट कमेटी में भेजा जाता रहा है जिससे सलेक्ट कमेटी पूर्णतया विचार करे और संशोधनों के साथ बिल सदन में लाये। लेकिन हम उस समय मुख्य मन्त्री की दलील से बहुत प्रभावित हुए थे और हमने भी देखा कि राजस्थान को पैसा मिलने वाला है वर्ल्ड बैंक पैसा देगा नहीं, पोल्यूशन और सीवरेज का मामला है, वाटर में गड़बड़ हो रही है उसका एलाइड सब्जेक्ट जो इससे पहले हम डिसकस कर रहे थे। मैंने यह माना था कि इसको तुरन्त पास कर दिया जाय लेकिन आप जो यह कह रहे हैं कि इसमें 74 क्लाजेज हैं। मिनिस्टर फार पार्लियामैंट्री अफेयंस जानते हैं कि मैंने यह दलील दी थी लेकिन मुख्य मन्त्रीजी ने जिस प्रकार की बात कही उससे मैं प्रभावित हो गया था कि यह राजस्थान के हित

(श्री परसराम मदेरणा)

की बात है, वर्ल्ड बैंक के कन्डीशन्स एन्ड प्रिसिडेन्ट्स होते हैं और जब तक कंडीशन्स एंड प्रिसिड`ट्स पूरे नहीं होते हैं तब तक वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता नहीं है। ये जो बेनीफिशियल मेजर लेने वाले हैं, सीवरेज के सम्बन्ध में और पानी को साफ रखने के सम्बन्ध में हम मेजर ले नहीं सकेंगे इसलिये इसको सलेक्ट कमेटी में नहीं भेज कर सदन में ले लिया जावे। आज जो यह कह रहे हैं कि 74 क्लाजेज हैं और इस पर सलेक्ट कमेटी विचार करे तो मैं यह मानूं कि वर्ल्ड बैंक की कोई कंडीशन एंड प्रिसिडेंट नहीं रखे थे और बिजनेस एड़वाइजरी कमेटी में जो कुछ झांसापट्टी दी थी और आज जो कुछ कह रहे हैं कि 74 क्लाजेज हैं उसी दिन कह सकते थे इसमें न कोई एडीशन्स हुये हैं और न कोई सब्स्ट्रेक्शन हुये हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि मन्त्रीजी इस बिल को सलेक्ट कमेटी में रेफर करके यह जो राजस्थान को असिस्टेंस मिलने वाली है वर्ल्ड बैंक से उसके अन्दर बीच में रोड़ा तो नहीं बन रेहे हैं: आप इसमें सोच लीजिए और सोचने के बाद चूंकि जिस तरह से आप हर बात हेस्टी में कर रहे हैं, जल्दी में करते हैं इमीजियेटली करते हैं, मैं जानता हूं कि इसके पीछे जो कुछ भी भावना हो और 6 तारीख को अगर नहीं मिल रहे हैं और चार दिन की छुट्टियां मना रहे हैं और और बाकी के दिन इसको सलेक्ट कमेटी में भेज कर निकाल लेंगे तो इस तरह से भगोड़ापन मत कीजिये। इस सदन के अन्दर बैठकर हमने इस बिल को पारित करने का बिजनेस एड़वाइजरी कमेटी को विरोधी पक्ष की तरफ से आश्वासन दिया था वह इसलिए दिया था हमको असिस्टेंस मिल जाएगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह कमाण्ड एरिया डवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक ने इस प्रकार की कण्डीशन रखी थी उस वक्त भी उन्होंने यह कण्डीशन जोड़ी थी और उसके बाद में हमारी रिपोर्ट को, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को जो टेक्निकल रिपोर्ट होती है उसके ऊपर विचार करने को तैयार नहीं है। इसमें अच्छा यह होगा कि ये चार दिन की छुट्टियां तो कर दीजिए और आगे सदन की कार्यवाही 17–18 तारीख तक बढ़ा दीजिए और सलेक्ट कमेटी के लिए चार दिन का समय डाल दीजिए। चार दिन में सलेक्ट कमेटी, जो भी मेम्बर यहां पर रहे हैं वे बैठ कर विचार करके अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें और जल्दी से जल्दी इसको पारित करने की कार्यवाही कर सकें ताकि वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस मिल सके।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी दूसरी कहानी है उपाध्यक्ष महोदय ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माथुर साहब, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपका खुद का इस प्रकार का मोशन प्रस्तुत है कि इसको सलेक्ट कमेटी में रेफर किया जावे। और मदेरणा साहब का भी ऐसा ही मोशन था। जब इसी मोशन को माननीय मंत्री महोदय रख रहे हैं कि इसको सलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय तो इसके बाद में कुछ भी चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जो भी सच बात है वह हाउस में कहनी चाहिए हमको। हमने एश्योर किया था कि इसको सदन में पारित कर देंगे....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जो कुछ भी कहा है वह सही है और इसके सम्बन्ध में कल भी अनौपचारिक रूप से बात हुई थी तो विपक्ष के माननीय नेता महोदय....

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो एश्योरेंस दिया था वह पूरा करने को तैयार हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय माथुर साहब से भी बात हुई थी....

श्री मथुरादास माथुर : We are not opposed to its reference to the Select Committee.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जहां तक इसके औचित्य का प्रश्न है कि सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय या नहीं, इसमें यह बात रही है कि जब भी बड़ा बिल हो तो सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे जब तक कि कोई विशेष इनकन्वीनियेंस नहीं हो ताकि इसके ऊपर गंभीरता से बातचीत होकर विचार कर सकें तो ज्यादा सुविधा रहेगी। इसके पश्चात् यह भी बात सही है कि इस बात को भी व्यक्त किया गया था कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने से इस विधेयक को पारित करने में देर हो जाएगी और विशेष देरी की वजह से हो सकता है कि हमको वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली असिस्टेंस में किसी प्रकार की बाधा हो। इस सिचुएशनसे अवगत कराया गया था। मैं निश्चित रूप से विपक्ष के माननीय नेता महोदय को और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार भी इस बिल को शीघ्रातिशीघ्र कानून का स्वरूप देने के लिए आतुर है और सलेक्ट कमेटी में जल्दी ही यह प्रोसेस होकर आ जावे और इसको कब लिया जा सकता है इसके बाबत में जो आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें विचार कर लिया जाएगा। विपक्ष के माननीय नेता ने जो भावना जाहिर की है सरकार उसका स्वागत करती है। मैं चाहूंगा कि इस बिल के सम्बन्ध में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी....

श्री मूलचन्द डागा : इसे प्रवर समिति में भेजने के लिए जो मोशन रखा है उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है कि इतने महीने में....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अभी तो इजाजत मांगी है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

प्रवर समिति का मोशन रखिये।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा : बोलिये।

श्री हरिसिंह : इतनी देर हो गई तो एक मिनट में क्या देरी हो रही है ?

श्री मूलचन्द डागा : धीरे धीरे।

राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव

श्री हरिसिंह : आपने तो बात बात में दो दो घण्टे ज्यादा लगा दिए हैं....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जावे जो अपना प्रतिवेदन 13-4-1979 तक प्रस्तुत करे। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : यह नहीं हो सकता। यह टाइम लिमिट क्या है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जरूरत होगी तो डेट और बढ़वा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह जो प्रस्ताव रखा है उसमें टेक्निकल आपत्ति नियमों में क्या है ? क्या इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता ?

श्री मूल चन्द डागा : टेक्निकल नहीं है। हम लोग बैठते हैं प्रवर समिति में, हम जानते हैं कि क्या होता है। क्या प्रवर समिति में विचार कर लेंगे 13 तारीख तक ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह तो एक रात में विचार हो सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, विचार हो सकता है। 13 तारीख तक विचार नहीं होगा तो जैसा कि अभी से दिमाग बना लिया है मन्त्री जी ने कि, जो संसदीय मामलों के मन्त्री हैं, कि 13 को दूसरा प्रस्ताव ले आयेंगे। स्ट्रेटेजी तो यही है, साफ दिख रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव जो जन स्वास्थ्य मन्त्री ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की विधि में परिवर्तन

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय दिनांक 6 को जो निर्धारित कार्यसूची थी सदन के मिलने की, उस दिन के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस दिन सदन की बैठक न की जावे और अब सदन 9 तारीख को बैठें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि छः तारीख की सदन की बैठक नहीं हो, इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव

माननीय मन्त्री महोदय ने विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए जो प्रस्ताव किया था वह स्वीकार किया जाता है और यह विधेयक सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाता है।

सदन की कार्यवाही अब आयन्दा 9 तारीख को प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.19 बजे सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बालोतरा से बाड़मेर तक 132 के. वी. लाइन हेतु सर्वेक्षण

840. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत बोर्ड ने बालोतरा से बाड़मेर तक 132 के. वी. लाइन का सर्वेक्षण कम्प्लीट कर लिया है ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त लाइन के निर्माण के लिये इस वर्ष क्या प्रावधान रखा गया है ? क्या यह सही है कि सन् 1979–80 में विद्युत बोर्ड उपरोक्त लाइन का सम्पूर्ण निर्माण कर जिले की सभी तहसीलों और पचायत समितियों के मुख्यालयों को विद्युत से जोड़ देगा?

(3) क्या विद्युत बोर्ड, पंचायत समिति सिणधरी के मुख्यालय सिणधरी एवं पंचायत समिति बायतू के मुख्यालय बायतू को इस वर्ष विद्युत से जोड़ कर जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करेगा ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल ने बालोतरा से बाड़मेर तक की प्रस्तावित 132 के. वी. लाइन रूट का भूमिक्षण (रिकनेसन्स सर्वे) पूरा कर लिया है अभी विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण (डिटेल्ट रूट सर्वे) होना शेष है। इस प्रकार के सर्वेक्षण की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है। अतः सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

(2) बालोतरा से बाड़मेर 132 के.वी. लाइन के लिये प्रथम बार वर्ष 1979-80 में 60 लाख रुपये का प्रावधान सूखा संभावित क्षेत्र/मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रखने का प्रयास किया जा रहा है जबकि परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार इसकी अनुमानित लागत लगभग 208 लाख रुपये है। अतः इसको वर्ष 1979-80 में पूर्ण नहीं किया जा सकेगा।

(3) पंचायत समिति मुख्यालय सिणधरी के विद्युतीकरण की स्वीकृति आर. ई. सी. की "एस. पी. डी." श्रेणी की योजना के अन्तर्गत प्रदान कर दी गई है तथा इसका विद्युतीकरण मार्च, 1979 में कर दिया गया है। बायतू का विद्युतीकरण भी वर्ष 1979-80 कर दिया जायगा।

विभागों द्वारा उपहार से फर्नीचर की खरीद

841. श्री रणजीतसिंह राठौड़(ओसियां): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रणजीत सिंह राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ता संघ की संस्थान "उपहार" द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को फर्नीचर बिना टेन्डर आमन्त्रित किये सप्लाई किया जाता है ? यदि हां, तो 1977-78 से आज तक इस संस्थान द्वारा किस किस कम्पनी से क्या क्या फर्नीचर कब कब कितने कितने मूल्य का खरीदा गया ?

(2) क्या उक्त सामान की खरीद के लिये विभाग ने कोई आधार तय किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त सारा सामान इसी आधार पर खरीद कर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भेजा गया ?

(4) क्या जिन कम्पनियों से सामान खरीदा उनमें वे कम्पनियां भी शामिल थीं जो कि सी. एस. पी. ओ. द्वारा ब्लैक लिस्ट की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी कम्पनी तथा इनसे किस आधार पर सामान की खरीद की गई और अब तक कितनी राशि का सामान इन फर्मों से खरीदा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1977-78 से आज तक संस्थान 'उपहार' द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिये क्रय किये गये फर्नीचर की सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(2) जी नहीं। सूची परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(3) जी हां।

(4) 'उपहार' को ऐसी को जानकारी नहीं दी गई थी।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0 जयपुर

वर्ष 1977-78 उपहार द्वारा विभिन्न पार्टियों से खरीद किया गया फर्नीचर विवरण

स्टेटमेन्ट (अ)

क्रम संख्या 1	नाम पार्टी 2	फरवरी 3	मार्च 4	अप्रेल 5	मई 6	जून 7	कुल योग 8
1-	अजन्ता मैटल्स वर्क्स (स्टील कुर्सी, टेबल, चारपाई आदि)	—	—	30236=77	—	—	30236=77
2-	भगवती एण्ड कम्पनी (लकड़ी फर्नीचर)	—	—	—	—	2988=70	2988=70
3-	जुनेजा सेफ कम्पनी, (स्टील. अलमारी, टेबल, कुर्सी,) रेक्स, सेफ आदि)	22835=00	139652=00	8236=00	38754=77	59446=00	268923=77
4-	खण्डेलवाल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज (स्टील, फर्नीचर, कुर्सी, टेबल आदि)		36013=91	—	—	—	36013=91
5-	रस्तोगी स्टील फर्नीचर (स्टील फर्नीचर, कुर्सी, टेबल)	—	8437=52	640=20	—	—	9077=72
6-	राजस्थान सेंट्रल स्टोर, (गोदरेज, स्टील, फर्नीचर कूलर फ्रिज आदि)	—	41999=00	950=71	17230=40	11868=56	72048=27
	कुल योग	22835=00	226102=43	40063=58	55984=77	74303=26	419289=14

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर

वर्ष 1978-79 उपहार द्वारा विभिन्न पार्टियों से खरीद किया गया फर्नीचर का विवरण

क.सं. नाम पार्टी	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल योग
1–जुनेजा सेफ कम्पनी (स्टील आलमारी, टेवल, मेज, कुर्सी, सेफ आदि)	2057-75	58293-37	37303-83	766-08	40227-86	64738-34	94360-94	89212-32	119332-87	524808-34
2–गुडएज फर्नीचर (स्टील आलमारी, टेवल आदि)	—	—	—	—	—	—	—	10422-41	180859-00	101341-41
3–राजस्थान सैन्ट्रल स्टोर (गोदरेज स्टील, फर्नीचर कूलर, फ्रिज आदि)	—	6826-12	—	2430-58	2469-04	3787-02	25033-36	1484-27	39265-67	81296-36
4–रस्तोगी स्टील फर्नीचर (स्टील कुर्सी, टेबिल)	—	3407-53	—	—	—	—	—	10053-65	68300-24	86891-32
5–आदर्श कुटीर उद्योग (लकड़ी का फर्नीचर)	—	—	—	—	—	—	10233-59	—	42099-28	52332-88
6–अजन्ता मैटस वर्क्स (स्टील कुर्सी, टेबिल, चारपाइ)	—	—	—	1383-20	—	—	—	—	—	1383-20
										938053-50

समाज कल्याण निदेशालय

842. श्री जगन्नारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग, केशरगढ़ में कब से कितने सालाना किराये पर चल रहा है? किराये की क्या शर्तें व एग्रीमेंट है? कृपया शर्तों व एग्रीमेंटों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) इस भवन का क्या क्षेत्रफल है और किस किस नाप के कितने कमरे, बरांडे, छत आदि हैं? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक इस भवन का कुल कितना किराया विभाग द्वारा दिया जा चुका है? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(4) क्या विभाग इस भवन को खरीदना चाहता था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई थी?

(5) क्या अब विभाग किसी दूसरे मकान में चला गया है? यदि हां, तो कौन से मकान में? उसमें कितने कमरे किस किस नाप के हैं और क्या किराया देना पड़ता है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) केशरगढ भवन दिनांक 11-1-63 से समाज कल्याण निदेशालय द्वारा किराये पर लिया गया था। इसका सालाना किराया निम्न प्रकार था:—

1	दिनांक 11-1-63 से 7-2-63 तक	12000 रु0 प्रतिवर्ष
2	दिनांक 8-2-63 से 19-4-71 तक	12,240 प्रतिवर्ष
3	दिनांक 20-4-71 से 31-1-79 तक	13,128 प्रतिवर्ष

(2) किराये का मकान मालिक के साथ कोई अनुबन्ध नहीं लिखा गया था अतः अनुबन्ध की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता। केशरगढ़ भवन का जो भाग निदेशालय द्वारा किराये पर लिया गया था उसका क्षेत्रफल 42532 वर्ग फीट है। जिसका विवरण संलग्न सारणी में अंकित है। किस किस नाप के कमरे थे यह सूचना उपलब्ध नहीं है। भवन में कुल 41 कमरे व कोठरी, गैरेज आदि विभाग के अधिकार में थे।

(3) इस भवन का 31 जनवरी, 79 तक विभाग ने 2 86,844 रु0 का भुगतान किराये के रूप में किया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। समाज कल्याण विभाग जनवरी 79, से हिन्द होटल नामक भवन में स्थानान्तरित हो गया है जिसमें 42 कमरे हैं तथा जिनका क्षेत्रफल संलग्न सारिणी में बतलाया गया है। यह भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार में है इसलिये किराये देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न सं. 842 (30/स. क. म.)

AREA OF KESARGARH BUILDING

Details	Namenclature
1. 1392 Sft.	Basement floor.
2. 8553 Sft.	Ground floor.
3. 6352 Sft.	First floor.
4. 267 Sft.	Second floor.
5. 78 Sft.	R.C.C. hood.
6. 20 Sft.	Side walls
7. 120 Sft.	Third floor Pucca roofed.
8. 144 Sft.	Third floor A.C. Sheet roofed.
9. 18420 Sft.	2 ft. high Chabutara.
10. 417 Sft.	Slab roofed area. House in Courtyard.
11. 136 Sft.	A.C. Sheet verandah.
13. 1955 Sft.	Stone ramp and paved floor.
14. 72 Sft.	Iron gate shutters.
15. 41 Rft.	Compound wall coursed facing with kangra etc.
16. 1126 Rft.	Compound wall R. R. facing with kangra etc.
17. 941 Rft.	Cement Chabutara's.
18. 1200 Sft.	Rough stone pavlng of read.
19. 21 Sft.	Jaisalmer cut stone seats.
20 17 Sft.	Stone Railing and Gradening.
21. 201 Sft.	Ground floor.
22. 527 Sft.	A.C. Sheet rooms.
23. 81 Sft.	Land.
24. 451 Sft.	Garage.

हिन्द होटल के कमरों के क्षेत्रफल की सूची

क्र. सं.	कमरों का क्षेत्रफल	क्र. सं.	कमरों का क्षेत्रफल
1	161'	22	104'8"
2	159'7"	23	72'
3	161'	24	72'
4	159'7"	25	107'4"
5	125'+172'	26	74'
6	143'9"	27	31'+84'4"
7	429'	28	300'5"
8	230'	29	203'
9	218'10"	30	201'
10	210'10"	31	300'5"
11	209'	32	154'6"
12	210'10"	33	291'+107'
13	170'	34	203'
14	105'	35	288'+25'
15	116'	36	233'+88'
16	117'2"	37	116'
17	140'8"	38	149'6"
18	123'	39	121'4"
19	141'8"	40	152'9"
20	150'	41	159'3"
21	105'4"	42	151'8"
		योग	7500'9"

(172)

राज्य की श्रमिक ठेका सहकारी समितियां

843 श्रीसूर्यप्रकाश डोडा (खोरवाड़ा)-क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी श्रमिक ठेका सहकारी समितियां हैं ?

(2) जनता सरकार ने अपनी आर्थिक विकेन्द्रीकरण की बुनयादी नीति के आधार पर इन समितियों को क्या प्रोत्साहन दिया है ?

(3) उक्त सन्दर्भ में भारत सरकार के सहकारिता विभाग के पत्र क्र. एन.-11014 14/75-एन सी सी. डेटेड 7-10-77 पर राजस्थान सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? अब तक उक्त आदेश की पालना से क्या लाभ रहा है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 1078 श्रमिक ठेका सहकारी समितियां हैं।

(2) जनता सरकार बनने के पश्चात श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को इस सम्बन्ध मे अब तक कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया हैं।

(3) राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

माण्डल योजना की प्रगति

844 श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माण्डल योजना की क्या प्रगति है।

(2) क्या भू-जल विभाग द्वारा मावली तहसील में पानी की कमी की रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई है ? यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति हेतु राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) माण्डल परियोजना का सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है तथा डिजाईन, ऐस्टीमेट व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किये जा रहे हैं।

(2) जी हां, भू-जल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण तहसील में पानी की निकासी (ड्राफ्ट) रीचार्ज से अधिक है ।

राजकीय सेवा में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति

845. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या गरीब एवं अविकसित ग्रामों तथा सम्पन्न शहरी जनता को अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा प्रतियोगिता तथा लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में समान स्तर के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण सुविधायें प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो इस भेदभाव

(श्री किशन सिंह भाटी)

को तथा असंतुलन को मिटाने को राज्य सरकार के पास क्या योजना है ?

(2) क्या ग्रामीण एवं शहरी जन सख्या के आधार पर राज्य सेवाओं में उनका अनुपात संतुलित है ? यदि नहीं, तो ग्रामीण जनता को राज्य सेवाओं में समकक्षता दिलाने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे ?

(3) क्या राज्य सरकार ग्राम स्वराज्य की पूर्ति हेतु ग्राम सेवा योजना चालू करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के समकक्ष उद्योग कृषि, पशुपालन, खनिज, बिजली आदि विभागों में भी उक्त प्रकार की राज्य स्तरीय सेवा योजना लागू की जावेगी ? यदि हाँ, तो किस निश्चित अवधि तक ? यदि नहीं तो विकेन्द्रित प्रशासन का क्या विकल्प है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमों के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए शहरी व ग्रामीण जनता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है । जो व्यक्ति नियमों में प्रख्यापित नियुक्ति हेतु योग्यताएं (शैक्षणिक, अनुभव आदि) रखते हैं, वे सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । अखिल भारतीय सेवाएं केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

(2) ग्रामीण एवं शहरी जन संख्या के आधार पर राज्य सेवा में नियुक्ति के लिये कोई अनुपात न तो प्रख्यापित किया हुआ है न यह आवश्यक है । अतः ग्रामीण जनता को राज्य सेवाओं में नियुक्ति हेतु समकक्षता दिलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) ऐसी ग्राम सेवा योजना चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वर्तमान प्रशासनिक तत्र प्रयत्नशील है ।

(4) इन विभागों में राज्य स्तर की सेवाएं गठित हैं । ग्राम सेवा योजना को इस स्तर पर इन विभागों में लागू करने का विचार नहीं है ।

आहोर क्षेत्र के ग्रामों में ओवर हैड टंकिया

846 श्री गोपालसिंह (आहोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) आहोर विधानसभा क्षेत्र के कितने और कौन कोन से ग्रामों में ओवर हैड टंकियां बनी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे ?

(2) जहां ओवर हैड टंकिया बनी हुई है उन ग्रामों में से किन किन ग्रामों में हाउस कनेक्शनस दिये जा चुके है ? बाकी बचे ग्रामों में जहां कि ओवर हैड टंकिया बनी हुई हैं वहां अभी तक कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(१७५)

(श्री गोपाल सिंह)

(3) विभिन्न ग्रामों के ग्रामवासियों की मांग होने पर भी हाउस कनेक्शन देने में देरी क्यों हो रही है ? ग्राम भूति में गृह कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे ?

(4) गृह कनेक्शन देने के बाबत राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आहोर, हरजो, गुडाबालोतान एवं गोधन गांवों में जल सम्बन्ध दिये हुये है शेष गांवों के अन्दर जल-वितरण-पाईप लाईन न होने के कारण जल सम्बन्ध नहीं दिये गये हैं।

(3) जल-वितरण-पाईप-लाईन न होने के कारण जल सम्बन्ध देना सम्भव नहीं है ? धन की उपलब्धी के अनुसार जल वितरण लाईन डालकर जल सम्बन्ध दिये जा सकेंगे।

(4) गांव में स्रोत से पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, उच्च जलाशय बना हुआ हो एवं जल सम्बन्ध देने पर गांव में जल वितरण पर असर नहीं पड़ता हो।

प्रश्न एक की सूची

1. आहोर
2. हरजी
3. गुडा बालोतान
4. संख्यावाली
5. चांदराय
6. पदररवो
7. गोधन
8. मादरजून
9. गोविन्दाला
10. रामा
11. भूती

सरदारशहर के गांवों में खुदवाये गये नल कूप

847. श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर)— : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील के गांव राणासर, हरदेसर, रामसीसर व तोलासर में नलकूप खुदवाए गये हैं ?

(2) क्या उपरोक्त नल कूप बनकर तैयार हो चुके हैं और उन नलकूपों में पानी की मात्रा व गुणों से सम्बन्धित अन्तिम रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन नलकूपों के उपयोग की क्या योजना है तथा उस पर कब तक अमल किया जायगा ?

उत्तर

(1) पेयजल योजनाओं के लिये कोई नलकूप नहीं बनाये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं के लिये कोई नलकूप नहीं बनाये गये हैं।

जिला आयोजना समिति, पाली द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी जल प्रदाय योजना

848. श्री सूखलाल सेणचा (रायपुर),

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री शंकरलाल (जैतारण),

श्री खंगारसिंह (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला आयोजना समिति, पाली ने गत वर्ष पेनल से जल प्रदाय योजनाएं राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इनमें कौन कौन सी योजनायें स्वीकृत करदी गई तथा अन्य योजनाओं की स्वीकृति कब तक करदी जावेगी ?

उत्तर

जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। स्वीकृत योजनाओं का विवरण सूची में दे दिया गया है। अन्य योजनायें धन की उपलब्धी एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार स्वीकृत की जा सकेगी।

क्र0सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत लाख रु.	स्वीकृत योजनाएं
1	2	3	4
1.	भैर-लाटोटो-निम्वोल	28 95	यह योजना रु. 10.791 लाख रु. की लागत से स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें निम्नलिखित ग्राम है:-
	पार्ट-I 1. भैर		1. भैर
	2. लाटोटो		2. लाटोटो
	3. रामवास खुर्द		3. रामवास खुर्द
	4, रामवास कलां		4. रामवास कलां
	5. पृथ्वीपुरा		5. पृथ्वीपुरा
	6. जागनवास		6 जागनवास
	7. पटवा		7. पटवा
	8. राजदीना		8 राजदीना
	9. लालखेनो		9 लालखेनो
	पार्ट-II 1, निम्वोल		
	2. ललोनियां		
	3. खारडी		
	4. कानेचा		
2.	देवली,हुला चन्डावल	5 19	
	1. देवली हुला		
	2, चन्डावल		
	3. मुरादवा		
	4. उदसी केवन		
	5. गुढ़ा		

1	2	3	4
3.	बाबा गांव भावनगर	26.71	इस योजना के पार्ट एक को रु.5.26 लाख की लागत से स्वीकृत किया गया है। इस योजना में सम्मिलित ग्राम निम्न प्रकार हैं:—
	1. पैनवा		1. बैनवा
	2. सांकरडा		
	3, सूंडेलाव		
	4. भावनगर		
	5, साली		
	6, गुढा प्रतापसिंह		
	7. डेरो		
	8. गुढावास		
4.	वैनपुरा विरामी	13.70	
	1. भाकदड़ा		
	2. वैनपूरा		
	3. विरामी		
	4. सोमेल		
	5. देवतरा		
	6. डडवाड़ा		
5.	सियाट भैसाना	16.80	
	1. अलावास		
	2. एन्टारो		
	3: सोसरवाडा		
	4. भैसाना		
	5. सियाट		
	6. पचून्डाखुर्द		

1	2	3	4
6.	देमूदड़ा खेतावास	25.28	इस योजना के निम्नलिखित 5 ग्रामों को क्षेत्रीय योजना भाकरीवाला पार्ट-III के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। जिसकी लागत 18.80 लाख रु. है:—
	1. खामल 2. भागेसर 3. सोवानिया 4. खेतावास 5. सोनपा 6. भूगोलाई 7. इन्द्रानगर 8. पंूगामठ 9. भीखाभाट की ढाणी 10. देमूदड़ा 11. महादेव की ढाणी		1. खामल 2. भागेसर 3. सोवानिया 4. देमदूड़ा 5. खेतावास
7.	सोमेसर योजना	—	
	1. सोमेसर 2. भादरलाव 3. दुतारिया 4. मोडवारिया 5. इन्द्रावाडा 6. सेपटवा 7. ऐलारो 8. इटारड़ा मेडतोयान 9. धारिया 10. देवली 11. सनवाटा 12. किशनपुरा		

1	2	3	4
	13. खरारा		
	14. बाबोडियावास		
8.	विशलपुर पंरवा		
	1. बिसलपुर		
	2. पंरवा		
	3. बालाना		
9.	खिवाडा सिवास गजनीपुरा		
	1. खिवाडा		
	2. सिवास		
	3. गजनीपुरा		
	4. पीलावानी		
	5. गानेरी		
	6. वान्डर		

राज्य में चुंगी की दरों में असमानता

849. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या स्वायतशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) राज्य में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर, अलवर, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा, आदि प्रमुख नगरों में कपड़ा, बर्तन चाय, जीरा, धनियां, एल्यूमिनियम, वायर आदि वस्तुओं पर किस दर से चूंगी वसूल की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या उपरोक्त वस्तुओं पर ब्यावर में अन्य नगरों से सबसे ज्यादा चुंगी है और वहां की जनता ने कई बार मांग की कि ब्यावर में चुंगी की दरें कम की जावें ?

(3) क्या राज्य सरकार राज्य में चुंगी की दरें एक समान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं । केवल कपड़े पर चुंगी की दरें तोल पर नियत करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र मार्गे हैं ।

(3) यह सभी विचाराधीन है ।

चुंगी दरें 228

		रेशमी कपड़ा	पिलास्टिक एवं ऊनी	सूती कपड़ा संयुक्त प्रकार	बकाया	व्यय	बोरा	प्रतिका	यूरेनियम हिस्सों के प्रकार
1	अजमेर	20-00 प्रति क्विटल	20-00 प्रति क्विटल	12-00 प्रति क्विटल	12-00 प्रति क्विटल	2-00 ,,	2·00 ,,	2-00 ,,	2-00 ,,
2	अलवर	8-00 प्रति क्विटल	8-00 प्रति क्विटल	8-00 प्र. मि.	1·00 प्र. मि.	14-00 प्र. मि.	14-00 प्र. मि.	5-00 प्र. मि.	2-00 ,,
3	ब्यावर	75-00 0.75 ,,	0-75	0-75	2-00 ,,	2-00,,	2-00 ,,	2-00 ,,	3-00 ,,
4	बीकानेर	15-00 प्र. मि.	15-00 प्र. मि.	15-00 प्र. मि.	1-00 ,,	1-00,,	1-00 ,.	1·00 ,,	2-00 ,,
5	भीलवाड़ा	1-00 ,,	15-00 प्र. मि.	1-00 ,,	1-00 ,,	1-00,,	1-00 ,,	0-70 प्र. मि.	2-00 ,,
6	जयपुर	8-00 प्र. मि.	8-00 प्र. मि.	8-00 प्र. मि.	4-00 प्र. मि.	3-00 प्र. मि.	3-00 प्र. मि.	3-70 प्र. मि.	4-00 प्र. मि.
7	जोधपुर	8-00 प्र. मि.	5-00 प्र. मि.	5-00 प्र. मि.	10-00 प्र. मि.	10·00 प्र. मि.	1-00 प्र. मि.	0-80 प्र. मि.	2-00 ,,
8	पाली	0.75 ,,	0.75 ,, प्र. मि.	2-00	3-00%	1-50	5-00 प्र. मि.	0.70 प्र. मि.	2-00 ,,

प्रौढ़ शिक्षा की योजना

850. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाकर शिक्षित करना प्रारम्भ किया है ?

(2) अगर हां, तो कुल कितनी धन-राशि खर्च की जावेगी तथा कितने समय में कितने लोग शिक्षित किये जावेंगे ?

(3) शिक्षित करने हेतु इस प्रणाली को क्षेत्रवार किस प्रकार लागू किया जा रहा है ?

(4) आगे के छोटे छोटे बालक कल जवान होने वाले बिना शिक्षा के रहते जा रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिये क्या योजना है ?

(5) क्या बाल शिक्षा अनिवार्य करने का राज्य सरकार का कोई विचार है ? अगर हां, तो कब से अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) अगर प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च की जाने वाली धन राशि बालकों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने पर खर्च की जाए तो देशहित में अधिक लाभदायक हो सकेगा ? क्या यह सही नहीं है ?

(7) राजस्थान में ऐसे कितने ग्राम है जहां शिक्षा हेतु कोई पाठशाला नहीं हैं ? इन ग्रामों के बालकों के लिए शिक्षा का क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में 60 लाख प्रौढ़ों को शिक्षित बनाने का प्रस्ताव है जिसमें लगभग 59 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जायेगा।

(3) यह कार्य स्वेच्छिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, नेहरू युवक केन्द्रों तथा शिक्षा विभाग के द्वारा किया जायेगा। जो संस्थाये यह कार्य करना चाहता है, वे अपना प्रार्थना पत्र जिला प्रौढ़ अधिकारी के द्वारा राज्य सर-को भेजेंगी तथा उन्हें विचार कर केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया जायेगा आव-श्यकता अनुसार शिक्षा विभाग भी कुछ जिलों में केन्द्र चलायेगा।

(4) छोटे बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। जो बालक बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं या विद्यालय में नहीं जा सकते, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

(5) राज्य सरकार अनिवार्य प्राथ-मिक शिक्षा के लिये वचनबद्ध हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है इसे उपलब्ध वित्तीय साधनों अनुसार यथाशक्ति हल किया जावेगा।

(शिक्षा मन्त्री)

(6) जी नहीं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा दोनों अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं।

(7) राजस्थान में तृतीय शैक्षिक सर्वे के अनुसार 40074 आबादियां हैं जिनमें से 22290 ऐसी आबादियां हैं वहां प्राथमिक कक्षायें उन्हीं आबादियों में है। 4741 ऐसी आबादियां हैं जहां प्राथमिक कक्षायें एक किलोमीटर की दूरी पर हैं। 1664 ऐसी आबादियां हैं जहां एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक कक्षायें हैं। 11379 ऐसी आबादियां हैं जहां डेढ़ किलोमीटर या अधिक दूरी पर प्राथमिक कक्षा हैं। धन की उपलब्धि के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का हर आबादी में विस्तार का प्रयास किया जा रहा है।

दानपुर क्षेत्र की विद्युतीकरण की योजना

851. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दानपुर विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक प्रारम्भ की जावेगी ?

(2) क्या दानपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कोई बजट प्रावधान है ? यदि हाँ, तो अब तक इस मद में कितनी धनराशि खर्च की गई तथा किन किन गांवों में ?

(3) दानपुर विधान सभा क्षेत्र के कुल गांवों की संख्या, जहां की विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं शेष गांवों की संख्या जिनमें विद्युतिकरण किया जाना है का विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है परन्तु इस क्षेत्र की पंचायत समिति पीपलखूंट के कुछ ग्रामों के विद्युतिकरण की एक आर. इ. सी. योजना का प्रारूप तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना की स्वीकृति से पूर्व कार्य के प्रारम्भ होने के संबंध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) विधान सभा क्षेत्रानुसार विद्युतीकरण के कोई सांख्यिकी आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। अतः इसका विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

अन्त्योदय योजना में परिवारों के चयन सम्बन्धी अनियमितताये

852. श्री बालकृष्णथानवी (फलोदी):- क्या अन्त्योदय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अन्त्योदयी परिवारों के चयन में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतें आपके पास पहुंची हैं? अगर हां, तो कहां से व किससे? सारी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री बाल कृष्ण थानवी)

(2) आपने प्राप्त उपरोक्त शिकायत पत्रों की क्या जांच करवायी है ? यदि हां, तो कब और किनसे ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अन्त्योदयी परिवारों के चयन में अथवा भू-राजस्व अभियान के संदर्भ में हुए भ्रष्टाचार के कितने मामले अब तक प्रमाणित हो चुके एवं उनमें से कितनों को अब तक क्या क्या दण्ड दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अन्त्योदयी परिवारों के चयन एवं भू-राजस्व अभियान में भविष्य में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, इसके बारे में राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायतें व्यक्ति विशेष एवं ग्राम जनता की ओर से प्राप्त हुई हों। प्रतियां सदन की पटल पर जांच के लिये भेज दिये जाने के कारण रखना सम्भव नहीं हैं।

(2) जी हां। ज्योंही शिकायतें प्राप्त हुई हों सम्बन्धित जिलाधीशों को जांच हेतु भेज दिया गया है। विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) अन्त्योदय परिवारों के चयन में कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः दण्ड देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) राज्य सरकार ने अन्त्योदय परिवारों के चयन की व्यवस्था ग्राम सभा में किये जाने के निर्देश दिये हैं। ताकि चयन कार्य में कोई भ्रष्टाचार न हो।

सूची उन जिलों की जहां से संमचना प्राप्त नहीं हुई है लेकिन विभाग में रखे गये रजिस्टर के आधार पर चयन एवं अन्य मामलों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतें।

नाम जिला	शिकायती प्रार्थना पत्र	वर्तमान स्थिति
1. बाड़मेर	×	×
2. भरतपुर	4	शिकायत निराधार पाई गई।
3. बीकानेर	×	×
4. बूंदी	×	×
5. जयपुर	3	जांच जारी है।
6. नागौर	1	जांच जारी है।
7. जोधपुर	×	×
8. झालावाड़	×	×
9. झुन्झुनु	×	×
10. कोटा	×	×
11. सवाई माधोपुर	2	निराधार पाई गई जांच जारी है।

चयन के सम्बन्ध में जिलों से प्राप्त भ्रष्टाचार के मामलों का विवरण

नाम जिला	सं. शिकायत प्रार्थना पत्र	वर्तमान स्थिति
1. जालोर	×	×
2. चित्तौड़गढ़	×	×
3. पाली	×	×
4. डूंगरपुर	×	×
5. चूरू	×	×
6. सिरोही	×	×
7. बांसवाड़ा	×	×
8. सीकर	×	×
9. गंगानगर	×	×
10. जैसलमेर	×	×
11. उदयपुर	×	×
12. भीलवाड़ा	5	जांच जारी है।
13. टोंक	3	शिकायत निराधार पाई गई।
14. अजमेर	×	×
15. अलवर	8	5 शिकायत निराधार पाई गई तथा 3 पर जांच जारी है।

नगर परिषद चूरू द्वारा निर्माण कार्य

853. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू शहर में पिछले चार वर्षों में कितने कितने निर्माण कार्य नगर परिषद् द्वारा किस किस एजेन्सी की मारफत किन किन शर्तों के साथ शुरू किये गये ?

(2) शुरू किये गये कार्यों में से कितने कितने मूल्य के कितने कितने कार्य पूरे किये गये ?

(3) कितने कार्य अब भी अधूरे पड़े हुए हैं और उनमें से कितने कार्यों पर किया गया आंशिक कार्य समाप्त प्रायः हो चुका है तथा इसके लिये उत्तरदायी कौन है ?

उत्तर

(1) कुल 37 कार्य ठेके पर सामान्य शर्तों के साथ शुरू किये गये थे।

(2) कुल 18 कार्य 2, 66, 649-93 पैसे के पूरे हो चुके हैं।

(3) 19 कार्य अधूरे हैं। जिनमें 7 कार्य प्रगति पर हैं। नगर परिषद चूरू की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सके।

बूंदी में चुंगी कर

854. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी में चुंगी कर लिया जाता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या राजस्थान में सभी स्थानों (जिलों) पर एक समान चुंगी कर लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार सम्पूर्ण राजस्थान में समान चुगी करने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पालिका के प्रस्तावानुसार। सभी पालिकाओं में चुंगी की दरें समान नहीं हैं क्योंकि दरें सम्बन्धित पालिका द्वारा उनकी परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित की जाती हैं।

(2) यह सभी परीक्षणाधीन है।

नगरपालिका नदबई द्वारा शहर के गन्दे पानी को निकालने हेतु बनाई गई नालियों का मामला

855. श्री हरिकृष्ण (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिकृष्ण)

(1) कस्बा नदबई जिला भरतपुर में नगरपालिका की ओर से नाली का पानी निकालने की नाली बनाने में कितना धन व्यय किया गया है तथा नालियों का निर्माण कब कराया गया है ?

(2) यह पानी बड़े नाले तक न ले जाकर बीच बाजार में छोड़ देने का क्या कारण है ?

(3) जो नाली पहले बन चुकी है वह बरबाद भी हो चुकी है इतने अल्प समय में इसके बरबाद होने का क्या कारण है ?

(4) क्या राज्य सरकार निरीक्षण कराकर दोषी व्यक्तियों से इस क्षति को वसूल करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 78-79 में नाली निर्माण पर 35,720-46 पैसा व्यय किया गया।

(2) नाली बीच में नहीं छोड़ी गई है मुख्य नाले तक बनाई जा चुकी है।

(3) कुछ स्थानों पर बैलगाड़ियाँ व ट्रेक्टर आदि के आवागमन के कारण कहीं कहीं नाली टूट-फूट गई है।

(4) यदि कोई शिकायत होगी तो आवश्यकतानुसार जांच करा ली जावेगी।

कर्मचारी पेन्शनर्स समाज जिला शाखा पाली के मामले

856. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स समाज, जिला शाखा पाली द्वारा प्रेषित कितने मामले सरकार के समक्ष कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन मामलों का निपटारा कब तक कर दिया जायगा और इतने समय तक निर्णीत न होने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकारी कर्मचारी पेन्शनर्स समाज, जिला शाखा पाली से अनिर्णीत पेन्शन प्रकरणों की कोई सूची जिलाधीश पाली अथवा वित्त विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उपरोक्त उत्तर के अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र जसवन्तपुरा

8 7. श्री **टीकमचन्द कान्त** (जालौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री टीकमचन्द कान्त)

(1) क्या जसवन्तपुरा जिला जालोर में "शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र" चल रहा था ? यदि हां, तो इसे कब और क्यों बन्द कर दिया गया ?

(2) क्या उस केन्द्र हेतु शिक्षा विभाग के अधीन भवन उपलब्ध है, फर्नीचर एव अन्य साधन तथा कृषि हेतु मैदान और छात्राध्यापकों के लिये छात्रावास भी विद्यमान है ? यदि हां, तो उस प्रशिक्षण केन्द्र को सरकार पुन: प्रारम्भ करना चाहेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य मे प्रशिक्षित अध्यापकों की आधिक्य को ध्यान में रखकर तीन प्रशिक्षण विद्यालयों को 1976 में बन्द किया गया है उसमें एक यह भी था।

(2) जी हां। फिलहाल नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार नहीं है।

अनुसूचित जाति व जन जाति के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

858. **श्री हीरालाल खांट (चौरासी)**: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या समस्त विभागों में कार्यरत अनुसूचित जाति व जन जाति के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसके अनुसार अब तक रोस्टर प्रणाली के आधार पर किन किन को पदोन्नत किया गया ?

(2) क्या पदोन्नतियों में रेन्ज कायम कर रोस्टर प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो 5 × 5 के बजाय 5 × 2 क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रचलित नहीं है। रोस्टर प्रणाली के आधार पर जिन व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ मिला है विभागों से उपलब्ध सूचना के आधार पर सूचना सलग्न है।

(2) जी नहीं। यह भी सही नहीं है कि रेन्ज 5 × 5 के बजाय 5×2 कर दी गयी है। पदोन्नति के लिए वर्तमान में निम्न विचार सीमा Zone of consideration निर्धारित है :—

1 से 5 तक रिक्तियों के लिए	=	4 गुना व्यक्तियों तक
6 से 10 तक रिक्तियों के लिए	=	3 गुना किन्तु न्यूनतम 20 व्यक्तियों तक
10 से अधिक	=	2 गुना किन्तु न्यूनतम 30 व्यक्तियों तक।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(190)

तहसील सवाईमाधोपुर व खण्डार के किसानों के विचाराधीन प्रार्थना पत्र

859, श्रीचुन्नीलाल जेलिया (खण्डार): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर तहसील खण्डार तहसील ग्रामीण विद्युत योजना के तहत जिन ग्रामों में विद्युतीकरण हो गया है वहां के ग्रामवासियों के कितने प्रार्थना पत्र पेन्डिग पड़े हैं एवं उनको अब तक कनेक्शन नहीं देने का क्या कारण है ?

(2) तहसील सवाई माधोपुर में ग्राम इसरदा स्टेशन के काश्तकारों ने भी कई बार प्रार्थना पत्र दिए किन्तु अब तक उनको डिमान्ड नोटिस भी नहीं दिया गया, नहीं देने का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे पेन्डिग प्रार्थना पत्रों पर कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर तहसील व खण्डार तहसील में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः 61 एवं 39 ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत था। सवाई माधोपुर के उक्त 61 ग्रामों व [illegible] खण्डार तहसील के ग्राम मोरड़ं-[illegible] के अतिरिक्त 38 ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है। विद्युतीकृत ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। उक्त सन्दर्भ में कृषि कुओं के पेन्डिग प्रार्थना पत्रों की संख्या एवं कारण योजनावार नीचे दर्शाये गये हैं—

योजना का नाम	पेन्डिग प्रार्थना पत्रों की संख्या	जिनके एस्टीमेट बन रहे हैं	जिनके डिमांड नोटिस के पैसे जमा होने हैं	जिनके एल फार्म आने बाकी है	जिनकी लाइन खेंचने का कार्य चल रहा है।
आर. ई. सी. सवाई माधोपुर	202	114	42	33	13
आर. ई. सी. खण्डार	23	14	3	6	—
योग	225	128	45	39	13

(विद्युत मन्त्री)

(2) तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम इसरदा के काश्तकार श्री कल्याण पुत्र नानगा ने माह फरवरी 1976 में एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर डिमान्ड नोटिस दिनांक 27-9-76 को दिया गया था। उन्होंने दुबारा प्रार्थना पत्र माह सितम्बर 1977 में दिया जिसका डिमान्ड नोटिस दिनांक 21-1-78 को दिया गया था। दोनों बार पैसा जमा न कराने के कारण इनके प्रार्थना पत्र केन्सिल हो गये अतः कनेक्शन नहीं दिया जा सका। दिनांक 18-9-78 को इनका तीसरा प्रार्थना पत्र तथा श्री कल्याण सिंह पुत्र श्रवणलाल का एक नया प्रार्थना पत्र दिनांक 21-1-79 को प्राप्त हुआ है जिन पर एस्टीमेट बनाकर आगे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) मण्डल के नियमानुसार औपचारिकताओं की अनुपूर्ति करने पर प्रार्थना पत्रों पर कनेक्शन दे दिये जायेंगे। फिटिंग एल फार्म आदि में उपभोक्ता द्वारा समय लग जाने के कारण कनेक्शन कब तक हो जायेंगे, निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति खण्डार की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों की सूची।

1 खिजूरी	15 बेरना
2 पीपलवाड़ा	16 मावपुर
3 रजानाचोर	17 अजीतपुरा
4 रजामा डूंगर	18 लहसोड़ा
5 फलोदी	19 डांगर वाड़ा
6 हिन्दवाड़ा	20 गंडायिता
7 दुमोदा	21 जेतपुर
8 हलोन्दा	22 सुखवास
9 बगावदा	23 फरिया
10 टोड़रा	24 कटार
11 हज्जाम खेड़ी	25 पावड़ी
12 पांचोलास	26 मेई केला
13 दौलतपुरा	27 मेई खुर्द
14 क्यारदा खुर्द	28 रावरा

29 कुशलपुरा	34 बिचपुरी गूजरान
30 इटावदा	35 बाजोली
31 गोठ बिहारी	36 सांवटा
32 तलावड़ा	37 संवास
33 नायपुर	38 काछडा

पंचायत समिति सवाई माधोपुर की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में सम्मिलित/विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

1 एण्डवा	25 रामसिहपुरा
2 दुब्बी बिदरखा	26 कुतुलपुरा जाटान ग्रामीण
3 जडावता	27 मथुरापुरा
4 खांट केला	28 गोठडा
5 सेलू	29 जमूल खेडा
6 चकेरी	30 खवा
7 पहाना	31 कुतलपुरा मालियान
8 रहीयाखुर्द	32 छारोदा
9 बाडीलास	33 रावल
10 ग्रोलवाडा	34 भदलाव
11 गांजी श्यामपुरा	35 उलियाना
12 हिगोनी	36 कुन्डेरा
13 रहीया कंला	37 पाडली
14 दोबडा कंला	38 मुई
15 गोगोर	39 जीनापूर
16 कानसीर	40 ग्रोरिफ
17 भखोली	41 नीमली खुर्द
18 बनोटा	42 गम्भीरा
19 जोला	43 कुशथला
20 नीदडदा	44 जूत्राड़
21 श्यामोटा	45 कोशाली
22 सिनोली	46 भेस खेड़ा
23 मऊ	47 खाट खुर्द
24 सुनारी	48 निनोनी

49 निवाई
50 हिम्मतपुरा
51 माधोसिंहपुरा
52 किला रणथम्भोर
53 खान्डोज
54 ढूंन्डा
55 सूरंग
56 दोबडा खूर्द
57 खेडली खालसा
58 जिरन्या
59 दुब्बी खूर्द
60 निमली कंला
61 विजयपूरा

कर्मचारी संगठनों को मान्यता प्रदान करने का आधार

860. श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या, मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभिन्न वर्ग के कर्मचारी संगठनों को मान्यता प्रदान करने का क्या मापदण्ड निर्धारित है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने कभी यह जानकारी लेने की कार्यवाही की है कि किस संगठन में कितने कर्मचारी सदस्य हैं ?

(3) वर्तमान में कार्यरत दोनों महासंघो में कार्यरत है ?

उत्तर

(1) विभिन्न वर्ग के कर्मचारी संगठनों को मान्यता राज्य सरकार की विज्ञप्ति सं. एफ. (85) जी. ए. /49 दिनांक 16-12-1949 द्वारा प्रकाशित निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दी जाती है ।

(2) जी हां

(3) दोनों महासंघों से सम्बन्धित कुल कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नहीं हैं ।

बड़ी औद्योगिक इकाइयों कों दी जाने वाली बिजली

861. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में बड़ी औद्योगिक इकाइयो को कहां कहां किस रेट (प्रति यूनिट या प्रति हार्स पावर) पर बिजली दी जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) मध्यम व लघु उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की क्या रेट्स है ?

(3) कृषि कार्यों पर कुल बिजली का कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है ?

(4) राजस्थान के अलग अलग संस्थानों में बिजली उत्पादन का लागत मूल्य क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान के बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा निर्धारित समान दरों के अनुसार बिजली के बिल भेजे जाते हैं। इन उपभोक्ताओं को बिजली जिस दर पर दी जाती है वह दरें सूची "ए" पर दर्शाई गई हैं।

(2) मध्यम व लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दरें सूची "बी" में दर्शाई गई है।

(3) कृषि कार्यों पर कुल बिजली का विभिन्न वर्षों में प्रतिशत खर्च सूची "सी" में दर्शाया गया है।

(4) राजस्थान के अलग अलग विद्युत केन्द्रों पर उत्पादन अथवा विक्रय की गई बिजली का वर्ष 1975-76 व 1976-77 में लागत मूल्य सूची "डी" में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अन्त्योदय योजना का प्रारूप

862 श्री नूरा (मसूदा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने अन्त्योदय योजना का राज्य के लिये वार्षिक अथवा पंच वर्षीय प्रारूप तैयार किया है? यदि हां, तो कृपया योजना के प्रारूप की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में इस योजना के अन्तर्गत कितने कितने परिवार चुने गये और उन्हें अलग अलग कितने कितने परिवारों को किस किस प्रकार की सहायता दी गई?

(3) क्या राज्य सरकार ने यह मूल्यांकन कराया है कि अन्त्योदय योजना के तहत सहायता प्राप्त परिवारों में से कितने परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर निकल गए हैं तथा आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं?

(4) क्या राज्य सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई अलग सर्वेक्षण या मूल्यांकन कराया है? यदि हां, तो कब और किस ऐजेन्सी द्वारा? कृपया ऐसी सर्वेक्षण मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार किसी स्वतन्त्र ऐजेन्सी जैसे विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करायेगी?

उत्तर

(1) जी हां, पंचवर्षीय प्रारूप की पुस्तिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) 1977-78 के प्रथम चरण में 1,60,516 परिवारों का चयन किया गया एवं 1978-79 में द्वितीय चरण में 28-2-79 तक 1,11,779 परिवारों का चयन किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय

(विद्युत मन्त्री)

चरण में चयनित परिवारों को जिस रूप में सहायता दी गई है उसका विवरण संलग्न प्रगति प्रतिवेदन में अंकित है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार ने तो नहीं परन्तु योजना आयोग द्वारा इस परियोजना का मूल्यांकन माह सितम्बर/अक्टूबर 1978 में किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन पर टिप्पणी की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(5) फिलहाल कोई विचार नहीं है।

सी. एस. एस डाक्टरों की विचाराधीन मांगें

863 श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जनवरी, 1979 में सी. ए. एस. व अन्य डाक्टरों की कोई मीटिंग जयपुर में रखी गई थी यदि हां, तो उन्होंने क्या क्या मांगें राज्य सरकार के समक्ष रखी? मांग पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने इन मांगों पर गौर किया है? यदि हां, तो किन किन पर तथा किन किन को स्वीकार किया और किन किन को अस्वीकार किया है?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा सी. ए. एस. की कोई मीटिंग जयपुर में नहीं रखी गई थी। जनवरी, 1979 में सी. ए. एस. एसोसियेशन की अपनी एक कांफ्रेंस अवश्य हुई थी जिसके पूर्व उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) मांगें सरकार के विचाराधीन है।

(मांग-पत्र की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाइयों की समुचित व्यवस्था

764 श्री हरिश कुमार (रामगंजमण्डी) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उप स्वास्थ्य केन्द्रों को एक वर्ष में कितने रुपयों की दवाइयां दी जाती हैं? क्या यह दवाइयां मरीजों के अनुपात में पर्याप्त रहती है? यदि नहीं, तो सरकार इस सन्दर्भ में क्या विचार कर रही है?

(2) क्या रामगंजमंडी तहसील के उप स्वस्थ्य केन्द्र जुल्मी, उण्डवा, गोयन्दा, खेड़ारुद्धा आदि उप स्वास्थ्य केन्द्रों को 1977 से अब तक कितने मद की दवाबयां दी गई हैं? क्या इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों को दवाइयां अभी पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो सरकार कब तक पर्याप्त व्यवस्था कर रही है?

(196)

(श्री हरिश कुमार)

(3) क्या लाडपुरा तहसील के उप-स्वास्थ्य केन्द्र बोरावास कसार की भी हालत दवाइयों की दृष्टि से दयनीय एवं पंगु है? यदि हां, तो सरकार क्या करने जा रही है?

उत्तर

(1) न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार 2,000 रुपयों की दवाईयां दी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) इन उपकेन्द्रों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की दवाईयां प्रतिकेन्द्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी नहीं।

सवाई माधोपुर क्षेत्र के आयुर्वेद औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

865. वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई माधोपुर जिले के आयुर्वेद औषधालयों में 70 स्थानों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है? यदि हां, तो 70 औषधालयों में कब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी?

(2) क्या करौली सब-डिवीजन में 5 औषधालयों में आज तक कम्पाउन्डरों की नियुक्ति ही नहीं की गई? यदि हां, तो राज्य सरकार कब कम्पाउन्डर नियुक्त कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना काल में नियुक्तियां की जावेगी।

(2) पंचवर्षीय योजना काल में ये नियुक्तियां भी की जावेगी।

विकास पंचायत कमोल के सरपंच द्वारा किये गये गबन का मामला

866. (पीपल्दा) श्री हीरालाल आर्य श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विकास पंचायत कमोल के सरपंच श्री भूरालाल जोशी ने स्कूल के निर्माण किये जाने की फर्जी तौर से हाजरी, रोकड़ आदि निर्मित कर कारीगरों मजदूरों आदि के फर्जी अंगुष्ट कर पंचायत को धोखा देकर पैसा प्राप्त किया।

(2) उक्त प्रकरण को किस अधिकारी ने जांच करके रिकार्ड जब्त किया? यदि रिकार्ड जब्त किया गया, तो किन के द्वारा व किस दिनांक को जब्त किया तथा उक्त रिकार्ड किस अधिकारी ने दबा रखा है।

(श्री हीरालाल आर्य,)

(3) क्या उक्त प्रकरण की राज्य सरकार को सूचना प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि प्रभावी व्यक्तियों के दबाव के कारण उक्त रिकार्ड को खुर्द बुर्द कर दोषी बचाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच सहायक जिला विकास अधिकारी उदयपुर द्वारा की जाकर अभिलेख दिनांक 1-1-79 को जब्त किया गया। श्री कालू सुनार के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 409, 467, 468 के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट उदयपुर में प्रस्तुत करने पर पुलिस अधीक्षक उदयपुर द्वारा अभिलेख चाहे जाने पर अभिलेख जिलाधीश कार्यालय उदयपुर से दिनांक 27-3-79 को पुलिस में दिया जा चुका है।

(3) जी हां। कार्यवाही नियमानुसार जारी है। अभिलेख वर्तमान में पुलिस के पास हैं तथा उसके खुर्द बुर्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडीसन्स राजस्थान का वार्षिक अनुदान

867. श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर, पश्चिम): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसन्स राजस्थान को वार्षिक अनुदान कितना दिया जाता है ?

(2) चैयरमेन बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसन्स राजस्थान को कितना वेतन मिलता है तथा रोज का कितना भत्ता मिलता है ? टेलीफोन और वाहन की क्या सुविधा है तथा आवास के लिए क्या मिला हुआ है ?

उत्तर

(1) बोर्ड आफ इन्डियन मेडीसन राजस्थान को वर्ष 1978-79 में रुपये 64500/- का अनुदान दिया गया है।

(2) चैयरमेन को वेतन नहीं मिलता है। यात्रा में 15/-रुपया दैनिक भत्ता देय है। वाहन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है टेलीफोन की सुविधा दी हुई है।

आदिवासी क्षेत्रों हेतु विशेष न्यायालय

869. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने हेतु विशेष न्यायालयों के गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो ये न्यायालय कब तक गठित हो जावेंगे ?

उत्तर

आदिवासी क्षेत्रों में विशेष न्यायालयों को सृजित करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत ओवरसियर व सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति

870. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत क्या बैलगाड़ी के किराये का भुगतान सम्भव है ?

(2) पांच हजार से ऊपर की कितनी योजनाऐं राजस्थान के अन्दर स्वीकृत हुई तथा स्वीकृत योजनाओं में से कितनी 2 किस 2 प्रकार की पूर्ण हुई ? कितनी स्वीकृत योजनाये अभी अधूरी पड़ी हैं ?

(3) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कितने 2 काम किस 2 प्रकार के पूर्ण हो गये ?

(4) क्या राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक 10 पंचायतों पर एक ओवरसियर तथा प्रत्येक पंचायत समिति में एक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति अपरिहार्य नहीं समझती ?

उत्तर

(1) जी हां। बैलगाड़ी वालों की मस्टररोल पर अन्य मजदूरों की तरह भरी जाकर भुगतान किया जा सकता है।

(2) राज्य में अब तक 55,149 कार्य इस योजना के अन्तर्गत हाथ में लिए गए, जिनमें से, 29,061 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 26,088 कार्य प्रगति पर हैं। इनकी जिलेवार सूची संलग्न है। केवल पांच हजार रुपये तक की योजनाओं की सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस प्रकार की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा अनुभव नहीं की गई, क्योंकि पांच हजार से अधिक के कार्यों के लिए ही तकनीकी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। एक पंचायत समिति के लिए एक ओवरसियर तथा एक जिले के लिए एक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति की जा चुकी है।

क्र. सं.	नाम जिला	पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या जो प्रगति पर है ।
1	2	3	4
1	बीकानेर	486	363
2	चुरू	570	410
3	गंगानगर	203	457
4	अलवर	2424	1569
5	भरतपुर	1209	1395
6	झुन्झुनू	2905	422
7	सवाईमाधोपुर	1620	1581
8	सीकर	2026	1774
9	जयपुर	3789	2159
10	टोंक	543	281
11	अजमेर	2525	1567
12	बाड़मेर	187	438
13	जैसलमेर	40	141
14	जालोर	596	152
15	जोधपुर	2135	471
16	नागौर	1668	1115
17	पाली	1332	778
18	सिरोही	468	446
19	बूंदी	830	1128
20	झालावाड़	714	688
21	कोटा	1174	3738
22	बांसवाड़ा	456	445
23	भीलवाड़ा	1898	595
24	चित्तौड़गढ़	501	999
25	डूंगरपुर	145	383
26	उदयपुर	1285	1466
	योग	29061	26088

बेरोजगारी समाप्त करने सम्बन्धी योजना

871. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

जनता सरकार द्वारा सत्ता में आने के तुरन्त बाद किये गये अपने वायदे के अनुसार 10 वर्ष में बेरोजगारी समाप्त करने बाबत योजनाओं की प्राथमिकता में क्या क्या परिवर्तन किये एवं उनका मापदण्ड क्या रखा गया ?

उत्तर

दस वर्षों में बेरोजगारी समाप्त करने हेतु श्रम प्रधान योजनाओं को जिनमें मुख्यतया कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग आदि हैं, प्राथमिकता के आधार पर ली जा रही हैं और इनमें अधिक से अधिक विनियोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को अधिक बल दिया जा रहा है क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम रोजगार प्रधान होते हैं। इनमें मुख्यतया सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु-क्षेत्र कार्यक्रम, आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कमाण्ड ऐरिया डवलपमेंट, इन्टेग्रेटेड रूरल डवलपमेंट, समग्र ग्राम विकास एवं ग्रोथ सेन्टर्स, आदि हैं।

बेरोजगारी से ग्रस्त लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार एवं खेतिहर मजदूर परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु पूर्व में केवल केन्द्र सरकार द्वारा चयनित जिलों में ही यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा था। परन्तु अब राज्य के समस्त 26 जिलों में इस वर्ग के लाभ हेतु कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया अन्त्योदय कार्यक्रम भी इसी शृंखला में एक कड़ी है। आधारभूत सुविधाएं व सामाजिक सेवाओं में सड़क का निर्माण, विद्युतीकरण, ग्रामीण स्कूल आदि रोजगार प्रधान कार्यों में अधिक से अधिक विनियोजन प्रस्तावित है।

(201)

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के पत्र)

कार्यालय पंचायत समिति मूंडवा (नागौर)

क्रमांक शि. स्था/78/7987 दिनांक 19-8-78

(निरीक्षक) निदेशक महोदय,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :— श्री नरेन्द्रकुमार सोनी (आई. टी, आई. नं. 65) के संबंध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके आदेश सं. 216 के अनुसार उक्त अध्यापक को आपने रा. प्रा. विद्यालय कुडछी में लगाया था, उसकी प्रति यहां आई थी, परन्तु हस्ताक्षर नहीं होने से वह प्रति वापस आपके पास इस कार्यालय के पत्रांक 2056 दिनांक 11-4-78 के जरिये भेजी जा चुकी है और, और उक्त अध्यापक रा. प्रा. विद्यालय कुडछी में कार्य दिनांक 11-4-78 से कर रहा था, परन्तु प्रधानाध्यापक रा. उ. प्रा. विद्यालय कुडछी के पत्रांक दिनांक 14-8-78 के अनुसार उक्त दिनांक 8-8-78 से उक्त शाला से अनुपस्थित है जो आपसे अवकाश ले कर गया होगा, अगर गया है तो कब तक वापस लौट कर आवेगा, और उक्त अध्यापक के पास स्कूल का काफी सामान आदि है। अतः उसे निर्देश दें कि शीघ्र जमा करावें तथा इस अध्यापक को रा. प्रा. विद्यालय खीवसर में लगाने का कष्ट करें।

इसे अति आवश्यक समझें।

स. ह.
विकास अधिकारी,
पं.स. मूंडवा।

पत्र लौटा देवें। पता पूरा नहीं है तथा आई. टी. आई. का भी नहीं है।

स. ह. दिनांक 21-8-78

प्रतिलिपि :—1. प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. कुडछी।

2. श्री नरेन्द्रकुमार सोनी, पुत्र जमनालाल सोनी, किराणा की दुकान मु.पो. भादलिया वाया मोलासर जिला नागौर।

3. श्री नरेन्द्रकुमार सोनी पुत्र जमनालाल सोनी, सोनी रेडियो रिपेयरिंग सर्विस, स्टेशन रोड, जयपुर।

स. ह.

विकास अधिकारी, पं.स. मूंडवा

क्रमांक प्रस/संस्था/78/6600 दिनांक 30-8-78

मूल पत्र वापस लौटाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति मूंडवा जिला नागौर (राज.) को लेख है कि इस प्रकार के पत्रादि सही पता नहीं लिखे जाने के कारण श्री नरेन्द्रकुमार सोनी को वापस किये जा चुके हैं, अतः भविष्य में पत्रादि सही पते से भिजावें, जिससे पत्र सही निश्चित स्थान पर पहुंचे। इस कार्यालय से इस पत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। सूचित रहे।

भवदीय,

स. ह.

आचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण।

(203)

कार्यालय पंचायत समिति मूंडवा (नागौर)

क्रमांक पं.स./संस्थापन/2663 दिनांक 2-9-78

प्रेषिति,

श्री आचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :—श्री नरेन्द्रकुमार सोनी आई. टी. आई. के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कृपया नरेन्द्रकुमार सोनी, आई. टी. आई. नं. 65 की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालें :—

1) क्या श्री नरेन्द्रकुमार सोनी आई. टी. आई. नं. 65 गलत है ?
2) उसके आदेश संख्या 216 अप्रैल, 78 द्वारा दी गई नियुक्ति सही नहीं है ?
3) अगर ये सारे पत्र जो आपको प्राप्त हुए, और हमने जो आपसे जानकारी चाही वो सारे पत्र इस कार्यालय को न लौटा कर श्री सोनी को किस आधार पर लौटाये गये। अगर लौटाये गये तो कौनसे पते से लौटाये गये।

आशा है आप मिस एड्रेस, मिस सेन्ट, या मिस क्लासिफाइड आदि रिमार्कों में इस पत्र को न उलझा कर सही जानकारी इस कार्यालय को देंगे, जिससे आपके विश्वास पर यह मान कर कि आदेश आदि में हस्ताक्षर की भूल हो जाना स्वाभाविक है। उन्हें इस पंचायत समिति की शाला कुडछी में कार्य करने दिया गया था। इसके साथ काफी विवाद खड़ा हो चुका है और इस पत्र के उत्तर देने में आप कोई प्रकार की विलम्बता न बरत कर शीघ्र ही उत्तर देंगे, जिससे उठता हुआ विवाद समाप्त हो सके।

स. ह. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति मूंडवा।

कार्यालय आचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर (राज.)

क्रमांक 6901 दिनांक 16-9-78

मूल पत्र लौटाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति मूंडवा को लेख है कि श्री नरेन्द्रकुमार सोनी द्वारा लगभग दो या तीन पत्र भिजाये गये, जिन्हें श्री सोनी को वापस लौटाया गया। जहां तक आधार का प्रश्न है। इस संस्थान द्वारा श्री नरेन्द्रकुमार सोनी की कोई नियुक्ति ही नहीं की गई, तथा राजस्थान में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर विभाग में मात्र 16 ही आई. टी. आई. हैं (इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट) जिनका न तो पंचायत समितियों से न प्राईमरी पाठशालाओं से कोई संबंध है। अतः आप से पुनः अनुरोध है कि पत्र व्यवहार सही पते पर करें। पत्र जो भूल से इस कार्यालय को प्राप्त होते हैं उन्हें भेजने वाले (सबंधित) को लौटा दिया जाता है, जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता।

स.ह. आचार्य,

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

(205)

कार्यालय पंचायत समिति मूंडवा (नागौर)

क्रमांक पं0 सं0 । संस्थापन । 2686 दिनांक 8-9-79

प्रेषित,

श्री आचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ।

विषय :— श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, आई. टी. आई. नं. 65 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, आई0 टी0 आई0 नं0 65 जो कि इस पंचायत समिति के अधिनस्थ कार्यरत हैं। वह आपके पास नियुक्त आदेश के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देने के लिये आ रहे हैं। कृपया आप इनके साथ पूर्व में चाही गई सूचना अति शीघ्र भिजवाने की कृपा करावें। अन्यथा इस कार्यालय को मजबूर होकर मानना पड़ेगा कि श्री नरेन्द्र कुमार सोनी आई0 टी0 आई0 नं0 65 गलत हैं और आपके संस्थान द्वारा नियुक्त आदेश हुए हैं वे गलत हैं।

कृपया इस सम्बन्ध में वांछित सूचना शीघ्र भिजवाने की कृपा करावें।

स0 ह0 विकास अधिकारी,
पंचायत समिति मूंडवा ।

२०६

कार्यालय पंचायत समिति मूंडवा (नागौर)

क्रमांक पं0 सं0 । संस्थापन । 78-79 । 2680 दिनांक 12-9-78

प्रेषिति,

श्री आचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय :—श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, आई. टी. आई. नं0 65 के संबंध में ।

प्रसंग :—इस कार्यालय के पत्र सं0 2863 दिनांक 2-9-79 ।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्री नरेन्द्रकुमार सोनी आई0 टी0 आई0 नं0 65 इस कार्यालय की प्राथमिक शाला महाणा में कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति सम्बन्धित आदेश पूर्व में वास्ते आपके हस्ताक्षर हेतु भिजवाये गये थे, जो आज तक लौट कर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री भंवरलाल कनिष्ठ लेखाकार पंचायत समिति मूंडवा आपके कार्यालय में इस सम्बन्ध में आपके यहां आ रहे हैं। कृपया श्री नरेन्द्र कुमार सोनी आई. टी आई. नं0 65 जिसकी कि नियुक्ति आपके संस्थान द्वारा की गई थी, वे नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर करके श्री भंवरलाल सोनी को देने की व्यवस्था करावें। यदि इस सम्बन्ध में और कोई जानकारी हो तो वह भी दिलाने की अनुकम्पा करावें।

कृपया इसे महत्वपूर्ण समझ कर प्राथमिकता देने की कृपा करें।

स0 ह0 विकास अधिकारी,
पंचायत समिति मूंडवा।

(२०७)

परिशिष्ट—3

(अतारांकित प्रश्न सं. 1027 की सूची)

"सूची "अ"

विद्युतीकृत गांवों की तहसीलवार तदर्थ (प्रोवीजनल) सूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3	4
1	अजमेर	1 अजमेर	122
		2 किशनगढ़	139
		3 ब्यावर	118
		4 सरवाड़	6
		5 केकड़ी	79
			464
2	अलवर	1 बहरोड़	113
		2 मंडावर	100
		3 किशनगढ़	99
		4 तिजारा	71
		4 बान्सूर	88
		6 अलवर	221
		7 थानागाजी	14
		8 राजगढ़	36
		9 लक्ष्मणगढ़	66
			808

1	2	3		4
3	बांसवाड़ा	1	घाटोल	90
		2	गढ़ी	66
		3	बांसवाड़ा	64
		4	बागीडोरा	31
		5	कुशलगढ़	147
				398
4	बाड़मेर	1	शिग्रो	1
		2	बाड़मेर	6
		3	पचपदरा	19
		4	सिवाना	21
		5	चौहटन	—
				47
5	भरतपुर	1	कामां	48
		2	नगर	20
		3	डीग	51
		4	नदबई	34
		5	भरतपुर	170
		6	वैर	150
		7	बयाना	27
		8	रूपवास	12
		9	बसेरी	4
		10	बारी	11
		11	धौलपुर	23
		12	राजाखेड़ा	71
				621

1	2	3	4
6	भीलवाड़ा	1 आसीन्द	93
		2 हुरडा	42
		3 शाहपुरा	61
		4 जहाजपुर	41
		5 रायपुर	47
		6 मांडल	43
		7 बनेड़ा	19
		8 भीलवाड़ा	109
		9 सहारा	39
		10 कोटरी	40
		11 माण्डलगढ़	105
			639
7	बीकानेर	1 बीकानेर	43
		2 लूणकरणसर	6
		3 कोलायत	12
		4 नोखा	30
			91
8	बून्दी	1 हिंडोली	30
		2 नैनवा	17
		3 बून्दी	70
		4 के0 पाटन	15
			132
9	चूरू	1 तारानगर	13
		2 राजगढ़	15
		3 सरदारशहर	26

210

1	2	3		4
		4	चूरू	37
		5	डूंगरगढ़	34
		6	रतनगढ़	24
		7	सुजानगढ़	20
				169
10.	डूंगरपुर	1	डूंगरपुर	145
		2	आसपुर	32
		3	सागवाड़ा	74
				251
11	जयपुर	1	कोटपूतली	38
		2	बैराठ	65
		3	आमेर	170
		4	फुलेरा	92
		5	जयपुर	104
		6	जमवारामगढ़	151
		7	बसवा	56
		8	दूदू	54
		9	सांगानेर	169
		10	बस्सी	63
		11	दौसा	68
		12	सिकराय	41
		13	फागी	8
		14	चाकसू	21
		15	लालसोट	82
				1182

(211)

1	2	3	4
12	जैसलमेर	1 जैसलमेर	4
		2 पोकरण	2
			6
13	जालोर	1 जालोर	31
		2 ग्रहीर	72
		3 सांचोर	1
		4 जसवन्तपुरा	100
			204
14	झुंझुनूं	1 झुंझनूं	88
		2 चिड़ावा	131
		3 खेतड़ी	107
		4 उदपुरवाटी	93
			419
15	झालावाड़	1 खानपुर	22
		2 झालरापाटन	188
		3 बकनी	29
		4 ग्रकलेरा	33
		5 मनोहरथाना	14
		6 पचपहार	65
		7 पिराया	43
		8 डग	2
		9 गंगधर	2
			398

1	2	3		4
16	जोधपुर	1	फलौदी	2
		2	ओसीया	38
		3	शेरगढ़	11
		4	जोधपुर	57
		5	बिलाड़ा	103
				211
17	नागौर	1	लाडनू	20
		2	डीडवाना	67
		3	जायल	24
		4	नागौर	20
		5	नावा	82
		6	डेगाना	57
		7	परबतसर	70
		8	मेड़ता	94
				434
18	पाली	1	जैतारण	40
		2	सोजत	100
		3	रायपुर	26
		4	पाली	77
		5	खारची	72
		6	देसूरी	74
		7	बाली	130
				519
19	सवाई माधोपुर	1	महुवा	33
		2	टोडाभीम	52

1	2	3	4
		3 हिण्डौन	75
		4 नदाती	23
		5 सपोटरा	50
		6 गंगापुर	61
		7 बामनवास	16
		8 करोली	23
		9 मालान चोर (बौली)	16
		10 सवाई माघोपुर	83
		11 खंडार	26
			458
20	सीकर	1 फतेहपुर	23
		2 लक्ष्मणगढ़	36
		3 सीकर	78
		4 नीम का थाना	47
		5 श्री माधोपुर	133
		9 दांतारामगढ़	106
			423
21	सिरोही	1 शिवगंज	61
		2 सिरोही	27
		3 पिंडवारा	56
		4 आबूरोड	38
		5 रेवदर	79
			261
22	टोंक	1 मालपुरा	19
		2 निवाई	93
		3 टोडारायसिंह	6

1	2	3	4
22 टोंक	4	टोंक	68
	5	देवली	36
	6	उनियारा	17
			239
23 चित्तौड़गढ़	1	रश्मी	40
	2	गंगरार	55
	3	बेगूं	147
	4	चित्तौड़गढ़	58
	5	कपासन	112
	6	बदेसर	27
	7	निम्बाहेडा	98
	8	छोटी सादड़ी	47
	9	बड़ी सादडी	34
	10	डूंगला	9
	11	प्रतापगढ़	88
			715
24 कोटा	1	पीपलोदा	7
	2	दीगोद	48
	3	मंगरोल	23
	4	बाँरा	30
	5	किशनगंज	2
	6	लाडपुरा	31
	7	रामगंज मण्डी	109
	8	सांगोद	121
	9	अटरू	71
	10	छीपा बड़ोद	17

1	2	3	4
	11	छबड़ा	55
	12	शाहबाद	—
			514
25 श्री गंगानगर	1	करनपुर	90
	2	गंगानगर	133
	3	पदमपुर	33
	4	हनुमानगढ़	57
	5	रामसिंहनगर	27
	6	सूरतगढ़	22
	7	नोहर	15
	8	भादरा	16
	9	अनूपगढ़	24
	10	सादुलशहर	10
	11	सांगोदिया	4
	12	टी बी	25
			456
26 उदयपुर	1	भीम	13
	2	देवगढ़	8
	3	आमेठ	38
	4	कुम्भलगढ	72
	5	राजसमंद	60
	6	रेलमगरा	63
	7	नाथद्वारा	76
	8	मावली	57
	9	गोगुन्दा	30
	10	वल्लभनगर	106
	11	गिरवा	117

1	2	3	4
	15	गराडा	78
	13	सलूम्बर	77
	14	खेरवाड़ा	31
	15	लासेडा	54
	16	कोटरा	—
	17	पालसीय	—
			880

कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इस सूचना में त्रुटियां सम्भव हैं ।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1031 की सूची)

डेगाना तहसील जिला नागौर में कुल 59 ग्राम विद्युतीकृत हैं। इन ग्रामों के नाम, ए. इ. एन. का कार्य क्षेत्र एवं योजना जिसके अन्तर्गत विद्युतीकृत हुए है निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	गांव का नाम	ए. ई. एन. कार्य क्षेत्र का नाम	योजना जिसके तहत विद्युतीकरण हुआ।
1	2	3	4
1	गोरडी चाचा	ए.ई.एन. (ग्राविनि डेगाना)	ग्राविनि
2	कितलर	,,	,,
3	किरड	,,	,,
4	लवादर	,,	,,
5	पुन्दलोता	,,	,,
6	डेगाना गांव	,,	,,
7	राजलोता	,,	,,
8	निम्बडी कंला	,,	,,
9	निम्बडी कोठारिया	,,	,,
10	हरसोर	,,	,,
11	भेरून्दा	,,	,,
12	डोडीयाना	,,	,,
13	सथाना कंला	,,	,,
14	सथाना खुर्द	,,	,,
15	सुदवाड़	,,	,,
16	शेखपुरा	,,	,,
17	टेला	,,	,,
18	गुड्डा	,,	,,
19	नरसिंह वासनी	,,	,,

1	2	3	4
20	देवगढ	ए. ई. एन (ग्राविनि)	ग्राविनि
21	लाखीना	डेगाना	,,
22	किला	,,	,,
23	बाडीवाटी	,,	,,
24	शाहपुरा	,,	,,
25	निम्बोला बिसवा	,,	,,
26	कल्याणपुरा	,,	,,
27	ढाणीपुरा	,,	,,
28	रातुन्डा	,,	,,
29	रावयासनी	,,	,,
30	थांवला	,,	,,
31	गोल	,,	,,
32	लुनियावास	,,	,,
33	मेहराना	,,	,,
34	बनवारा	,,	,,
35	थाटा	,,	,,
36	मोडीकंला	,,	,,
37	मोरियाना	,,	,,
38	ग्रोरियाना	,,	,,
39	बोफ्ली	,,	,,
40	गोनेरडा	,,	,,
41	गोनेरडी	,,	,,
42	ईडवा	मण्डल का सामान्य कार्यक्रम	,,
43	चुवा	,,	,,
44	चुई	,,	,,
45	कंला का बास	,,	,,
46	भगडवास	,,	,,

1	2	3	4
47	चान्दारन	मण्डल का सामान्य	ग्राविनि
48	गोरडी करणा	कार्यक्रम	,,
49	रेवत	,,	,,
50	पचरन्डा	,,	डी पी ए पी
51	जेठडा	,,	,,
52	खोवताणा	,,	,,
53	साजू	,,	मण्डल द्वारा नियमन
54	मोगास	,,	किया गया
55	सथानी	ए ई एन	
56	अलनियावास	(परिव संघा)	
		मेड़ता सिटी	आर. ई. प्रोग्राम
57	कोड		के तहत
58	कोडीया		विद्युतीकृत
59	लाडपुरा		

(220)

परिशिष्ठ 5

तारांकित प्रश्न संख्या 1033 की सूची

—पांचना बांध से सिंचित क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची—

क्र.सं. 1	गांव का नाम 2	तहसील 3	काबिले काश्त रकबा 4
1	धावन	टोडाभीम	614 हैक्टर
2	गवारी	,,	161 ,,
3	लुहारपुर	,,	108 ,,
4	रानोली	,,	329 ,,
5	चन्दवाड़ा	,,	133 ,,
6	नगला शेखपुर	,,	346 ,,
7	पड़ी	,,	708 ,,
8	कुटिला	,,	126 ,,
9	कटलेखपुर	,,	36 ,,
10	मखावड़ा	,,	212 ,,
11	रानोली	,,	288 ,,
12	मेहृसिंघपुर	,,	148 ,,
13	डिचपुरी	,,	98 ,,
14	खिनगीपुरवाड़ा	,,	136 ,,
15	उडेन	,,	140 ,,
16	झोटवाड़ा	,,	268 ,,
17	भायपुर	,,	85 ,,
18	मेश्वा	,,	924 ,,
19	किरवेडा	,,	207 ,,
		योग:—	5061 एकड़

1	2	3	4
20	तेसगांव	नादोती	993 एकड़
21	केकला	,,	143 ,,
22	बेली	,,	208 ,,
23	विदानी	,,	362 ,,
24	रोखी	,,	1247 ,,
25	खेदाली	,,	441 ,,
26	रेलावाला	,,	471 ,,
27	केमला	,,	1472 ,,
			योग:— 5337 एकड़
28	अखरपुर	हिण्डौन	186 एकड़
29	चन्डगांव	,,	394 ,,
30	खेड़िया	,,	144 ,,
			योग— 726 ,,

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्नोत्तर सं. 1036 की सूची)

जिला बाड़मेर

1 धारदी
2 कोटरा
3 राजमथ्या II
4 रातडो
5 ताजोतरा
6 ढोली
7पडरू
8 धोरोमाना
9 लोहारवा विछुजा
10 ऊंडू
11 तुरबो–बाडमेर
12 भाडका
13 नोमला
14 डोलो
15 रामनिया I
16 रामनिया II
17 सेडवा–बाडमेर I
18 सेडवा–बाडमेर II
19 गडरा रोड II
20 घिराब
21 पडरू
22 मियार
23 भादा
24 लोहारवा
25 मोमला
26 भाडका 4
27 चौहटन
28 हकोरा
29 भाडका I
30 भाडका II
31 भाडका III
32 भाडका I
33 भाडका II
34 गिराब
35 भाडका III
36 भाडका-4
37 बालोतरा I (विध्याना)
38 बालोतरा II
39 चौहटन I
40 धोरोमना I
41 धोरोमना II
42 मोखालसर
43 निमला (भाडका–4)
44 अटाड
45 जात्पा
46 भरो का वास
47 अरवीन का वास
48 मोती सरजूना
49 बारोज
50 घानवा
51 बाडमेर
52 बिहार
53 भाडका I
54 बोथिया III
55 महावर II
56 आलमसर
57 बोथिया II
58 वालोसर
59 करिमा का पारा
60 कासूला का पार
61 कानासर

62 गिराव
73 मूरनका खला
64 भाडका त्रारा
65 आलम सर
66 को थोरिया
67 कानासर
68 भाडका–14
69 भोमडा
70 चौहटन I
71 भीमडा II
72 भाडका 16
73 चोहटन II

जिला बीकानेर

1 बीकानेर
2 गिनानी पार्क
3 ,, आरएसोकेयास
4 बज्जू
5 निठारिया
6 भारोली
7 वबलू
8 गडोयाला I
9 ,, II
10 सादुलसर
11 नीखा
10 नगनायती
13 खेलादेसा
14 नापांसर
15 भोकानसर
16 सिनियाला
17 नोखा
18 लूनकरणसर II
19 इन्कतानगर
20 सिववारो
21 करनोसर
22 नापांसर II
23 सुरपुरा
24 कोलायत
25 कोलासर
26 कोडवाला (डी. सी. वी.)
27 भोकमपुर
28 नारंगदेसर ढो सी वी
20 सिन्थल ढी. सी- वी.
30 गोरसोसर ,,
31 पांचू ,,
32 रोका ,,
33 सामलसर ,,
34 बम्वलू ,,
3· रशि सर ,,
36 सज्जनदेसर II
27 उदरान्गसर डी. सी. वी.
38 गडियाला ,,
39 सुज्जनदेसर ,,
40 रन्जीतपुरा
41 शेखसर
42 ताल
43 सुज्जन देसा-5
44 बोकरली औद्योगिक क्षेत्र II
45 दांतरा
46 बीकानेर डी. सी. जी
47 भिकम्पुर II
48 वारासाय
49 जंगलू डी. सी. वी.
50 डागावल
51 नोखा गांव
52 मामलसोर
53 गुडसू
54 रन्सीसर डी. सी. वी.

55 सनोपदेसर
56 सुज्जनदेसर
57 पंदरदेसर
58 खुम्वाना
59 डूंगसर
60 लालमदेसर
61 सोसरखर
62 खूडू
63 बीकानेर
64 भोकम्पुर
65 शिव बाडो रोड
66 गरावदेसर डी. सी. बी.
67 नांपासर
68 नांपासर
69 कुच्छौर
70 व्यास कालोनी
बीकानेर

चूरू जिला

1 चूरू
2 ,,
3 डूंगरगढ़
4 राजलदेसर
5 रतनगढ़
6 घनेरू
7 बजरंगसर
8 चूरू
9 डूंगरगढ़ I
10 ,, II
11. ,, III
12 ,, 4
13 ,, 5
14 , 6
15 बजरंगसर
16 बिल्लू II
17 खासोली I
18 सरदारशहर I
19 ,, II
20 ,, III
21 ,, 4
22 अडसोर
23 बिल्लू III
24 खारिडिया II
25 चांदगोठी I
26 ,, II
27 ,, III
28 ,, 4
29 ,, 5
30 साहवा
31 जसरासर
32 ,, I
33 ,, II
34 खासोली III
35 खासोली 4
36 घोरदेसरा
37 ,, II
38 ,, थाकरियासर
39 रोरो
40 ऊपरोकलांसर
41 चांदगोठो
42 चूरू II
43 चूरू III
44 सरदारशहर
45 ,,
46 ,,
47 सुलखनिया II
48 सूथार I
49 ,, II
50 ,, III
51 गोगासर

52 सांडवा I
53 चूरू 5
54 चूरू 6
55 चूरू 7
56 ,, 8
57 चूरू
58 तहिन्ददेसर
59 हुडसोन
60 चूरू
61 लक्ष्मीसर
62 सांवतसर
63 नया कलांसर
64 रोड़ी
65 जयसिंहसर
66 सरदारशहर I
67 ,, II
68 ,, III
69 चादगोठी I
70 ,, II
71 रोरो
72 रामसर का वास
73 सेहला
74 ऋषिकुल आश्रम
75 चांदगोठी II
76 जालू II
77 जालू I
78 तारानगर I
79 ,, II
80 ,, III
81 ,, 4
82 ,, 5
83 ,, 6
84 ,, 7
85 , 8
86 तारानगर 9
87 ,, 10
88 ,, 11
89 सांडवा I
90 ,, II
91 सांडवा III
92 अमृतवासी
93 जालू III
94 जालू 4
95 सादुलपुर I
97 ,, II
97 ,, III
98 ,, 4
99 ,, 5
100 सोंखू
101 लोहा डी. पी. वी.
101 रतननगर
103 बांघरण
104 डूंगरगढ़
105 खासोली
106 त्रिपति छोटी I
107 ,, II
108 ,, III

जिला झुन्झूनूं

1 चिरावा
2 ,,
3 झुन्झुनूं
3 सूरजगढ़
5 पिलानी
6 महरा जाट्वास
7 मूहाना
8 भीड I
9 ,, II
10 पलोटा

11 राचरिया कला
12 पडव गहाडा
13 लूटू I
14 ,, II
15 ,, III
16 जरोडा II
17 ,, III
18 ,; 4
19 झुन्झुनूं
20 जरोडा 5
21 वागोली ।
23 सुलताना
23 भुगाला
24 वुडान 2 न. टी. डब्लू
25 पिलानी
26 लोयल भोनोता

जिला जोधपुर

1 लोहावट
2 खिन्सारिया
3 चाडी
4 जैथानिया
5 शेरगढ
6 कालू
7 लोरटा
8 चामू
9 पीलवा
10 वामेसर
11 असरलाई
12 धनवारा
13 फलौदी
14 हुंवतचौक
15 नेहरू पार्क
16 रामपुरा
17 इन्जिनियरिंग कालेज
18 शास्त्री नगर
19 भानासर
20 भोकम खोर
21 कालू
22 पावर हाउस का पास
23 रेजिडेन्सी रोड
24 भगत की गोठी
25 वासनो
26 जोधपुर रामपुरा
27 डड
28 चौरडिया
29 क्षेत्रवा
30 रोला कलान
31 छोरिया
32 रामपुरा-8 टी. डब्ल्यू.
33 यू. आई टी जोधपुर
34 खेराप
35 आसोप
36 भोपालगढ़
37 पोलवा
38 शेरगढ-2 टी. डब्ल्यू.
39 केरू ।
40 केरू ।।
41 बालेसर ।
42 ,, ।।
43 बालोरवा
44 खुडोर
45 जैथानिया
46 सोमेसर
47 पुंगालिया
48 सालोरने
49 मालासो
50 पिचोयाक
51 तिनवारो
52 फलौदी

53 केरू
54 मेंरू
55 बालारो
56 सालोडिया
57 बोरंडा
58 केरू ।
59 केरू ।।
60 कालू
61 गेंलावास
62 ।।
63 ढोली ।
64 डड ।।
65 इन्दरोका ।
66 ,, ।।
67 ,, ।।।
68 पूंगा
69 भूनरा
70 सेजगढ
71 ओसिया
72 सिहुारा
73 चाडिया चोत्तिना
74 पातीशेहुरा
75 जाहुर डोली ।।।
76 वासिनी
77 घन्नोक (फलोदी)
78 बिलारी ,,
79 फलोदी
80 मानिया
81 पानवाला (ओसियां)
82 लावरान
83 भावदा
84 टिवड़ा
85 चौडिया
86 खांदिया
87 देवातू
88 चामू ।
89 ,, ।।
90 सेथला
91 नाथाराम
62 चम्वासर
93 चौरड़िया
94 उदवांलिया
95 वोटवा
96 ऊटू
97 कानोडिया
98 जोधपुर
99 प्रथुपुरा
100 रनसोगांव ।
101 ,, ।।
102 नांनू
103 पालरोसिवा ।
104 ,, ।।
105 ,, ।।।
106 खेरका का कवपाल
107 पाल
108 डौलो
109 आसोप
110 वासनी खेरका ।

जिला जालोर

1 भीनमाल 3 पी डब्लू
2 लाछेरी
3 भागलोर
4 धनवारा
5 मण्डावला
6 रामसिन
7 अहेर
8 सनखावलि
9 रामा
10 मेघालवा

(228)

11 जोवाना
12 सिराना
13 भागली
14 भोगल सेपता
15 पचपदरा
16 सिवाना
17 गडिया इन्द्रपुरा
18 गुडिया-2 दो टू. वैल
19 ध्वेर
20 शंकर ।
21 ,, ॥
22 सेला
23 गोविन्द लाल
24 घोरा ।
25 घोरा ॥
26 हरजी
27 ऊनासा
28 गुडा
29 भादरोदा
30 वोलिया
31 केसवाना
32 रानीवाडा
33 भादराजून
34 बेदाना
35 गोविन्दला
36 साथू
37 ,, ॥
38 घोहिया
39 भुहाना
40 सोना पुरा
41 वहरोडो
42 ऊन
43 लेटा
44 लून
45 भरनाई
46 रतनगा
47 टिखो
48 दाईगांव
49 मियोई
50 पहारपुरा
51 पदार
52 पंछनवा
53 भुभानो
54 डाडल
55 पुरा
56 वैगोरा
57 इलाना
58 नवाकारा
59 वाकरा
60 तोलोरा
61 दादल
62 म्राहोर
63 शंकर 2 टूव वैल
64 लच्छीवाडा
65 भांखल
66 पहारपुरा (टोखो 1)
67 पहारपुरा ,,
68 सांचोर

जिला जैसलमेर

1 रनेऊ II
2 कुरो
3 सम
4 नाचना
5 सनगर
6 सजीत
7 जेठा
8 कालू
9 राजमाथिया
10 रजवाई

11 नोखारा चारण I
12 ,, II
13 वालना
14 सोनू
15 परवर
16 मेजलोन
17 भोजका
18 नोभाई
19 भोजका
20 झोझोनयाली I
21 ,, I
22 पुरी I
23 ,, II
24 खोटो
25 रोफसो
26 डावला III
27 डावला II
28 अकल
29 देवो कोट II
30 वेबूरा गांव
31 चदन II
32 सागर
33 अऊंड
34 मुलाना
35 श्री भादोरा
36 लाखो II
37 सनवाला
38 सरमरो
39 धैयंशोर II
40 अजासर
41 भरदाना
42 जोरात II
43 कुयान
44 तामसर
45 घाईसर III
46 सोगन की ढाणी
47 कोता
48 भोलानी
49 सुल्ताना I
50 गम्थालो
51 लौगावाली II
52 चांदना I
53 भैरवा
54 लाथी-6
55 कोरमो की ढाणी
56 सोहा कौर-13
57 ,,-5
58 डोठोरा गांव
59 पाली I
50 खोंया
61 झोन्झोयाली III
62 ,,-4
63 कुरी
64 सानू
65 सांगर
66 भोजका

जिला सीकर

1 सीकर अगदावता
2 सीकर–4 टी डब्लू
3 फतेहपुर I
4 ,, II
5 भगतपुरा
6 फतेहपुर टी डब्लू
7 कांवट
8 गोहेला II
9 फतेहपुर
10 रामगढ़
11 खाचरिया वास

12 चांदपुरा
13 सीकर ।
14 ,, ।।
15 पीपरोली
16 पलासना-2डी. सी, डब्लू

नागौर जिला

1 नागौर
2 मेडता सिटी–।
3 ,, ।।
4 लाडनूं
5 मेडता सिटी
6 लाडनूं-2 टी डब्लू
7 मारवाडा छापरी
8 दौलतपुरा-2 टी डब्लू
9 फिरवासी
10 रोला
11 ,, ।।
12 मोगना ।
13 मोगन ।।
14 ,, ।।।
15 कांचरोलिया ।।
16 लाम्बा जोटा
17 डांगावास
18 ,,
19 मोकला
20 पाडू
21 धामनिया
22 लाडनूं –3 टी डब्लू
23 खाजावाना
24 अरबार
25 डेगाना रेलवे स्टेशन
26 डेगाना गांव
27 नोम्बो जोधान
28 पंचरोली
29 परनेऊ
30 कीतलसर
31 रुन
32 लाडनू:4 टी डब्लू
33 जमलोवास
35 खुनखुना-2 टी डब्लू
35 डांगावास 2 ,,
36 धेहपुरा ।
37 ,, ।।
38 ,, ।।।
39 मूडवा
40 पाटी दफरी
41 फिरोजपुरा
42 ताऊसर
43 पनकालिया
44 आनन्दपुर ।
45 ,, ।।
46 लाडनूं-2 टी डब्लू
47 पूंडला
48 सन्जू
49 माड़वा
50 नौला
51 डांगावास
52 मोकला
53 ,, ।।
54 ,, ।।।
55 ,, -4
56 ,, -5
57 अलायमगा
58 नूवा ।।
59 ,, ।।।
60 बांकलिया
61 ,, ।।
62 नूवा ।
63 दौलतपुरा
64 जायल

66 नांवा -4
66 आयरवासी
67 पांचोली
68 कराप
69 खुनखुना ।
70 ,, ॥
71 मलसी
72 बांकलिया
73 रोल
74 दूजदर
75 मोहनवा
76 फिरोड़
77 नारावना
78 माता सुखाना I
79 ,, ॥
80 पुनास
81 भगवानपुरा
82 कुचामन
83 कासमेस
84 भूटाटो
85 पुनलोटा
86 कुचामन
87 वरबाऊ ॥
88 ,, ।।।
89 जूसरी
90 कुचामन II
91 श्री बालाजी
92 खोनूसर
93 गाजू डी0 सी0 वी0
94 गाजू
95 चांवड़िया
96 करसोड़ा ।
97 भगवानपुरा
98 भादवा ।
90 ,, ॥
100 कारासोड़ा (सोलियाना)
101 सोलियाना ॥
102 ,, ।।।
103 वारां
104 ताऊसर ।
105 सालियाना -4
106 ताऊसर ॥
107 सोलियाना -5
108 खोनूसर
109 अलाय
110 घनपा (तालनपुरा

जिला पाली

1 पाली–2 टी डब्लू
2 गोदीवारा
3 बलाय
4 गुन्दोज
5 सांडेराव
6 वाबागांव
7 खोमेल
8 खारियानीन
9 बोलावास
10 भोगरी
11 खोमेल
12 सोजतरोड ।
13 ,, ॥
14 पाली ।
15 पाली ॥
16 रानी ।
17 ,, ॥
18 ,, ।।।
19 ,, –4
20 ,, –5
21 ,, -6

22 पाली -7
23 ,, -8
24 ,, ·9
25 ,, 10
26 ,, 11
27 बालेरा
28 आगेवा
29 वलून्दा
30 कामलिया
31 लाम्बा
32 मण्डला
33 सोजतरोड
34 खारिया नोम
35 बलवन
36 लोरड़िया
37 कनवालिया
38 धापूना
39 ,, II
40 पालरो
41 माण्डली
42 वगनी
43 बिलावास
44 सबली
45 नोम्बाज
46 वीरमपुर
47 खारियानीम
48 वीरमपुर I
49 सादड़ी
50 बाली
51 मण्डला
52 भानजीसर
53 सोड़ावास
54 ठाकुराला
55 तेवाली
56 खेमावास
57 दरी
58 सांडेराव
59 इन्द्रानगर
60 सवानिया
61 डिग्गी
62 गूरड़ा
63 मनिहारी
64 वीमादरा
65 जाड़न
66 मूड़रा
67 रानी
68 खोवान्दरी
69 बाली II
70 बाली III
71 निम्बाज
72 चण्डवल
73 रानी
74 झोजावर
75 आनन्दपुर कालू
76 निम्बाज
77 सोजतसिटी
78 सोसली
79 रानावास
80 ,, II
81 घोघरिया I
82 पंचेरी

83 बासना
84 चण्डावल
85 दोमोखान
86 अटपरा
87 बिजावा
88 सेवारी
89 भाटा
90 चेलावास
91 वाबरा ।
92 बावरा ॥
93 खिलावास
94 बाली
95 रानी
96 कनवालियाखुर्द ।
97 कलांन
98 कनवालियाखुर्द ॥
99 बर ।
100 बर ॥

प्रश्न दो की सूची

जिला बाड़मेर

1. गडरारोड
2. भूरान का तला

चूरू जिला

1. सांडवा

जिला जैसलमेर

डावला III

जिला झुन्झुनू

1. बागली II

जिला जोधपुर

1. बासनी खारिया II
2. रामपुरा
3. लोहावट

जिला नागौर

1. टांटवास
2. सन्जू

जिला सीकर

1. अलोडा I
2. अलोडा II

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1044 का आदेश व विवरण)

राजस्थान सरकार

(शिक्षा विभाग)

परिपत्र

बी.एड./एम.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण काल की समाप्ति के बाद प्रायः जिस शाला से प्रशिक्षण महाविद्यालय में नियोजित किया जाता है वहां पद स्थापित नहीं किया जाता। इसमें उन अध्यापकों को अवकाश स्वीकृत कराने, अवकाश काल का वेतन उठाने में अन्य कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं।

अतः समस्त उपनिदेशकों, निरीक्षकों, वरिष्ठ उप निरीक्षकों को निर्देश दिये जाते हैं कि बी.एड./एम.एड. प्रशिक्षण से लौटने पर उन अध्यापकों को प्रशिक्षण में आने से पूर्व की शाला में ही जहां तक अभाव हो पद स्थापित किया जाय तथा उसके स्थान पर कार्य करने वाले पूर्णतया अस्थाई अध्यापकों को उन विद्यालयों में स्थानान्तरित कर उन्हें लगाया जाय। जिन विद्यालयों में स्थायी व्यवस्था कर दी गयी है और बी.एड./एम.एड. से लौटने वाले अध्यापकों को उनमें पद स्थापित किये जाने में कठिनाई हो, उन मामलों में इनको यथा सम्भव सुविधाजनक विद्यालय में पद-स्थापित किया जाये।

ह./-
(एस. एन. गुप्ता)
निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।
दिनांक 16-3-72

क्रमांक : शिविरा/संस्था-बी/एफ-1/12240/72

प्रतिलिपि निम्न को—

1—संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक महिला सहित
2—विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षकायें
3—समस्त उप वरिष्ठ विद्यालय निरीक्षक
4—समस्त उप विद्यालय निरीक्षकायें
5—समस्त प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण महाविद्यालय
(सरकारी व अनुदान प्राप्त)

सत्यप्रतिलिपि

नोट—इस प्रारूप का अनुमोदन दिनांक 3-3-72 को हुआ। निदेशक

ग्रीष्माकालीन एवं पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा बी. एड. प्रशिक्षण हेतु राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अजमेर के लिये–प्रतिनियुक्ति अध्यापकों सूची की :

क्रम संख्या नाम अध्यापक

1– श्री रमेशचन्द्र कोठारी स. अ.उ. प्रा. वि. कुशलगढ प्रथम ।

2– श्री सज्जाउधीन रीजवी स. अ. प्रा. वि. निश्यावत पं. सं. कुशलगढ़ ।

3– श्री चन्द्रपालसिह राठौड़ स. अ. रा. प्रा. वि. खैरवा पं. सं. कुशलगढ़ ।

4– श्री मोहम्मद हुसैन प्र. अ. प्रा. वि. बागडीवापला ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों को चयन सूची :

1– श्री गणेशराम भराडी स. अ. उ. प्रा. वि. बागीदोरा ।

2– श्री रमेशचन्द्र स. अ. पं. सं. भूखिया ।

उपरोक्त अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति ग्रीष्मकालीन पत्राचार पाठ्यक्रम से प्रतिनियुक्ति होने से उनको 15 दिन से अधिक का अवकाश नहीं लिया गया है । क्योंकि पाठ्यक्रम पत्राचार से है, अतः इन्हें नियमानुसार वेतन चुकाते रहे ।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1045 की सूची)

DIRECTORATE OF COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN, JAIPUR.

S. No.	Name of College	Aid Given from 1971 to 1979 1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dayanand College, Ajmer.	6,48,000	7,18,929 30,000	7,10,000	8,38,980 15,000	9,11,000 10,000	10,07,687	11,64,000	12,30,100
2	Savitry Girls College, Ajmer.	3,62,250 30,000	4,12,200	4,29,100 7,800	5,12,360 6,000	5,29,000 10,000	4,77,400	6,17,000	6,64,100
3	BJR Jain College Bikaner.	97,650	1,03,369	1,03,400	1,39,200	1,50,000 3'000	1,78,100	1,96,000	2,63,700
4	Sh. Jain College, Bikaner.	1,50,752	1,64,869 25,000	74,000	2,04,270 10,000	2,34,000	2,43,000	2,53,600	2,73,400
5	Banasthali Vidya-peeth, Banasthali.	5,32,200	5,95,618 1,25,000	5,72,900	7,46,400 40,800	8,32,000 65,000	9,29,100	11,00,800	12,05,400

237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Chirawa College, Chirawa.	1,43,400	1,60,012	1,58,600	2,07,200	2,18,000	2,45,000	3,54,500	4,12,400
7	Seth GR Chamaria College, Fatehpur.	1,35,497	1,57,420	1,65,100	2,01,670 3,000	2,26,000	2,49,000	2,72,300	2,80,100
8	Agarwal College, Jaipur.	3,20,000	3,36,850	3,44,800	4,62,280 4,200	4,95,000	5,68,000	7,25,000	7,82,700
9	SSPU College, Falna.	1,21,800	1,38,049	1,47,400	1,98,990 1,500	1,92,000 3,000	2,05,200	2,64,000	3,14,100
10	S.S. Jain Subodh College, Jaipur.	1,34,659	1,71,586 16,000	1,91,800	2,77,970 15,000 5,000	2,80,000 18,000	3,24,800	3,97,600	5,06,300
11	Kanodia College, Jaipur.	3,60,000 46,320 1,00,000	3,65,400 54,400	3,87,300 75,000	5,39,200 25,000	5,86,000 15,000	6,84,300	7,42,300	8,26,200
12	S.S. College, Mukandgarh.	1,26,876	1,30,750	1,29,300	1,62,160 2,000	1,71,000 3,000	1,92,300	2,44 500	2,90,900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	SGN. Khalsa Collgege, Sriganganagar.	2,69,255	2,91,200 10,000	3,01,500	3,51,360 10,000	3,68,000	4,99,200	6,53,500	7,05,700
14	Seth Motilal College, Jhunjhunu	1,58,760	1,69,283	1,68,700	2,19,970	2,50,000 8,000	2,53,900	3,25,700	3,41,900
15	Seth GL. Behani S D. College, Sriganganagar.	1,00,440	99,097	1,06,900	1,05,900	1,17,000	2,02,500	2,38,900	2,86,000
16	Sri B.N. College, Udaipur.	3,11,360 40,000	3,98,857 25,000	3,74,900	5,06,880 10,000	5,57,000 8,500	6,10,700	8,46,900	9,44700
17	M.V. Shramjivi College, Udaipur.	1,62,700	1,68,675	1,87,700	2,12,880	2,53,000	2,66,000	3,13,500	3,50,700
18	Udaipur School of Social Works, Udaipur.	1,40,130 8,255	1,27,782	1,38,900	1,89,300	1,94,000	2,13,200	2,41,900	2,61,100

239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Vidya Rural Institute, Udaipur.	2,50,000	2,64,757	2,59,800	5,56,500	5,75,000	6,33,200	7,90,804	7,71,576
20	L.B.S. College, Jaipur.	86,300 58,000 8,375 65,000	83,126 1,26,676	1,02,400 1,14,000	3,07,800	3,12,000 5,000	3,04,200	3,23,968	3,66,900
21	Lachoo Memorial College, Jodhpur.	1,88,000 3,000	1,81,186 15,000	1,74,800	2,55,295	2,64,600	2,78,900	2,83,000	3,44,900
22	S.S.G. Pareek College, Jaipur.	1,09,209	1,11,018	98,100	1,05,160	1,14,000	1,80,000	2,08,500	2,58,600
23	Indira Gandhi Balika Niketan, Adavata.	1,28,400	1,31,075 10,000 25,000	1,22,800	1,06,444	1,06,000	1,67,700	1,93,600	3,32,500
24	B.D. Todi College, Laxmangarh.	1,06,650	1,35,246	1,38,500	1,69,790	1,68,000	1,75,500	3,51,000	4,21,300
25	S.G.B.P. College, Nawalgarh.	2,67,100	2,75,423	2,97,900	3,77,620	4,02,000	4,22,700	5,30,800	6,01,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Nehru Mem. College, Hanumangarh.	—	—	90,000	1;09,340	1,08,000	1,95,349	2,19,461	2,18,700
27	Sonadevi Setia Girls College, Sujangarh.	—	—	30,375	55,170	60,000	62,200	61,000	72,100
28	Rajasthan Institute of Hist. Instt. Jaipur	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
29	Onkarmal Somani College, Jodhpur.	—	—	—	—	50,000	1,09,279	1,00,700	1,77,639
30	Vijai Singh Pathik S.J. College, Ajmer.	—	—	—	—	—	85,000	1,28,800	1,49,000
31	M.D. College, Ganganagar.	—	—	—	—	—	1,20,000	1,62,000	2,67,100
32	G.V. Coilege of Arts, Sangaria.	—	—	—	—	—	40,000	81,000	77,800
33	Jawahar Vidyapeeth, Kanore.	—	—	—	—	—	50,000	50,500	69,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Inst. of Hr. Studies, Jaipur.	—	—	—	—	—	6,000	6,000	6,000
35	Adarsh Degree College Ajmer.	—	—	—	—	—	40,000	45,000	53,500
36	Sat-Sai College, Jaipur.	—	—	—	—	—	90,000	1,14,700	2,45,040
37	Nehru Shardapeeth Bikaner.	—	—	—	—	—	25,000	45,000	40,000
38	Sophia College, Ajmer.	—	—	—	—	—	70,000	1,36,000	2,37,000

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 की सूची)

	नाम व्यक्ति	दिनांक नियुक्ति	नियुक्ति तिथि के दिन आयु	योग्यता	नियुक्त अधिकारी का नाम
1	श्री गुलशन जैन कल्यानपीठ	1-8-70	31 वर्ष 5 मास	मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा डिप्लोमा नहीं था	श्री रंगनाथन कोठारी को प्रबन्धक
2	श्री रादूराम ड्राइवर	2-8-71	34 वर्ष 5 मास	लाइसेंस नहीं था	श्री गनपति राम भण्डारी अध्यक्ष
3	श्री कालूराम सफाई कर्मचारी	10-4-70	31 वर्ष 5 मास	बजट में पद स्वीकृत नहीं था	श्री जे. के. जोहरी प्रबन्धक

(२४४)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1049 की सूची)

विद्यालयों, महाविद्यालयों एव विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की जिलेवार सूची

क्रमांक	नाम जिला	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक/उच्च मा. विद्यालय		महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय	
		छात्र	छात्राऐं	छात्र	छात्राऐं	छात्र	छात्राऐं	छात्र	छात्राऐं
1	2	3		4		5		6	
1	अजमेर	81736	38460	25770	11463	15968	6727	9766	3261
2	अलवर	106272	33694	33666	6488	16937	2677	6170	929
3	भरतपुर	108537	29644	33716	5878	17866	2674	4716	585
4	जयपुर	189029	60871	55874	16204	31728	9392	16252	4493
5	झुंझुनूं	90795	28186	28983	4044	13991	1286	6933	355
6	सीकर	86746	21277	28090	3377	10358	1014	4992	247
7	सवाई माधोपुर	86312	20380	24896	3471	12877	1120	2621	222
8	टोंक	40950	10724	10321	2095	5360	886	1281	942
9	बीकानेर	39700	20258	11480	5189	8301	2763	5873	1376
10	चूरू	61539	17801	17311	3529	8618	1262	2859	85
11	गंगानगर	93887	47553	29118	9008	14884	3710	7140	1451
12	बाड़मेर	34792	7838	9432	1172	1138	261	687	27

1	2	3			4	5		6	
13	जैसलमेर	7287	2273	2260	374	1308	120	187	—
14	जोधपुर	82073	31447	24759	7593	15281	4582	8709	2480
15	जालौर	37629	7607	8595	848	2570	188	487	28
16	सिरोही	27705	9481	8268	2027	3506	777	736	101
17	नागौर	78951	20248	22578	3248	9387	855	1582	52
18	पाली	80999	22122	19165	3055	7583	1059	1750	125
19	कोटा	104879	40028	23020	7691	12717	3914	5823	1794
20	बून्दी	29719	9034	7293	1708	3502	662	855	177
21	झालावाड़	40532	12455	9101	2236	3842	861	1194	138
22	बांसवाड़ा	48369	15073	8326	2111	4340	916	843	138
23	भीलवाड़ा	54903	18512	14688	3835	7249	1664	2714	571
24	डूंगरपुर	37712	12118	7837	1609	4319	648	799	87
25	चित्तौड़गढ़	58008	19286	13668	3424	6387	1296	1302	224
26	उदयपुर	114765	39266	28742	28194	15307	4250	5701	2007
	योग	1823827	588666	506959	119876	258314	55574	99553	21825

२४५

परिशिष्ट संख्या—11
अतारांकित प्रश्न संख्या 1050 का विवरण
श्री मोतीलाल जोशी प्रधानाचार्य, विराणा का जयपुर यात्रा विवरण
(माह अक्टूबर, 1978 से फरवरी, 79 5 माह)

क्र. सं.	जयपुर यात्रा दिवस		कारण
1-	अक्टूबर		कोई नहीं
2-	3 से 8 नवम्बर	6 दिन	कालेज शिक्षा निदेशालय मीटिंग। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रभारी अधिकारी के नाते
3-	11 नवम्बर	1 दिन	वी. सी. एण्ड फण्ड मीटिंग (राजस्थान विश्व-विद्यालय) सिण्डीकेट के सदस्य होने के नाते।
4-	20-21 नवम्बर	2 दिन	संस्कृत परीक्षक नियुक्ति समिति की बैठक (विश्व-विद्यालय) सिण्डीकेट की मीटिंग
5-	29-30 नवम्बर	2 दिन	एम. ए.। आचार्य पाठ्यक्रम पुनर्गठन की बैठक (विश्वविद्यालय) सिण्डीकेट मीटिंग
6-	4-5 दिसम्बर	2 दिन	सिण्डीकेट मीटिंग (विश्वविद्यालय) सिण्डीकेट के सदस्य होने के नाते।
7-	12 दिसम्बर	1 दिन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी साक्षात्कार (निदेशालय)
8-	9-10 जनवरी	2 दिन	संस्कृत फैकल्टी मीटिंग (विश्वविद्यालय) सिण्डीकेट के सदस्य होने के नाते।
9-	13 जनवरी	1 दिन	वार्डनों के घेराव की जाँच (विश्वविद्यालय) सिण्डीकेट सदस्य होने के नाते।
10-	16-20 जनवरी	2 दिन	छात्र हड़ताल के संघर्ष में (संस्कृत निदेशालय)
11-	23-24 जनवरी	2 दिन	(सिण्डीकेट। छात्र हड़ताल) विश्वविद्यालय। निदेशालय
12-	29-31 जनवरी	3 दिन	रवीन्द्रनाथ टैगोर स्कूल की जांच (जनता कालोनी)
13-	9 फरवरी	1 दिन	जांच त्यागपत्र श्री रामस्वरूप शर्मा
14-	26 फरवरी	1 दिन	कार्यविभाजन समिति (संस्कृत निदेशालय)
15-	28 फरवरी	1 दिन	सिण्डीकेट (विश्वविद्यालय) सिण्डीकेट के सदस्य होने के नाते।
		कुल—27 दिन	

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न सं. 1051 की सूची व आदेश

सुगम शिक्षा समिति, सिविल लाईन्स, जयपुर के प्रधानाध्यापक एवं मन्त्री श्री श्रीराम शर्मा द्वारा जांच के दौरान विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये तथा विभाग द्वारा जांच के लिए मंगवाये गये रिकार्ड को लौटाने की तफसील—

क्र.सं.	रिकार्ड का विवरण		प्रतियों की संख्या
1	2		3
(1)	व्यक्तिगत पंजिका	श्री श्रीराम शर्मा	1 पत्रावली
(2)	,, ,,	श्री दामोदर जांगिड	1 पत्रावली
(3)	,, ,,	श्री लक्ष्मीनारायण मालाकार	1 पत्रावली
(4)	,, ,,	श्री लोकपालसिंह	1 पत्रावली
(5)	,, ,,	श्री विजय लोयत	1 पत्रावली
(6)	,, ,,	श्री चोथमल गूजर	1 पत्रावली
(7)	,, ,,	श्री बनवारीलाल शर्मा	1 पत्रावली
(8)	,, ,,	श्री प्रहलाद शर्मा	1 पत्रावली
(9)	,, ,,	श्री चेतनगिरी गोस्वामी	1 पत्रावली
(10)	,, ,,	श्री भंवरलाल कुमावत	1 पत्रावली
(11)	,, ,,	श्री गुलाबचन्द सैनी	1 पत्रावली
(12)	,, ,,	श्री केशवसिह भदोरिया	1 पत्रावली
(13)	,, ,,	श्री शशिकान्त शर्मा	1 पत्रावली
(14)	,, ,,	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	1 पत्रावली
(15)	स्थायी सामान स्टाक रजिस्टर 22-5-64 से अब तक का 80 पेजी		1
(16)	कार्यकारिणी समिति का कार्यवाही रजिस्टर 24-9-72 से दिनांक 28-2-78 तक की कार्यवाही सहित 71 पेजी		1

1	2	3
(17)	वेतन पंजिका 76-77 लेखक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
(18)	बालबाड़ी उपस्थिति पत्रक जुलाई 77 से जनवरी 78 तक का	1
(19)	रसीद बुक नं. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 12, 11, 10, सुगम शिक्षा बालबाड़ी योजना	

सम्भलाने वाला

ह. — उपरोक्त रेकार्ड मैंने भली-भांति सम्हाल कर प्राप्त कर लिया है।

27/4 — जिसकी सदन में यह रसीद दे रहा हूं।

ह. 27-4-78

प्रमाणित — (श्रीराम शर्मा) मन्त्री, सुगम शिक्षा समिति, सिविल लाइन्स

ह./- रामनारायण चतुर्वेदी जयपुर।

निदेशक, संस्कृत शिक्षा,

राजस्थान, जयपुर।

सुगम शिक्षा समिति को लोटाई जाने वाली पुस्तकों की सूची

(1)	हिन्दी चौथी पुस्तक	1
(2)	हिन्दी पाठमाला कक्षा 6 के लिए	1
(3)	हिन्दी पाठमाला कक्षा 8 के लिए	1
(4)	राजस्थान इंगग्लिश रीडर्स बुक टू	1
(5)	राजस्थान इंगलिश रीडर्स बुक थ्री	1
(6)	एसे लेटर राईटिंग स्टोर्स विद ग्रामर	1
(7)	एग्री इंगलिश ट्रांसलेशन बुक नं. 3	1
(8)	सुगम शिक्षा पूर्व प्रवेशिका वि दैनिक डायरी	1
(9)	सुगम शिक्षा समिति एक्सरसाइज बुक 100 पेजी	1
(10)	,, ,, 64 पेज	1
(11)	विक्टोरियल जनरल इंगलिश कक्षा 4	1
(12)	सुगम शिक्षा समिति एक्सरसाइज बुक 64 पेजी	1
(13)	पराग बाल गीत	1
(14)	आल इन वन न्यू टाइप गाइड कक्षा 7	1
(15)	,, ,, कक्षा 3	1
(16)	,, ,, कक्षा 4	1
(17)	,, ,, कक्षा 5	1
(18)	,, ,, कक्षा 6	1
(19)	,, ,, कक्षा 8	1
(20)	गे-वे इंगलिश वर्क बुक कक्षा 2	1
(21)	समाज दर्शन चित्रावली	1
(22)	न्यू प्लान सोसियल स्टूडेंन्ट्स	1
(23)	न्यू प्लान नम्बर बुक	1
(24)	केश बुक 76-77	1

प्राप्त की

ह./- श्रीराम शर्मा

27-1-79

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 10 (67) शिक्षा/6/78

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 12 जनवरी, 1979

विषय—निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा अनुदान रोके जाने पर सुगम शिक्षा समिति जयपुर की अपील।

महोदय,

निदेशानुसार इस विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13/12/78 के क्रम में लेख है कि संस्था का रेकार्ड जांच के दौरान आपके निदेशालय में रख लिया गया है, उस रेकार्ड को कृपया संस्था को लौटाकर इस विभाग को सूचित करें।

भवदीय,
ह./-
(के.के. भटनागर)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

प्रेषक :— गोपनीय
आज ही

निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रेषिति :—

सचिव,
सुगम शिक्षा समिति,
जयपुर ।

क्रमांक: नि.सं.शि./स्नो/शैक्ष/1568/78 दिनांक 24-1-79

विषय— सुगम शिक्षा समिति, जयपुर का रिकार्ड लौटाने के क्रम में ।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 10 (67) शिक्षा/ग्रुप–6/78 दिनांक 11-1-79 के अनुपालन में आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्लालय में दिनांक 27-1-79 को कार्यालय समय में उपस्थित होकर रसीद देकर रिकार्ड प्राप्त कर लेवें ।

ह./-
रामनारायण चतुर्वेदी
निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर ।

(252)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

मन्त्री,
सुगम शिक्षा समिति,
सिविल लाइन्स, जयपुर

क्रमांक: पं. 10(67)शिक्षा/6/78 दिनांक 24-2-79

विषय—जांच के दौरान प्राप्त किया गया रेकार्ड संस्था को वापस लौटाने हेतु।

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्बन्धित शाखा बही तथा रसीद बुकें (77-78) जांच पूर्ण होने पर ही लौटाना सम्भव हो सकेगा। शेष रिकार्ड निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर द्वारा आपको लौटाया जा चुका है।

भवदीय,

ह./-
(रामनाथ)
लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निदेशक, संस्कृत शिक्षा. जयपुर को उनके पत्रांक नि. सं. शि./लेखा/562/78 दिनांक 24-1-79 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह./-
लेखाधिकारी

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न सं. 1052 की शिकायत की प्रति

सेठी बाल निकेतन

(उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय)

क्रमांक: से.बा.नि./क्री/78/26 दिनांक 28-5-78

श्री रामनारायण चतुर्वेदी,
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषय—विभागीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के विजेता, उपविजेता छात्रों के प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत 1 वर्ष 1977-78

महोदय,

इस संस्था के निम्न छात्र/छात्रयें वर्ष 1977-78 में आयोजित विभागीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में विजेता/उविजेता रहे हैं।

क्षेत्रीय क्रीडा प्रतियोगितायें—

1—कुमारी मन्जू अग्रवाल कक्षा 6 यूरजिकल चेयर विजेता।

2—देवेन्द्र कुमार गुप्ता कक्षा 8 विचित्र वेषभूषा/उपविजेता।

3 – देवेन्द्र कुमार गुप्ता कक्षा 8 सुन्दर लेख उपविजेता।

4—रीना भार्गव कक्षा 7 एकल अभिनय विजेता।

5—रीना भार्गव कक्षा 7 विचित्र वेषभूषा विजेता।

राज्य स्तरीय

1—कुमारी मन्जू अग्रवाल कक्षा 6 म्यूजिकल चेयर विजेता।

उक्त छात्र/छात्राओं के प्रमाण-प्रत्र अभी तक सम्बन्धित संयोजकों से प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि उक्त छात्र/छात्रायें एवं उनके अभिभावकों से काफी दवाव आ रहा है। अतः निवेदन है कि सम्बन्धित संयोजकों से उक्त प्रमाण-पत्र भिजवाने का प्रबन्ध किया जाये।

भवदीय,

ह./-

प्रधानाध्यापक,
सेठी बाल निकेतन, सेठी कालोनी,
जयपुर–4

(255)

राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

विवेकानन्द विद्या निकेतन

(पूर्व प्रवेशिका तक)

क्रमांक वि.वि.नि./जय/क्रीड़ा/54/78 दिनांक 29-11-78

श्री निदेशक जी,
संस्कृत शिक्षा राजस्थान,
जयपुर।

विषय—पूर्व प्रवेशिका राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 1977 के प्रमाण-पत्र दिलाने हेतु।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य स्तरीय पू. प्र. क्रीड़ा प्रतियोगिता 1977-78 को 10 दिसम्बर, 77 को आयोजित हुई थी में इस विद्यालय के विजेता छात्र राकेश जैन व राजेश परमार तथा प्रमिला गर्ग के प्रमाण-पत्र एक वर्ष बीतने के उपरान्त भी आज तक नहीं दिये गये हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सम्बन्ध में मैंने दूरभाष पर उक्त प्रतियोगिता के संयोजक से श्री कल्याण प्रसाद जी संचालक भारतीय बाल मंदिर सुभाष चौक, जयपुर से भी सम्पर्क किया है। किन्तु सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला।

कृपया उत्तम कार्यवाही कर प्रमाण-पत्र भिजवाने का कष्ट करें।

ह./-

प्रधानाध्यापक,
रा. गो. गोवले
विवेकानन्द विद्या निकेतन
7 ब 33 जवाहर नगर
जयपुर–4

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न सं. 1053 का विवरण

वर्ष 1977-78 व 1978-79 में कुछ पद निम्न प्रकार कुछ अवधि के लिए रिक्त रहे चिकित्सकों के पदों का विवरण—

वर्ष 1977–78

1 पद 1-4-77 से 30-5-77 तक	स्थानान्तरण के कार
2 पद 1-5-77 से 22-10-77 तक	स्थानान्तरण के कार
3 पद 23-10-77 से 24-10-77 तक	स्थानान्तरण के का
2 पद 25-10-77 से 4-11-77 तक	स्थानान्तरण के का
3 पद 5-11-77 से 20-12-77 तक	स्थानान्तरण के कारण
4 पद 21-12-77 से 31-3-78 तक	स्थानान्तरण के कारण

वर्ष 1978–79

4 पद 1-4-78 से 11-5-78 तक	एक के ईरान में जाने के कारण एवं शेष के स्थानान्तरण के कारण
2 पद 12-5-78 से 10-5-78 तक	स्थानान्तरण के कारण
1 पद 20-5-78 से 13-6-78 तक	स्थानान्तरण के कारण
1 पद 16-7-78 से 26-7-78 तक	स्थानान्तरण के कारण
1 पद 27-7-78 से 13-9-78 तक	स्थानान्तरण के कारण
3 पद 14-9-78 से 21-9-78 तक	स्थानान्तरण के कारण
2 पद 22-9-78 से 28-12-78 तक	स्थानान्तरण के कारण
1 पद 29-12-78 से 24-1-79 तक	स्थानान्तरण के कारण